लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th S

LOK SABHA DEBATE

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
12-8-
Fumigated
On 8-2-84
Parliament Library

PARLIAMENT LIBRARY
No. 60 (LA.)
Date 16/11/72

[खंड 51 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 58, गुरुवार, 14 मई, 1970/24 वैशाख, 1892 (शक)

No. 58, Thursday, May 14, 1970/Vaisakha 24, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1621	औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था की सफलता	Success of Industrial Relations	1–4
1622	विभिन्न राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा	Land Ceiling in various States	4–12
1623	पश्चिमी बंगाल में भूमि पर और मत्स्यक्षेत्रों पर जबरदस्ती कब्जा करने संबंधी तथ्य तथा आंकड़े	Facts and Figures about forcible occupation of Lands and Fisheries in West Bengal .	12–17
1624	मधुबनी को एक अलग डाक-डिवीजन बनाना	Creation of Madhubani as a Separate Postal Division	17–18
	अल्पसूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTIONS	
34	सेना को दालों, जौ तथा चने की सप्लाई	Supply of Dal, Barley and Gram to the Army . .	18–28
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
1626	खाद्यान्नों के मूल्यों में कमी	Fall in Price of Foodgrains .	28–29
1627	बसिरहाट सबडिवीजन में हैजा महमारी के कारण पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की मृत्यु	Death of East Pakistan Refugees due to Cholera Epidemic in Basirhat Sub Division	29
1628	सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिये गये चीनी मिलों की ओर बकाया राशि	Arrears of Payment due from Sugar Mills taken over by Government . .	29–30

†किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1629	खाद्यन्नों का उत्पादन	Production of Foodgrains .	31
1630	जहाजों पर माल चढ़ाने उतारने के कार्य का राष्ट्रीयकरण	Nationalising of Stevedoring Industry	31
1631	सोयाबीन के मूल्य में गिरावट	Fall in the Price of Soyabean	32
1632	मजदूर संघों के नेतृत्व के लिए अनुशासन संहिता	Code of Discipline for Trade Union Leadership .	32
1633	फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme .	33
1634	मतदाताओं के लिए आकाशवाणी कार्यक्रम	A.I.R. programme for Voters	33
1635	प्रत्येक राज्य में फिल्म उद्योग का विकास	Development of Film Industry in each State . . .	34
1636	"संसद् समीक्षा" में संसद् की कार्यवाही के महत्वपूर्ण मदों का प्रसारण न किया जाना	Important items of Parliamentary Proceedings not covered in Sansad Samiksha	34–35
1637	रेडियो सेटों पर से लायसेंस शुल्क हटाना	Abolition of Radio Licence fee	36
1638	1969-70 और 1970-71 में भू प्रधान खेती (एक्स-टें-सिव कल्टीवेशन) के अन्तर्गत क्षेत्र	Area under Extensive Cultivation in 1969-70 and 1970-71 . . .	36
1640	अन्दमान द्वीपसमूह में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों का बसाया जाना	Settlement of Displaced Persons from East Pakistan in Andaman Islands . .	36–37
1641	1970-71 में पंजाब में खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Production of Foodgrains in Punjab in 1970-71 . .	37
1642	फिल्म वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋणों के उचित उपयोग की जांच करने की व्यवस्था	Agency to Check proper Utilisation of Loans Granted by Film Finance Corporation	37–38
1643	कर्मचारी भविष्य-निधि के बारे में दोषी पाये गये नियोजकों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Defaulters of Employees Provident Fund	38
1644	गन्ने का उत्पादन	Production of Sugarcane .	39

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1646	सचिवालय परिसर तथा अन्य सरकारी विभागों में दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्रों पर काम करने वाले बिक्री सहायकों का बारम्बार तबादला	Frequent transfer of Sales assistants working in D.M.S. stalls situated in Secretariat Complex and in other Government Departments .	39–40
1647	टेलीफोन उपकरणों के अभाव के कारण उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों के विकास और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को खोलने की योजनाओं का क्रियान्वित न किया जाना	Non-implementation of Development Schemes of Telephone Exchanges and opening of Public Call Offices in U.P. due to non-availability of Telephone Equipment .	40
1648	दिल्ली चिड़िया घर के पशुओं का पीलिया रोग से पीड़ित होना	Delhi Zoo Animals suffering from Jaundice . .	40
1649	परखी के प्रयोग से यूरिया का बेकार जाना	Wastage of urea due to testing with Parkhi . .	41
1650	राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने नियंत्रण में लिए गये कपड़ा मिलों पर दूसरे कपड़ा मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of Second Textile Wage Board recommendations in Textile Mills taken over by National Textile Corporation .	41

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.			
9607	नई दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए चलते फिरते डाक-घर की सेवाएं प्राप्त करने के बारे में अनुरोध	Request for Mobile Post Office for certain localities in New Delhi	42
9608	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों पर लागू होने वाले आचरण नियम	Conduct Rules applicable to A.I.R. staff artistes .	42–43
9609	फसलों पर कीटनाशक औषधियां छिड़कने के लिए हेलीकाप्टरों का आयात और उनकी लागत	Import of Helicopters for spray of pesticides on crop and their cost . .	43

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9610	रानीगंज कोयला क्षेत्रों में खान सुरक्षा महानिदेशक के कर्मचारियों के लिए सुरक्षात्मक व्यवस्था	Secruity Arrangements for the Staff of D.G.M.S. in Raniganj Coal Fields .	44
9611	बड़ी उतरावली बंध सम्बंधी प्राक्कलन	Estimates of Badi Utarvali Bund	44
9612	भारतीय खाद्य निगम द्वारा सोयाबीन तैयार करना तथा उसका विपणन	Processing and Marketing of Soyabeen by F.C.I. .	44–45
9613	गुजरात में 1970-71 के दौरान डाक-घर खोलना	Opening of Post offices in Gujarat during 1970-71 .	45–46
9614	बडौदा के महाराजा सयाजी राव की स्मृति में डाक-टिकट	Commemorative stamp on Sayaji Rao former Maharaja of Baroda . . .	47
9615	नांगलोई के अग्निकांड में गेंहू का नष्ट होना	Destruction of Wheat in blaze at Nangloi . .	47–48
9616	बडौदा और केरिया, गुजरात में खोल गये डाकघर	Post Offices opened in Baroda and Karia, Gujarat .	48
9617	गुजरात राज्य में डाक तथा तार कर्मचारी और उनके लिए आवास की व्यवस्था	P & T Employees in Gujarat and provision for their accommodation . .	48–49
9618	'समाचार भाभारती के लिये पूर्वी जर्मनी की सरकारी समाचार एजेन्सी का धन	East German Government News Agency Money for Samachar Bharati . .	49–50
9619	बिना अधिकार सेटेका की किरण वर्षियों (बीम) का प्रेषण	Delivery of Ceteka Beamings without Authorisation .	50
9620	टेलीफ्रोन कनेक्शन के लिए आवेदन-शुल्क लगाना	Imposition of application fees for Telephone Connection .	51
9621	पोस्ट कार्डों के लिए स्थलीय डाक दरें	Surface mail rates for postcards	51–52
9622	उपलब्ध क्षमता के अनुसार विमानों से छिड़काव	Aerial spraying by aircraft according to capacity available	52

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
9623	दिल्ली के एक सिनेमा में अनियमित रुप से राष्ट्रगान का बजाना	Irregular playing of National anthem in a Delhi Cinema	53
9624	आकाशबाणी द्वारा दिल्ली तथा कलकत्ता स्टेशनों से समाचारों तथा प्रेस के विचारों की समीक्षा का प्रसारण	A.I.R. Broadcast of Reviews of News and Views of Press from Delhi and Calcutta Stations . . .	53–54
9625	यूनाइटेड न्यूज़ आफ इंडिया का समाचार भारती से विलय	Merger of UNI with Samachar Bharati	54
9626	बन्द हो गये उपक्रमों में औद्योगिक विवाद के बारे में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण धनवाद का निर्णय	Judgement of Central Government in Industrial Tribunal Dhanbad Regarding Industrial Disputes in closed undertakings . .	54–55
9627	जापान और पूर्वी जर्मनी के दूतावासों के प्रकाशन	Publications brought out by Embassies of Japan and East Germany . .	55
9628	वृत्त फिल्मों का निर्यात	Export of Documentary Films	55–56
9629	गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था	Providing food to poor .	56
9630	दिल्ली में बदरपुर के समीप पत्थर खुदान में मजदूरों की मृत्यु	Workers Killed in Stone Quarry near Badarpur, Delhi .	56
9631	खदान मजदूरों की सेवा की शर्तें	Service conditions of Quarry Workers . . .	57
9632	ट्रैक्टर कारखाना स्थापित करने के लिए राजस्थान को ऋण	Loan to Rajasthan for setting up a Tractor Factory .	57
9633	शिक्षा तथा समाज कल्याण संस्थाओं में आहार कार्यक्रमों सम्बन्धी परियोजनाएं	Projects for feeding programmes in Educational and Social Welfare Institutions	58-60
9634	भूमि सुधार के बारे में मांग	Demand for Land Reforms	60
9635	तिलहन के मूल्यों की पूर्व घोषणा	Announcement of Prices of Oil Seeds	60
9636	पंचायत प्रणाली की सफलता	Success of Panchayat System	61–62

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
9637	आगामी दस वर्षों में उर्वरक के विक्रय का सर्वेक्षण	Survey of sale of fertilizers in coming ten years . .	62
9638	पी० एल० 480 करारों के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात	Imports of Foodgrains under PL-480 Agreements .	62–63
9639	कर्मचारियों द्वारा छोटी बचत योजनाओं में धन लगाना	Investment by Employees in Small Savings Schemes .	63
9640	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार की क्षमता	Employment potentialities in public sector undertakings	64
9641	सरकारी उद्योग में वनस्पति तेल के लिए मशीनरी लगाना	Instalment of Machinery for Vanaspati Oil in Public sector	64
9642	मध्यस्थ निर्णय बोर्ड द्वारा रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों के विशेष वेतन में वृद्धि	Enhancement of Special Pay of R.M.S. Employees by Board of Arbitration . .	65
9643	पश्चिमी बंगाल में उद्योगों का फिर से काम करना	Re-opening of Industries in West Bengal . .	65
9645	आसाम चाय बागानों में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भारतीय चाय एसोसीएशन की योजना सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of Enquiry Committee into Indian Tea Association Scheme for rehabilitation of East Bengal refugees in Assam Tea Gardens .	65–66
9646	1969-70 में प्रतिबंधित की गई फिल्में तथा गाने	Films and songs banned during 1969-70 . .	66
9647	आसाम में ग्रीष्म ऋतु में बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों तथा शरद् ऋतु में खेती के लिए पानी के अभाव के बारे में अनुसंधान हेतु धन का नियतन	Allocation for research on flooded fields in summer and absence of water for cultivation in winter in Assam	66–67
9648	तुर (अरहर) दाल की खेती	Cultivation of Tur (Arhar) Daal	67
9649	1968-69 के दौरान उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को ट्रैक्टरों के आवंटन में अन्तर	Difference in allotment of tractors to U.P. and M.P. during 1968-69	67–68

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
9650	चम्पारन जिले में रामनगर डाकखाने से मनीआर्डर बांटने में बिलम्ब	Delay in disbursement of Money Order from Ram Nagar Post Office District Champaran . .	69
9651	होशियारपुर के डाक सुपरिन्टैन्डेंट के विरुद्ध आरोप	Allegations against Postal Superintendent, Hoshiarpur	69
9652	सोयाबीन आधारित उद्योगों की स्थापना	Setting up of Soyabean based industries . . .	70
9653	बृहद् कलकत्ता में मछली की सप्लाई की समस्या	Problem of Supply of fish in Greater Calcutta . .	70–71
9654	पश्चिमी बंगाल में बटाई-दारों की सुरक्षा	Safeguards to share Croppers in West Bengal . .	71
9655	पश्चिमी बंगाल में बलात अधिकृत की गई भूमि के स्वामी किसानों को मुआवजा देना	Compensation to farmers Whose Lands were forcibly occupied in West Bengal	72
9656	दिल्ली तथा अन्य स्थानों में डाक वितरण में बिलम्ब	Delay in Delivery of Dak in Delhi and Other places .	72
9657	कार्य के सामान्य समय के बाद इन्दिरा मार्केट, दिल्ली में दुकानों का खुला रहना	Opening of shops in Indira Market, Delhi after normal working hours . .	73
9658	माधवपुर तथा मधुबनी के बीच टेलीफोन सम्पर्क	Telephone link between Madhawapur and Madhubani	73
9659	दरभंगा जिले में सार्वजनिक टेलीफोन	Public Call Offices in Darbhanga District . .	74
9660	मनी आर्डरों के वितरण में विलम्ब	Delay in Delivery of Money Orders .	74
9661	पक्की सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	Financial aid for Construction of Pucca Roads .	74–75
9662	सुधरे बीजों की व्यवस्था करने के लिए राज्यों में बीज फारमों की स्थापना	Setting up of Seed Farms in States for Providing Improved Seeds. . . .	75
9663	ट्रांसमीटर लगाने के सम्बन्ध में प्रगति	Progress made in Installation of Transmitters . .	75

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9664	दिल्ली दुग्ध योजना के लेखे में अनियमितताएं	Irregularities in Accounts of D.M.S.	76
9665	गांधी पोस्टकार्ड और अन्तर्देशीय पत्र	Gandhi Post Cards and Inland Letters .	76–77
9666	लद्दाख में फलों तथा वनस्पति के उत्पादन में वृद्धि	Production of fruits and vegetables in Ladakh .	77
9667	होशंगाबाद सर्कल, मध्य प्रदेश में ट्रंक टेलीफोन लाइनों का खराब होना	Failure of Trunk Telephone Lines in Hoshangabad Circle, Madhya Pradesh . .	77
9668	मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग के मजदूरों पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना का लागू होना	Application of E.P.F. Scheme to Labour in Beedi Industry in Madhya Pradesh	78
9669	राजस्थान के जयनारायण व्यास की स्मृति में डाक-टिकट	Commemorative Stamp on Shri Jai Narayan Vyas of Rajasthan	78
9670	अधिक क्षेत्र में सोयाबीन की खेती	Increase in area under Soyabean Cultivation .	78–79
9671	भारतीय खान तथा मजदूर संघ द्वारा कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का अनुरोध	Indian National Mine Workers Federation request for implementation of Coal Wage Board Recommendations .	79
9672	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने वाले प्रैस सूचना ब्यूरो के नये कार्यालयों पर संचालन व्यय	Expenditure on running of New Offices of P.I.B. to be opened during Fourth Five Year Plan . .	80
9673	प्रदेशिक सिनेमा के अंशदान के बारे में विचार गोष्ठी	Seminar on Contribution of Regional Cinema . .	80
9674	पंजाब और हरियाणा में अच्छी किस्म के चावल का उत्पादन	Production of Quality Rice in Punjab and Haryana .	80–81
9675	1970 में चावल का उत्पादन और उसकी आवश्यकता	Production and Requirement of Rice for 1970 . .	81
9676	उड़ीसा में सहकारी क्षेत्र में चीनी और मशीन से धान कूटने सम्बन्धी उद्योगों की स्थापना	Setting up of Sugar and Rice Milling Industries in Co-operative Sector in Orissa .	82

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9677	1969-70 तथा 1970-71 में उड़ीसा में नलकूप लगाने के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए प्रार्थना	Request for Central Assistance to Orissa for installation of Tube Wells during 1969-70 and 1970-71 . .	82–83
9678	पशु धन विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाना	Establishment of a Separate Ministry for development of Cattle Wealth	83
9679	बारानी खेती सम्बन्धी योजना	Dry Farming Scheme . .	83
9680	बिहार सर्किल के डाक तार कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा-निवृत्ति	Compulsory Retirement of Post and Telegraph Employees of Bihar Circle .	84
9681	बिहार सर्किल के लिए क्षेत्रीय डाक तथा तार सलाहकार समिति का पुनर्गठन	Reconstitution of Regional Post and Telegraph Advisory Committee for Bihar Circle	84–85
9682	रिवाड़ी के राव तुलाराम की स्मृति में डाक टिकट	Commemorative Stamp on Rao Tula Ram of Rewari	85
9683	दिल्ली में श्रम आयोग द्वारा निर्धारित श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages of Labourers in Delhi fixed by Labour Commission	85–86
9684	सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास	Development under community Development Programme . . .	86
9685	भारतीयकरण, धर्मनिर्पेक्षता आदि के संबंध में आकाशवाणी का प्रसारण	A.I.R. Broadcast on Indianisation, Secularism, etc. .	86
9686	बालू के टीलों पर गेहूं की कल्याण, सोना तथा ट्रिपल ड्वार्फ जैसी उच्च उपज वाली किस्मों की खेती के विषय में अनुसंधान	Research on growing of high yielding variety of wheat like Kalyan, Sona and Triple-dwarf on Sand Dunes .	87–88
9687	आकाशवाणी के लद्दाख केन्द्र का विस्तार	Expansion of A.I.R. Station, Ladakh	88
9688	सामूहिक सौदेवाजी पर प्रतिबन्ध	Ban on Collective Bargaining .	89–90

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9689	भारत में आकाशवाणी में प्रसारण केन्द्रों की संख्या	Number of Broadcasting Stations in India	90
9690	प्रेसबंटन (प्रेस रिलीज) हिन्दी में जारी करना	Issue of Press Release in Hindi	90–91
9692	चौथी पंचवर्षीय योजना में और अधिक केन्द्रीय फार्मों की स्थापना	Establishment of more Central Farms during Fourth Plan	91
9693	लाइसेंस शुदा रेलवे कुलियों तथा खोमचे वालों को कानूनी संरक्षण	Legal Protection to Licensed Railway Porters and Vendors	91–92
9694	रेलवे कुली तथा विक्रेताओं सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशों को लागू करना	Implementation of recommendations of Study Team for Railway Porters and Vendors	92
9695	खेतिहार मजदूरों तथा भूस्वामियों के बीच मतभेदों को दूर करने की व्यवस्था	Machinery to remove differences between agricultural labourers and landlords	92
9696	टेलीफोन डायरेक्टरी हिन्दी में जारी करना	Issue of Telephone Directory in Hindi	93
9697	अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय संख्या 88	International Convention No. 88	93–94
9698	कोयला खानों से कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान की वसूली	Realisation of E.P.F. contributions from Coal Mines	94
9699	सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना	Setting up of Sugar Mills in Co-operative Sector . .	94–95
9700	राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में भारतीय श्रम विधान सोसायटी के द्वारा की गई गोष्ठी	Seminar held by Indian Labour Law Society on National Labour Commission's recommendation . .	95
9701	खाद्यन्नों की अधिक उपज वाली किस्मों के प्रचलन के परिणामस्वरुप पौधों पर अनुसन्धान	Research on Plants after introduction of high yielding varieties of Foodgrains	96

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9702	ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं का विस्तार करने सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Study Group of Administrative Reforms Commission on extension of postal facilities to rural areas	96-97
9703	निलम्बित कर्मचारियों को निर्वाह भत्ता दिया जाना	Grant of Subsistence allowance to employees under suspension . .	98
9704	डाक तार बोर्ड के विचाराधीन 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के कारण मुअतिल किये गये कर्मचारियों की याचिकाएं	Petitions of employees suspended due to Sept. 19, 1968 strike pending with P & T Board . .	99
9705	भारत खाद्य निगम द्वारा उर्वरक के उपयोग के बारे में अध्ययन	Study on the use of fertilisers by Food Corporation of India	99
9706	1970 में अनाज का आयात	Import of foodgrains in 1970	99
9707	पंजाब के लिये टेलीफोन-निदेशिका	Telephone Directory for Punjab	100
9708	सहरसा, बनमनखी, फारबिसगंज तथा खगैया में टेलीफोन सेवा सुधार के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken to improve telephone service in Saharsa, Banmankhi Farbesganj and Khagiya	100
9709	पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों की सेवा निवृत्ति आयु को बढ़ाना	Enhancement of Superannuation age of displaced persons from East Pakistan . .	101
9710	कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली के समीप औद्योगिक बस्ती	Industrial Estate near Kalkaji Colony New Delhi . .	101
9711	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की नौकरी में प्रवेश के लिए आयु की सीमा बढ़ाना	Extending age-Limit of entering in to Government service for Displaced persons from East Pakistan . .	102
9712	कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों की भूमि-किश्तों के प्रीमियम पर व्याज में छूट देना	Grant of permission of interest on instalments of premium of land to displaced persons from East Pakistan in Kalkaji Colony, New Delhi . .	102-103

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9713	सचिवालय तथा अन्य सरकारी विभागों में स्थित दिल्ली दुग्ध योजना के स्टालों में कार्य-रत प्रबन्धकों सहायक प्रबन्धकों तथा बिक्री सहायकों की सेवा शर्तें	Working conditions of Managers, Assistant Managers and Sales Assistants in D.M.S. Stalls Situated in Secretariat and Government Department . .	103–106
9714	राजकोट और कलकत्ता में ट्रांसमीटरों के लगाने में विलम्ब	Delay in installation of transmitters in Rajkot and Calcutta . . .	106–107
9715	रोजगार का स्थायी प्रस्ताव	Standing offer of employment	107
9716	अखिल भारत नेत्र सुधार संघ, लाजपत नगर, नई दिल्ली को आवंटित की गई भूमि	Land allotted to All India Blind Relief Society, Lajpat Nagar, New Delhi .	107–108
9717	कारखानों का निरीक्षण	Inspection of factories .	108
9718	आकाशवाणी के तकनीकी कर्मचारियों के संघ की मांगें	Demands of Technical Employees Union of A.I.R. .	108–109
9719	वर्ष 1968 और 1969 के दौरान अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्रों में दिए गए सरकारी विज्ञापनों पर हुआ खर्च	Government Expenditure on its advertisements in English Dailies during 1968 and 1969	109–110
9720	अहमदाबाद में पांच पैसे वाले टिकटों की कमी के बारे में जांच	Investigation into shortage of five paise stamps in Ahmedabad .	110
9721	प्रैस इन्फोर्मेशन ब्यूरो के वाल न्यूज पेपर का जनता पर प्रभाव	Impact of P.I.B. Wall Newspaper on the people .	110–111
9722	महानगरों के डाक-तार सर्किल से संबंधित सूचना	Information regarding P. & T. Circle for Metropolitan cities	111
9723	चौथी योजना के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था	Setting of Public Telephone Exchange in villages of Maharashtra during fourth Plan	111–112
9724	मध्य प्रदेश के कृषि कालेजों को केन्द्रीय सहायता	Central assistance to Agricultural Colleges of Madhya .	112–113

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9725	दालों तथा अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यवाही	Steps to increase output of pulses and other commercial crops	113
9726	बारानी खेती के लिए धन	Funds for dry farming . .	114
9727	पश्चिमी बंगाल में घेरावों सम्बन्धी केन्द्रीय अध्ययन दल	Central Study Team on gheraos in West Bengal	114
9728	राज्यों के कृषि उद्योग निगमों को आयातित ट्रैक्टर देने के मापदंड तथा किसानों को इन ट्रैक्टरों का वितरण	Criteria for allotting imported tractors to Agro-Industrial Corporation of States and their distribution to farmers	115
9729	डाक और तार सर्किल बनाने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Administrative Reforms Commission recommendation re-creation of P & T Circles	115–116
9730	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर-प्रदेश के हरिजन कर्मचारियों को तंग किया जाना	Harassment of Harijan Employees of U.P. Regional Office of E. P. F. Organisation . .	116
9731	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची	All India Seniority List of E.P. F. Organisation Employees	116–117
9732	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों का पृथक रोस्टर और चयन सूची.	Separate Roster and Select List for S.C. and S.T. Employees of U.P. Regional Office of EPF Organisation	117
9733	नेशनल हेराल्ड में "समाचार भारती" पर 20 मार्च, 1970 को प्रकाशित सम्पादकीय लेख	Editorial of National Herald dated 20th March, 1970 on Samachar Bharati	117–118
9734	इतहाद मोटर ट्रांसपोर्ट (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली में हड़ताल	Strike in Ithad Motor Transport (P) Ltd, Delhi . .	118
9735	दिल्ली में बाल-चलचित्रों का दिखाया जाना	Screening of Children's Films in Delhi	118

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
9736	सरकारी संगठनों द्वारा विदेश से सम्बद्ध विज्ञापन अभिकरणों का उपयोग	Use of Foreign linked Advertising Agencies by Government Organisation . .	119-120
9737	खोसला समिति की सिफारिशें	Recommendations of Khosla Committee . .	120
9738	हाल में हुए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह से आय	Income from recent International Film Festival . .	120-121
9739	मध्य प्रदेश के बेतुल जिले में पाकिस्तानी एजेन्टों की गतिविधियां	Activity of Pak Agents in Betul District, M.P. . .	121
9740	समाचार भारती के निदेशकों के नाम	Names of Directors of Samachar Bharati	121-122
9741	जंस्कर, लद्दाख में डाक, तार एवं टेलीफोन सुविधाएं	Postal, Telegraph and Telephone Facilities in Janskar, Ladakh	122-123
9742	वन विभाग द्वारा राजस्थान के पहाड़ी तलहटी क्षेत्रों में कुएं खोदने की अनुमति का दिया जाना	Permission by Forest Department for digging well in the Foot hills in the Hilly area of Rajasthan . .	123
9743	पी० एल०-480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains under PL-480	123
9744	जहाज द्वारा अनाज की ढुलाई में होने वाली बर्बादी	Damage of Foodgrains in Transit by Ship . .	124
9746	आकाशवाणी के कार्य को ठप्प करने का प्रस्ताव	Move to Paralyse working of A.I.R.	124
9747	बारानी खेती बोर्डों की स्थापना	Setting up a Dry Farming Board	125
9748	बड़े शहरों में सार्वजनिक टेलीफोनों का अनुरक्षण	Maintenance of Public Telephones in Big Cities . .	125
9749	आन्ध्र प्रदेश में निजामाबाद में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र के निर्माण में प्रगति	Progress of Construction of Automatic Telephone Exchange at Nizamabad (Andhra Pradesh) . .	125-126

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
9750	पूर्व परीक्षण के बिना पूर्वी जर्मनी से आर० एस०-09 ट्रैक्टरों का आयात करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने का प्रस्ताव	Proposal for Enquiry by C.B.I. for Import of RS-09 Tractors from East Germany without previous test . .	126–127
9751	आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में टेलीफोन केन्द्रों का बार बार खराब होना	Frequent failures of Telephone Exchanges in certain Districts of Andhra Pradesh	127
9752	आकाशवाणी के 25-4-70 और 26-4-70 के समाचार बुलेटिन	A.I.R. News Bulletins dated 25-4-70 and 26-4-70 . .	127
9753	विदेशी नस्ल की गायों का प्रजनन	Cow Progeny of foreign breed	128
9754	गुजरात में डाक तथा तार विभाग के अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Tribes Employees in Post and Telegraph Department in Gujarat . .	128
9755	सुपर बाजार द्वारा विभिन्न-विभागों के हस्तांतरण की शर्तें	Terms and conditions of transfer of various Departments by Super Bazar .	129–130
9756	टेलीफोन सलाहकार समितियों में संसद् सदस्यों की नामजदगी के लिए अपनायी गई कसौटी	Criteria adopted for nominating M.Ps to Telephone Advisory Committee . .	130–131
9757	जयपुर डिवीजन में सार्वजनिक टेलीफोन कक्ष खोलना	Setting up of public Telephone booths in Jaipur Division .	131
9758	जयपुर डिवीजन में लालसोट कस्बे में एस० ए० एक्स० टेलीफोन के केबल बिछाना	Laying of S.A.X. Telephone Cables in Lalsot in Jaipur Division	131–132
9759	बोनली सवाई-माधोपुर के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क	Direct Telephon econnection between Bonli-Swai, Madhopur	132
9760	मध्य प्रदेश में नल कूप स्थापित करने के बारे में छिद्रण (ड्रिलिंग) मशीनों की कमी	Shortage of Drilling Machines for Installation of tube-wells in Madhya Pradesh . .	132–133
9761	अमरीकी सूचना सेवा द्वारा भारतीय आर्थिक तथा कारोबार सेवा का आयोजन	Sponsoring of an Indian Economic and Business Services by USIS . .	331

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	प्रष्ठ/Pages
9762	कोटा से बयाना तक डाक के साथ जाने वाले लिपिक तथा कुली	Clerks and porters accompanying Mail from Kota to Bayana . . .	133–134
9763	कोटा रेलवे डाक सेवा में कुलियों की संख्या	Strength of Porters in R. M.S., Kota . . .	134
9764	रेलवे डाक सेवा, कोटा (राजस्थान) के कुलियों और सार्टरों को दिया गया समयोपरिभत्ता	Over time allowance given to Porters and Sorters of R. M. S. Kota (Rajasthan) . .	134–135
9765	राजस्थान में सुपरवाइजरों को असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिये पदोन्निति देने का आधार	Criteria for promotion of Supervisors to Assistant Engineers in Rajasthan .	135
9766	बम्बई के लिए महा डाकपाल का पृथक सर्कल	Separate Post Master General's Circle for Bombay . .	135–136
9769	अमरीकी तथा ब्रिटेन के प्रेस की तुलना में भारतीय प्रेस की विशेषताएं	Characteristics of Indian press *vis-a-vis* American and British Press . .	136
9770	अमरीकी दूतावास द्वारा संचालित कृषि उपक्रम	Agricultural ventures run by American Embassy . .	136
9771	पहाड़ी धीरज सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, दिल्ली	Pahari Dhiraj Co-operative House Building Society Ltd. Delhi . .	137
9772	टेलीफोन के लिये करौलबाग टेलीफोन केन्द्र, दिल्ली में अनिर्णीत आवेदन-पत्र	Applications Pending with Karol Bagh Telephone Exchange Delhi for Telephone connection . .	137–138
9773	ईदगाह टेलीफोन केन्द्र, दिल्ली के निर्माण की प्रगति	Progress of construction of Idgah Telephone Exchange, Delhi	138
9774	दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों की मांगें और कार्यकरण पर उनका प्रभाव	Demand of Staff of D.M.S. and their effect on Working	138–139

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	प्रष्ठ/PAGES
9775	आकाशवाणी के मन्द गति से पढ़े जाने वाले समाचार बुलेटिन से लाभ उठाने वाले समाचार पत्रों आदि की संख्या	Number of Newspapers, taking advantage of A.I.R. news read at slow speed .	139
9775–क	चण्डीगढ़ में श्रमिक कालोनियां बनाना	Setting up of Labour Colonies in Chandigarh .	139–140
9775–ख	भारत के राष्ट्रीय पक्षी की सुरक्षा	Protection of India's National Bird .	140
9775–ग	अनाम प्रकाशकों के लिए छापाखानों, प्रकाशनों तथा लेखकों के विरुद्ध विधान	Legislation against Printing Presses, Publishers and Writers for anonymous Publications	140
9775–घ	राज-भाषा के प्रति नीति	Policy towards official language.	141
	दिनांक 21 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4315 तथा दिनांक 23अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7206 के उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण	Correcting statements to U.S.Q. No. 4315 dated 21-8-1969 and U.S.Q. No. 7206 dated 23-4-1970	141
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना भारतीय वायु सेना के एक विमान का लापता होना	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance : Missing of an IAF Plane	142–145
	दक्षिण रेलवे में हड़ताल के बारे में	Re. Strike in Southern Railway . . .	145
	"आर्यावर्त" पटना के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against the "Aryavarta", Patna.	146
	सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	147–149
	राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	149
	स्थपति विधेयक, 1970, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में समितियों के लिये निर्वाचन	Architects Bill as Passed by Rajya Sabha Committee .	149

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
राष्ट्रीय छात्रसेना दल के लिये केन्द्रीय मंत्रणा समिति नियम 377 के अन्तर्गत मामला		Election to Committee—Central Advisory Committee for National Cadet Corps Matter Under Rule 377—	149–150
विरोधी दल के नेता को सुविधाएं		Facilities to the Leaders of the Opposition . .	150–152
देश में हाल ही के साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा		Discussion Re. Situation Arising out of Recent Communal Disturbances in the Country	153–184
	श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	153–159
	श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav . .	159–160
	श्री स० क० पाटिल	Shri S.K. Patil . .	160–162
	श्री सीताराम केसरी	Shri Sitaram Kesri . .	162–163
	श्री जे० मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohamed Imam .	163–165
	श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N.K. P. Salve . .	166–169
	श्री अ० डांगे	Shri S.A. Dange . .	169–171
	श्री सुब्रावेलू	Shri K. Subravelu . .	171–172
	श्रीमती इंदिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi .	172–175
	सय्यद बदरुद्दुजा	Shri Badrudduja . .	175–176
	श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu . .	176–177
	श्री म० आ० खां	Shri M.A. Khan . .	177–178
	श्री नाथ पाई	Shri Nathpai . .	178–180
	श्री एम० मुहम्मद इस्माइल	Shri M. Muhammad Ismail .	181–182
	श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh . .	183–184

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 14 मई, 1970/24 वैशाख, 1892 (शक)

Thursday, May 14, 1970 / Vaisakha 24, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय, पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था की सफलता

*1621. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था किस सीमा तक कार्य में अव्यवस्था तथा जन-शक्ति के अकुशल प्रयोग को रोकने में सफल रही है; और

(ख) देश में जनशक्ति का अधिकतम प्रयोग करने की दृष्टि से श्रम सम्बन्धी कानूनों में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) समग्र रूप से केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था कार्य में बाधा को रोकने में असफल रही है। 1965–68 वर्ष की अवधि के लिए हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार 86 प्रतिशत औद्योगिक विवाद व्यवस्था के अधिकारियों द्वारा प्राथमिक चर्चाओं, अनौपचारिक मध्यस्थता तथा समझौता वार्ताओं से निपटाए गए।

(ख) श्रम सम्बन्धी नियम कानूनों की समीक्षा हाल ही में राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा की गई है। विभिन्न सम्बद्ध संस्थाओं के परामर्श से और आयोग की सिफ़ारिशों के संदर्भ में अगली यथावश्यक अगली विधान सम्बन्धी कार्यवाही करने का प्रश्न विचाराधीन है।

Shri Hardayal Devgun : What steps the Government has taken on the recommendations of the National Labour Commission published in August 1969 that the subject of industrial relations should be taken away from the State Governments and Central Government, and an independent machinery namely industrial relation commission and labour courts should be created, to solve the industrial disputes ? What is the reaction of the Government towards this recommendation ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफ़ारिश की थी कि औद्योगिक न्यायाधिकरण के बजाए औद्योगिक संपर्क आयोग को नियुक्त किया जाए । विभिन्न संबद्ध लोगों से परामर्श लेकर श्रम आयोग की सभी सिफ़ारिशों पर विचार किया जा रहा है । जुलाई के चौथे सप्ताह में स्थायी श्रम समिति जो कि एक त्रिदलीय निकाय है, की बैठक हो रही है, जब इस पर अंतिम निर्णय किया जाएगा । उसके बाद सरकार आवश्यक कदम उठाएगी ।

श्री हरदयाल देवगुण : श्रम संपर्क मशीनरी समूचे भारत में हो रहे श्रमिक विवादों के निपटारे में काफी दिलचस्पी दिखा रही है । मैं जानना चाहता हुं कि क्या बंगाल में संयुक्त मोर्चे के शासन काल में हुए श्रम विवादों के कारणों पर आयोग ने विचार किया है । इन विवादों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का निष्कर्ष क्या है और इन विवादों को हल करने के लिए सरकार ने इस मशीनरी का कहाँ तक उपयोग किया है ।

श्री डी० संजीवैया : समूचे भारत में हो रहे श्रम विवादों का जहां तक सम्बन्ध है, उन्हें दो वर्गों में रखा जा सकता है—केन्द्रीय सरकार की सीमा के अन्तर्गत और राज्य सरकार की सीमा के अन्तर्गत । राज्य सरकारों की सीमा के अन्तर्गत जो विवाद उठ खड़ा होता है, उसका निपटारा वह करती है । और केन्द्रीय सरकार की सीमा के अन्तर्गत जो विवाद होता है, उसे वह निपटा लेती है । जहां तक दूसरे प्रश्न कि बंगाल में संयुक्त मोर्चे सरकार के शासनकाल में हुए श्रम विवादों के कारणों की जांच की गई है या नहीं, का सम्बंध है, हमने अभी तक तत्संबंधी कोई अध्ययन नहीं किया है । अगर वह आवश्यक पाया गया तो, उसकी जांच की जाएगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री महोदय को मालूम होगा कि 1968 सितंबर 19 की केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बाद केन्द्रीय सरकार अत्यावश्यक सेवायें निर्धारण विधेयक संसद में लाई जिसका स्वतंत्र दल को छोड़कर शेष सारे दलों ने विरोध किया था । विधेयक पारित हुआ । चूंकि अब ऐसा कोई उपद्रव नहीं है, अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय मंत्रि मंडल को या सरकार को सिफारिश देंगे कि सरकार और कर्मचारियों के आपसी सम्बंध में सुधार को दृष्टि में रखते हुए उस काले कानून को रद्द किया जाए । दूसरे, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वे सिफारिश देंगे कि जब "जे० सी० एम०" को अधिनियमित किया जाएगा तो हड़ताल पर जो प्रतिबन्ध लगाने की संभावना है, वह न लगाया जाए, क्योंकि यहां जब-जब हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाया गया, तब-तब वह और अधिक फैल गयी हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि उन की इस सम्बंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री डी० संजीवैया : पहले एक अवसर पर जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था, तो मैंने उत्तर दिया था कि सारे मामले पर श्रम मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच चर्चा चल रही है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न का पहला हिस्सा अत्यावश्यक सेवाएं निर्धारण अधिनियम को रद्द करने के संबंध में था । क्या उक्त अधिनियम रद्द किया जा रहा है ? क्या श्रम मंत्री की हैसियत से आप उसके लिए आवश्यक सिफारिश करेंगे ?

श्री डी० संजीवैया : जब मामला विचाराधीन है, तो मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं कि अन्तिम रूप से क्या निर्णय लिया जाएगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, I would like to know from the Minister through you that why the Government is not taking any step to settle the disputes in state-owned industries whereas they take a leading part in settling disputes that may arise in private industries ? Secondly, the employers have not deposited the amount of employees in the Employees Provident Fund Scheme, and also, the employers have not countributed their due share. The penalty fixed for this is quite light. What kind of legislation the Government is going to enact in this respect so that the employers may deposit the amount of employees and also their share ? Are the Government also proposing to form an independent department to deal with matters regarding gratuity ? What steps the Government is going to take in order to implement effectively the recommendations of the Labour Commissions ?

श्री डी० संजीवैया : राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के संबंध में मैंने स्थिति को स्पष्ट किया है । श्रम कानून का जहां तक संबंध है, मैं निरुपाधिक रूप से कहता हूं कि सरकारी क्षेत्रों के साथ कोई पक्षपात पूर्ण बर्ताव नहीं किया जाता ।

Shri Hukam Chand Kachwai : My question is not replied. I have said that the Government is causing delay in settling the disputes that arise in Public Sector. The penalty for defaulters of Provident Fund is very light. I asked whether the Government is proposing to enact any legislation to recover the amount from the employers. I want a reply to this question.

अध्यक्ष महोदय : वे सरकारी क्षेत्र के विवादों के बारे में जानना चाहते हैं ।

श्री डी० संजीवैया : जब भी भविष्य निधि की राशि बकाया होती है हम उसको वसूल करने का कार्य करते हैं और मुकदमा भी चलाते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : माननीय मंत्री बार-बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि चूंकि राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर अब भी विचार हो रहा है, अतः वे इन प्रश्नों का अंतिम रूप से जबाब नहीं दे सकते । अतः मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस अनिर्णीत मामले को ध्यान में रखते हुए, औद्योगिक संबंधों और मजदूर संघ के अधिकारों, जो कि बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं, के संबंध में कानून बनाने की आन्ध्र सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को अनुमति क्यों दी गई ? इन सरकारों से यह क्यों नहीं कहा गया कि जब तक आयोग की सिफारिशों पर अन्तिम रूप से

निर्णय नहीं लिया जाता तब तक तत्संबंधी कानून के बनाने को टाल दिया जाए ? इन्होंने पश्चिम बंगाल की विधान सभा में जो विधेयक एकमत से पारित किया था, उसका अनुमोदन नहीं किया। यह इसलिए नहीं किया गया कि उक्त विधेयक की विषय वस्तु पर राष्ट्रीय श्रम आयोग के अन्तर्गत आती है और उसकी रिपोर्ट विचाराधीन है । आन्ध्र और महाराष्ट्र सरकारों को इस कानून को बनाने की अनुमति दी गई जबकि यह आयोग के विचाराधीन था और उनसे क्यों नहीं कहा गया कि वर्तमान स्थिति को बनाए रखा जाए ?

श्री डी० संजीवैया : जहां तक आन्ध्र प्रदेश सरकार का संबंध है, हमने उन्हें कानून के बनाने की अनुमति नहीं दी है ।

जहां तक महाराष्ट्र सरकार का संबंध है, हमने उन्हें अनुमति दे दी है क्योंकि वहां के श्रम मंत्री जो विधेयक लाये थे, वह हमारी वर्तमान नीति के अनुकूल था । मगर पश्चिम बंगाल में जो विधेयक पारित हुआ वह इससे भिन्न था । अतः, इस मामले में, राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेने के बाद ही कुछ किया जा सकता है ।

Shri Rabi Ray : What kind of departure ?

श्री डी० संजीवैया : मेरे मित्र यह जानना चाहते हैं कि क्या भिन्नता है । किसी मजदूर संघ को मान्यता देने या किसी खास उपक्रम के किसी प्रतिनिधि-संघ को मान्यता देने की वर्तमान प्रणाली यह है कि सदस्य संख्या का सत्यापन किया जाता है और जो संघ सबसे अधिक सदस्यता प्राप्त है, उसे प्रतिनिधि संघ माना जाता है । पश्चिम बंगाल के विधेयक में यह कहा गया था कि यह प्रणाली समाप्त होनी चाहिए और इसका निर्णय गुप्त मतदान द्वारा किया जाना चाहिये ।

Land Ceiling in various States

*1622. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state ;

(*a*) the land ceiling fixed in each State :

(*b*) the acreage of land for other purposes i.e. gardens, dairy, mechanised farms, the possession of which has been allowed to a person in each State in addition to the land ceiling already fixed ; and

(*c*) whether Government have also conveyed their opinion to States in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Shri Annasaheb Shinde) : (*a*) A statement is laid on the Table of the Sabha summarising the provisions relating to ceiling on existing holdings in various States.

(*b*) No provision has been made fixing any limit to the extent of land which a person may hold in respect of certain categories of lands for which exemption has been made from ceiling on holdings.

(*c*) At the Chief Ministers Conference held in November, 1969, it was decided that the provisions relating to ceiling in the existing legislation should be reviewed having regard to technological development and social requirement and their implementation expedited.

Statement Referred to in Reply to Part (a) of Starred Question No. 1622 Answered in Lok Sabha on 14-5-70

States	Level of ceiling (in acres)	Unit of application	Surplus area declared or taken possession of (in thousand acres)	Surplus area distributed (in thousand acres)
Andhra Pradesh	27 to 324	Individual	74	Nil
Assam	50	Do.	68	1
(Bill as introduced	25			
Bihar	20 to 60	Do.	Nil	Nil
Gujarat	19 to 132	Family	50	25
Haryana	27 to 100	Individual	179	65
Jammu & Kashmir	22¾	Do.	450	450
Kerala	6 to 20	Family	N.A.	N.A.
Madhya Pradesh	25 to 75	Individual	84	13
Maharashtra	18 to 126	Do.	271	123
Mysore	27 to 216	Family	N.A.	Nil
Orissa	20 to 80	Individual	Nil	Nil
Punjab	27 to 100	Do.	178	64
Rajasthan	22 to 336	Family	N.A.	Nil
Tamil Nadu	24 to 120	Do.	25	16
(Bill as passed)	12 to 60			
Uttar Pradesh	40 to 80	Individual	241	121
West Bengal	25	Do.	794	N.A.
Himachal Pradesh	27 to 100	Do.	7	Negligible.
Manipur	25	Family	Nil	Nil
Tripura	25 to 75	Do.	Negligible.	Nil
Mahi	15 to 36	Do.	Nil	Nil

N.A.=Not available.

Shri Maharaj Singh Bharati : According to the Statement given, a ceiling is fixed from 6 acres up to 336 acres, as far as a family is concerned. As I appealed in the third part of my question, may I know whether the Central Government keeping in view of the situation prevailing to-day, has given any advice to the State Governments to make a uniform ceiling on landholdings and also keeping in view the population, whether they have given any suggestion, as to what might be the minimum ceiling ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : माननीय सदस्य ने निर्धारित सीमा की भिन्नता की ओर संकेत किया । उदाहरण के लिये उन्होंने राजस्थान में निर्धारित सीमा 336 एकड़ का जिक्र किया । अब, यदि माननीय सदस्य.....

श्री महाराजसिंह भारती : आन्ध्र में भी यही है ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं प्रचलित विभिन्न सीमाओं के बारे में कह रहा हूं । विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सीमाएं कायम होती होंगी । मैं उस से इनकार नहीं करता हूं । पश्चिम राजस्थान को ले लो, माननीय सदस्य ने वहां का दौरा किया होगा । वहाँ, यह बात महत्व की नहीं है कि आप के पास 15 एकड़ जमीन है या 100 एकड़ जमीन । मगर आन्ध्र और अन्य प्रदेशों में स्थिति विभिन्न है । अतः हाल में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस मामले का पुनरीक्षण किया गया और इस संबंध में हमने जो विशाल रुप अपना लिया है, वह माननीय सदस्य की भावनाओं के अनुकूल ही है । मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें यह थी कि औद्योगिक विकास और सामाजिक आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में राज्य सरकारें वर्तमान सीमाबंदी कानून का पुनरीक्षण करें । हम ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से अनुरोध भी किया है । वर्तमान सीमाबन्दी कानून भले ही सभी राज्य सरकारों ने बनाया हो, मगर उन का उचित ढंग से कार्यान्वयन अब तक नहीं किया गया । यह सब से बडी कठिनाई है । अतः हमने उन्हें सलाह दी है कि इन कानूनों का शीघ्र कार्यान्वयन किया जाए ।

Shri Maharaj Singh Bharati : By giving the example of West Rajasthan, the Home Minister has tried to evade many questions. In Mysore the ceiling limit is 210 acres. The Minister has not replied whether he has given any advice or not. I would like to know whether the Agricultural Department of Central Government, keeping in view the irrigated and non-irrigated land, has framed any pattern as to what must be the transit of irrigated land and what must be of non-irrigated land. Is it a fact that the Minister is trying to evade the question due to political reasons and leaving it to states ?

श्री रंगा : भारत सरकार अन्य सरकारों को कैसे निर्देश दे सकती है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह कहना ठीक न होगा कि हम इस मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं । यह सच नहीं है । माननीय सदस्य ने पूछा कि भारत सरकार को निर्देश देने का क्या अधिकार है । मैं कहना चाहूंगा कि राज्यों में विधान सभायें हैं । यह उन का विषय है । परन्तु मार्गदर्शन उन्हें दिया जाता है । भूमि सिंचित है, तो स्वाभाविकतः सीमा में अन्तर होगा । असिंचित भूमि की सीमा में भी अन्तर होगा । सभी जमीनों के लिये एक ही मानदंड निर्धारित करना बहुत कठिन है ।

Shri Maharaj Singh Bharati : Whether they will accept it or not, that is a different issue. But you can suggest at least.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : विभिन्न राज्यों में विभिन्न परिस्थितियाँ कायम हैं । आखिर तो विधायकों की अपनी राय है, और उन्हें स्थनीय आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान दिया होगा । परन्तु, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहाँ तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में हमारा रवैया स्पष्ट है । हम चाहते हैं कि सीमाबन्दी अधिनियम सभी राज्यों में शीघ्र कार्यन्वित किया जाए ताकि भूमिहीनों और किसानों को बाँटन के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध हो सके ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : May I know from the Minister whether the Chief Ministers' Conference recommended to fix the ceiling on the basis of per individual ? I would also like to know whether they have suggested to take family as a unit and not an individual so that more surplus land may be available.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : सदन की जानकारी के लिये मैं ने जो वक्तव्य दिया है, उसमें इसके बारे में कहा गया है । अगर माननीय सदस्य यह पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा कि कुछ राज्यों में परिवार को एकक माना गया है और कुछ राज्यों में व्यक्ति को । हमारा व्यापक मत यह है कि राज्य सरकारें परिवार को एकक मान लें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : While fixing the land ceiling, will the Government try to make an assessment as to how much income the peasants can earn within this limit ? In cities the income is rising high. I would like to know whether the Government has tried to assess as to what will be the rate of income in villages per individual or a family. Has the Government any proposal before them to link income and ceiling together ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जोत सीमाबंदी अधिनियम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों द्वारा कुछ निश्चित मानदंडों को अपनाया जा रहा है । और खासकर, जैसा मैं ने मूल उत्तर में कहा प्रोद्योगिक विकास की पृष्ठभूमि में छोटे एकक भी अधिकाधिक अपने अस्तित्व को कायम कर सकते हैं । मगर माननीय सदस्य जरूर यह मानेंगे कि हमारे देश में जमीन की बहुत बड़ी मांग होती है । हमारे देश में जो व्यापक असंतोष फल गया है, उस का मुख्य कारण जमीन सम्बंधी गड़बड़ियां हैं । किसानों के असन्तोष का एक कारण भूमि की सीमाबंदी सम्बंधी कानून का कार्यान्वित न किया जाना है ।

Shri Ramavathar Shastri : The purpose of land ceiling legislation is to make available surplus land and distribute to the landless people. Keeping this end in view, after the State Governments have implemented the ceiling legislation, how many acres of surplus land are available now which the Government has distributed or is proposing to distribute ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह खेद की बात है कि जो वक्तव्य सभापटल पर रखा गया था, माननीय सदस्य ने उस की ओर ध्यान नहीं दिया । राज्यवार सूचना उस में दी गई है । इस संबन्ध में स्थिति यह है कि कुल घोषित 23 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में से 11 लाख भूमि बांटने के लिए उपलब्ध हुई है । यह असल में संतोषजनक स्थिति नहीं है । जैसा पहले कहा गया, कई राज्यों में सीमाबन्दी अधिनियम को कार्यान्वयन के टालने की बहुत कोशिशें हुई हैं और राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि कई राज्यों में सीमाबंदी कानून को उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों को स्पष्ट निदेश दिया गया है कि सीमाबंदी अधिनियम को पूर्णतः कार्यान्वित किया जाए, और सीमानिर्धारण इस तरह से किया जाए कि भूमि-हीनों को ही भूमि उपलब्ध हो सके और 1970 के अन्त तक वितरण किया जा सके ।

यह ताज्जुब और दुख की बात है कि उड़ीसा के कोशपुर जिले के चार गांवों में नक्सल वादियों के दमन के नाम पर, आदिवासियों को गोरखा रेजिमेन्ट ने तबाह कर दिया। ऐसी बातें कब तक चलेंगी? माननीय खाद्यमंत्री ने हाल में कहा है कि नक्सलपंथी समस्याओं को राजनैतिक और आर्थिक स्तर पर हल करने के लिये शीघ्र ही भूमिहीनों को भूमि प्रदान की जानी चाहिए। सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ताकि कम से कम 1970 में सीमाबन्दी कानून को कार्यान्वित किया जा सके ?

श्री अन्नसाहिब शिन्दे : इस संबंध में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जिसके अध्यक्ष माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री थे का जिक्र किया गया था। उसमें यह निर्णय किया गया कि एक साल के अन्दर मध्यवर्तियों को हटा दिया जाना चाहिये और काश्तकारों और सरकार के बीच सीधा संबंध स्थापित किया जाना चाहिये।

जहां तक भूमि की सीमाबंदी अधिनियम के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण का संबंध है, राज्य सरकारों से कहा गया है कि इस दिशा में शीघ्र कदम उठाए जाएं।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि कई चीनी कारखानों जोकि चाहे किसी व्यक्ति के हों या तथाकथित सहकारी समिति के हों, को किसी बागान के रूप में काफी जमीन अपने कब्जे में रखने की अनुमति दी गई है ? क्या किसानों के हित को दृष्टि में रखते हुए यह अनुचित नहीं है कि इस प्रकार काफी अधिक जमीन को बागानों के रूप में रखने की अनुमति दी जाती है ? ये किसान लोग अपनी छोटी या बड़ी जोतों पर निर्भर रहते हैं और सीमाबंदी अधिनियम उन पर लागू किया जाता है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सच है कि कुछ राज्यों में चीनी कारखानों के कब्जे की भूमि सीमा-बंदी कानून के अन्तर्गत नहीं रखी जाती। महाराष्ट्र में सीमाबदी कानून को चीनी कारखानों के कब्जे की भूमि पर भी लागू किया गया है। ये भूमि सरकार ने ले भी ली है। जैसा मैं ने कहा इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने का कार्य राज्य सरकारों का भी होता है। हम कभी भी उन के मार्ग में बाधा नहीं डालते। मैं इस सदन में कहता हूं कि देश भर के गन्नाफार्मों पर यही कानून समान रूप से लागू करने के लिये राज्य सरकारों को कदम उठाना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने सीमाबंदी कानून को कार्यान्वित करने का यत्न किया और केन्द्रीय सरकार ने उस पर जोर भी दिया ? यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि वे इस के कार्यान्वित में सफल क्यों नहीं हुए ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, मैंने वक्तव्य में कहा है कि पश्चिम बंगाल भूमि सीमाबंदी अधिनियम में जोत की अधिकतम सीमा 25 एकड़ निश्चित की गई थी। मगर यह प्रति व्यक्ति के हिसाब से थी। यह विषय पश्चिम बंगाल सरकार के विचाराधीन था कि सीमा निर्धारण परिवार के हिसाब से किया जाना चाहिये था या नहीं।

हाल में इस पर चर्चा हुई थी। कृषिमंत्रालय के सचिव और मंत्रिमंडलीय सचिव ने इस मामले पर विचार किया और हमने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वे परिवार के हिसाब से सीमा निर्धारण करें।

श्री हेम बरुआ : मैं ने पूछा कि वह योजना असफल क्यों हुई।

Shri Gurcharan Singh : In Punjab ceiling limit is 30 standard acres. But the land holder is transforming the surplus land into gardens. When Chief Minister Shri Gurnam Singh instituted an inquiry into the alleged matters two offences committed by the people were brought to light. One was that in order to escape from ceiling, they showed bogus gardens and the other was that they utilised water more than three times of their share at the cost of other people for their so called gardens. The Chief Minister has cancelled the excess water supply for their gardens. The present Chief Minister, Shri Prakash Singh Badal, inmmediately after assuming office, decided to resume water supply to these gardens. Will the Central Government institute an inquiry into the matter whether the Government is involved in these two offences, or not ?

Shri Randhir Singh : This question should be replied immediately. This should be inquired soon.

Shri Guracharan Singh : I want a reply to my question. It is not relevant ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सवाल चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो, वर्तमान प्रश्न की सीमा के परे है ।

श्री गुरुचरणसिंह : वे दो प्रकार के जुर्म कर रहे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : वे इस बीच दो मुख्यमंत्रियों की आपसी झगड़ेवाली बात को घसीट न लाएं । श्री कन्डप्पन ।

श्री एस० कन्डप्पन : यह दुर्भाग्य की बात है कि जब भी हम भूमि सुधार की बात कहते हैं चाहे वह केन्द्रीय स्तर में हो या राज्य स्तर में हो, हम जोत की सीमाबंदी करने की ओर ही ध्यान देते हैं, हम उस के दूसरे पहलू अर्थात् अलाभकर जोत की ओर ध्यान ही नहीं देते । मेरे विचार से भारत में कृषि के विकास में अधिक भूमि पास रखने से जो बाधा होती है, उस से अधिक अलाभकर जमीन से होती है : । अतः मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने क्या इस समस्या पर कभी विचार किया है और राज्य सरकारों को सलाह देने की कोशिश की है कि सीमाबंदी कहां की जारी चाहिये । अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो खेती के लिये कुएं बिजली की व्यवस्था और आधुनिक कृषि प्रणाली बिलकुल असंभव हो जाएगी । अतः मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस संबंध में क्या करने जा रही है । सीमाबंदी क परिणामस्वरूप उपलब्ध अतिरिक्त जमीन केवल भूमिहीनों को ही आवंटित की जाती है और जिनके पास अलाभकर जोतें हैं, उन्हें इस संबंध में किसी प्रकार की अधिमान्यता नहीं दी जाती है ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : माननीय सदस्य का निष्कर्ष ठीक प्रतीत नहीं होता । वास्तव में उन के राज्य में सरकार सीमाबंदी में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है और मैंने तमिल नाडु सरकार को इसके लिये बधाई भी दी है । जहां तक छोटी जोतों के स्वामियों की समस्याओं का सम्बंध है .....

श्री एस० कन्डप्पन : मैंने छोटी जोतों के बारे में नहीं पूछा था । मैंने पूछा था अलाभकर जोतों के बारे में । मैंने उस प्रश्न पर बल दिया था ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं अपनी गलती सुधारता हूं । फिर भी सदन को अच्छी तरह मालूम है कि 63 से 65 प्रतिशत लोगों के पास पांच एकड़ से भी कम जमीन है और यह सम्भव है कि उनकी जमीन अलाभकर हो । सरकार के पास उनकी हालत को सुधारने की कई योजनाएं हैं । मगर यह एक बृहत समस्या है और सरकार इसको सुलझाने का प्रयत्न कर रही है । कृषिक विकास को ध्यान में रखकर इसको हल करना होता है । उस के लिये हमारे पास अधिक उपज देन वाले कई कार्यक्रम प्रस्तुत हैं और छोटी जोत भी इस कार्यक्रम के फलस्वरूप लाभदायक सिद्ध होंगी ।

Shri Randhir Singh : Mr. Speaker, Sir, the major reason for not increasing the agricultural production in our country is that the peasants are always in constant fear whether they will be deprived of their holding or not. Hence, what I want to say is that a limit should be fixed and it should not be reduced further so that the peasants will have the consolation that this much land will remain with them and they will endeavour to get maximum production from the land. Will the Government make provisions not to take the land from the small land holders so that they can endeavour to get high yield from their own land.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : 90–95 प्रतिशत किसानों को किसी भी प्रकार के भय की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उनका संरक्षण करेंगे । यह हमारा रवैया है । मैं नहीं समझता कि राज्य विधान सभाओं का रवैया इससे भिन्न है । इस संबंध में हमारा और उनका रवैया एक ही है । –

Shri Sheo Narain : I would like to know what advice the Food Minister has given to State as to how much acres of land should be permitted as far as an individual is concerned ? Will the Minister be pleased to provide the surplus land to landless people on the basis of co-operative farming ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : राज्य सरकारों को इस संबंध में कार्य करने की पूरी आजादी है ।

Shri Bhogendra Jha : The Minister has just now given in reply to the original question a state-wise discription of ceiling limits. Keeping in view the fact that in the administrative machinery and in all other key positions of the country big land holders are there who define rules in their own ways to suit the interests of big landlords and hence the peasants are not getting any benefit and also this fact that Japan, not-with-standing its dense population and lack of fertile land, has imposed a ceiling of 5 –7 acres and achieved immense production and thereby set an example to the whole of Asia, will the Government of India set a fixed criterion and a uniform basis of land reforms ? Are the Government going to set up a criterion according to which only the tillers are permitted to hold maximum land ? It is unfair if other sections of the people such as businessmen, owners of leading firms, traders and rich men only are permitted to hold land. In many states ceiling is imposed having taken family as a unit, but in Bihar a strange situation is prevailing since the Advocate General of Bihar has defined the rule in his own way. As is evident from the statement, no surplus land is taken over by the Government. What happened in Bihar was that the Advocate General, supporting the interests of land lords gave his deliberations that ceiling will be imposed

on the basis of individual as a unit and not as family. The born children and even yet to be born children of big landlords were provided land. Each child is provided 10 acres of garden also. Will the Government of India warn them not to apply the ceiling rules in the wrong direction ? What an irony is that in Uttar Pradesh and Bengal, family is considered to be a unit, where-as in Bihar individual is considered to be a unit ? Are the Central Government going to advise the Bihar Government to adopt a uniform criterion in respect of land ceilings, as is prevailing in other states and also try to give necessary directions to remove the legal loopholes ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जी हां, हम यही चाहते हैं कि बिहार सरकार व्यक्ति को एकक न मानकर परिवार को एकक मानकर कानून को लागू करें।

Shri Molahu Prasad : Mr. Speaker, Sir, I would like to get a description from the Minister through you as to in which year the land ceiling was implemented in various states, and also mention it state-wise.

Secondly, the Ministers say something in the House and in public meetings they say contrary to this. What step is going to be taken to keep harmony between these two things ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : सीमा बंदी, विभिन्न विधान सभाओं द्वारा अधिनियमित कानूनों के आधार पर निर्धारित की गई है। मैंने इस मामले में सरकार का रवैया स्पष्ट किया था।

Shri Molahu Prasad : The Minister has not stated in which year it was implemented.

Shri Rabi Ray : Please give details regarding the year.

श्री अन्ना हसाहिब शिन्दे : तत्संबंधि सभी जानकारी पुस्तकालय में से प्राप्त होगी।

Shri Yamuna Prasad Mandal : According to the detailed information given by the Minister in reply to the original question, Bihar and Orissa did not recover land or distribute any surplus land. If this is the situation prevailing there, then what is the difficulty of the Central Government in advising the Bihar Government to withdraw the land ceiling law.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इन सारी बातों पर चर्चा हुई थी और स्वाभाविकत: आशा की जाती है कि इस की पृष्ठ भूमि में राज्य सरकारें इस पर निर्णय करेंगी और उसे कार्यान्वित करेंगी।

Shri S.M. Joshi : Mr. Speaker, Sir, I would like to ask the Minister through you as to how is it that in Bihar maximum limit on landholdings is 20 to 60 acres, whereas the declared surplus area and distributed area is nil. ? Has the law not been enforced or is theare any case going on in a court of law against its enforcement ? Is the Minister not willing to give any explanation ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : कानून लागू नहीं किया गया है। यही उसका कारण है

श्री भौगेन्द्र झा : कहा गया है कि अतिरिक्त भूमि घोषित नहीं की गई है या अधिकार में नहीं ली गई है। मगर वहां बड़े-बड़े जमींदार हैं जिनके पास 20,000 एकड़ भूमि हैं ।

श्री फ० गो० सेन : बिहार के संबंध में जो वक्तव्य दिया गया है, उसमें कहा गया है कि अधिकार में लिया गया अधिशेष क्षेत्र जीरो है और वितरित किया गया अधिशेष क्षेत्र भी जीरो है। बिहार के अन्य जिलों के संबंध में मुझे मालूम नहीं है, मगर जहां तक मेरे जिले का संबंध है, सरकार द्वारा भूमिहीनों को भूमि दिलाने का कार्य मैंने किया है। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि अधिशेष क्षेत्र नहीं था ? अतः मेरी मांग यह है कि सरकार फिर से इसकी जांच करे और स्थिति को स्पष्ट करे।

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : बिहार सरकार द्वारा यही सूचना दी गई थी।

श्रीमति सुशीला रोहतगी : पहले भारत सरकार की नीति यह थी कि मंत्रीकृत खेती और बाग लगाने के कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए। मगर हाल में हम देखते हैं कि कई राजनैतिक कारणों से विभिन्न सत्तारूढ़ दलों ने विभिन्न प्रकार के वक्तव्य दिये हैं जिसके परिणामस्वरूप आम जनता में कई उलझनें पैदा हुई। में सरकार से सीधा उत्तर चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में मंत्रीकृत फार्मों और बागों पर सीमावन्दी संबंधी सही स्थिति क्या है। क्या सरकार राजनैतिक धोखेबांजी से अलग होकर जनता से यह कहने की स्थिति में है कि उन्हें असल में क्या प्राप्त होगा ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : इस संबंध में निर्णय लेने की उत्तरप्रदेश को पूरी आजादी है। मुझे विश्वास है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान सीमाबंदी अधिनियम का पुनरीक्षण करने का निर्णय करती है, तो माननीय सदस्य आवश्यक सहयोग उन्हें देंगी।

Shri Lakhanpal Kapoor : The data presented by the Minister clearly indicates the magnitude of the problems of social and economic inequalities. In states like Bihar no surplus land could be taken into possession, after ceiling was imposed. Is it a fact that the surplus land there was taken over by the land lords on benami lease ? What steps Government is going to adopt to take these lands out of their possession ? In order to eliminate the economic inequality from society the Government should put a ceiling on income. At present an acre land gives an yield of Rs. 3,000. Each family must have an income of Rs. 1,000 per mensum. On the basis of these two things, will the Government take steps in the direction of redistribution or putting a new ceiling on land ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : देश के कई भागों में भूमि की सीमाबंदी कानून के कार्यान्वयन को कई बहाने से टाल दिया गया है। इन में एक था बेनामी सौदा। जहां तक प्रश्न के दूसरे हिस्सा का संबंध है राज्य सरकार को वर्तमान सीमाबंदी कानून में संशोधन करने की पूरी आजादी है।

पश्चिमी बंगाल में भूमि पर क्षौर मत्स्य क्षेत्रों पर जबरदस्ती कब्जा करने सम्बन्धी तथ्य तथा आँकड़े

1623. श्री समर गुहा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन काल में (1) बेनामी भूमि (2) निहित भूमि (3) मत्स्य-क्षेत्रों तथा अन्य प्रकार की भूमि पर जो जबरदस्ती तथा गैर कानूनी कबजा कर लिया गया था उसके सम्बन्ध में तथ्य तथा आंकड़े एकत्र करने का कार्य पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरा कर लिया है। और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषिः सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

श्री समर गुह : हमने सम्भवतः इस तथ्य पर बल दिया है कि नक्सलपंथियों और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी गैर-कानूनी और हिंसक गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए । मगर, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक विस्फोटक समस्या भूमि समस्या है । वे इसे कानून और व्यवस्था का प्रश्न मानकर हल करना चाहते हैं .....(**अन्तर्बाधाऐं**). अन्य स्थानों की तरह पश्चिम बंगाल में भी भूमि समस्या एक विस्फोटक समस्या है । संयुक्त मोर्चा शासन के पिछले 13 महीनों के दौरान हजारों एकड़ भूमि पर जबरन् कब्जा किया गया है । मत्सय-पालन क्षेत्रों पर भी कब्जा किया गया है । क्या सरकार समस्या के, विशेषकर जबरन् कब्जा की गई भूमि की समस्या के इस हल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी ? जिस बेनामी जमीन, सरकारी जमीन, फालतू जमीन, बेनामी मत्सय पालन भूमि पर भूमिहीन मजदूरों, हरिजनों और आदिम जाति के लोगों ने कब्जा कर लिया है, उसे नियमित किया जाना चाहिए । वह भूमि जो कानूनी तौर पर किसानों की थी और जिस पर जबरर्दस्ती कब्जा कर लिया गया उस भूमि को उसके कानूनी तौर पर मालिकों को फिर से वापस किया जाना चाहिए, क्या वह ऐसा करेंगी ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल से आये हैं । वह भलीभांति जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में अशान्ति का मुख्य कारण भूमि सुधारों का कार्यान्वित न किया जाना और साँझेदारी प्रथा तथा भूमि-सुधारों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अनेक बातों का चालू रहना था । इन सभी समस्याओं का विस्तृत परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाना है । और भूमि सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए । हम इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहेंगे (अन्तर्बाधायें) । जब आपकी पार्टी भी वहां थी, तो उसने भी यह नहीं किया । जिस सरकारी भूमि पर छोटे किसानों ने कब्जा किया है । जिन पर दो एकड़ से कम जमीन है, उन पर हम कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे और उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जो भूमि सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अन्यथाचू भूमि पाने के हकदार थे । जिन लोगों के पास जमीन है उनके द्वारा अधिक्रमण आदि के व्यक्तिगत मामलों का जहां तक सम्बंध है, यह एक कानूनी मामला है और सरकार गैर कानूनी कब्जे को संरक्षण नहीं देगी । गरीब किसानों द्वारा जहाँ तक बेनामी अथवा सरकारी भमि पर कब्जे का प्रश्न है, मेरे विचार में हमें उनका संरक्षण और समर्थन करना चाहिए ।

श्री समर गुह : यह अच्छा है और मुझे इस पर खुशी है । परन्तु, प्रश्न यह है कि वे इसे कब कार्यान्वित करने जा रहे हैं ? मगर जिस नीति की घोषणा उन्होंने अभी की है, अगर उसे कार्यान्वित किया जाय, तो पश्चिम बंगाल में चल रही तनातनी में काफी कमी हो सकती है । अब, मेरा दूसरा प्रश्न यह है । संयुक्तमोर्चा सरकार ने एक कानून पास किया है । जिसमें सांझीदारों के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया गया है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस अधिनियम को क्रियान्वित कर रही है । । दूसरे, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चा शासन के अन्तर्गत अनेक गरीब किसानों की फसलों को लूट लिया गया और बहुत छोटे किसानों और प्राथमरी अध्यापकों

तथा अन्य व्यक्तियों की भूमि पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के रूप में धन की अदायगी करेंगी जिनकी फसलों को लूटा लिया गया अथवा जिनकी थोड़ी सी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया ? आपको उनके हितों की रक्षा करनी होगी।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जिन व्यक्तिगत मामलों में अन्याय या गल्ती हुई है तो उसपर निर्णय करना निश्चित रूप से अदालतों का कार्य है।

श्री समर गुह :वे निर्धन व्यक्ति है, वे अदालत कैसे जा सकते हैं ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का जहां तक सम्बन्ध है, वह बहुत महत्वपूर्ण है कि साझेंदारो के हितों की सुरक्षा के लिये भूतपूर्व सरकार ने जो कुछ किया, क्या उसे सरकार कार्यान्वित करेगी, हम न केवल उसे ही कार्यान्वित करेंगे, बल्कि पश्चिम बंगाल में साझीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम भी उठायेंगे।

श्री वेदव्रत वरुआ : समाचार पत्रों में इस आशय की खबरें छप रही हैं कि राष्ट्रपति-शासन के अन्तर्गत, सरकार ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि जिन लोगों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है, वह उन्हें वापस दिलवा दी जाय। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है। क्योंकि यह सरकारी जमीन नहीं है ; मन्त्री महोदय ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। कानून सबके लिए समान नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रख ते हुए कि पश्चिम बंगाल अब राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जोतदारों को भूमि देने के लिए क्या सरकार निश्चित विधान लाने के लिए कार्यवाही कर रही है और वह सिर्फ यह कह कर पिण्ड न छुड़ा ले कि कानून को कार्यान्वित किया जायेगा जिसके द्वारा साझीदारों को उनकी भूमि वापस दे दी जायेगी ; क्योंकि साझीदार फसल पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं ? ताकत का इस्तेमाल अब स्वयं किसान द्वारा किया गया है। मेरे विचार में सरकार को इस सदन को यह आशवासन देना चाहिए कि इस बारे में कुछ उपाय किये जायेंगे।

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम पश्चिम बंगाल में, भूमिहीन मजदूरों को जमीन बांटने आदि के कार्य सहित भूमि सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

श्री तेन्नेटी विश्वानाथन : मन्त्री जी ने कहा कि सरकार की इच्छा यह है कि जहां सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया और अगर वह दो एकड़ से कम है, तो सरकार कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगी । वह पश्चिम बंगाल के बारे में बोल रहे थे। क्या वह शेष भारत के शहरी क्षेत्रों में भी इस नियम को लागू करेंगे जहां मकानों की काफी मांग है, और लोग जबरदस्ती, नहीं बल्कि बगैर किसी ताकत का इस्तेमाल किये शान्तिपूर्वक जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और फिर भी उन पर अभियोजन और मुकदमें चलाने की कार्यवाही की जाती है। और झोंपड़ियों को तोड़ दिया जाता है और अन्य इसी प्रकार की कार्यवाहियां की जाती हैं ? क्या मंत्री महोदय अपनी उदारता का शेष सारे भारत में भी प्रसार करेंगे।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं पश्चिम बंगाल की स्थिति की विशेष पृष्ठ भूमि के सन्दर्भ में उत्तर दे रहा था। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को मेरे कथन से कोई आशय नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति भिन्न भिन्न है। मैंने पश्चिम बंगाल के विशेष सन्दर्भ में अपना

वकतव्य दिया है और माननीय सदस्य वहां की स्थिति और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के स्वरूप से भली भांती परिचित है। मैंने पश्चिम बंगाल की विशिष्ठ स्थिति पर वकतव्य दिया है।

Shri Ram Sewak Yadav : There is wide-spread unrest and dis-contentment in the entire country over the question of distribution of land, especially in West Bengal. Some landless people have occupied the land there, on which this question is based. I want to know whether it is a fact that landless labour have occupied the land of the persons, including big Government officers, political leaders, factory owners and big capitalits if so, what is the difficulty before the Central Government or the State Government of whichever party it might be, in allotment of the land to the landless persons who have occupied the land ? At present the officers of the West Bengal Government are trying to evict those persons forcibly and restoring it to the persons who are owners on records. Instead of doing so, does the Government contemplate to stop this action and does it propose to bring forward a bill in this connection immeditely ? If Lok Sabha session is drawing to an end, does the Government propose to promulgate an ordinance ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : व्यक्तियों की विशिष्ट श्रेणियों के बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है। हम ने पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना देने के लिए कहा है। वे अभी भी इसे इकट्ठा कर रहे हैं। परन्तु जैसा कि मैंने बताया कि जहां तक समाज के निर्धन वर्ग का सम्बन्ध है, भूमिहीन श्रमिकों अथवा 2 एकड़ से कम भूमि जिनके पास है, उनके द्वारा बेनामी भूमि पर कब्जा करने के बारे में सरकार का आमतौर पर रुख उनके साथ सहानुभूति पूर्ण है। लेकिन ऐसे भी मामले हैं जहां छोटे किसानों की भूमि पर कब्जा किया गया है। मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में सरकार को उन व्यक्तियों को संरक्षण नहीं देना चाहिए जिन्होंने भूमि पर कब्जा किया है।

Shri Ram Sewak Yadav : How long would it take ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हमने पश्चिम बंगाल सरकार को शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाने के लिए सलाह दी है और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वह मेरे द्वारा बताई गई सामान्य नीति के अनुसार मामलों को नियमित करने के लिए कार्यवाही करे और जो लोग जमीन पर कब्जा करने के हकदार नहीं है, उन्हें बेदखल करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करे।

Shri Om Prakash Tyagi : The Hon'ble Minister has just now stated that Government is going to regularise the Government land occupied by the people. The matter relating to others is under consideration. I want to know that the Government land occupied by the people is being regularised, but what about those landless persons who are peaceful and did not indulge in the Naxalite movement, not they took law and order in their own hands ? Does the Government contemplate to prepare any scheme to distribute sunplus Government land among the landless labour ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जी, हां, जहां तक उस सारी जमीन का सम्बन्ध है जिसे खेती योग्य बनाया जा सकता है। और जो जंगलात के अन्तर्गत नहीं है, सरकार की यह नीति है कि उसे भूमिहीन श्रमिकों में बांट दिया जाय।

श्री बासुमतारी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की अधिकांश भूमि, लगभग 80 प्रतिशत भूमि पर, उनके पुरखों के जमाने में, साहूकारों द्वारा सागरी, बेटी आदि ऋण-प्रथा के अन्तर्गत कब्जा कर लिया गया था ? यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनकी जमीन को फिर से उन्हें दिलाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार इन सब बातों पर विचार करेगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : पिछले प्रश्न के उत्तर के बारे मे दिये गये वक्तव्य से यह सम्बद्ध है । उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में घोषित की गई फालतू भूमि और कब्जा की गई भूमि का रकवा लगभग 8 लाख एकड़ होता है–सही रकवा 7.94 लाख एकड़ है । मैं उनसे दो प्रश्न पूछूंगा । पहला तो यह कि क्या उन्हें पता है कि यह भ्रामक संख्या है, क्योंकि इस 7.94 लाख एकड़ में से, जो जमीन वास्तव में कानूनी तौर पर सरकार की है वह केवल 4.5 लाख एकड़ ही है और शेष जमीन के बारे में अदालतों ने स्थगन आदेश दे रखे हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि कानूनी तौर पर सरकार की इस 4.5 लाख एकड़ जमीन में से उन्होंने अभी तक सिर्फ 2 लाख एकड़ भूमि को ही वितरित किया है और शेष 2.5 लाख एकड़ जमीन पर अभी भी गलत तरीकों से पहले के मालिकों का कब्जा बना हुआ है ? अगर वह इससे अवगत हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि पहले तो यह देखने के लिए कि ये स्थगन आदेश शीघ्रातिशीघ्र हटाये जायं, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और दूसरे शेष 2.5 लाख एकड़ सरकारी भूमि जिसे अभी वितरित नहीं किया गया है, सरकार उस बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : वक्तव्य में ठीक-ठीक सूचना नहीं दी गई है, क्योंकि पश्चिम-बंगाल सरकार ने वह हमें सप्लाई नहीं की है । स्पष्टतः जब पश्चिम बंगाल सरकार ने आंकड़े नहीं दिये, तो मैं अपने आप आंकड़े नहीं दे सकता । जहां तक सामान्य दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, हमें भूमिहीन श्रमिकों और जमीन पाने के हकदार व्यक्तियों की अन्य श्रेणी में जमीन को वितरित करना है । जैसा कि मैंने बताया, हमारा प्रयास तो यह अनिश्चित करने का है कि यह किया जाय । मगर सोचिए कि अगर न्यायिक मामले हैं, तो मैं समझता हूं कि इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता ।

Shri Jageshwar Yadav : In West Bengal, some landless-cultivators have occupied Government land by organising themselves. The landless cultivator is unable to get land today by any other method. The big capitalists have forcibly occupied the land and the Government is unable to evict them, no action is taken against them. But these farmers are being objected to and they are called Naxalites. Similarly, in other States also, the landless cultivators are not getting the land and if they also get up and occupy the land in this way they too would be called Naxalites. I want to know whether Government proposes to distribute them land or not ? When we demanded freedom, it was the policy of the Britishers—they said that Indians do not deserve freedom, similarly when cultivators got prepared to snatch their

rights, they are being called Naxalites. I, therefore, want to know in what manner does the Government contemplate to distribute the land to the poorer section of the society ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह प्रश्न इस सवाल के अन्तर्गत नहीं आता ।

मधुबनी को एक अलग डाकडिविज़न बनाना

*1624. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के दरभंगा जिले में मधुबनी को एक अलग डाक-डिवीजन बनाने के प्रश्न पर विचार किया है अथवा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां । 1968 में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था । चूंकि विभागीय मानकों के अनुरूप मधुबनी सब-डिवीजन में क्लर्कों की संख्या 150 होने की बजाय केवल 75 ही थी, अत: प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सका । अब भी सब-डिवीजन में क्लर्कों की संख्या केवल 80 है अत: अलग डाक-डिवीजन बनाना न्यायसंगत नहीं होगा ।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

Shri Bhogendra Jha : It is proposed to make Madhubani sub-division a district, but it has been delayed. It has 25 lakh population, it is near the Nepalese border -from that point of view it is necessary to form a division here. Otherwise also Darbhanga district has 55 lakh population, and a division has to be formed there. But you have stated in your reply that strength is less than the minimum requirement, I want to inform that there are certain areas where post offices have not yet been opened. Several rivers such as Kosi, Kamla and Bagmati flow n that area and on account of floods communication is stopped altogether. In view of all these factors, when a division has to be formed there, what is the need of examining the case of Madhubani for forming a division there once again ?

Shri Sher Singh : As I have already stated the matter has been considered two or three times. First, it was discussed in the Consultative Committee in March, 1968 and it was discussed again in July. As the strength of clerks is only 75, it is, therefore, not possible to form a division there. We checked it up today again to see that if strength and work could increase a bit, we could consider the matter. If the strength reaches near the requisite standards we would certainly do it.

Shri Bhogendra Jha : Mr Speaker, as far as I understand, these figures are wrong. I did not want to mention it, but I have been forced to say it, we have some doubt about it. Our Minister Shri Satya Narain Babu does not want to do it, that is why it is not being done. I want that he should himself reply it. I have no objection to the work being done in a place where there are comparatively more facilities, but ignoring of a place on personal reasons where it is needed most, gives rise to suspicion among the people. This is not being done there, because the Hon'ble Minister does not want . . *(Interruptions.)*

Shri Satya Narain Sinha : Firstly, we raised the question of forming a separate district headquarter for Madhubani. As for as I understand, there is no postal headquarter at a sub-division headquarter in the entire country. There are postal headquarters only in district headquarters. Therefore you try for it. If district headquarter is formed there, postal headquarter would also be formed there.

Shri K. N. Tiwary : Mr. Speaker, this matter relates to Bihar. The Minister also comes from there. We have grivances. .

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTIONS

सेना को दालों, जौ तथा चने की सप्लाई

अ०सु०प्र० 34. श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने सैना को घटिया किस्म की दाल, जौ तथा चने की सप्लाई की थी ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में भारतीय खाद्य निगम ने दाल, चने और जौ की कितनी मात्रा सप्लाई की और सैनिक अधिकारियों द्वारा इनकी कितनी मात्रा अस्वीकृत कर दिये जाने पर निगम ने बदल दी; और

(ग) गत दो वर्षों में गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा सप्पलाई की गई कितनी दाल सैनिक अधिकारियों ने अस्वीकृत की ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) तथा (ख) 1968–69, 1969-70 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई की गई दाल, जौ तथा चने में से कुछ मात्रा सैनिक अधिकारियों ने इस आधार पर अस्वीकृत कर दी थी कि वह सेना द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप नहीं है जिसका विवरण सभा-पटल पर रखे गए वक्तव्य में दिया गया है ।

दो वर्षों में केवल एक बार जनवरी, 1969 में भारतीय खाद्य निगम को 55 टन चने बदल कर सप्लाई करने की अनुमति दी गई थी ।

(ग) स्थिति का निर्देश वक्तव्य में दे दिया गया है ।

भेजी गई तथा अन्तिम रूप से अस्वीकृत की गई वस्तुओं की मात्रा

भारतीय खाद्य निगम द्वारा

वर्ष	वस्तु	भेजी गई मात्रा मीट्रिक टनों में	अस्वीकृत की गई मात्रा मीट्रिक टनों में	अस्वीकृत होने की प्रतिशतता
1968–69	दालें	5006	–	–
	जौ	9815	–	–
	चने	5389	55	1.0
	योग	20210	55	0.27 (औसत)
1969–70	दालें	11790*	515	4.37
	जौ	16042	–	–
	चने	8131	15	0.19
	योग	35963	530	1.5(औसत)

व्यापारियों द्वारा

वर्ष	वस्तु	भेजी गई मात्रा मीट्रिक टनो में	अस्वीकृत की गई मात्रा मीट्रिक टनों में	अस्वीकृत होने की प्रतिशतता
1968–69	दालें	33950	2447	7.2
	जौ	8897	1170	13.15
	चने	4624	355	7.68
	योग	47471	3972	8.37 (औसत)
1969–70	दालें	19220+	792	4.1
	जौ	4669	214	4.59
	चने	1759	160	9.1
	योग	25648	1166	4.55 (औसत)

*भारतीय खाद्य निगम द्वारा मार्च/अप्रैल, 1970 में भेजी गई लगभग 400 मीट्रिक टन दाल की जाँच की जा रही है।

+व्यापारियों द्वारा मार्च/अप्रैल, 1970 में भजी गई लगभग 5000 मीट्रिक टन दाल की जांच की जा रही है।

Shri Kanwar Lal Gupta : According to the Statement furnished by the Hon'ble Minister, 15 thousand maunds of Foodgrains or dal supplied by Food Corporation of India has been rejected. Similarly, food grain supplied by various private traders has also been rejected. But the Minister has not included in his statement the amount of foodgrains initially rejected in the godowns of Food Corporation or the Foodgrains, which after appeal, was replaced. If the foodgrains of re-tendering could also be included rejection would amount to nearly one and half lakh maunds. All that I mean to say is this that this facility is not available to the private traders. Secondly, the allegations were levelled the other day against a firm, Bujan Mal Kundan Lal. I want to know whether it is a fact that this supply amount to 0·7 % of total supply and whether it is also a fact that foodgrains of all the parties including Food Corporation of India and the private traders has been rejected whereas all these malicious and baseless charges have been levelled against this firm only ? It has been alleged that there is bungling of fifty six lakhs of rupees, whereas the total value of their total supply is only 7 lakhs of rupees. Similarly, it is also alleged that there is black marketing which is also baseless, because Government withdrew its case of its own accord. I want to know if in view of all these things, would the Government appoint a Parliamentary Committee to go into all the allegations against the Food Corporation of India as also against the private traders ? Mr. Speaker, it was demanded on that day also to set up a Parliamentary Committee to examine the system and to know as to which party was favoured, whose supplies were rejected and who was innocent? It should be enquired into whether system is defective or defect lies somewhere else ? I want to know whether Government would appoint the Committee or not ? If not, the reasons therefor and in that case, would this matter be referred to the Public Accounts Committee ?

श्री नाम्बियार : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I have also got a point of order. If you allow this point of order, you would have to allow mine as well. My point of order is this that even Minister has not replied so far, how can a point of order be raised ? First, the question should be replied, later on I will raise my point of order.

श्री नाम्बियार : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री द्वारा उत्तर दिये जाने के पश्चात् मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : No, Sir, Mr. Speaker, before the Minister replies, I want to draw your attention to an Hon'ble Minister who, sitting on the back benches, is exhibiting a poster in the house. Is it proper to exhibit a poster in the House ? The posters can not be exhibited from one side only, they can be exhibited from all sides....*(Interruptions)*....

The posters, in which Communists are stated to be traitors are sticking on the walls of Delhi. Should we exhibit that poster here in which the Communists are stated to be traitors ? Would you give us permission for that ?

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर रामावतार शास्त्री, आप पोस्टर नहीं दिखा सकते हैं । इस सदन में कोई पोस्टर नहीं दिखाये जा सकते । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे नहीं दिखायें ; अन्यथा मुझे आपको नाम लेकर पुकारना होगा ।

Shri Shiv Chandra Jha : The posters have been exhibited here before as well. Under which rule are you not allowing to exhibit posters here ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइवेट व्यापारियों द्वारा सप्लाई किये गये अनाज के रद्द होने की अपेक्षा खाद्य निगम का अनाज बहुत कम रद्द किया गया । उदाहरणार्थ, 1968-69 में भारत के खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किये गये अनाज में से केवल 0.27 प्रतिशत अनाज ही रद्द किया गया, जबकि प्राइवेट व्यापारियों द्वारा सप्लाई किये गये अनाज में से 8.37 प्रतिशत अनाज रद्द किया गया । 1969-70 में खाद्य निगम का 1.5 प्रतिशत अनाज ही रद्द किया गया और प्राइवेट व्यापारियों का 4.55 प्रतिशत अनाज रद्द किया गया ।

अब माननीय सदस्य का यह कहना है कि पहले के प्रारम्भिक स्तर पर रद्द किये अनाज को हिसाब में क्यों नहीं लिया गया । प्रारम्भिक स्तर पर अनाज रद्द किये जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रारम्भिक स्तर पर अनाज रद्द किये जाने के पश्चात् अपील करने की व्यवस्था है । अधिकारियों की एक समिति की बैठक होती है । उसके पश्चात् फिर से रद्द की गई सप्लाई में से नमूने लिये जाते हैं और परीक्षण शाला में उनका विश्लेषण किया जाता है और इसके आधार पर निश्चित निष्कर्षों को निकाला जाता है । इसलिये, अन्तिम निस्कर्ष ही सर्वाधिक संगत है ।

माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित एक विशिष्ट व्यापारी द्वारा की गई सप्लाई का जहां तक संबंध है, मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य उस पुराने प्रश्न को फिर से उठाना चाहते हैं, जिस पर इस सदन में चर्चा की जा चुकी है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : जांच की मांग से सम्बन्धित मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरे दिन इस प्रश्न को उठाया गया था और आरोप तथा प्रत्यारोप बराबर जारी हैं । यह ज्यादा अच्छा होता, अगर इस प्रसंग को अलग ही रखा जाता । यह प्रश्न केवल भारतीय खाद्य निगम के बारे में है । सदन के सामने और कोई मामला नहीं था । इस प्रश्न का दूसरा पक्ष पहले से ही सदन के सामने है । आरोप और प्रत्यारोप भी मेरे समक्ष हैं और मैं पहले ही उन पर दृढ़ कार्यवाही कर रहा हूं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : What is the reply to my suggestion for appointment of a Parliamentary Committee ?

Shri Shashi Bhushan : You have accepted to have an enquiry through C.B.I., you should have no objection in setting up a Parliamentary Committee ? ...(*Interruptions*)...

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, I have got a point of order... (*Interruptions*)...

Mr. Speaker : I will listen to you later on...(*Interruptions*)...

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक भारत के खाद्य निगम की सप्लाई का सम्बन्ध है, उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है और मेरे विचार में इस प्रयोजन के लिये कोई भी संसदीय समिति नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है ।..... (व्यवधान) ..... ।

श्री नाम्बियार : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य श्री कंवर लाल गुप्ता अभी अभी फर्म के नाम--मैं० कुन्दन लाल गुप्ता का उल्लेख कर रहे थे । उनका कुछ आर्थिक हित है । ..... (व्यवधान) .....

Shri Kanwar Lal Gupta : It is a blatant lie. I have got no interest in it. It is absolutely a baseless allegation... (*Interruption*)...

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यह मामला मेरे पास विचाराधीन है आपको इस सम्बन्ध में अन्य किसी मामले के साथ नहीं जोड़ना चाहिये । मैं दोनों सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे किसी मामले पर चर्चा न करें जो मेरे पास विचाराधीन है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, I want to raise a point of order. It is that when this matter was discussed last time in the House, our Communist friends had alleged our friend Shri Gupta to have connections with a firm and tried to give it a political colour. I want to submit that Sh. K.B. Parsai, a senior officer in the Ministry of Finance has been found indulging in sumuggling and this matter was also discussed in this House. Shri Biswas, a Communist Member of this House has recommended his case for promotion and for providing him better facilities... (*Interruptions*)... He has written a letter also ... (*Interruptions*)...

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to submit that allegations and counter-allegations would not solve any problem. I would also urge upon our Communist friends also to support the demand for an enquiry. Shri Kachwai should also not make such allegations. If such allegations are continued to be made, no matter could be discussed here. If the Hon'ble Minister does not agree for an enquiry, you yourself can order an Enquiry in the matter.

Shri Sheo Narain : Shri Vajpayee has said a genuine thing.

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न--अर्थात् खाद्य निगम--की सीमा से बाहर मैं किसी भी पूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा । और, अगर आप जबर्दस्ती इस प्रकार के प्रश्न उठाते जायेंगे, तो व कार्यवाही विवरण में दर्ज नहीं किये जायेंगे, क्योंकि इसे रोकने का अन्य कोई उपाय नहीं है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्रीमान् जी, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर कुछ कहना चाहता हूं ।

जो कुछ आपने कहा, उससे मैं समझता हूं कि श्री कंवर लाल गुप्त का श्री कुन्दन लाल गुप्ता के साथ तथाकथित सम्बन्ध के बारे में वास्तविकता की जांच करने का प्रश्न आपके विचाराधीन है ।

श्रीमान् जी अगर ऐसा है, तो कुन्दन लाल गुप्ता को भारतीय खाद्य निगम की अपेक्षा दोषमुक्त सिद्ध करने की श्री कंवर लाल गुप्त को छूट क्यों दी गई । मुझे आपसे यह आशा थी कि आप उसी समय उनकी आलोचना करते और ये सभी व्यवस्था के प्रश्न इसलिए उठ खड़े हुए हैं कि भारतीय खाद्य निगम के सन्दर्भ में हम किसी भी प्राइवेट व्यापारी के नाम को जोड़े जाने को पसन्द नहीं करते ।

श्री कंवर लाल गुप्त : कृपया प्रश्न का भाग (ग) देखिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुप्त, आप कृपया बैठ जायें । जहां तक अल्प सूचना प्रश्नों का सम्बन्ध है, मैं उन्हें उठाने की सदस्यों को अनुमति देता हूं । परन्तु, अल्प सूचना प्रश्न को अस्वीकार करने का मुझे अधिकार नहीं है । उसे स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना मन्त्री का काम है । प्रश्न खाद्य निगम के बारे में है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : कृपया प्रश्न का भाग (ग) देखिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्पष्ट करता हूं । जो मामला मेरे सामने है और जिसके बारे में आप दोनों ने आरोप और प्रत्यारोप लगाये हैं, उसे दृष्टिगोचर रखते हुए यह कहीं ज्यादा बेहतर होता अगर आप और अन्य माननीय सदस्य इस प्रश्न में भाग (ग) को ना पूछते । वे मेरे विचाराधीन हैं ।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, How can part (c) form part of this question ? This is but redundant.

अध्यक्ष महोदय : किसी प्रकार यह भूल हो गई है । मैं महसूस करता हूं कि प्रश्न को नामंजूर करने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है । एक विशिष्ट मामला जो मेरे विचाराधीन है और अगर उसमें कुछ सिद्ध करना है, एक सदस्य उसके सम्बन्ध में प्रश्न पूछता है, तो यह बेहतर होगा कि उसे मन्त्री के पास भेज दिया जाय । जब मेरे सामने कोई मामला विचाराधीन है, तो न तो श्री नम्बियार और न अन्य किसी सदस्य को ही उस बारे में प्रश्न पूछकर विवाद में नहीं पड़ना चाहिये । कभी कभी मैं वास्तव में बहुत परेशानी महसूस करता हूं कि सदस्य गण छोटी मोटी बातों में अपने आपको उलझा लेते हैं । मैं सभी से अनुरोध करता हूं अभी इस मामले को और आगे न बढ़ायें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, What is pending before you ...(*Interruptions*). .

Mr. Speaker : I have not yet looked into it. I don't know what it is... ...(*Interruptions*)...

Shri Atal Bihari Vajpayee : Until you do not take a decision on it... (*Interruptions*)...

Mr. Speaker : I can not decide on admissibility. Leave out propriety as well, that is pending before me...(*Interruption*)...

Shri Kanwar Lal Gupta : My Second question... (*Interrutpions*)...you are not allowing me only to ask the supplementaries or whether no body would be allowed to ask the supplementaries in regard to part (c) of the

question ? ... (*Interruptions*)... If no body is allowed to ask the supplementaries in regard to part (c) of the question, I would also not ask any supplementary question.

Mr. Speaker : If that part is concerned with that firm and when matter is already pending before me, I think that supplementaries should not be allowed. But if you want to ask any general question, you can ask such question.

Shri Kanwar Lal Gupta : Secondly, I want to know whether it is a fact that bags of 25 thousand maunds of dal,which was supplied by Food Corporation of India at Lucknow during the last 6-7 months, are filled half with good dal and lower half portion of the bags with pebbles... (*Interruptions*)...

Mr. Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, I rise on a point of order They are saying that this has been done by Jan Sangh and Jan Sangh has filled these pebbles and stones...(*Interruptions*)... Only the Communists can indulge in such type of activities... (*Interruptions*)...

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know whether Government could find out from the Defence Ministry if this fraud in supply of dal has been brought to its notice and as to how this could not be checked at the initial rejection stage and dal was passed in the final laboratory test as well and only afterwards it was found that half the bags contain stones and filth and half of it had good dal ? I want to know whether such a case has been brought to your notice, and if not, would you find out and inform the House?

Secondly, under clause 10 of the terms of contract it is mentioned that if a supplier—whether it be Food Corporation of India or a rivate trader—does not supply the food grains according to the prescribed specification, he would either be fined or would have to pay a certain sum as compensation. What is the position about it ? Would the supplier, whose supplies have been rejected,—whether Food Corporation or a private trader —be publicly prosecuted ? Do you intend to seek legal opinion in this connection ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के सेना सप्लाई विभाग के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश करता है, तो हम उसके विरूद्ध आवश्यक कानुनी कार्यवाही करेंगे; उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी... (**व्यवधान**) ... माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोप न केवल गलत और बेबुनियाद हैं, जहां तक दाल का सम्बन्ध है, हमें कोई भी सूचना नहीं मिली है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : हमने आज सुबह और पहले एक अन्य दिन जो देखा है वह इस बात का एक अफसोस भरा वर्णन है कि यह महान् सदन किस निम्नस्तर तक आ गया है; यह एक लज्जा का विषय है कि हम अपने राजनैतिक मतभेदों का निपटारा राजनैतिक स्तर पर और बाहर नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अखिल भारत खाद्य व्यापारी संघ से सम्बन्द्ध था, तो उसके विरूध निराधार आरोप लगाने के निम्नस्तर पर उतर आयें...

श्री नाम्बियार : क्या यह कोई उपदेश है ?

श्री सु० कु० तापड़िया : यह निश्चित रूप से एक चेतावनी है । अब तक हम चुप्पी साधे रहे मगर अगर यह सिलसिला जारी रहता है, तो हम भी मजदूर यूनियनों के नेताओं की पोल खोलने से पीछे नहीं हटेंगे कि किस प्रकार पहले तो वे कर्मचारियों को भड़काते हैं और फिर किस प्रकार छिप कर मालिकों से पैसा लेते हैं... (व्यवधान) ... हम सदन को यह बताने से भी नहीं चूकेंगे कि इस सदन के अनेक सदस्यों की अपेक्षा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के श्री ज्योतिमय बसु कहीं ज्यादा वैभव पूर्ण ढंग से रहते हैं; हमें सदन को यह बताने में भी हिचक नहीं होगी कि श्री ज्योति बसु ने शादी के दहेज के रूप में वातानुकूलित कार ली थी और श्री शशिभूषण बाजपेयी की उन्गली कैसे टूटी...

Shri Shashi Bbushan : He is a C.I.A. agent. His whole family consists of black-marketeers.

श्री सु० कु० तापड़िया : यदि इस प्रकार निराधार आरोप लगाए जाने रहे तो हम चुप नहीं बैठेंगे । हमें इस मामले पर बोलने के लिये विवश किया गया ।

अब मैं अपने प्रश्न पर आता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री तथा सदन के अन्य सदस्यों को भजनमल कुन्दनलाल फर्म से ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई है जिसमें संसद सदस्यों को यह चुनौती दी गई है कि वे सदन में अन्तिम दिन में लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक स्थान पर या सदन के बाहर सिद्ध करें जहां उनको कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय वसु : चूंकि मेरा नाम लिया गया है, मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा ।

(व्यवधान)

Shri S.K. Tapuriab : Keep quiet you accept black money in the name of Trade Union. They can be secretaries of hundreds of trade unions, and there are no limitations for that, but we cannot be Directors in more than 20 Companies.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछें ।

श्री सु० कु० तापड़िया : जब तक आप उन्हें हस्तक्षेप करने से नहीं रोकते, मैं अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछ सकता हूं ? माननीय मंत्री ने पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि केवल अन्तिम रूप से अस्वीकृत की गई चीजों को ही ध्यान में रखना चाहिये न कि अन्य स्थितियों पर अस्वीकृत की गई वस्तुओं को चूंकि सरकार की नीति मिश्रित अर्थवयवस्था की है, हमारे विचार में सरकार के लिये यह उचित होगा कि ....

श्री स० मो० बनर्जी : वे दाल में पत्थर मिलाते हैं ।

श्री सु० कु० तापड़िया : वे ही पत्थरों की सप्लाई लोगों को करते हैं ताकि वे दूसरों पर पत्थर फेंक । भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं को अस्वीकृत किए जाने वाली वस्तुओं को अस्वीकृत किए जाने के लिए दोहरी नीति अपनाई जाती है : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य, यह जानकारी देंगे कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा भेजी जाने वाली वस्तुओं से पूर्व कितनी माता अस्वीकृत की गई थी और निरीक्षण के समय अस्वीकृत की गई उन वस्तुओं

की मात्रा कितनी थी जिनको बदलने की अनुमति भारतीय खाद्य निगम को दी गई थी ? यदि इस समय माननीय मंत्री के पास जानकारी उपलब्ध नहीं तो क्या वे बाद में जानकारी देंगे ताकि सदन तथा वे लोग लाभान्वित हो सकें जो सत्य जानना चाहते हैं ? यह प्रश्न और भी संगत हो जाता है क्योंकि गैर सरकारी व्यापारियों को पूर्वनिरीक्षण और प्रतिस्थापन की सुविधाएं नहीं दी गई हैं । अतः ये आंकड़े दिए जाने चाहिये ताकि हम परिप्रेक्ष्य में जान सकें कि किनकी वस्तुओं को अधिक अस्वीकृत किया जाता है और दोषी कौन है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) । मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की अस्वीकृति अन्य सप्लाई करने वालों की अपेक्षा बहुत कम होती है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : हम वास्तविक आंकड़े चाहते हैं ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : इस बारे में कोई भ्रान्ति नहीं है । भारतीय खाद्य निगम और गैर सरकारी व्यापारियों को अलग अलग लाठी से नहीं हांका जाता । उन्हें एक ही लाठी से हांका जाता है । भारतीय खाद्य निगमों और गैर सरकारी व्यापारियों द्वारा सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं को एक ही जैसी जांच की जाती है, एक ही प्रयोगशाला में विश्लेषण और परीक्षण किया जाता है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : यह गलत है ।

श्री रंगा : जब माननीय सदस्य ने आंकड़े देने के लिये कहा है तो माननीय मंत्री क्यों नहीं कहते कि आंकड़े बाद में दे दिए जाएंगे ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं प्रारम्भ में की जाने वाली और अंत में अस्वीकृत की जाने वाली वस्तुओं के बारे में विवरण दे सकता हूं ।

श्री पीलु मोडी : बिना जांच किए वक्तव्य देंगे ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह स्पष्ट है कि किए गए इकरारनामे का उल्लंघन होता है जिसका दायित्व भारतीय खाद्य निगम के और गैर सरकारी व्यापारियों पर है । माननीय मंत्री गैर सरकारी व्यापारियों द्वारा सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं के बारे में जांच करवाने के लिये मान गए हैं । भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं में बहुत गड़बड़ी होती है । हम नहीं चाहते कि हमारी सेना को खराब खाद्यान, दालें इत्यादि सप्लाई किए जाएं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आश्वासन प्राप्त करेगी कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी इस प्रकार की चूक के भागी नहीं हैं यदि उन्होंने चूक की है तो सरकार ने उन कर्मचारियों द्वारा की गई चूक का सही सही पता लगाने के लिए क्या कार्रवाई की है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : भारतीय खाद्य निगम में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अवमानित वस्तुओं को सप्लाई करने में रुचि ले रहा है ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : ऐसा केवल कर्तव्यों की उपेक्षा के कारण हो रहा है, अवमानित वस्तुओं की सप्लाई करना उनका उद्देश्य नहीं । गैर सरकारी व्यापारियों का उद्देश्य अधिक लाभार्जन

करना है । वे अवमानित खाद्यान सप्लाई कर सकते हैं । लेकिन भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की अक्षमता और कर्तव्यों की उपेक्षा के कारण ही शायद अवमानित दालें सप्लाई की जा रही हैं ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यदि भारतीय खाद्य निगम का कोई कर्मचारी दोष स्वीकार कर लेता है.....

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या उन्होंने जांच की है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : ये टेके की सामान्य शर्तें हैं । यदि भारतीय खाद्य निगम खराब वस्तुएं सप्लाई करता है तो सेना सप्लाई संगठन को इन वस्तुओं को अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है । सप्लाई के लिए यह शर्त रखी गई है । खराब वस्तुओं को हर हालत में अस्वीकृत किया जाना है चाहे वे भारतीय खाद्य निगम द्वारा ही सप्लाई क्यों न की गई हों ? अच्छी किस्म की वस्तुऐं सप्लाई किए जाने के लिए यह सामान्य इकरारनामे की शर्तें हैं ।

श्री नाम्बियार : कुछ भी हो, भारतीय खाद्य निगम स्वयं अन्न नहीं उगाता । इसका काम है अन्न खरीदना और सेना को सप्लाई करना । यह निगम कहां से अन्न खरीदता है ? क्या काला बाजार करने वाले चोरों से ? भारतीय खाद्य निगम की सप्लाई के सम्बन्ध में कौनसी कार्य प्रणाली अपनाता है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अधिकांश चावल और गेहूं निगम द्वारा किसानों से सीधे प्राप्त किया जाता है । जब कभी निगम के पास खाद्यान नहीं होता तो गैर सरकारी व्यापार स्त्रोत का उपयोग किया जाता है ।

Shri Shashi Bhushan : I am compelled to say this when black marketeers support blackmarketing and my name is referred to. Since Shri Tapuriah has referred to my name I would like to say that I am replying in response to his mentioning my name (*Interrutpions*)...

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वह यह बात सदन के बाहर कहने को तैयार हैं ।

Shri Shashi Bhusan : Surely I am prepared to say this outside the House and even before the court (*Interrutpion*). I do not take false oaths like you. **Mr. Speaker** : Sir, whatever the case may be the Corrupt traders who supply dal to Food Corporation of India, get contracts for supplying or Food Corporation of India itself purchases grain, but it is a fact that the rejected foodgrains was purchased by those traders and afterwards the same rejected grain was supplied to the army by the these traders. I would like to know whether the Government are prepared to check and to seal the existing stock of Lucknow Army Store ? I would also like to know whether Government will institute a C. B. I. enquiry for which Commitment has already been made by the Government and whether Government are prepared to scrutinize the matter in which private contractors, who purchased and supplied the rejected grain, is involved ?

Shri Ram Sewak (Yadav) : Enquiry should be constituted against private traders as well as officials of Food Corporation of India who purchased rejected dal.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जहां तक मुझे जानकारी है ऐसी कोई घटना नहीं घटी फिर भी चूंकि माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, मैं मामले की छान-बीन करुंगा ।

Shri Shashi Bhushan : Yes you must make enquiry.

Shri Sheo Narain : It is a very serious matter because not only private traders are involved but officials of Food Corporation of India are also involved in this. Why the hon. Minister is hesitating in setting up a Parliamentary Committee for investigation ?

श्री चेंगलराया नायडू : जब सरकार या प्रतिरक्षा मंत्रालय को खराब खाद्यान सप्लाई किया जाता है तो स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चला सकता है जो घटिया किस्म का माल सप्लाई करते हैं । गैर सरकारी व्यापारियों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने कहा है कि वे विधिमंत्रालय से सलाह लेने वाले हैं कि क्या यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जा सकता है या नहीं । यह बहुत अच्छी बात है । हम केन्द्रीय जांच ब्यूरो से गैर सरकारी व्यापारियों के विरुद्ध जांच करने के लिए कह सकते हैं । लेकिन अभी अभी मंत्री महोदय ने यह बताया कि गैर सरकारी व्यापारियों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा की अपेक्षा कम है । यदि हमें भारतीय खाद्य निगम पर आरोप लगाना हो तो हम किस पर आरोप लगाएं ? माननीय मंत्री इस मंत्रालय के प्रमुख हैं । वे हमें निगम पर आरोप लगाने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि वे इस मंत्रालय के प्रमुख हैं । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस मामले की छान-बीन करने के लिये संसदीय समिति को नियुक्त करने तथा निगम और सम्बद्ध प्राधिकारियों, जिसमें मंत्री महोदय भी शामिल हैं क्योंकि वे मंत्रालय के प्रमुख हैं, के विरुद्ध कदम उठाने के लिये तैयार हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : श्री नायडू इसकी तुलना गैर सरकारी व्यापार से कर रहे हैं । मुझे समझ नहीं आता कि वे इस प्रकार की आलोचना क्यों कर रहे हैं और उस सरकारी उपक्रम के विरुद्ध आरोप क्यों लगा रहे हैं जिसकी स्थापना सदन द्वारा जनता के हित को देखते हुए की गई थी . . . (**व्यवधान**) । सेना सप्लाई संगठन ने भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध ऐसी किसी प्रकार की शिकायत नहीं की है जिस प्रकार माननीय सदस्य कर रहे हैं । यदि घटिया किस्म के खाद्यान्न भेजे गये होंते तो, उसके स्वीकृत होने का कोई प्रश्न ही न था . . . (**व्यवधान**) माननीय सदस्य ने ऐसी कोई बात नहीं की कि जिसकी जांच कराई जा सके ।

श्री चेंगलराया नायडू : तब आप संसदीय समिति को जांच के लिये क्यों नहीं कहते ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Fall in Price of Foodgrains

***1626. Shri Raghuvir Singh Sashtri** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that recently the prices of various foodgrains have gone down considerably

(*b*) if so, the reasons therefor; and

(*c*) the action taken by Government to streamline the procurement system in order to ensure the payment of fair prices to farmers for their produce and to check the fall in the prices of foodgrains ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (*a*) Since the middle of March the prices of all major foodgrains except rice and bajra have shown a decline.

(*b*) The fall in prices is mainly attributable to the commencement of a good rabi season.

(*c*) Government have already advised the procuring agencies to make aggressive purchases wherever necessary to maintain the incentive prices to the farmers.

बसिरहाट सब-डिवीजन में हैजा महामारी के कारण पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की मृत्यु

***1627. श्री जे० के० दासचौधरी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बसिरहाट सब-डिवीजन में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के आने के कारण हैजा जैसी महामारी फैलनी आरम्भ हो गई है और समय पर उनको सहायता न पहुंचाए जाने के कारण अनेक शरणार्थियों की मृत्यु हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिये गये चीनी मिलों की ओर बकाया राशि

***1628 श्री शारदा नन्द :**

श्री सूरज भान :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन छः चीनी मिलों के नाम क्या हैं जिनको सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है;

(ख) जिस दिन सरकार ने इन मिलों को अपने अधिकार मे लिया था उस तिथि को प्रत्येक चीनी मिल की ओर गन्ना उत्पादकों तथा सरकार की कितनी कितनी बकाया धनराशि थी ;

(ग) इस समय प्रत्येक ऐसी चीनी मिल द्वारा गन्ना उत्पादकों और सरकार को कितनी-कितनी बकाया धनराशि दी जानी है ;

(घ) सरकार द्वारा चीनी मिलों को अपने अधिकार में लेने के उपरान्त गन्ना उत्पादकों की बकाया धनराशि बढ़ने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन मिलों के कार्य को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारी मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत तीन चीनी मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है।

गन्ना मूल्य की बकाया धनराशि और मिलों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के समय प्रत्येक मिल द्वारा सरकार को देय धनराशि और उस संबंध में अद्यतन उपलब्ध स्थिति के ब्यौरे को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) गन्ना मूल्य की बकाया राशि मुख्यतः चालू वर्ष की और बैंकों द्वारा अपर्याप्त पेशगियों के कारण है। बैंकों से उसकी वृद्धि के लिये अनुरोध किया गया है। गन्ना खरीदकर की बकाया राशि में वृद्धि कारखानों द्वारा हानि उठाने के कारण हुई है।

(ङ) कारखानों के कुल कार्यचालन तथा क्षमता में सुधार करने के लिए फैक्टरी क्षेत्र में बेहतर किस्म का गन्ना उगाने, संयंत्र की बेहतर मरम्मत करने और प्रबंध और कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं और किए जा रहे हैं।

चीनी मिलों के नाम	अधिकार में लेने की तिथि को गन्ना मूल्यों आदि की बकाया धन राशि	अधिकार में लेने की तिथि पर उपकर/ खरीदकर
1	2	3
1. दीवान शूगर मिल्स एण्ड जनरल मिल्स (प्रा०) लि०, सखोटी टांडा, जिला मेरठ	0.07	5.45
2. समस्तीपुर सैंट्रल शूगर कम्पनी लि०, समस्तीपुर, जिला समस्तीपुर	0.41	18.31
3. राम लक्षमण शूगर मिल्स मोहिद्दीनपुर, जिला मेरठ	10.92	26.62

चीनी मिलों के नाम	गन्ना मूल्य की बकाया राशि	उपकर/ खरीदकर	टिप्पणी
1	4	5	6
1. दीवान शूगर मिल्स एण्ड जनरल मिल्स (प्रा०) लि०, सखोटी टांडा, जिला मेरठ	23.18 (5-5-70)	17.01 (5-5-70)	
2. समस्तीपुर सैंट्रल शूगर कम्पनी लि०, समस्तीपुर, जिला समस्तीपुर	20.01 (5-5-70)	24.80 (5-5-70)	
3. राम लक्षमण शूगर मिल्स, मोहिद्दीनपुर, जिला मेरठ	21.96 (30-4-70)	30.26 (30-4-70)	

खाद्यान्नों का उत्पादन

*1629. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन होने की आशा है; और

(ख) इनकी कुल मांग कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) सन् 1969-70 के खाद्यान्न उत्पादन के पक्के आंकड़े कृषि वर्ष की समाप्ति पर अर्थात किसी समय जुलाई-अगस्त, 1970 में उपलब्ध होंगे। परन्तु मौसम तथा फसल परिस्थितियों से संबंधित गुणात्मक रिपोर्टों के अनुसार 1969-70 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन लगभग 1000 लाख मीटरी टन होने की सम्भावना है।

(ख) खपत के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट तथा वृहत सर्वेक्षण न होने के कारण और इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि खाद्यान्नों की उपलब्धि और अन्य प्रतिस्थानी खाद्य पदार्थों उनके तुलनात्मक मूल्यों, आय स्तर, जनसंख्या की वृद्धि, नागरीकरण आदि पर निर्भर करते हुए खाद्यान्नों की मांग किसी हद तक घटती बढ़ती है, किसी विशेष वर्ष के लिए खाद्यान्नों की कुल मांग के परिशुद्ध गुणात्मक आंकड़े तैयार करना संभव नहीं है।

जहाजों पर माल चढ़ाने-उतारने के कार्य का राष्ट्रीयकरण

*1630. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जहाजों पर माल चढ़ाने उतारने के कार्य का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य देशों में जहां इस काम का राष्ट्रीयकरण हो चुका है, मौके पर जाकर कोई अध्ययन किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस का कोई अनुमान लगाया गया है कि राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थिति के सम्बन्ध में संबंधित पक्षों की क्या प्रतिक्रिया होगी तथा सरकार को क्या भाग अदा करना होगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ) : इससे पहले नौसरण प्रणाली के उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने के बाद 1967 में यह निर्णय किया गया था कि उसे यथावत् चलने दिया जाय। इस मामले पर जब आगे विचार किया जायगा तभी अन्य देशों में प्रचलित प्रणाली के अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी। यदि कभी इस प्रश्न पर पुनः विचार किया गया, तो निःसन्देह विभिन्न संबंधित पक्षों के विचारों का पता लगाना पड़ेगा और उन्हें ध्यान में रखना होगा।

सोयाबीन के मूल्य में गिरावट

*1631. **श्री देवकी नन्द पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कई भागों में सोयाबीन के दाम एकदम गिर गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने सोयाबीन खरीदकर उसके मूल्य में स्थिरता लाने की कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में सोयाबीन खरीदा गया है और उसका मूल्यों पर क्या प्रभाव पडा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम से कहा गया कि वह 85 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर सोयाबीन का सहाय्य मूल्य दे और जहां कहां भी इस स्तर से मूल्य में गिरावट आए वहां सोयाबीन को इस मूल्य पर खरीदे ।

(घ) क्योंकि सोयाबीन के चालू बाजार-मूल्य सहाय्य मूल्य से अपेक्षाकृत अधिक हैं इसलिए भारतीय खाद्य निगम ने अभी तक सोयाबीन की कोई भी खरीदारी नहीं की है ।

मजदूर संघों के नेतृत्व के लिये अनुशासन संहिता

*1632. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में मजदूरों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता की ओर दिलाया गया है और क्या इस बात पर बल दिया जा रहा है कि मजदूर संघों के नेतृत्व के लिए कोई अर्हक संहिता लागू की जानी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) : सम्पूर्ण दृष्टि से विचार करने पर देश के श्रम स्थिति से ऐसे संकेत नहीं मिलते कि श्रमिकों में अनुशासन-हीनता बढ़ रही है । स्वैच्छिक विपक्षीय समझौते पर आधारित एक अनुशासन संहिता उद्योग में प्रबंधकों एवं यूनियनों दोनों ही के द्वारा अनुशासन का पालन कराने के लिये पहले से ही बना दी गई है ।

फसल बीमा योजना

*1633. **श्री वि० नरसिम्हाराव :**

श्री राम किशन गुप्त :

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्यों ने अनिवार्य बीमा योजना सम्बन्धी सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है ;

(ख) किन किन राज्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) अधिकांश राज्यों ने कुछ शर्तों के साथ फसल बीमा योजना को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है ।

(ख) और (ग) : पंजाब सरकार ने इस योजना को ऐच्छिक आधार पर क्रियान्वित करने पर बल दिया है । उत्तर प्रदेश सरकार ने इच्छा व्यक्त की कि इस योजना को लागू करने से पहले अन्य राज्यों की मार्गदर्शी परियोजना के परिणामों को देखा जाए । इससे पहले कि इस मामले में सरकार द्वारा कोई अन्तिम निर्णय किया जाये इस योजना की आर्थिक, प्रशासनिक तथा बीमा के हिसाब की कठिनाइयों का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जा रही है ।

मतदाताओं के लिये आकाशवाणी कार्यक्रम

*1634. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मतदाताओं के मार्ग निर्देशन और शिक्षण के लिये आकाशवाणी से कुछ कार्यक्रम प्रसारित करने के सम्बन्ध में निर्णय करने हेतु क्या सरकार राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) क्या भारत की मतदाता परिषद ने सरकार से इस बारे में कोई अनुरोध किया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी, नहीं ।

(ख) इस मन्त्रालय को इसकी जानकारी नहीं है ।

प्रत्येक राज्य में फिल्म उद्योग का विकास

*1635. **श्री दे० अमात :**

श्री अदिचन :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म उद्योग में कुछ राज्यों का एकाधिकार समाप्त करने के उद्देश्य से और देश के समस्त राज्यों में सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से उक्त उद्योग का समान विकास करने हेतु सरकार का प्रत्येक राज्य में फिल्म उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने तथा वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य को वर्ष 1970-71 में और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में फिल्म उद्योग के विकास के लिये कितनी सहायता दी जायेगी ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ;

(ग) फिल्म उद्योग मुख्य रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र में है तथा यह वांछनीय नहीं समझा गया है कि देश के किसी भी भाग में इसके स्वतन्त्र विकास तथा प्रगति में किसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जायें । कुछ राज्य सरकारें अपने राज्यों में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित तथा विकसित करने के लिये पहले ही कदम उठा रही हैं ।

Important items of Parliamentary Proceedings not covered in "Sansad Samiksha"

*1636. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that even the important items from the proceedings of the Parliament are not covered at times in the "Sansad Samiksha" (Today in Parliament) broadcast over the A.I.R. for want of time ;

(*b*) whether it is also a fact that no rules have been laid down in regard to "Sansad Samiksha" and it is left to the officers of the A.I.R. to include any item therein which they consider important ;

(*c*) if so, whether Government propose to increase the time allotted for "Sansad Samiksha" ;

(*d*) whether Government would frame a rule to ensure that at least Government and Private Members Bills presented in the Parliament and Calling Attention Motions and Half-an-Hour Discussions taken up in Parliament are covered in "Sansad Samiksha"; and

(*e*) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) :

(*a*) No, Sir. Highlights and trends of the proceedings of Parliament are reviewed in the commentaries "Sansad Samiksha" and "Today in Parliament".

(*b*) No, Sir. Instructions have been issued for the guidelines of commentators who are experienced journalists and not AIR officials.

(*c*) No. Sir. The time allotted to this item on radio is considered adequate.

(*d*) This is not necessary. Guidelines which have been issued are adequate.

(*e*) Does not arise.

Abolition of Radio Licence Fee.

***1637. Shri Janeshwar Mishra :** Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(*a*) the present licence-fee on a radio-set:

(*b*) whether Government propose to abolish licence-fee on the radio-set keeping in view the poverty in the country and the widespread use of the radio sets among the public; and

(*c*) the extent to which the enlightenment of the public through the radio is justified when Government are taking radio-dealers indirectly in the form of sales-tax and the consumers directly by realising licence-fee from them on their radio-sets ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) :

(*a*) A statement giving this information is laid on the table of the House.

(*b*) No. Sir.

(*c*) Levy of tax on sales of radio sets and licence fee for possession of sets does not come into conflict with the objectives of broadcasting.

Statement

1. Domestic	Rs. 15/-
2. Concessional (A new set purchased from a licensed dealer for a price not exceeding Rs. 125/-, excluding all taxes, at the point of sale. A set used in a children's club, or free public library, recognised and/or aided by in Central or State Government. A seti nstalled in the public room of a hospital or sanatorium for the free use of the patients. A set used by the Central or a State Government, municipal or Local body in a public place for the use of the community.)	Rs. 7·50P
3. School	Rs. 3/-
4. Commercial (Urban)	Rs. 50/-

5. Commercial (Rural	Rs. 30/-
6. Commercial (Low Cost) . .	Rs. 15/-
7. Demonstration	Rs. 15/-
8. Possession (Dealers)	Rs. 40/-
9. Possession (Non-Dealers)	Rs. 15/-
10. Additional Set (Domestic)	Rs. 3/-
11. Additional Set (Commercial)	Rs. 10/

1969-70 और 1970-71 में भू-प्रधान खेती (एक्सटेंसिव कल्टीवेशन) के अन्तर्गत क्षेत्र

*1638. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में भू-प्रधान खेती के अन्तर्गत कितने क्षेत्र में खेती की गई ; और

(ख) चालू वर्ष में कितने क्षेत्र को भू-प्रधान खेती के अन्तर्गत लाया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) कृषि सांख्यिकी में विस्तृत खेती शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता । बुवाई के निबल क्षेत्र के आंकड़े भूमि उपयोग सांख्यिकी के एक भाग के रूप में एकत्रित किये जाते हैं और ये आंकड़े कुछ समय बीतने पर ही उपलब्ध होते हैं । सन् 1966-67 के दौरान (जिस के विषय में नवीनतम अखिल भारतीय आंकड़े उपलब्ध हैं) बोया गया निबल क्षेत्र लगभग 1370 लाख हैक्टार था ।

अन्दमान द्वीप समूह में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों का बसाया जाना

*1640. **श्री बलराज मधोक** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान द्वीप समूह में और अधिक लोगों के बसाये जाने की गुंजायश है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से हाल में हिन्दुओं का निष्कासन बढ़ गया है; और उन के पुनर्वास के लिए नये क्षेत्रों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो विस्थापितों को अन्दमान द्वीप समूह में बसाने के कार्य को तेज करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां। मानव आस्तित्व के लिये आवश्यक मूल व्यवस्था प्रदान करने के उपरान्त, द्वीपों में और लोगों के पुनर्व्यवस्थापन की गुंजाईश है ।

(ख) जी, हां।

(ग) परिवारों को बसाने हेतु वहां भेजने से पूर्व, मानव आस्तित्व के लिये आवश्यक व्यवस्था प्रदान करने के सभी संभव कदम अग्रता के आधार पर उठाये जा रहे हैं।

1970–71 में पंजाब में खाद्यान्नों के उत्पादन के लिये वित्तीय सहायता

*1941. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कमी वाले क्षेत्रों में सहायता के रूप में देने हेतु केन्द्रीय सरकार को देने के लिये पंजाब सरकार ने चालू वर्ष में 25 लाख टन खाद्यान्नों का समाहार करने का वचन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने इसके लिये अधिक वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) पंजाब में 1970-71 के विपणन मौसम के लिए गेहूं की अधिप्राप्ति का लक्ष्य 25 लाख मीटरी टन है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है लेकिन उन्होंने गेहूं की अधिप्राप्ति तथा उसकी केन्द्रीय पूल को सप्लाई के लिए प्रोत्साहन बोनस का भुगतान करने के लिए कहा है। राज्य सरकार के इस अनुरोध पर विचार किया गया है और प्रोत्साहन बोनस देना सम्भव नहीं पाया गया है ।

फिल्म वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋणों के उचित उपयोग की जांच करने की व्यवस्था

1642. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास फिल्म वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋणों के उचित उपयोग की जांच करने की कोई व्यवस्था है ; और

(ख) क्या सरकार को ऋणों के उपयोग के संबंध में शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। ऋण का सही उपयोग हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए निगम फिल्म के बजट की अच्छी तरह छानबीन, तुरन्त प्रतियों की जाँच तथा जब शूटिंग, प्रोसेसिंग या रिकार्डिंग का काम

चल रहा हो तब स्टूडियो और प्रयोगशाला में निरीक्षण करता है तथा किश्तों में ऋण देता है। ऋण की प्रत्येक किश्त प्रत्येक पूर्ववर्ती किश्त का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रमाणित सही लेखा प्रस्तुत करने पर ही दी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में दोषी पाये गये नियोजकों के विरुद्ध कार्यवाही

*1643. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री गार्डिलिंगन गौड़ :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि के सम्बन्ध में दोषी पाये गये नियोजकों के विरुद्ध अधिक कठोर कार्यवाही, जिसमें कैद की सजा शामिल है, करने के बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ;

(ख) 1968 और 1969 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में दोषी पाये गये नियोजकों के मामलों के सरकार के पास उपलब्ध आंकड़े क्या हैं, और

(ग) क्या सम्बद्ध कानून में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ग) दोषी प्रतिष्ठानों के नियोजकों के विरुद्ध कठोर दण्डों की व्यवस्था करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में संशोधन करने का विचार है। इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर 1967–68 और 1968-69 में छूट-न-प्राप्त दोषी प्रतिष्ठानों के नियोजकों के विरुद्ध चलाए गए अभियोजनों तथा वसूली के मामलों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	चलाए गए अभियोजनों के मामलों की संख्या	चलाए गए वसूली के मामलों की संख्या
1967–68	5,276	4,366
1968	7,262	6,063

गन्ने का उत्पादन

*1644. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश तथा अन्य गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ने की बहुत अच्छी फसल हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष प्रत्येक राज्य में गन्ने का कितना उत्पादन हुआ है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गन्ना उत्पादकों को इस बात की आशंका है कि इस पिराई-सीजन में चीनी मिलें सारे गन्ने की पिराई नहीं कर पायेंगी ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि चीनी मिलों द्वारा सारे गन्ने की पिराई की जाये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) 1969-70 के दौरान गन्ने की पैदावार के अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1969-70 के गन्ने के अखिल भारतीय दूसरे अनुमान के अनुसार 1969-70 में गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र 1968-69 के तदनुरूपी अनुमान की अपेक्षा 11.5 प्रतिशत अधिक है। इसलिए गन्ने की पैदावार भी पर्याप्त अधिक होने की संभावना है। 1968-69 में अनुमानित पैदावार 1175.72 लाख मीटरी टन थी।

(ग) और (घ) इस वर्ष गन्ने की अधिक उपलब्धि से सारा उपलब्ध गन्ना पेरने के लिए कारखानों की समर्थता के बारे में कुछ शंकाएं पैदा हो गयी हैं। राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि चीनी कारखाने अपने अपने क्षेत्र का सारा उपलब्ध गन्ना पेरने के बाद बन्द हों। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना से प्रतीत होता है कि लगभग सभी चीनी कारखानों जो कि बन्द हो गए हैं, ने अपने फैक्ट्री क्षेत्र में सारा ठेकाबद्ध अथवा उपलब्ध गन्ना पेरने के बाद अपने कारखाने बन्द किये हैं और जो कारखाने चल रहे हैं वे भी इसी प्रकार करेंगे।

सचिवालय परिसर तथा अन्य सरकारी विभागों में दिल्ली दुग्ध-योजना के दुग्ध केन्द्रों पर काम करने वाले बिक्री-सहायकों का बारम्बार तबादला

*1646. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सचिवालय परिसर तथा अन्य सरकारी विभागों में दिल्ली दुग्ध-योजना के विभिन्न दुग्ध केन्द्रों पर काम करने वाले बिक्री-सहायकों का जल्दी-जल्दी तबादला कर दिया जाता है जिससे दुग्ध केन्द्रों का कार्य अस्त-व्यस्त हो जाता है और इससे प्रबन्धकों तथा सहायक प्रबन्धकों को असुविधा होती है और उनकी कार्य-कुशलता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली-दुग्ध-योजना प्रशासन को ऐसे अनुदेश देने का है, जिससे ये तबादले कम हों, और केवल उन्हीं मामलों में ये तबादले किये जायें जिनमें बिक्री-सहायक को कदाचार के गम्भीर कारणों के लिये जिम्मेदार पाया जाय ?

खाद्य, कृषि सामुदायक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। लोक हित को दृष्टि में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर ही स्थानान्तरण किये जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

टेलीफोन उपकरणों के अभाव के कारण उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों के विकास और सार्वजनिक टेलीफोन केंद्रों को खोलने की योजनाओं का क्रियान्वित किया जाना

*1647. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन एक्सचेंजों के विकास और अधिक संख्या में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की पहले ही से स्वीकृत योजनाओं को टेलीफोन उपकरणों के अभाव के कारण उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं। उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में टेलीफोन एक्सचेंजों के विकास और सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की स्वीकृत योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। फिर भी यह सच है कि कभी कभी कतिपय किस्म के उपस्कर और सामान की कमी के कारण इन्हें कार्यान्वित करने म विलंब होता रहा है।

उत्तर प्रदेश में 1968-69 और 1969-70 में एक्सचेंजों में क्रमश: 6595 और 9050 लाइनों की क्षमता बढ़ाई गई थी। इसी दौरान खोले गए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या क्रमश: 20 और 24 है।

आशा है कि 1970-71 में उत्तर प्रदेश में लगभग 8,000 लाइनों की एक्सचेंज क्षमता और 25 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर चालू कर दिए जाएंगे।

दिल्ली चिड़िया घर के पशुओं का पीलिया रोग से पीड़ित होना

*1648. **श्री जयसिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली चिड़िया घर के बहुत से पशु पीलिया रोग से पीड़ित हैं और कुछ दुर्लभ पशुओं की गंभीर स्थिति है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पीलिया का कारण चिड़िया घर को सप्लाई किया गया यमुना का गन्दा पानी है ; और

(ग) यदि हां, तो स्वच्छ पानी सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

Wastage of Urea due to Testing with Parkhi

*1649. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(*a*) whether it is a fact that at the time of unloading of imported urea fertilizer at the ports, the holes are made in the bags containing urea by Parkhi as a result of which a large quantity of urea comes out and the holes are not repaired;

(*b*) whether it is also a fact that those bags of urea are supplied to the farmers but the bags are not weighed at that time and the cost of full bag is recovered from them; and

(*c*) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

(*a*) It is correct that some holes are made in fertiliser bags due to unavoidable use of hooks by labour at the ports, but it is not correct to say that large quantity of urea comes out because of this and the holes are not repaired.

(*b*) No, Sir. The farmer is required to pay only for the actual quantity received by him.

(*c*) A watch is kept on the working of labour at the ports to ensure that the damage caused by the use of hooks is kept to the minimum. Repair gangs are available at the ports for repairing the holes. Allowance for shortage has been provided in the distribution margin to compensate allottees for such losses. Instructions have been issued that such shortages should not be passed on to consumers.

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने नियन्त्रण में लिये गये कपड़ा मिलों पर दूसरे कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

*1650. **श्री के० रमानी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तामिल नाडु में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने नियंत्रण में लिये गये कपड़ा मिलों में दूसरे कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सिफारिशों को अविलम्ब लागू करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग) उक्त वेतन बोर्ड की सिफारिशों का प्रतिपालन राज्य सरकार के माध्यम से कराया जा रहा है और उनसे स्थिति का पता लगाया जा रहा है ।

नई दिल्ली के कुछ इलाकों के लिये चलते फिरते डाक-घर की सेवाएं प्राप्त करने के बारे में अनुरोध

9607. श्री प० ला० बारुपाल : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंडारा रोड निवासी संघ गत 7-8 वर्षों से, पंडारा रोड, हुमायूं रोड, जोधपुर हाउस, बीकानेर हाउस, शाहजहां रोड, जयपुर हाउस तथा इनसे लगे अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिये, चलते-फिरते डाकघर की सुविधायें प्राप्त करने के लिये अभ्यावेदन दे रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ समय पूर्व प्राधिकारी सिद्धान्त रूप से इस बात पर सहमत हो गये थे कि उक्त सुविधाएं दूसरी गाड़ी के प्राप्त हो जाने पर दी जायेंगी ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों को अभी तक उक्त सुविधाएं न देने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, ऐसा अभ्यावेदन गत कुछ वर्षों से किया जा रहा है ।

(ख) दिल्ली सर्कल के निर्देशक, डाक सेवा व्यवस्था ने अगस्त 1966 में संघ को सूचित किया था कि चलते फिरते डाकघर के कार्यक्रम में किसी प्रकार का समंजन संभव नहीं है तथा यह भी बताया गया था कि संघ की प्रार्थना नोट कर ली गई है ।

(ग) वास्तव में चलते-फिरते डाकघर की व्यवस्था उन्हीं प्रमुख बस्तियों में की जाती है जहां पर कोई डाकघर न हो अथवा जहां पर स्थायी डाकघरों के दिन भर काम करने के बाद बन्द होने पर वहीं डाक-सुविधा की व्यवस्था करना आवश्यक हो । पंडारा रोड पर डाकघर मौजूद है जो कि प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक खुलता है तथा शाहजहां रोड पर दूसरा डाकघर मौजूद है जो कि प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक खुला रहता है । इस प्रकार पंडारा रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड आदि जैसी बस्तियों के निवासियों के लिए पर्याप्त डाक-सुविधाएं उपलब्ध हैं । फिर भी इस क्षेत्र में केवल सायं 3 और 4 बजे के दरम्यान चलते-फिरते डाकघर को रुकवाने की व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि दिल्ली में कुल तीन- चलते-फिरते डाकघर काम कर रहे हैं और शाम के समय देरी से सभी स्थानों पर उसका ठहरना संभव नहीं है । किन्तु जबकि पंडारा रोड, खान मार्केट तथा शाहजहां रोड पर क्रमशः तीन स्थायी डाकघर मौजूद हैं, चलते-फिरते डाकघर को इस क्षेत्र में सायं 3 और 4 बजे के दरम्यान ठहराने का कोई लाभ नहीं होगा ।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों पर लागू होने वाले आचरण नियम

9608. श्री बाबू राव पटेल : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों पर लागू होने वाले आचरण नियम क्या हैं ?

(ख) "स्टाफ आर्टिस्ट" कहलाने वाले व्यक्तियों द्वारा किस-किस प्रकार के कार्य किये जाते हैं; और

(ग) स्टाफ आर्टिस्टों के वेतन-मान पदोन्नतियां, भविष्य निधि तथा अन्य सेवा की शर्तें क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इस बारे में जारी किये गये प्रशासनिक अनुदेशों के मुख्य उपबन्ध परिशिष्ट-एक में देखें। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3508/70]

(ख) वे संगीत उपवादक, संगीतकार, वृदनायक, अनाउन्सर, न्यूजरीडर, स्क्रिप्ट लेखक, सहायक प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, कापिस्ट इत्यादि के रूप में कार्य करते हैं।

(ग) विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों की फीसों के स्केल परिशिष्ट-दो में दिये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये, संख्या एल० टी० 3508/70]

नीचे के स्केलों में कार्य करने वाले स्टाफ आर्टिस्टों को ऊंचे स्केलों में पदोन्नत किया जाता है, बशर्ते कि वे उपयुक्त पाए जाएं।

वे 1-10-64 से अंशदायी भविष्य निधि के लाभों के हकदार बना दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वे विभिन्न प्रकार के भत्तों, डाक्टरों सहायता कार्य-ग्रहण अवधि, कार्य ग्रहण अवधी फीस, छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत, रेडियो सैट, मोटर कार, तथा स्कूटर खरीदने एवं मकान बनाने के लिए पेशगियों तथा सरकारी आवास के भी पात्र हैं।

फसलो पर कीटनाशक औषधियां छिड़कने के लिये हैलीकाप्टरों का आयात और उनकी लागत

9609. श्री बाबू राव पटेल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसलों पर कीटनाशक तथा कृमिनाशक औषधियां छिड़कने के लिये अमरीका से अब तक कितने हैलीकाप्टरों का आयात किया गया है और निकट भविष्य में कितने हैलीकाप्टरों का आयात किये जाने की आशा है ; और

(ख) प्रत्येक हैलीकाप्टर की औसत लागत क्या है इसे किस प्रकार किराये पर दिया जायेगा अथवा प्रयोग में लाया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे) : (क) फसलों पर कीटनाशक तथा कृमिनाशक औषधियां छिड़कने के लिए अब तक अमरीका से आयात हुये हैलीकाप्टरों की संख्या 24 है। निकट भविष्य में अमरीका से 5 और हैलीकाप्टरों के आने की सम्भावना है।

(ख) हैलीकाप्टरों की औसत लागत निम्न प्रकार है—

हैलीकाप्टर का मेक	लागत (रु० लाखों में)
बैल हैलीकाप्टर 47 जी–2 (फालतू पुर्जों सहित)	3.02
,, ,, 47 जी–5 (फालतू पुर्जों हित)	4.95
ह्यजिज 300 हैलीकाप्टर (फालतू पुर्जों सहित)	3.54
,, 500 ,, (फालतू पुर्जों सहित)	7.42

इन हैलीकाप्टरों को फसलों पर कृमिनाशक तथा कीटनाशक औषधियां छिड़कने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उनको टीप ड्रैसिंग उर्वरक कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।

रानीगंज कोयला क्षेत्रों में खान सुरक्षा महानिदेशक के कर्मचारियों के लिये सुरक्षात्मक व्यवस्था

9610. **श्री पी० विश्वम्भरन**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीगंज कोयला क्षेत्र में खान सुरक्षा महानिदेशक के कर्मचारियों ने यह शिकायत की है कि कुछ समय से उनके जीवन को खतरा पैदा हो गया है ; और

(ख) क्या रानीगंज क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए, विशेषकर रात्रि में काम पर जाने वालों के लिये, कोई सुरक्षात्मक व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो यह व्यवस्थाएं क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया): (क) अधिकारियों को डराने-धमकाने और बलपूर्वक विवश करने के प्रयत्नों के कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई है ।

(ख) कोई विशेष प्रबंध आवश्यक नहीं समझे गये ।

बड़ी उतरावली बंध सम्बन्धी प्राक्कलन

9611. **श्री ग० च० दीक्षित** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश में बुरहानपुर तहसील में सिरपुर के निकट बड़ी उतरावली बन्ध सम्बन्धी मूल प्राक्कलन कितना था ;

(ख) क्या उक्त प्राक्कलन में कोई परिवर्तन हुआ है और यदि हां, तो कितना ; और

(ग) कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सोयाबीन तैयार करना तथा उसका विपणन

9612. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार, सोयाबीन का आयात करने में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई थी ;

(ख) देश में सोयाबीन का वार्षिक उत्पादन और खपत कितनी है ; और

(ग) कृषि क्रांति के समय सोयाबीन का उत्पादन करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये थे ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) गत तीन वर्ष की अवधि में सोयाबीन के बीजों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की निम्न राशि संस्वीकृत की गई थी--

वर्ष	संस्वीकृत विदेशी मुद्रा रुपयों में
1966-67	19,815
1968-69	1,31,478
1969-70	कोई नहीं

(ख) और (ग) : सोयाबीन के उत्पादन और खपत के सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। 1968-69 की अवधि में अमरीका से आयातित 42 मीटरी टन सोयाबीन के बीजों की लगातार दो मौसमों में सफलतापूर्वक वृद्धि की गई है। 1970-71 की अवधि में 30 हजार हैक्टर क्षेत्र में सोयाबीन का उत्पादन प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

गुजरात में 1970-71 के दौरान डाकघर खोलना

9613. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में गुजरात में जिला-वार, कितने डाकघर खोले गये ;

(ख) वर्ष 1970-71 में जिला वार कितने डाकघर खोले जायेंगे ; और

(ग) गुजरात में ऐसे कितने डाकघर हैं जहां इस समय तार सम्बन्धी सुविधायें विद्यमान हैं और कितने डाकघरों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तार भेजने की सुविधाएं विद्यमान हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1969-70 के दौरान गुजरात में जिलावार खोले गए डाकघरों की संख्या इस प्रकार है--

जिले का नाम	खोले गए डाकघरों की संख्या
अहमदाबाद	31
अमरेली	20
वड़ौदा	13
वुलसार	18
भावनगर	19
बांसकांथा	22
भड़ौच	13
जामनगर	9
जूनागढ़	18
कच्छ	13
कैरो	15

जिले का नाम	खोले गए ड़ाकघरों की संख्या
मेहसाना	12
पंचमहल	8
राजकोट	9
साबरकांथा	26
सुरेन्द्रनगर	11
सूरत	4
गांधी नगर	3

1970-71 के दौरान गुजरात में जिला-वार खोले जाने वाले प्रस्ताविक डाकघरों की संख्या इस प्रकार है—

नाम जिला	अस्थायी तौर पर प्रस्तावित खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या
अहमदाबाद	2
अमरेली	2
बड़ौदा	3
बुलसार	2
भावनगर	2
बांसकांथा	2
भड़ौच	3
जामनगर	4
जूनागढ़	2
कच्छ	3
कैरा	2
मैहसाना	3
पंचमहल	5
राजकोट	5
साबरकांथा	3
सुरेन्द्रनगर	4
सूरत	4
गांधीनगर	3

(ग) (i) गुजरात के उन डाकघरों की संख्या जहां 8 मई, 1970 को तार सुविधाएं विद्यमान थीं—545

(ii) गुजरात के उन डाकघरों की संख्या जहां 8 मई 70 को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में तार भेजने की सुविधाएं विद्यमान थीं—225

बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव की स्मृति में डाक-टिकट

9614. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को कई बार यह सुझाव दिया गया है कि बड़ौदा के स्वर्गीय महाराजा सायाजी राव गायकवाड़ के एक महान समाज सुधारक होने के नाते उनकी स्मृति में डाक टिकट निकाला जाय ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार का विचार कब तक ऐसा डाक टिकट निकालने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) बड़ौदा के स्वर्गीय महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के सम्मान म एक डाक टिकट निकालने के प्रस्ताव पर फिलाटली सलाहकार समिति ने अपनी 8-10-63, 12-12-66, 15-9-67, 17-2-68 और 25-1-69 को हुई बैठकों में विचार किया था परन्तु समिति ने इसके लिए सिफारिश नहीं की ।

नांग लोई के अग्निकांड में गेहूं का नष्ट होना

9615. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 अप्रैल, 1970 को नागलोई में एक खुले मैदान म इक्ट्ठा किया हुआ 800 मन गेहूं आग लगने से नष्ट हो गया था ;

(ख) यदि हां तो, तत्सम्बन्धी क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या सरकार ने काटी हुई फसल की सुरक्षा के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में पांच दमकल केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या ब्यौरा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे): (क) लगभग 450 मन कटी हुई गेहूं की फसल अग्नि कांड में तबाह हो गई ।

(ख) नांगलोई गांव के सर्वश्री हरदेव सिंह सपुत्र उमराव सिंह, और महिन्द्र सिंह सपुत्र श्री हरदेव सिंह ने अपनी 24 एकड़ भूमि की गेहूं की फसल खलिहान में एकत्रित की हुई थी । 24 अप्रैल, 1970 को डेढ़ और दो बजे के अपरान्ह के बीच अधिक गरम हुये ट्रैक्टर क इन्जन से निकली चिंगारियों द्वारा सूखी घास में आग लग गई जिससे लगभग आधे से अधिक गेहूं की फसल पूरी तरह से जल गई या प्रयोग योग्य नहीं रही । लगभग 400-450 मन गेहूं और लगभग 600-700 मन भूसा जल गया । समय पर गांव के लोगों के पहुंचने से और निकट ही एक नल कूप से जल उपलब्धि के कारण इतनी ही फसल बचा ली गई । लगभग 20,000 रुपये की हानि हुई है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने ऐसा निर्णय किया है ।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने महरोली, नांगलोई, नजफगढ़, बकाना और अलीपुर में 5 अग्निशमन एककें स्थापित की हैं ।

बड़ौदा और केरिया, गुजरात में खोले गये डाकघर

9616. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **सूचना तथा प्रसारण** और **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के बड़ौरदा तथा केरिया जिलों में 1 अप्रैल, 1967 से अब तक सभी वर्गों के कितने डाकघर खोले गये ; और

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात के बड़ौदा तथा केरिया जिलों में सभी थानों में टेलीफोन द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जायगा और यदि हां तो कब तक ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) जिले का नाम	1-4-1967 से 8-5-1970 तक खोले गए नए सभी श्रेणियों के डाकघरों की संख्या
(i) बड़ौदा	59
(ii) कैरा	44

(ख) बड़ौदा जिले के 22 पुलिस स्टेशनों में से 6 स्टेशनों पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है । कैरा जिले के 30 पुलिस स्टेशनों में से 24 स्टेशनों पर टलीफोन सुविधा उपलब्ध है । इन दो जिलों के बाकी पुलिस स्टेशनों पर टेलीफोन सुविधा देने के प्रस्तावों पर विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार मांग प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा । अभी तक इन बाकी पुलिस स्टेशनों में से किसी भी स्टेशन पर टेलीफोन सुविधा देने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गुजरात राज्य में डाक तथा तार कर्मचारी और उनके लिये आवास की व्यवस्था

9617. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **सूचना तथा प्रसारण** और **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कुल कितने डाक तथा तार कर्मचारी हैं ;

(ख) उनमें से कितनों को क्वार्टर दिये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार उन कर्मचारियों को भत्ते देती है जिनको क्वार्टर नहीं दिये गये हैं और यदि हां, तो वे किस प्रकार के हैं और कितनी धन राशि दी जाती है ; और

(घ) सरकार शेष कर्मचारियों को क्वार्टर देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 20050.

(ख) 1322

(ग) जी हां, कुछ श्रेणियों के स्थानों पर, कर्मचारियों को नीचे दिये गए अनुसार मकान किराया भत्ता दिया जाता है —

शहर की श्रेणी	मासिक वेतन	भत्ते की दर
ए और बी–1	100 रु० से कम	15 रुपये ।
	100 रु० से 3000 रु० तक	वेतन का 15 प्रतिशत, किन्तु कम से कम 20 रु० और अधिक से अधिक 300 रु०
बी–2	100 रु० से कम	वेतन का 10 प्रतिशत ।
	100 रु० और उससे अधिक	वेतन का 10 प्रतिशत किन्तु कम से कम 15 रु० और अधिक से अधिक 300 रु० ।
सी	620 रु० से कम	वेतन का 7-1/2 प्रतिशत, किन्तु कम से कम 7 रु० 50 पैसे ।
	620 रु० और उससे अधिक	उतनी रकम जिसे वेतन में जोड़ने से यह 665 रुपये हो जाए ।

अवर्गीकृत स्थानों पर काम करने वाले जिन कर्मचारियों को आवास की सुविधा नहीं दी जाती, उन्हें कोई मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता ।

(घ) महत्वपूर्ण और बड़े शहरों में कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं और अहमदाबाद में टेलीफोन जिले के कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त कालोनी का निर्माण विचाराधीन है ।

समाचार भारती के लिये पूर्वी जर्मनी की सरकार को समाचार एजेन्सी का धन

9618. श्री मृत्युंजय प्रसाद :

श्री स० च० सामन्त :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री 23 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7350 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी जर्मनी की सरकार के समाचार एजेंसी का नाम "ए० डी० एन०" है ;

(ख) क्या "ए० डी० एन०" एक सरकारी कम्पनी "समाचार-भारती" को निःशुल्क समाचार सेवा के अलावा 2,500 रुपये प्रतिमाह भी दे रही है ;

(ग) "ए० डी० एन०" क बारे में 23 अप्रैल, 1970 को दिय गये उत्तर क स ब ध में परस्पर विरोधी वक्तव्य देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या समाचार भारती के सेटेका और तानजूग के साथ करारों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जबकि समाचार भारती को "ए० डी० एन०" से निःशुल्क समाचारों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है, उनसे ऐसा कोई सहायता करार नहीं है जो सामान्य रूप से वित्तीय लेन देन से सम्बन्धित हो : इसलिए कथन में कोई विरोध नहीं है ।

(घ) भारतीय एजेन्सियों तथा विदेशी एवं अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के बीच हुए विभिन्न करारों की प्रतियां सदन की मेज पर रखना सम्भव नही है क्योंकि ये गोपनीय समझी जाती हैं। समाचार एजेन्सियों का यह विचार है कि करार निजी मामले होने के कारण इन्हें सार्वजनिक दस्तावेज बनाना उचित नहीं होगा ।

बिना अधिकार सेटेका की किरण-वर्षियों (बीम) का प्रेषण

9619. श्री मृत्युंञ्जय प्रसाद : क्या **सूचना तथा प्रसारण** और **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्रपार संचार सेवा-डाक तथा तार बिना अधिकार प्राप्त किये सेटेका की किरण-वर्षियों (बीम) को प्राप्त करके उनका प्रेषण कर रहे हैं ; और

(ख) क्या चेकोस्लावाकिया तथा सेटेका ने एक भारतीय सरकारी कम्पनी द्वारा संचार विभाग की सांठगांठ से इस चोरी के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) : "सेटेका" प्रसारणों का रूप अनेक-पतों-वाले-प्रेस-प्रसारणों जैसा होता है जिन-का संग्रहण उनमें रुचि रखने वाले विदेशी स्थित प्रैस/समाचार एजेन्सियों द्वारा बिना किसी औप-चारिक प्राधिकरण के किया जा सकता है । "सेटेका" के प्रेस प्रसारणों के संग्रहण की व्यवस्था समाचार भारती के अनुरोध पर, विदेश संचार सेवा द्वारा, सामान्य वाणिज्यिक शर्तों पर की जाती है । विदेश संचार सेवा को, कहीं से भी, विदेश संचार सेवा द्वारा "सेटेका" प्रसारणों के संग्रहण के विरुद्ध, कोई विरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

Imposition of application fees for Telephone Connection

9620. **Shri Shashi Bhushan**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communication** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6406 on the 16th April 1970 regarding representation received against imposition of application fee for telephone connection and state :

(*a*) Whether it is a fact that letters have been sent to all those persons whose names are already in the waiting list for depositing the application fees for telephone connections ;

(*b*) if so, the last date fixed for depositing fees ; and

(*c*) if these letters have not been sent to all persons, the time by which these letters will be sent and the time that will be given to them for depositing the said fees; ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (*a*) Yes, except at Ahmedabad, Bombay and Delhi where the work has been only partially completed owing to the waiting lists being large.

(*b*) A period of three months is allowed from the date of issue of the letter informing each applicant on the waiting list to register his demand on the prescribed form.

(*c*) The waiting lists at Ahmedabad, Bombay and Delhi are quite heavy and letters are being gradually issued in phases. The work is likely to be completed with in the next six months.

पोस्ट कार्डों के लिये स्थलीय डाक दरें

9621. श्री लोबो प्रभु : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पोस्ट कार्डों के लिए स्थलीय डाक दरों के बारे में 30 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8039 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाई डाक द्वारा तथा स्थलीय डाक द्वारा पोस्ट कार्डों को ले जाने पर आने वाले खर्चे का अनुमान क्या है ;

(ख) हवाई डाक तथा स्थलीय डाक के लिये अलग दरें रखने के क्या कारण हैं जबकि स्थलीय डाक जनसाधारण के लिये उपयुक्त रहेगी क्योंकि सामान्य पत्राचार में उन्हें जल्दी नहीं होती और क्या इसे डाक तथा तार बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा ; और

(क) क्या (1) हवाई डाक के स्थान स्थलीय डाक से खर्चे में कमी और (2) 1969 की दरों में वृद्धि से पहले जैसी की औसत के अनुसार यातायात में वृद्धि को राजस्व कमी के अनुमान के समय ध्यान में रखा गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1968-69 के वास्तविक खर्च के आधार पर पोस्टकार्ड ले जाने पर (जिसमें सम्भाल, परिवहन, वितरण आदि का खर्च शामिल है) आई अनुमानित लागत इस प्रकार है:—

हवाई जहा से	16.60 पैसे
स्थल मार्ग से	15.97 पैसे

(ख) पोस्टकार्डों के लिये कोई अलग अलग दरें निर्धारित नहीं की गई हैं, चाहे वे हवाई डाक से अथवा स्थल डाक से ले जायें जाएं। बचत उप-समिति की सिफारिशों पर डाक-तार बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

(ग) राजस्व में 6.47 करोड़ रुपये की कमी का जो अनुमान लगाया गया है, उसमें इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया है। कमी की रकम 1968-69 के आंकड़ों के आधार पर प्रश्न सं० 8039 के भाग (घ) में उल्लिखित धारणा के आधार पर की गई थी।

उपलब्ध क्षमता के अनुसार विमानों से छिड़काव

9622. श्री लोबो प्रभु : क्या खाद्य, तथा कृषि मंत्री छिड़काव करने वाले कृषि विमानों की बेकार क्षमता के बारे में 30 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8137 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब छिड़काव किया जाने वाला क्षेत्र कुल क्षमता का एक भाग स्वीकार किया जाता है तो गैर-मौसम के समय में विमानों को अन्य कार्यों जैसे घास तथा वन बीजों के छिड़काव के लिये प्रयोग में क्यों लाया जाता है ;

(ख) गत वर्ष कितने वन क्षेत्र में छिड़काव किया गया और क्या इसके फलस्वरूप अंकुरण का पता चला है; और

(ग) सरकार विमान द्वारा छिड़काव करने की क्षमता के अनुसार और वित्त की उपलब्धता अप्रयुक्त के अनुसार योजना क्यों नहीं बनाती जबकि विमान से क्षमता से अप्रयुक्त धन तथा कर्मचारियों के कारण हानि होती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पो० शिन्दे) : (क) और (ख) जहां तक केन्द्रीय कृषि विभाग की हवाई एकक का सम्बन्ध है इसके विमानों को गैर-मौसम में घास तथा वन बीजों के छिड़काव के लिए कभी प्रयोग में नहीं लाया गया। इस विषय में गैर-सरकारी प्रचालकों से जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) राज्य सरकारों और प्रचालकों के परामर्श से, चालू वर्ष में मौजूदा क्षमता के उपयोग के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। 1970-71 में स्थानिक क्षेत्रों में हवाई छिड़काव विषयक कार्य की नई योजना के अन्तर्गत 16 लाख एकड़ क्षेत्र आवृत्त करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, तामिल नाडु राज्य सरकार ने हवाई छिड़काव के अन्तर्गत 14 लाख एकड़ क्षेत्र लाने का एक कार्यक्रम तैयार किया है। अन्य राज्यों ने भी हवाई छिड़काव के अपने अस्थायी कार्यक्रम बताये हैं। इसके साथ साथ कपास क्षेत्रों में हवाई छिड़काव करने का भी प्रस्ताव है। यदि वे सब कार्यक्रम क्रियान्वित हो जाते हैं, तो आशा है कि हवाई छिड़काव की उपलब्ध क्षमता का चालू वर्ष में पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा।

दिल्ली के एक सिनेमा में अनियमित रूप से राष्ट्रगान का बजाना

9623. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या **सूचना तथा प्रसारण** और **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खन्ना टाकीज, (फिल्मिस्तान), पहाड़गंज, नई दिल्ली में कथाचित्रों के साथ समाचार दर्शन नियमित रूप से नहीं दिखाये जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रत्येक शो की समाप्ति पर राष्ट्रगान भी नियमित रूप से नहीं बजाया जाता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 30 अप्रैल, 1970 को शाम के शो में समाचार दर्शन नहीं दिखाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने सिनेमा मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है और क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि समाचार दर्शन तथा राष्ट्रगान सभी सिनेमाओं में दिखाये। बजाये जायें और यदि हां, तो राजधानी में गत तीन वर्षों में कितने और कौन कौन से सिनेमाओं को दोषी पाया गया और प्रत्येक को क्या दण्ड दिया गया ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) से (ग) जी, नहीं। दिल्ली प्रशासन को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) उपर्यूक्त उत्तर के कारण सिनेमाघरों के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। दिल्ली के सिनेमाघरों का निरीक्षण दिल्ली प्रशासन के मनोरंजन कर विभाग जिसको पिछले तीन वर्षों में राष्ट्र गान के गायन तथा स्वीकृत न्यूजरीलों को दिखाने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है, के कर्मचारियों द्वारा नियमितरूप से किया जाता है। तथापि, एक अस्थायी सिनेमा 'जय टाकीज' ने उनके ध्यान में यह बात लाई है कि राष्ट्रीय गान की प्रिंट उनकी मशीन में फंस जाने के कारण बेकार हो गई है। उन्होंने फिल्म प्रभाग, बम्बई से एक नई रोल भेजने के लिये प्रार्थना की है और जब तक उनको वह रील नहीं मिल जाती तब तक उन्होंने राष्ट्र गान के गायन में अपनी असमर्थता प्रकट की है।

आकाशवाणी द्वारा दिल्ली तथा कलकत्ता स्टेशनों से समाचारों तथा प्रेस के विचारों की समीक्षा का प्रसारण

9624. श्री सरदार अमजद अली : क्या **सूचना तथा प्रसारण** और **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के दिल्ली तथा कलकत्ता स्टेशन समाचारों तथा प्रेस में व्यक्त विचारों की नियमित समीक्षाएं प्रसारित करते हैं ;

(ख) क्या सरकार वर्ष 1969-70 में इन दो स्टेशनों से ऐसी लिपियों का अंशदान करने वाले ऐसे समीक्षकों टिप्पणकारों के नाम तथा उन्हें दी गई राशियां बताने वाला एक विवरण प्रस्तुत करेगी ;

(ग) क्या मार्च 1970 में दिल्ली से प्रसारित लिपियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ; और

(घ) क्या इन समीक्षाकारों तथा इन साप्ताहिक समीक्षाओं को किस्म/प्रकार में सुधार करने की कोई गुंजाइश है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3509/70)

(ग) सामग्री एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(घ) किसी भी कार्यक्रम में सुधार करने की गुंजाइश हमेशा ही रहती है । यह एक सतत प्रक्रिया है । इस कार्यक्रम में सुधार करने के बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

यूनाइटड न्यूज़ आफ इण्डिया का समाचार भारती से विलय

9625. श्री सरदार अमजद अली : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री समाचार भारती के बारे में 23 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7314 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार भारती और यूनाइटेड न्यूज़ जैसे समाचार अभिकरणों को वित्तीय कमजोरियों का पता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यूनाइटेड न्यूज़ आफ इण्डिया का समाचार भारती के साथ विलय करवाने में पहल करने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्मालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) समाचार एजेन्सियां स्वतन्त्र हैं तथा इस मन्त्रालय का उनके संचालन पर कोई नियन्त्रण नहीं है । अत: किन्हीं दो या अधिक समाचार एजेन्सियों का विलय करवाने के बारे में सरकार की ओर से कोई पहल करने का प्रश्न न हीं है ।

बन्द हो गये उपक्रमों में औद्योगिक विवाद के बारे में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण धनबाद का निर्णय

9626. श्री के० रमानी :

श्री गणेश घोष :

श्री मुहम्मद इस्माइल :

श्री पी० राममूर्ति :

श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद के कथित

निर्णय की ओर दिलाया गया है कि किसी ऐसे उपक्रम के बारे में जो बन्द हो गया है ; कोई भी औद्योगिक विवाद उत्पन्न नहीं हो सकता ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का सारांश क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्णय की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । (ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3510/70)

(ग) निर्णय विचाराधीन है ।

जापान और पूर्वी जर्मनी के दूतावासों क प्रकाशन

9627. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जर्मनी और जापान के दूतावासी द्वारा, अलग-अलग, प्रकाशित किये जाने वाले पत्रिकाओं और समाचारपत्रों की कुल परिचालन संख्या कितनी है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है--

क्रम संख्या	किसके द्वारा प्रकाशित	प्रकाशित पत्रिकाओं की संख्या	1969 के दौरान कुल परिचालन संख्या
(1)	जापान का दूतावास	1	86,400
(2)	*जर्मन जनतात्रिक गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि	6	35,195

वृत्त फिल्मों का निर्यात

9628. श्री दण्डपाणि :

श्री मयावन :

श्री नि० र० लास्कर :

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वृत्त फिल्मों के निर्यात को बढ़ाने के लिये भरपूर प्रयत्न करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों में पसन्द की जाने वाली फिल्मों का चयन करने के लिये क्या कसौटी अपनाई जायेगी ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में विदेशी फिल्म विशेषज्ञों की राय पर विचार कर लिया गया है ?

*जर्मन के जनतांत्रिक गणराज्य का भारत में कोई दूतावास नहीं है ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु गुजराल) :

(क) डाकुमेन्ट्री फिल्मों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) निर्यात के लिये केवल ऐसी डाकुमेन्ट्री फिल्में चुनी जायेंगी जो विदेशों में प्रचारार्थ उपयुक्त समझी जाएं तथा जो विदेशी श्रोताओं में लोकप्रिय सिद्ध हो सकें।

(ग) जी, हां।

Providing Food to Poor

9629. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) Whether Government are aware that there are still certain people in the country who pick up the grains from the cow-dung and eat them; and

(*b*) if so, whether Government would conduct a survey in respect of such persons and make efforts to help in providing food to them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (*a*) No, Sir.

(*b*) Does not arise.

Workers killed in Stone Quarry near Badarpur, Delhi

9630. **Shri Ramavatar Shastry :**
Shri B. K. Daschowdhury :
Shri Ramesh Chandra Vyas :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(*a*) Whether it is a fact that six workers were killed and some others were injured when a stone quarry in which they were working caved in on the 8th April, 1970 in village Phulpehladpur near Badarpur, Delhi;

(*b*) If so, the names of the persons killed and injured, separately;

(*c*) whether it is also a fact that the contractors of the quarry did not even inform the Police and left the site of the accident hurriedly; and

(*d*) if so, the action taken by Government against those contractors ?

Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Sri D. Sanjivayya) :

(*a*) Yes.

(*b*) Names of the persons killed—

1. Shri Ram Singh
2. Shrimati Ram Dhakeli
3. Shri Nawal
4. Shri Ganga Ram
5. Shri Tota
6. Shri Kishore

Name of the person injured—

1. Shrimati Shammo.

(*c*) Yes.

(*d*) A case was registered by the Delhi Police under section 304A/34 of I.P.C. against the contractors concerned and they were taken into custody. Their permit has been suspended.

खदान मजदूरों की सेवा की शर्तें

9631. श्री रामावतार शास्त्री :

श्री बे० कु० दासचौधरी :

श्री रमेश चन्द्र व्यास :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खदान मजदूरों की सेवा की शर्तों का संचालन करने के बारे में कोई नियम नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार खदान के ठेकेदारों के असहायक रवैये को ध्यान में रखते हुए खदान की ठेका-पद्धति को समाप्त करने का है ; और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) जी, नहीं । औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 तथा खान अधिनियम, 1952 अन्य स्थानों के साथ साथ, पत्थर खदानों में लागू होते हैं ।

(ग) ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) विधेयक, 1967 पहले से ही सभा के समक्ष है ।

ट्रैक्टर कारखाना स्थापित करने के लिये राजस्थान को ऋण

9632. श्री नन्द कुमार सोमानी :

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र से कुछ ऋण लेकर राज्य में एक ट्रैक्टर कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ऋण दिया गया है और कारखाना कब तक स्थापित हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य कृषि-उद्योग निगम ने फ्रांस के सहयोग से राज्य में ट्रैक्टर का कारखाना स्थापित करने के लिये एक प्रार्थनापत्र दिया है । यह प्रार्थनापत्र सरकार के विचाराधीन है । इस परियोजना में धन लगाने के लिये ऋण की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण संस्थाओं में आहार कार्यक्रमों सम्बन्धी परियोजनाए

9633. श्री दे० अमात : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हाल ही में भारतीय परियोजनाओं की स्वीकृति दी है जिनमें शिक्षा तथा समाज कल्याण संस्थाओं में आहार संबंधी कार्यक्रमों पर विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा 170 लाख डालर से अधिक धन राशि व्यय की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1970 के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कुल कितनी राशि की सहायता देने की स्वीकृति दी है और विभिन्न राज्यों में उसका वितरण किस प्रकार किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। विश्व खाद्य कार्यक्रम की अन्तर्सरकारी समिति ने 6 से 15 अप्रैल, 1970 तक न्यूयार्क में हुये अपने 17वें अधिवेशन में शैक्षणिक तथा सामाजिक कल्याण संस्थाओं के खाद्य कार्यक्रम से सम्बन्धित तीन परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी है, जिसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम की लगभग 19,936,000 अमरीकी डालर की सहायता मिलेगी ।

(ख) तीन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण 'क' में दिये गये हैं ।

(ग) योजनाओं के लिये जिस के रूप में सहायता का कुल मूल्य 57,062,000 अमरीकी डालर होगा, जिसके लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। यह राशि करारों पर हस्ताक्षर होने की तिथी से तीन से पांच वर्षों की अवधि में खर्च की जानी है। इसके अतिरिक्त, 32,180,000 अमरीकी डालर की जिसों की सहायता के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा 8 योजनाओं की पहले ही स्वीकृति दे दी गई है, लेकिन इन योजनाओं के लिये करारों पर हस्ताक्षर करने के लिये कुछ औपचारिकतायें पूर्ण की जानी हैं।

विश्व खाद्य कार्यक्रम अपनी सहायता का राज्य-वार आबंटन नहीं करता है। इसकी जिस सहायता इसको प्रस्तुत की गई परियोजनाओं के अनुसार होती है। काफी राज्यों में दुग्ध विपणन तथा डेरी विकास जैसी कुछ परियोजनायें इससे लाभान्वित होंगी और इसलिये परियोजनाओं की राज्यवार सूची देना सम्भव नहीं है ।

लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 9633 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण 'क'

सत्रहव अधिवेशन में निम्नलिखित तीन भारतीय परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया था।:—

(1) परियोजना संख्या ६१४ : मैसूर राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में पोषण कार्यक्रम

विश्व खाद्य कार्यक्रम उन्नत आहार के लिये परियोजना की 5 वर्ष की अवधि के दौरान 21,660 मीटरी टन गेहूं, 2,166 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और 2,166 मीटरी टन खाद्य तेल सप्लाई करेगा, जिस की अनुमानित लागत 5,562,000 अमरीकी डालर लगाई गई है । ये (क) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए सरकारी छात्रावासों के 17,000 वासियों, (ख) प्रमाणीकृत स्कूलों और रिमाण्ड होम्ज के 2,000 वासियों, (ग) 10,000 विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये मध्याह्न आहार, तथा (घ) 4,000 हाई स्कूल के छात्रों के मध्याह्न आहार के लिए दिया जायेगा ।

लगभग 19,000 फायदा पाने वाले वासियों, जो सरकारी छात्रावासों और प्रमाणीकृत स्कूलों और रिमाण्ड होम्ज के वासी हैं, को मूल आहार दिया जायेगा और उन्हें प्रतिदिन प्रति वासी 400 ग्राम गेहूं, 40 ग्राम सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और 40 ग्राम खाद्य तेल दिया जायेगा। इसके अलावा 50,000 फायदा पाने वालों को, जिन्हें मध्याह्न आहार प्राप्त होगा, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 200 ग्राम गेहूं, 20 ग्राम सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और 20 ग्राम खाद्य तेल दिया जायेगा।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कुल सरकारी लागत लगभग 1,853,778 अमरीकी डालर होगी जिसे मैसूर राज्य सरकार वहन करेगी।

(2) परियोजना संख्या ६१५ : महाराष्ट्र की शैक्षणिक और समाज कल्याण संस्थाओं में पोषण कार्यक्रम

विश्व खाद्य कार्यक्रम 36,087 मीटरी टन गेहूं, 4,254 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और 3,824 मीटरी टन खाद्य तेल, जिस पर अनुमानित लागत परियोजना की 5 वर्ष की अवधि के दौरान 9,523,000 अमरीकी डालर आयेगी, निम्न संस्थानों के वासियों को मूल आहार देने के लिये सप्लाई करेगा—

(क) वयस्क

(1) अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए बनाए गये छात्रावासों में रहने वाले 40,000 छात्र ;

(2) प्रमाणीकृत स्कूलों, रिमाण्ड होम्ज, इत्यादि के 9,000 निवासी ;

(3) शारीरिक रूप से अपंगों के लिए बनाए गये विशेष आश्रम स्थलों के 1665 वासियों।

(ख) बच्चे

(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े हुए वर्गों के लिए छात्रावासों में रहने वाले प्राइमरी के 13,000 छात्र ;

(2) शारीरिक रूप से अक्षमों के आश्रयस्थलों के 1100 अनाथ।

प्रतिदिन हर वयस्क को 400 ग्राम गेहूं, 40 ग्राम सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और 40 ग्राम खाद्य तेल दिया जायेगा। प्रतिदिन हर बच्चे को 200 ग्राम गेहूं, 50 ग्राम सप्रेटा दुग्धचूर्ण और 30 ग्राम खाद्य तेल दिया जायेगा।

इस परियोजना को लागू करने में कुल सरकारी लागत करीब 19.6 लाख अमरीकी डालर आयेगी, जिसको महाराष्ट्र राज्य सरकार वहन करेगी।

(3) परियोजना संख्या ६२० : मैसूर राज्य के गैर-सरकारी शैक्षणिक और समाज कल्याण संस्थानों को खाद्य सहायता

विश्व खाद्य कार्यक्रम 18,021 मीटरी टन गेहूं, 2,313 मीटरी टन सप्रटा दुग्ध चूर्ण और 1,802 मीटरी टन खाद्य तेल, जिस पर अनुमानित लागत परियोजना की 5 वर्ष की अवधि के दौरान 4,851,000 अमरीकी डालर आयेगी, निम्न स्थानों के वासियों को मूल आहार के रूप में देने के लिए सप्लाई करेगा।

(क) छात्रावासों में पिछड़ी जातियों के 8,500 छात्र ;

(ख) रिमाण्ड होम्ज और प्रमाणीकृत स्कूलों के 200 वासी ;

(ग) शारीरिक रूप से अक्षम 1,000 व्यक्ति; और

(घ) अनाथालयों के 20,000 अनाथ ।

बारह वर्ष से अधिक आयु के फायदा पाने वालों (15,700) को प्रतिदिन 400 ग्राम गेहूं, 40 ग्राम सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और 40 ग्राम खाद्य तेल का राशन दिया जायेगा । 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों (14,000) को 300 ग्राम गेहूं, 48 ग्राम सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और 30 ग्राम खाद्य तेल प्रतिदिन दिया जायेगा ।

इस परियोजना के कार्यान्वयन पर लगभग जो 1,939,698 अमरीकी डालर की सरकारी लागत होगी उसका वाहन मैसूर राज्य सरकार करेगी ।

भूमि सुधार के बारे में मांग

9634. श्री गार्डिलिगन गौड :

श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय किसान सभा ने शीघ्र भूमि सुधार करने के बारे में 1 मई 1970 को सम्पूर्ण देश में रैलों तथा प्रदर्शनों का आयोजन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) 1 मई, 1970 को अखिल भारतीय किसान सभा से तत्काल भूमि सुधारों की मांग के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

तिलहन के मूल्यों की पूर्व घोषणा

9635. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए तिलहन के मूल्यों की पूर्व घोषणा करने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) कृषि मूल्य आयोग को अनुरोध किया गया है कि वह 1970-71 के मौसम के लिये मूंगफली के न्यूनतम सहाय्य मूल्य निर्धारित करने की समस्या पर विचार करें । इस विषय में आयोग की रिपोर्ट, जिसमें उसकी सिफारिशें होंगी, शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

पंचायत प्रणाली की सफलता

9636. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में पंचायत प्रणाली लागू की गई है और वह वहां कितने वर्षों से चल रही है ;

(ख) क्या उनकी राय में यह प्रयोग सफल रहा है और क्या ग्रामीण लोग उसके परिणामों से सन्तुष्ट हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसकी असफलता के क्या कारण हैं और क्या राज्य सरकारें इसे समाप्त करने के पक्ष में हैं अथवा कायम रखने के ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री डा० ऐरिंग) : (क) सूचना संलग्न वक्तव्य में दी गई है ।

(ख) और (ग) पंचायती राज बहुत पुराना नहीं है और अभी सुदृढ़ भी नहीं हुआ है । जिन पंचायती राज संस्थानों को राज्य सरकारों द्वारा तुलनात्मक रूप में अधिक अधिकार तथा उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं वे स्त्रोतों के उपयोग और कार्यक्रमों को लागू करने में अधिक सफल रहे हैं ।

राज्य सरकारें पंचायती राज प्रणाली को बनाए रखने के पक्ष में है और उन्होंने समय समय पर पंचायती राज प्रणाली को प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का साधन माना है । इन में से कुछ का उदाहरण देने के लिये अभी हाल ही में मुख्य मंत्रियों तथा सामुदायिक विकास एवं पंचायत राज के भारवहक राज्य मंत्रियों के 1968 में हुए सम्मेलन तथा सामुदायिक विकास पर परामर्शदात्री परिषद का 1969 में हुआ सम्मेलन जिसमें मंत्रियों ने भाग लिया था, को लिया जा सकता है ।

फिर भी, देश में पंचायती राज संस्थानों के कार्य के निष्पक्ष मूल्याकन के लिये सरकार ने एक उच्च स्तरीय आयोग की स्थापना का निश्चय किया है स्वभावतः उस आयोग की जांच से पंचायत राज प्रणाली के गुण व अवगुण सामने आ जाएंगे ।

उन राज्यों के नाम जहां पंचायत प्रणाली लागू की गई तथा लागू किये जाने का वर्ष ।

राज्य का नाम	लागू किये जाने का वर्ष	टिप्पणी
1. आँध्र प्रदेश	1959	
2. तमिलनाडु	1959	
3. राजस्थान	1959	
4. आसाम	1960	
5. मैसूर	1960	
6. उड़ीसा	1961	
7. पंजाब	1961	
8. उत्तर प्रदेश	1961	
9. महाराष्ट्र	1962	
10. गुजरात	1963	
11. पश्चिम बंगाल	1964	
12. बिहार	1964	

1. जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा बनाई गई प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण समिति ने राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। वर्तमान परिस्थिति में जम्मु कश्मीर सरकार कृषि उत्पादन के ज़ोरदार कार्यक्रम में अधिक व्यस्त है और ग्रामीण प्रशासन के नवीन ढांचे के प्रति उदासीन है।

2. केरल में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था केरल पंचायत अधिनियम 1960 के अधीन की गई है। राज्य में उच्चस्तरीय पंचायती राज विकास सम्बन्धी विधान अभी तक नही बनाया गया।

3. पंचायती राज प्रणाली मध्य प्रदेश में प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

4. पंचायती राज प्रणाली रांची तथा भागलपुर ज़िले में अक्तूबर 1964 में तथा धनबाद ज़िले में 1965 में लागू की गई, तथा आशा है राज्य के शेष ज़िलों में तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली 1970 तक लागू हो जायगी।

5. नागालैंड के पारम्परिक क्षेत्रों में आदिम जातीय परिषदें जो कि पंचायती राज निकायों के समरूप ही मानी जाती हैं।

आगामी दस वर्षों में उर्वरक के विक्रय का सर्वेक्षण

9637. श्री देवकी नंदन पाटोदिया : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार आगामी दस वर्षों में उर्वरक के विक्रय के लिए बाज़ार की प्रवृति का सर्वेक्षण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार किस एजेंसी के माध्यम से सर्वेक्षण कराने का है; और

(ग) सर्वेक्षण प्रतिवेदन कब तक तैयार हो जायेगा और सर्वेक्षण के निर्देश पद क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) आगामी 10 वर्षों में उर्वरकों की बिक्री के बाज़ार रुख का सर्वेक्षण करने के लिए सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु उर्वरक उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली निकाय, भारतीय उर्वरक संस्था, भारतीय सांख्यिकी संस्था, कृषि अनुसंधान सांख्यिकी संस्था और राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ अनुसंधान परिषद् के सहयोग से अखिल भारतीय स्तर पर उर्वरक की मांग और विपणन के अध्ययन के कार्य में व्यस्त है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होते।

Imports of Foodgrains Under PL-480 Agreements

9638. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) the number of such agreements concluded under PL-480 under which foodgrains are to be supplied to India during 1970-71;

(*b*) the type, quantity and the price of the said foodgrains and the terms and conditions of the said agreements; and

(*c*) whether Government propose to import foodgrains in the form of loan during 1971-72 also?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation(Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b) An agreement under PL-480 was made on 13th October 1969, for supply, among other items, of wheat. After amendment, the agreement provides for supply of 27·49 lakh metric tons of wheat valued at $ 145·3 million. This wheat started arriving in January 1970 and upto the end of April 1970 a quantity of 14·06 lakh metric tons has arrived. The rest will all arrive before the end of 1970. The agreement provides for supply of 8·43 lakh metric tons of wheat under Local Currency Terms for which payment is made in rupees, and 19·06 lakh metric tons of wheat under Convertible Local Currency Credit Terms, for which payment is to be made in 31 instalments, the date of first instalment being 10 years after the date of last delivery of the commodity in the calendar year.

(c) It is proposed to stop concessional imports of foodgrains after 1971.

कर्मचारियों द्वारा छोटी बचत योजनाओं में धन लगाना

9639. श्री ए० श्रीधरन : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ करमुक्त बड़े व्यापारी तथा उद्योगपति भविष्य निधि का 50 प्रतिशत छोटी बचत योजनाओं और सरकारी ऋणों में लगाने के सम्बन्ध में मार्च, 1969 के केन्द्र के निदेशों को दृढ़ता से पालन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने बड़े नियोक्ताओं ने इस निदेश का उल्लंघन किया है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : कर्मचारी भविष्य निधि का प्रशासन, कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यायी बोर्ड द्वारा किया जाता है । भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है ।

(क) और (ख) मार्च, 1969 में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार भविष्य निधि में जमा धनराशि का कम से कम 50 प्रतिशत छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में लगाया जाना चाहिए और शेष राशि को लघु बचत योजनाओं, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों तथा राज्य सरकार द्वारा गारंटी कृत अन्य प्रतिभूतियों में । चूंकि छूट-प्राप्त प्रतिष्ठान भविष्य निधि में जमा राशि के निवेश के सम्बन्ध में नियमित रूप से सूचना नहीं भेजते, निवेश की निर्धारित पद्धति न अपनाने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या हर समय उपलब्ध नहीं है ।

(ग) इस प्रयोजन के लिए निर्धारित विवरणों और भविष्य निधि निरीक्षकों द्वारा किए गए सघन निरीक्षणों के द्वारा, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों का निवेश निर्धारित पद्धति के अनुरूप हो । यदि आवश्यक हुआ तो दंड उपबन्धों का सहारा लेना पड़ेगा तथा छूट रद्द करनी पड़ेगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार की क्षमता

9640. **श्री बलराज मधोक :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों में रोजगार की कुल क्षमता कितनी है और वास्तव में उनमें कितने व्यक्ति काम करते हैं।

(ख) पूंजी के प्रति दस लाख रुपयों के अनुपात में रोजगार क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या देश की औद्योगिक नीति को रोजगार प्रधान बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कुल नियोजन क्षमता के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध जानकारी जैसे की 31-3-69 को दी नीचे लिखे अनुसार है :—

केन्द्री सरकार के उपक्रमों में कुल पूंजी निवेश.....3902 करोड़ रुपए
कुल नियुक्ति अवसर.....5.98 लाख

(ग) और (घ) चौथी पंचवषीय योजना में श्रम प्रधान योजनाओं पर पर्याप्त बल दिया गया है। जिनमें अन्य बातों के साथ साथ ग्रामीण व लघु उद्योगों का विकास शामिल है। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में नियुक्ति अवसरों को जुटाने के प्रयत्नों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए योजना आयोग ने केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों/केन्द्र प्रशासित प्रदेशों को सुझाव दिया है कि वे, उन अवरोधक नीतियों को हटाने के लिए कारगर उपाय अपनावें, जिनसे नियुक्ति अवसर जुटाने की गति तेज करने में अड़चन आती हो। सुझाव दिया है कि, चौथी पंचवर्षीय योजना काल में उन कार्यक्रमों को लिया जाये, जिनसे अधिकतम् नियुक्ति अवसर जुटाये जा सकें/दरमियानें व छोटे दर्जे के उद्योगों के विकास पर अधिक जोर देने और कार्य-कुशलता व बचत को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त श्रमप्रधान तकनीक अपनाने और उद्योगों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराने के भी सुझाव हैं।

सरकारी उद्योग में वनस्पति तेल के लिए मशीनरी लगाना

9641. **श्री अब्दुलगनी डार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि जनता को निम्नतम दरों पर वनस्पति तेल उपलब्ध करने के लिये सरकार ने सरकारी क्षेत्र में वनस्पति तेल के लिये नवीन-तम मशीनरी लगाने का निर्णय किया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : सरकारी क्षेत्र में वनस्पति का कारखाना चालू करने का कोई भी विचार नहीं है।

मध्यस्थ निर्णय बोर्ड द्वारा रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों के विशेष वेतन में वृद्धि

9642. **श्री गाडिलिगन गौड :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की योजना के अधीन गठित मध्यस्थ निर्णय बोर्ड ने रेलवे डाक सेवा के कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के विशेष वेतन में वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त सलाहकार व्यवस्था और अनिवार्य पंच-निर्णय के अंतर्गत गठित मध्यस्थ निर्णय बोर्ड ने कर्मचारियों की ओर से पेश की गई यह मांग स्वीकार कर ली है कि रेल डाक सेवा लेखाकारों और सहायक लेखाकारों को, जो कि क्लर्क समयमान वर्ग (अर्थात रु० 110–240) के वेतनमान में हैं, दिया जाने वाला 30 रु० और 20 रु० का मौजूदा विशेष वेतन बढ़ा कर लेखाकारों और सहायक लेखाकारों के मामले में क्रमश: 35 रु० और 25 रु० मासिक कर दिया जाए । यह पंचाट 1 मई, 1970 से लागू होगा ।

उक्त पंचाट सरकार के विचाराधीन है ।

Re-Opening Of Industries in West Bengal

9643. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(*a*) Whether it is a fact that out of many industries that were closed in West Bengal under the last United Front Government rule, some factories have started working during the President's rule ; and

(*b*) if so, the number thereof and the number of workers given employment therein ?

The Minister of Labour, Employment & Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (*a*) and (*b*) The information is being collected and the same will be placed on the Table of the House, when received.

आसाम चाय बागानों में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भारतीय चाय एसोसिएशन की योजना सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन

9645. **श्रीमति ज्योत्सना चन्दा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या आसाम चायबागानों में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये भारतीय चाय ऐसोसिएशन की योजना सम्बन्धी जांच समति ने जो इसकी जांच करने के लिये नियुक्त की गई थी अपना कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं और इनको कब कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण, जिसमें भारतीय चाय संस्था जांच समिति द्वारा किया गया अवलोकन । सिफारिशें और उन पर की गई कार्यवाही दिखाई गई है, संलग्न है ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या नं० एल० टी० 3512/70)

1969-70 में प्रतिबन्धित की गई फिल्में तथा गाने

9646. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में आज तक राज्य वार कितनी फिल्मों पर तथा किन गानों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है; और

(ख) ऐसा करने के कारण क्या हैं ।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन के मेज पर रख दी जाएगी ।

आसाम में ग्रीष्म ऋतु में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों तथा शरद् ऋतु में खेती के लिए पानी के अभाव के बारे में अनुसन्धान हेतु धन का नियतन

9647. **श्री बेदव्रत बरूआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम जैसे क्षेत्रों की, जहां ग्रीष्म ऋतु में खेत बाढ़ग्रस्त रहते है परन्तु शरद् ऋतु में खेती के लिये पानी नहीं होता, समस्याओं का कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) क्या सरकार के अधीन किसी आयोग द्वारा ऐसे क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में कोई अनुसंधान कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कुल नियतन में से इस अध्ययन के लिये कितनी धन राशि रखी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जल प्रबन्ध अनुसन्धान को हाल ही के वर्षों में बड़ा महत्व प्राप्त हुआ है और यह नई दिशाओं की ओर अग्रसर हुआ है । फिर भी, जल निकास, सिंचाई और असम की प्रतिरूपक भूमि के जल प्रबन्ध को विभिन्न फसल सुधार योजनाओं में महत्व दिया जा रहा है और असम कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तीव्र किया जाएगा ।

(ख) जी हां । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् मृदा लवणता, सिंचाई जल निकास सम्बन्धी तथा जल प्रबन्ध के बारे में अनुसन्धान करने के लिए एक समन्वित योजना के क्रियान्वित कर रहा है । सिंचाई तथा जल उपयोग के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने हेतु जो 10 केन्द्र स्थापित होंगे उनमें से एक केन्द्र असम में होगा ।

(ग) सन् 1969–70 से 1973–74 तक के 5 वर्षों में इस योजना पर 78 लाख रुपये व्यय होंगे । इस केन्द्र पर लागत लगभग 3.25 लाख रुपये होंगी ।

तुर (अरहर) दाल की खेती

9648. श्री बाबू राव पटेल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम उपज तथा पकने की लम्बी अवधि के कारण तुर (अरहर) दाल की खेती अलाभप्रद होती जा रही है ;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि कोयम्बतूर के एक उद्योगपति वैज्ञानिक ने तुर (अरहर) दाल की अधिक उपज देने वाली एक बहुमूल्य किस्म का विकास किया है जिससे तुर का पौधा 15 फुट लम्बा पेड़ हो जाता है और यह आठ वर्ष तक रहता है तथा प्रतिवर्ष पर्याप्त उपज देता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां । अनाजों की अधिक उत्पादनशील किस्मों से प्रतिस्पर्धा के कारण 'तुर' की दीर्घकालीन किस्मों की खेती में कमी हुई है ।

(ख) और (ग) श्री जी० डी० नायडू द्वारा विकसित हुई 'तुर' की किस्म की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है । देश के अन्य भागों में परीक्षण करने के लिये इस किस्म के बीजों को उपलब्ध किया जा रहा है ।

1968-69 के दौरान उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का ट्रैक्टरों के आबंटन में अन्तर

9649. श्री बाबू राव पटेल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने 1967–68 में उत्तर प्रदेश को केवल 500 आयातित ट्रैक्टर दिये थे परन्तु 1968–69 में इस राज्य को 2035 आयातित ट्रैक्टर दिये हैं ;

(ख) एक ही वर्ष में इस असामान्य वृद्धि के क्या विशेष कारण हैं ;

(ग) मध्य प्रदश को 1967–68 तथा 1968–69 में वर्षवार कितने आयातित ट्रैक्टर दिये गये ; और

(घ) इन राज्यों के साथ अलग अलग व्यवहार किये जाने के क्या विशेष कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्द) :

(क) जी हां । फिर भी संशोधित नियतन के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य को उनकी 1968–69 की आवश्यकताओं की तुलना में केवल 1685 ट्रैक्टर मिलेंगे ।

(ख) 1967–68 की अवधि में, केवल 2,000 ट्रैक्टरों के आयात का निश्चय किया गया था, जबकि 1968–69 की अवधि में, 15,500 ट्रैक्टर आयात किये जाने थे । अतः यह देखने में आयेगा कि उत्तर प्रदश राज्य को किया गया आबंटन 1967–68 की तुलना में 1968–69 की अवधि में किये गये अधिक आयात के अनुपात में न था ।

(ग) 1967–68 की अवधि में, मध्य प्रदेश राज्य को ट्रैक्टरों का कोई आंबटन नहीं किया गया था । 1968–69 की अवधि में, 825 ट्रैक्टर आंबटित किये गये थे ।

(घ) विभिन्न राज्यों में स्थापित कृषि उद्योग निगमों द्वारा ट्रैक्टरों का आयात तथा वितरण किये जाने का निर्णय किया गया । क्योंकि 1967–68 की अवधि में मध्य प्रदेश राज्य में कोई कृषि उद्योग निगम स्थापित नहीं था, अतः उस राज्य को टैक्टरों का आंबटन नहीं किया जा सका ।

1968–69 की अवधि में निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए आंबटन किया गया था–

(1) राज्य कृषि उद्योग निगमों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, आदि की पंजीकृत सापेक्ष मांगे ।

(2) सम्बन्धित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक उत्पादनशील किस्मों का क्षेत्रफल ।

(3) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ट्रैक्टरों की वर्तमान संख्या ।

(4) सम्बन्धित राज्यों को पहले से ही आंबटित ट्रैक्टर ।

इन दो राज्यों में ट्रक्टरों की सापेक्ष मांग तथा अधिक उत्पादनशील किस्मों का क्षेत्र निम्न प्रकार था –

राज्य का नाम	कृषि उद्योग निगमों/राज्य सरकारों की सापेक्ष मांगे	अधिक उत्पादन-शील किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र
		एकड़ों (हजारों में)
मध्य प्रदेश	1,600	335
उत्तर प्रदेश	12,000	4,179

इससे स्पष्ट हो जायेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य की तुलना में मध्य प्रदेश राज्य की मांग तथा अधिक उत्पादनशील किस्मों का क्षेत्र सापेक्षतः बहुत कम है। अतः ट्रैक्टरों क आंबटन भी कम किया गया है, फिर भी, राज्य की 1969–70 की आवश्यकताओं के मुकाबले, ट्रक्टरों की पर्याप्त संख्या के आबंटन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

चम्पारन जिले में रामनगर डाकखाने से मनीआर्डर बांटने में विलम्ब

9650. **श्री कोलाई निरुआ :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के चम्पारन जिले में रामनगर डाकखाने से एक मनीआर्डर श्रीमती शान्ति बुई, ग्राम पन्ड्रासाली, डाकखाना-घाघरी, जिला सिंहभूमि, बिहार को 20 जून, 1967 को भेजा गया था परन्तु वह अभी तक न तो प्राप्तकर्त्ता को ही बांटा गया है और न प्रेषक को ही वापस भेजा गया है ।

(ख) यदि हां, तो क्या यह मामला 1 मई, 1969 को मंत्री महोदय को भी भेजा गया था, जिसके उत्तर में उन्होंने यह सूचना दी थी कि जांच-पड़ताल की जायेगी ; और

(ग) यदि हां तो क्या मामला अभी भी अनिर्णीत है और धन न तो प्रेषक को ही अदा किया गया है और न ही प्राप्तकर्त्ता को ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, मनीआर्डर संख्या 1719 रामनगर डाकघर से 20 जून, 1967 को जारी किया गया था वह रास्ते में गुम हो गया था तथा जनवरी, 1969 में भेजने वाले से शिकायत प्राप्त होने पर जाँच पड़ताल के बाद 16 जून, 1969 को मनीआर्डर की अनुलिपि जारी करके उसका भुगतान 23 जुलाई 69 को कर दिया गया था ।

(ख) जी हां, इस बारे में माननीय सदस्य का पत्र 1 मई 69 को प्राप्त हुआ था जिसकी पावती 6 मई, 69 को भेजी गई थी । 22 अगस्त, 69 को अन्तिम उत्तर भी भेज दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि मनीआर्डर की अनुलिपि जारी कर दी गई थी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Allegations against Postal Superintendent, Hoshiarpur

9651. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(*a*) whether Shri Balbir Singh, M.L.A., President of the Postal Union Hoshiarpur (Punjab) has levelled charges of corruption against the Postal Superintendent in his letter sent to Government on the 23rd March, 1970 ;

(*b*) If so, the action taken by Government thereon so far ; and

(*c*) whether it is a fact that no action has been taken against the Superintendent notwithstanding the fact that it has been proved that he indulged in corrupt practices ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b) Yes. The allegations were duly enquired into on receipt of complaints earlier.

(*c*) No Necessary action is being taken as advised by the Central Vigilance Commission and the Officer has already been placed under suspension.

Setting up of Soyabean based Industries

9652. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state whether the Food Corporation of India propose to set up soyabean based industries ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : A proposal to set up a plant for processing of soyabean into oil and edible flour is under consideration of the Food Corporation of India.

बृहद् कलकत्ता में मछली की सप्लाई की समस्या

9653. श्री समर गुह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में विशेषकर बृहद् कलकत्ता में मछली की सप्लाई की समस्या विकट हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या को मत्स्य क्षेत्रों के मालिकों, तथा उन मत्स्य क्षेत्रों के मालिकों जिनके मत्स्य क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है अथवा जिनको लूट लिया गया है, के परामर्श से समस्या को सुलझाने के लिये कार्यवाही करेगी ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या मछलियों की पैदावार को बढ़ाने तथा सरकारी मत्स्य क्षेत्रों के विस्तार के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी ;

(घ) क्या भारत के अन्य भागों तथा पूर्वी पाकिस्तान से भी पश्चिम बंगाल के लिये मछली प्राप्त करने के लिये नये प्रयास किये जायेंगे ;

(ङ) क्या सरकार उन तटीय, एम्चुअरी तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी परियोजनाओं के विकास के लिये, जिनकी पिछली संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन में केन्द्रीय सरकार की आश्वस्त सहायता के बावजूद उपेक्षा की गई थी, नये सिरे से प्रयास करेगी; और यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) सन् 1965 में पूर्वी पाकिस्तान से मछली का आयात बन्द होने से मांग की तुलना में मछली की सप्लाई में काफी कमी हो गई है । उचित कार्यवाही करने हेतु स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये सप्लाई स्थिति तथा राज्य में मछली पालन की नवीन प्रवृत्तियों का मूल्यांकन किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) पश्चिमी बंगाल के लिये अन्य राज्यों से भी मछली की सप्लाई होती है । परन्तु सप्लाई की मात्रा मूल रूप से उपलब्धि पर निर्भर है । चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मछली विकास के लिये कई उपाय किये जा रहे ह जिनके लिये 86.31 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। केवल पश्चिम बंगाल की चौथी पंचवर्षीय योजना में मछली विकास के कार्यक्रमों के अतिरिक्त रिक्लेमड खारी जल स्वाम्पों में मछली पालन के लिये केन्द्रीय सरकार की आदर्श योजना के बारे में परीक्षणात्मक कार्य चल रहे हैं जिनके लिये चौथी योजना में पचास लाख रुपये की व्यवस्था की गई

है । यदि यह योजना सफल होती है तो सुन्दरवन के इस त्यक्त स्वैम्प के महान क्षेत्र से होने वाले अतिरिक्त मछली उत्पादन का आर्थिक दृष्टि से बड़ा महत्व होगा । जहां तक पूर्वी पाकिस्तान से होने वाले आयात का सम्बन्ध है, स्थिति इस प्रकार है कि भारत सरकार ने मई 1966 से एकतरफा तौर पर कार्यवाही करते हुए पाकिस्तान से व्यापार करने के विषय में प्रतिबन्ध हटा दिया था और पाकिस्तान सरकार से व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में निरन्तर प्रयत्न किये गए हैं । पूर्वी पाकिस्तान से मछली आयात करना तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि पाकिस्तान सरकार भारत के साथ व्यापार प्रतिबन्ध हटाने के लिये सहमत नहीं होती ।

(ङ) तट पर मछली पकड़ने की योजना तथा यान्त्रिकृत नौकाओं के लिये बन्दरगाहों की व्यवस्था करने के विषय में पुनर्विलोकन किया जायेगा ताकि उचित कार्यवाही करने के बारे में विचार किया जा सके । जहां तक जलाशयों में मछली पालन के विकास का सम्बन्ध है, सुन्दरवन जलाशयों में समन्वेषी मछली के चालू कार्यों के अतिरिक्त चौथी योजना में इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है । यह कार्य चालू रहेगा । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये राज्य योजना में कोई व्यवस्था नहीं की गई है । फिर भी केन्द्रीय योजना के अधीन बंगाल की खाड़ी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विषय में शीघ्र ही सर्वेक्षण किया जायेगा ।

पश्चिम बंगाल में बटाईदारों की सुरक्षा

9654. श्री समर गुह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन के दौरान बटाईदारों तथा भू-मालिकों के बीच अनेक विवाद उत्पन्न हो गये थे ;

(ख) क्या अनेक मामलों में बटाईदारों ने विधिवत् भू-स्वामियों को उनका उचित भाग नहीं दिया था ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे विवादों के तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार बटाईदारों तथा उन लोअर मिडिल तथा मिडिल क्लास के भू-स्वामियों जिनकी रोजी उनकी भूमि की आय पर निर्भर है, के हितों की रक्षा के लिये कानूनी तथा उचित उपाय करेगी ; और

(ङ) इस मामले का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) पश्चिम बंगाल में बटाईदारों और भू-स्वामियों के बीच अनेक विवादों, बटाईदारों के हितों की रक्षा के अनिर्णीत प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए जून, 1969 में एक अध्यादेश की घोषणा द्वारा उनकी बेदखली रोक दी गई थी । बाद में अध्यादेश के उपबन्धों का स्थान राज्य की विधान सभा के एक अधिनियम ने ले लिया था ।

(ख) और (ग) बटाईदारों और भू-स्वामियों के बीच उपज के हिस्से के बारे में विवादों के विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) और (ङ) छोटे भू-स्वामियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बटाईदारों के हितों की रक्षा से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

पश्चिमि बंगाल में बलात्कार अधिकृत की गई भूमि के स्वामी किसानों को मुआवजा देना

9655. **श्री समर गुह :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि के वैध मालिकों को, विशेषकर उन निम्न, मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के किसानों को, जिनकी भूमि पर अन्य लोगों ने बलात कब्जा कर लिया है, तथा गत फसल का उचित तथा वैध भाग बटाई पर फसल उगाने वालों अथवा बलात् कब्जा करने वालों ने उन्हें देने से इन्कार कर दिया है, मुआवजा देने के बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ख) क्या ऐसे विवाद के सुलझ जाने तक उन किसानों के मामलों में निर्धारित कर कम कर दिया जायेगा जिनकी फसल को बलात् लूटा गया है अथवा बटाई पर फसल उगाने वालों के उनको वैध हिस्सा देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रश्न में उठाये गये मामलों के सम्बन्ध में और विशेषकर मुआवजे के मामले में सरकार ने अन्तिम रूप से क्या नीति निश्चित की है अथवा करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग) सरकार भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की समस्याओं पर विचार कर रही है ।

दिल्ली तथा अन्य स्थानों में डाक वितरण में विलम्ब

9656. **श्री लोबो प्रभु : क्या सूचना तथा प्रसारण** और संचार मंत्री 31 मार्च, 1970 के हिदुस्तान टाइम्स में श्री हरदीप सिंह चौधरी के पत्र के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है कि दिल्ली के जंगपुरा बस्ती के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में एक पत्र को सात दिन कैसे लगे ;

(ख) चूंकि पत्रों के वितरण के बारे में यह शिकायत आम है ; क्या सरकार दिल्ली सर्किल में कार्य प्रणाली के बारे में विशेष जांच करने का आदेश देगी ; और

(ग) चूंकि देश के अन्य भागों में भी पत्र देरी से पहुंचते हैं । क्या डाक के वितरण में विलम्ब न होने देने के लिये उच्च अधिकारियों द्वारा सभी स्तरों पर सामयिक आधार पर जांच करना आवश्यक नहीं है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग मे राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां । फिर भी जांच सफल नहीं रही क्योंकि शिकायत करने वाला वह लिफाफा पेश नहीं कर सका जिस का वितरण विलम्ब से होने की शिकायत की गई है ।

(ख) यह आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि समय-समय पर वितरण व्यवस्था की जांच करने का प्रावधान पहले ही मौजूद है । जब शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनको दूर करने के लिये हर संभव प्रयत्न किये जाते हैं ।

(ग) उच्च अधिकारियों द्वारा जांच अभी भी नियमों में निर्दिष्ट हैं और ये की भी जा रही हैं ।

कार्य के सामान्य समय के बाद इन्द्रा मार्केट, दिल्ली में दुकानों का खुला रहना

9657. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री कार्य के सामान्य समय के बाद इन्द्रा मार्केट, दिल्ली में दुकानों के खुले रहने के बारे में 28 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5255 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पत्र इन्द्रा मार्केट, दिल्ली के एक निवासी को उसके श्रम मंत्री को प्रेषित अभ्यावेदन के उत्तर में जारी किया गया था ; और

(ख) क्या यह सच है कि फल और सब्जी विक्रेताओं की दुकानें कभी भी रात को 8.30 बजे बन्द नहीं होती और 1 सितम्बर, 1969 से 30 अप्रैल, 1970 के दौरान इन्द्रा मार्केट के फल-विक्रेताओं और दुकान सं० 49, 50, 36, 66, 67, 68, 80 जो चौबीस घंटे खुली रहती हैं, व दुकानदारों के विरुद्ध कितने मुकदमें चलाये गये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) ब्यौरे के अभाव में, यह बताया गया है कि दिल्ली प्रशासन को ऐसे किसी पत्र की जानकारी नहीं है ।

(ख) जी, नहीं । फिर भी, जब दुकान बंद करने के समय कोई ग्राहक दुकानदार द्वारा निपटाया जा रहा हो तब 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है ।

1-9-69 से 30-4-70 की अवधि में इन्द्रा मार्केट के फल व सब्जी विक्रेताओं के विरुद्ध 53 मुकदमें दायर किए गए । इन्द्रा मार्केट में दिल्ली प्रशासन के निरीक्षकों द्वारा बार-बार निरीक्षण करने पर यह पता चला है कि जिन दुकानों का उल्लेख किया गया है उनमें से केवल दुकान नं० 50 ने दुकान बंद होने के समय के बाद काम किया और नियोजक के विरुद्ध दिल्ली दुकान व प्रतिष्ठान अधिनियम के अधीन मुकदमा चलाया गया ।

माधवपुर तथा मधुबनी के बीच टेलीफोन सम्पर्क

9658. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि माधवपुर (दरभंगा, बिहार) बिहार के मधुबनी सब डिवीजन में एक ब्लौक तथा पुलिस स्टेशन है, जिसे एक अलग जिला बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या माधवपुर को टेलीफोन से सीतामढी के साथ जोड़ा गया है और मधुबनी के साथ नहीं ;

(ग) यदि हां, तो क्या मधुबनी को बेणीपट्टी से होकर माधवपुर के साथ जोड़ने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) माधवपुर, बिहार के मधुबनी उप-डिवीजन में खंड मुख्यालय है । यहां एक पुलिस स्टेशन भी है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) माधवपुर का मधुबनी से सम्पर्क स्थापित करना इसका सीतामढ़ी से सम्पर्क स्थापित करने की अपेक्षा अधिक अलाभकर है । इसी से विभाग को काफी घाटा हो रहा है ।

दरभंगा जिले में सार्वजनिक टेलीफोन

9659. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या बिहार (दरभंगा जिला) में शहरघाट बाबू बारदू लौ कहा बाबूरी और सिंगिया में सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जायेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री श्री शेर सिंह : (क) बाबू बराही और लौकाहा में सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के प्रस्ताव की जांच करने पर इसे अलाभकर पाया गया है। वर्तमान नीति के अनुसार इन मामलों में घाटे को छूट नहीं दी जा सकती। फिर भी यदि इनमें दिलचस्पी रखने वाली कोई पार्टी विभाग को होने वाले घाटे की पूर्ति के लिए तैयार हो तो इन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोनघर खोले जा सकते हैं।

शहरघाट, सिंगिया और बाबूरी में सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

मनीआर्डरों के वितरण में विलम्ब

9660. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क): क्या मनीआर्डर द्वारा भेजे जाने वाल धन का निर्धारित समय-सीमा के अन्दर भुगतान सुनिश्चित करने के लिये नियमों अथवा विभागीय निदेशों में कोई व्यवस्था है, और

(ख) यदि हां, तो उसका उल्लंघन करने के कारण क्या कोई कार्यवाही की गई है और कितने मामलों में ऐसी कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं, निर्धारित समय-सीमा के भीतर मनीआर्डरों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था या नियम नहीं हैं। फिर भी कुछ मानदण्ड विहित है और कुल मिला कर उनका पालन किया जाता है।

(ख) ऊपर उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

पक्की सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

9661. श्री सीता राम केसरी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने उन कामों एवं मंडियों के बीच, जहां कृषक अपना कृषि उत्पाद बेचते हैं, पक्की सड़कों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) वर्ष 1969 में बिहार सरकार ने कोसी कमांड क्षेत्र में मंडियों तथा उप-मंडियों के विकास के लिये लगभग 29.00 लाख रुपये की लागत की योजनायें भारत सरकार को भेजी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने इन मंडियों को मिलाने वाली ग्रामीण सड़कों के विकास के लिये 42.40 लाख रूपये की लागत की योजनायें भी भेजी हैं। क्षेत्र विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत इन योजनाओं को शुरू करने के लिये अगस्त 1969 में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। राज्य सरकार को 1969-70 के दौरान 50.00 लाख रूपये तक खच करने का अधिकार भी दिया गया था।

अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने पर उन द्वारा 196-970 के दौरान जो रुपया व्यय किया गया था उसे 1970–71 के दौरान उन्हें वापिस कर दिया जायगा ।

राज्य सरकार ने अप्रैल, 1970 में सूचित किया है कि मंडियों के विकास के लिए उन्हें 1970-71 में 53.50 लाख रुपये की आवश्यकता होगी । राज्य सरकार से इनके ब्यौरे मांगे गये हैं ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोसी कमांड क्षेत्र में मंडियों तथा ग्रामीण सड़कों के विकास तथा सुधार के लिए 1.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा चुकी है ।

सुधरे बीजों की व्यवस्था करने के लिए राज्यों में बीज फारमों की स्थापना

9662. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कोई बीज फारम स्थापित किया जायेगा ;

(ख) क्या बिहार सरकार ने इस बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो वह प्रस्तावित बीज फारम कहां स्थापित किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) सन 1968 में बिहार की कोसी परियोजना के बीरपुर क्षेत्र में एक केन्द्रीय राजकीय फार्म की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया गया था । किन्तु इस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय राजकीय फार्मों के सम्बन्ध म किया गया वित्तीय प्रावधान इतना पर्याप्त न था कि विभिन्न राज्यों में फार्मों की स्थापना के लिये पहले स ही किये गये आश्वासनों के साथ साथ बिहार में भी एक फार्म स्थापित किया जा सके । बिहार सरकार ने बिहार में एक केन्द्रीय राजकीय फार्म की स्थापना के अपने अनुरोध को हाल ही में फिर दोहराया है । इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

Progress made in Installation of Transmitters

9663. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Arjan Singh Bhadoria :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the progress made in respect of installation of transmitters in the various parts of the country is not satisfactory and is lagging far behind the programme chalked out in this regard;

(*b*) if so, the extent of delay which took place in each case and the reasons for the delay ; and

(c) The action Government propose to take to accelerate the pace of progress in this regrad ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) to (c) Progress on the installation of transmitters is generally satisfactory except in the case of super power medium wave transmitter project at Rajkot which is behind schedule by about 16 months due to delay in the supply of equipment by M/s Invest Import of Yugoslavia. Necessary action for expediting the shipment of the equipment by the firm has been taken and the equipment is expected to be shipped by mid-May, 1970.

Irregularities in the Accounts of D. M. S.

9664. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri S. K. Tapuriah :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that numerous serious irregularities have been detected in the accounts and stocks and stores of the Delhi Milk Scheme in the course of their recent audit ;

(*b*) if so, the details thereof ; and

(*c*) the action taken against the officers found responsible for those irregularities ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Shri Annasaheb Shinde): (a) Physical verification of stocks of Delhi Milk Scheme conducted from January 1970 onwards has revealed that out of 1,733 items checked so far, discrepancies have been found in 161 items excesses in 95 items and shortages in 66 items. In respect of two items relating to skim milk powder and butter for which excesses were inter alia, discovered further investigation revealed a possible mis-appropriation of 13,830 kgs. of skim milk powder of the value of about Rs. 22,820/-. In respect of butter sold from the all-day milk stall of Central Dairy further investigation revealed the presence of 36 unauthorised packets of butter of 250 gms each and shortage of cash to the extent of Rs. 355·66 p.

(*b*) A statement giving details of 66 items in which shortages have been noticed is attached as Annexure I. [Placed in Library. See No. L 73513/70].

(*c*) One Storekeeper and one Store Clerk connected with alleged irregularities in respect of skim milk powder, have been suspended and the case has been referred for investigation to the Central Bureau of Investigation. The services of a senior Depot Agent who was incharge of the All-Day Milk Stall connected with alleged pilferage and sale of table butter, have been terminated and a sum of Rs. 239·08 has been recovered. The action to be taken against others involved is being considered. The discrepancies brought out in physical verification of stores is under reconciliation. The Government have viewed with concern these irregularities and have decided to get a special phsycial verification of stores done under the supervision of an officer deputed by the Comptroller and Auditor General of India.

Gandhi Post Cards and Inland Letters

9665. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that post cards and inland letters were printed on the occasion of the Centenary of Mahatma Gandhi bearing his photograph, which are still in vogue in Post Offices though a considerable time has since elapsed ;

(*b*) whether it is also a fact that the purchasers do not want them as it is not possible to write on their one fourth portion;

(*c*) if so, whether Government contemplate to reduce their prices keeping in view the difficulties of the purchasers ; and

(*d*) the number of the remaining such post cards and inland letters ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) (*a*) Yes.

(*b*) and (*c*) Some complaints of this nature have been received but these pictorial stationeries have been brought out in limited quantities as commemorative ones and are being sold along with the existing postcards, inland letter cards and aerogrammes. The question of reducing of the price of such postal stationery is not contemplated.

(*d*) The information is being collected and will be placed on the table of the Lok Sabha.

लद्दाख में फसलों तथा वनस्पति के उत्पादन में वृद्धि

9666. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लद्दाख में किये गये फसल आरम्भिक प्रयोगों के आधार पर फलों तथा सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : लद्दाख में फलों और सब्जियों के विकास के लिए जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए जा रहे हैं :

1. फलोद्यानों की स्थापना के लिए 2000 रूपए प्रति एकड़ की दर से लम्बी अवधि के ऋण दिए जा रहे हैं ।

2. सफ़ल किस्मों की अपेक्षित पौद्यरोपण सामग्री की सप्लाई के लिए फल नर्सरियों की स्थापना करना ।

3. फलोद्यानों, पौध रक्षण आदि के लिए तकनीकी सहायता की व्यवस्था करना ।

4. प्रगतिशील उत्पादकों के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के दौरों का आयोजन करना ।

5. उत्पादकों को सप्लाई हेतु चुनिंदा किस्मों के सब्जियों के पौधों के उत्पादन के लिए थिकसी फार्म में ग्लास हाऊस का निर्माण करना ।

6. सुरक्षा सेनाओं को सब्जियों और आलुओं की सप्लाई के लिए एक सहकारी समिति का गठन करना ।

Failure of Trunk Telephone Lines in Hoshangabad Circle, Madhya Pradesh

9667. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(*a*) the number of times the trunk telephone lines remained out of order during the last year in Hoshangabad Circle (Madhya Pradesh) and period for which the lines remained out of order each time; and

(*b*) the causes thereof and the measures adopted to improve the working of trunk system?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (*a*) and (*b*) The information is being collected and will be placed on the Table of the Lok Sabha.

Application of E.P.F. Scheme to Labour in Beedi Industry in Madhya Pradesh

9668. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of workers working in the beedi industry in Madhya Pradesh;

(*b*) the number of those beedi factories in which 20 or more workers are working;

(*c*) whether the Employees' Provident Fund Scheme is applicable to them; and

(*d*) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (*a*) and (*b*) According to the Survey Report submitted by the Employees Provident Fund Organisation, in Madhya Pradesh as on the 31st July, 1969, there were 206 establishments engaged in the manufacture of beedi employing 20 or more persons and the total number of employees employed in these establishments was 8,601.

(*c*) and (*d*) The Employees Provident Funds Act, 1952, is not at present applicable to the beedi factories. The question of extending the Act to beedi industry is under consideration in consultation with the interests concerned.

Commemorative Stamp on Shri Jai Narayan Vyas of Rajasthan

9669. Shri Naval Kishore Sharma : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state whether Government will consider the question of issuing commemorative stamp in the memory of late Shri Jai Narayan Vyas of Rajasthan?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : The proposal to issue a commemorative stamp in honour of late Shri Jai Narain Vyas was considered by the Philatelic Advisory Committee in its meeting held on 14-4-1970 and the Committee recommended that the proposal may be considered on the occasion of the 10th death anniversary of Shri Vyas in 1973.

अधिक क्षेत्र में सोयाबीन की खेती

9670. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में सोयाबीन की खेती बढ़ाने के बारे में कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितना अतिरिक्त उत्पादन होने की आशा है और

(घ) योजना कब क्रियान्वित की जायगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) । (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ) 1970-71 के दौरान लगभग 30,000 हैक्टर भूमि में सोयाबीन की खेती करने का प्रस्ताव है जिससे अनुमानत: 30,000 मीटरी टन उपज प्राप्त होगी । रोगाण्विक खेती तथा विपणन प्रबन्धों के साथ साथ उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है ।

भारतीय खान तथा मज़दूर संघ द्वारा कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का अनुरोध

9671. श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री गाडिलिंगन गौड : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान तथा मज़दूर संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि कोयला मजूरी बोर्ड की सब सिफारिशों को शीघ्रता से क्रियान्वित किया जाये ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) इंडियन नेशनल माइन्स वर्कस फेडरेशन ने सरकार से उत्पादन योजना शुरू करने, कोयला खान बोनस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम उपस्थिति अर्हता समाप्त करने और केन्द्रीय भर्ती प्रणाली का उन्मूलन करने के सम्बन्ध में कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के लिए अविलम्ब कार्यवाही करने का आग्रह किया है । इस मामले पर कोयला, खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति की पिछली बैठक में विचार किया गया और स्थिति इस प्रकार है :–

(i) **उपदान योजना :** सरकार ने उपदान योजना की आवश्यकता को सिद्धान्त रूप में पहले से ही स्वीकार कर लिया है । इस मामले में विधान बनाना शामिल है और इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्रालयों / विभागों के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है ।

(ii) **उपस्थिति बोनस :** उपस्थिति बोनस की अदायगी के लिए न्यूनतम उपस्थिति पर अर्हता को समाप्त करने के प्रश्न पर संबंधित विभागों का परामर्श लेकर विचार किया जा रहा है ।

(iii) **केन्द्रीय भर्ती संगठन :** नियोजक केन्द्रीय भर्ती संगठन का उन्मूलन करने के लिए पहले ही सहमत हो गये हैं और संयुक्त कार्यकारी समिति (खनन एसोशिएशनों की) से आगे कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना कर दी गई है ।

जहां तक सरकार द्वारा स्वीकृत मंजूरी बोर्ड की अन्य सिफारिशों का सम्बन्ध है, वे 329 कोयला खानों द्वारा लागू कर दी गई हैं, जिनमें लगभग 78 प्रतिशत श्रमिक काम करते हैं ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने वाले प्रेस सूचना ब्यूरो के नये कार्यालयों के संचालन पर व्यय

9672. श्री वी० नरसिम्हा राव : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री पिछड़े क्षेत्रों में प्रेस सूचना ब्यूरो के कार्यालय के बारे में 9 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 923 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने वाले प्रेस सूचना ब्यूरो के नये कार्यालय के संचालन पर अनुमानत: कितना खर्च होगा ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): लगभग 18 लाख 50 हज़ार रुपये (17 लाख 70 हज़ार रुपये आवर्ती तथा 80 हज़ार रुपये अनावर्ती)

प्रादेशिक सिनेमा के अंशदान के बारे में विचार गोष्ठी

9673. श्री वी० नरसिम्हा राव : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक सिनेमा के अंशदान, विशेषकर भारतीय फिल्म उद्योग में मलयालम सिनेमा द्वारा उच्च स्तर को प्रोत्साहन देने के बारे में हुई विचार-गोष्ठी में, कच्ची फिल्मों के आयात पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने की मांग की गई है ;

(ख) क्या विचार-गोष्ठी में दी गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये दिल्ली मलयाली संघ ने केन्द्रीय विधि मन्त्री को अध्यक्षता में एक स्थायी समिति की स्थापना की है; और

(ग) इस बारे में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ग) जी, हां। केरल दर्पन सोसाइटी के अध्यक्ष से ठोस प्रस्ताव भेजने का निवेदन किया गया है और जैसे ही वे मिलेंगे, उन पर विचार किया जाएगा ।

(ख) दिल्ली मलयाली एसोसिएशन को एक स्थायी समिति बनाई गई है जिसमें श्री पनापिल्ली गोबिन्द मेनन समेत कई संसद सदस्य शामिल हैं ।

पंजाब और हरियाणा में अच्छी किस्म के चावल का उत्पादन

9674. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब तथा हरियाणा में उत्पन्न कुछ अच्छी किस्म का चावल विदेशों को निर्यात करने के योग्य है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक उसका वास्तव में निर्यात किया गया है और अब तक कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है ; और

(ग) पंजाब तथा हरियाणा में इस प्रकार के अच्छी किस्म के चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है और वर्ष 1971 में इसका कितना उत्पादन होने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) पंजाब तथा हरियाणा में उत्पादित बढ़िया बासमती चावल का निर्यात किया जा रहा है । नवम्बर, 1962 से जब बासमती चावल का निर्यात करने का निर्णय किया गया था तब इन निर्यातों से अप्रैल, 1970 तक लगभग 648.85 लाख रुपयों के मूल्य की विदेशी मुद्रा कमाई हुई है ।

(ग) बासमती की एक किस्म तैयार करने के लिये अनुसन्धान किया जा रहा है जो कि अधिक उपज देने वाली तथा अपेक्षाकृत थोड़ी अवधि में पैदा होने वाली होगी । पंजाब और हरियाणा में 1971 में बासमती के उत्पादन का अनुमान देना इस अवस्था में सम्भव नहीं है ।

1970 में चावल का उत्पादन और उसकी आवश्यकता

9675. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री काशी नाथ पाण्डेय :
श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में देश में चावल का कितना उत्पादन होने का अनुमान है और उसकी कितनी आवश्यकता है ; और

(ख) क्या इनके बीच कोई अन्तर है और यदि हां, तो उक्त अन्तर की पूर्ती करने और उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) वर्ष 1969–70 के चावल के उत्पादन ठीक अनुमान जुलाई अगस्त, 1970 में उपलब्ध होंगे । मौसम तथा फसल की हालत मे सम्बन्धित अच्छी रिपोर्टों के आधार पर, 1969–70 के दौरान, चावल का उत्पादन गत वर्ष के 397.6 लाख मीटरी टन के उत्पादन से अधिक होने की सम्भावना है ।

खपत के किसी वृहत् तथा वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अभाव में और यह वास्तविकता देखते हुए कि चावल मांग कुछ हद तक परिवर्तनशील होने के कारण, जो कि चावल तथा अन्य पूरक खाद्य-पदार्थों की उपलब्धता, उनकी तुलनात्मक कीमतों, आय के स्तर, जनसंख्या की वृद्धि, शहरीकरण आदि बातों पर निर्भर करते हैं , वर्ष 1970 के दौरान देश में चावल की मांग के ठीक परिमाणत्मक अनुमान तैयार करना सम्भव नहीं है । उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1970 के लिये चावल के उत्पादन तथा मांग का सम्भावित अन्तर का ठीक अनुमान बताना कठिन है । यद्यपि, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में, आत्म निर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से, देश में चावल तथा अन्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने कई कदम उठाए हैं । इनमें धान तथा अन्य फसलों की अधिक उत्पादनशील किस्मों को शुरू करना, बहु फसल कार्यक्रम, सुधरी हुई कृषि प्रणालियों को शुरू करना तथा उर्वरक, ऋण, आदि की बढ़ी मात्रा में आपूर्ति करना सम्मिलित है ।

उड़ीसा में सहकारी क्षेत्र में चीनी और मशीन से धान कुटने सम्बन्धी उद्योगों की स्थापना

9676. श्री दे० अमात : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने 1970–71 और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में सहकारी क्षेत्र में छोटे और माध्यमिक स्तर के चीनी और मशीन से धान कूटने तथा अन्य उद्योगों के विकास के लिये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सहकारी क्षेत्र में प्रत्येक उद्योग में कितनी औद्योगिक क्षमता का सृजन किया जायेगा ; और

(ग) उक्त प्रयोजन के लिये यदि केन्द्रीय सहायता मांगी गई है तो कितनी सहायता मांगी गई है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डा० एरिंग): (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से 1970–71 के दौरान और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र में छोटे तथा माध्यमकि स्तर के चीनी औरमशीन से धान कूटने तथा दूसरे उद्योगों के विकास के लिये कोई विशिष्ट कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, 1970–71 के लिये सहकारिता के वार्षिक योजना के मसौदे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया है , और जो हाल में प्राप्त हुआ है, मैं कृषि-उद्योगों के लिये निम्न परिव्ययों का सुझाव दिया गया है ।

	(लाख रु० में)
(1) बारगढ़ सहकारी चीनी कारखाने को अतिरिक्त अंशपूंजी अंशदान	7.00
(2) वर्तमान चावल मिलों का आधुनिकीकरण	2.00
(3) आयल एक्सपैलर की स्थापना	0.20

(ग) राज्य सरकार से विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

1969-70 तथा 1970-71 में उड़ीसा में नलकूप लगाने के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए प्रार्थना

9677. श्री दे० उमात : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतान की कृपा करेगें कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने 1969–70 तथा 1970–71 में सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों हेतु नलकूप लगाने की कई योजनाऐं प्रस्तुत की हैं और इसके लिये वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) :(क) और (ख) सिंचाई और अन्य कार्यों के लिये नलकूपों की स्थापना करने के लिये उड़ीसा सरकार से वित्तीय सहायता की कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी, 1969–70 की अवधि में उड़ीसा को राज्य के लघु सिंचाई कार्यों के लिये (नलकूपों सहित) 135 लाख रुपये (वार्षिक योजना के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय के अलावा) की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई थी ।

Establishment of a separate Ministry for Development of Cattle Wealth

9678. Shri Om Prakash Tyagi: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(*a*) whether Government propose to set up a separate Ministry for the development of the Cattle Wealth in the country keeping in view the importance of the cattle wealth for the advancement of the country;

(*b*) if so, the time by which such a Ministry is likely to be set up ; and

(*c*) if not, the alternative arrangements proposed to be made by Government for this purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde):

(*a*) No, Sir.

(*b*) Does not arise.

(*c*) The Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) is looking after this work.

बारानी खेती सम्बन्धी योजना

9679. श्री यशपाल सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारानी खेती संबंधी योजना जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने बजट भाषण में किया है को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में एक प्रति पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) 1970 में बारानी खेती आरम्भ करने के लिये चुने गये जिलों के नाम क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

(ग) योजना की मंजूरी के बाद राज्यों के परामर्श से क्षेत्रों का चुनाव किया जाएगा ।

Compulsory Retirement of Post and Telegraph Employees of Bihar Circle

9680. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(*a*) whether it is fact that retirement age has been prescribed for retirement from Government service;

(*b*) if so, the details thereof;

(*c*) whether it is a fact that notices for compulsory retirement at the age of 50 have been issued to 50 employees of the Posts and Telegraphs Department by the Postmaster General, of Bihar Circle in Contravention of Government rules;

(*d*) if so, the justification thereof;

(*e*) whether Government propose to take some action against the said officer for this illegal act on his part; and

(*f*) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (*a*) Yes, Sir.

(*b*) The age of compulsory retirement of Central Government employees (other than Class IV employees and pre-1938 ministerial employees) is 58 years, but Class I and Class II officers can be retired after the age of 50 years and Class III officers after the age of 55 years by giving them three months notice if it is considered in public interest to do so. The case of an employee who has completed 30 years of qualifying service can also be reviewed and he can be retired after giving him three months' notice.

(*c*) and (*d*) No, Sir. Notices of retirement have been issued only to 18 employees of Bihar Circle. These officials have completed 30 years of qualifying service. They were considered by the competent authority to be inefficient or ineffective or of doubtful integrity.

(*e*) No, Sir.

(*f*) The notices have been issued in exercise of the powers conferred by the rules and are, therefore, not illegal. It is open to the affected officials to represent to the higher administrative authorities if they so desire.

बिहार सर्किल के लिए क्षेत्रीय डाक तथा तार सलाहकार समिति
पुनर्गठन

9681. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सर्किल के लिये क्षेत्रीय डाक तथा तार सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो संसद-सदस्यों में से समति के नए सदस्यों के क्या नाम हैं ;

(ग) इसके नामांकन के क्या सिद्धान्त हैं : और

(घ) डाक तथा तार सलाहकार समति की बैठक न बुलाने के क्या कारण हैं ; और इसकी अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) 1. श्री किलई विरुआ, संसद-सदस्य ।

2. श्री ईश्वर मरंडी, संसद सदस्य ।

3. श्री ए० पी० शर्मा, संसद-सदस्य ।

(ग) संसद-सदस्यों का नामांकन संसद-कार्य मंत्री द्वारा किया जाता है । ऐसा करते समय वे इन बातों का ध्यान रखते हैं कि समितियों, परिषदों, बोर्डों आदि में संसद-सदस्यों का यथासंभव समान और व्यापक प्रतिनिधित्व हो और उन्हें विभिन्न समतियों में प्रतिनिधित्व देते समय उनके अन्य समितियों का सदस्य होने, विशेष योग्यताओं, पृष्ठभूमि, अनुभव और सुझाव का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है ।

(घ) विहार सर्कल की क्षेत्रीय डाक-तार सलाहकार समति की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं । इसकी पिछली बैठक 19–11–1969 को हुई थी और आगामी बैठक 8 जून, 1970 को होनी निश्चित हुई है ।

Commemorative Stamp on Rao Tula Ram of Rewari

9682. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state whether Government will consider the proposal for issuing a commemorative stamp in the memory of Rao Tula Ram of Rewari; and

(*b*) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (*a*) and (*b*) The proposal was considered twice by the Philatelic Advisory Committee but was not recommended.

Minimum Wages of Labourers in Delhi Fixed by Labour Commission

9683. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(*a*) whether the Labour Commission has fixed the wages of the labourers engaged on daily wages in Delhi and if so, the amount of the daily wages fixed; and

(*b*) if not, whether Government propose to fix the minimum wages of a labourer in Delhi at Rs. 5 per day ?

The Minister of Labour Employment and Rehabilitation (Shri Sanjivayya): (*a*) Minimum wages in the employments covered by the Minimum Wages Act, 1948 have been fixed/revised by the Central Government and the Delhi Administration in their respective spheres and notified in the official Gazettes.

(*b*) There is no such proposal.

Development under Community Development Programme

9684. Shri Jageshwar Yadav: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(*a*) whether some Districts in the country have been selected for intensive development under the Community Development Programme and if so, the names thereof as also the details of the development works to be carried on there and the time by which these works would be undertaken; and

(*b*) whether such works would be undertaken in the eastern district of Uttar Pradesh and Rae-Bareli, Pratapgarh, Sultanpur, Banda and Mizapur areas of Bundel Khand and if so, the names of the tehsils where these works would be taken up first ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D. Ering): (a) No, Sir.

(*b*) Does not arise.

भारतीयकरण, धर्मनिर्पेक्षता आदि के सम्बन्ध में आकाशवाणी का प्रसारण

9685. श्री बलराज मधोक : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धर्मनिर्पेक्षता, भारतीयकरण से सम्बद्ध मामलों पर सरकार के दृष्टिकोण के बारे में आकाशवाणी द्वारा अनेक वार्ताएं तथा चर्चाएं प्रसारित की गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन विषयों पर देश भर में चर्चाएं हो रही हैं ; और इन विषयों पर आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को सम्मुख विभिन्न दृष्टिकोंण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, और

(ग) यदि हां, तो किन कारणों से आकाशवाणी ने पक्षपात का रवैया अपनाया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)

(क) आकाशवाणी द्वारा इस प्रकार के विषयों पर विभिन्न दृष्टिकोंण प्रस्तुत करने वाले कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) आकाशवाणी ने इस मामले में पक्षपात का रवैया नहीं अपनाया है ।

बालू के टीलों पर गेहूं की कल्याण, सोना तथा ट्रिपल ड्वार्फ जैसी उच्च उपज वाली किस्मों की खेती के विषय में अनुसंधान

9686. श्री देविन्द्र सिंह गार्चा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक वर्ष पूर्व अमरीकी अंतराष्ट्रीय विकास एजेंसी के तकनीकी सहयोग से शुरू की गई प्रादेशिक भूमि तथा जल प्रबधन अग्रिम परियोजना ने सफलतापूर्वक यह सिद्ध किया है कि बालू के टीलों पर कल्याण, सोना तथा ट्रिपल ड्वार्फ जैसी गेहूं कि अधिक उपज वाली किस्मों की खेती करना संभव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) परियोजना को कितने क्षेत्र में लागू किया जाएगा और कितने कृषकों को इससे लाभ पहुंचेगा ; और

(घ) अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा उपलब्ध किये गए विशेषज्ञों, मशीनों तथा उपकरणों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां। छिड़काव सिंचाई की सहायता से पंजाब प्रादेशिक मृदा तथा जल-प्रबन्ध मार्गदर्शी परियोजना के अन्तर्गत पटियाला जिले में रेत के टीलों पर गेहूं की अधिक उत्पादन-शील किस्मों को उगाने के लिए सफलतापूर्वक प्रदर्शन किये गये थे।

(ख) इस रबी की फसल के दौरान दो फार्मों नें छिड़काव सिंचाई सम्बन्धी प्रदर्शन किए गए थे। इन में से एक फार्म 6-1/2 एकड़ तथा दूसरा 10 एकड़ का था। छिड़काव पद्धतियां ऐसी बालुई भूमि की सिंचाई करने के लिये अपनाई गई थीं जो इतनी ढ़ालू तथा रेतीली थी कि पुराने सिंचाई संसाधनों से उसकी सिंचाई नहीं हो सकती थी। फसल अच्छी हुई थी। फसल की कटाई अभी हुई है अतः उपज के बारे में ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रादेशिक मार्गदर्शी परियोजना से लगभग 11,463 एकड़ भूमि के लाभान्वित होने की सम्भावना है। परियोजना में उन किसानों की संख्या, जो इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले हैं, 1,245 हैं।

(घ) इस परियोजना के अधीन चार यू० एस० ऐड० विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं। यू० एस० ऐड० ने इस परियोजना को निम्नलिखित उपकरण भी सप्लाई किए, हैं

1. ट्रैक्टर (एस्कोर्ट 47 ड्बल)	एक
2. ट्रैक्टर (एस्कोर्ट 37)	एक
3. सुपर लैवलर	एक
4. ब्लेड टैरेसर	एक

5. मोल्ड बोर्ड प्लौ	एक
6. डिस्क प्लौ	एक
7. डिस्कहेरो	एक
8. बीज एवं उर्वरक संलागी	एक
9. टिलर	एक
10. रीपर	एक
11. स्क्रेपर	दो
12. छिड़काव यंत्र	एक

आकाशवाणी के लद्दाख केन्द्र का विस्तार

9687. श्री कुशोक बाकुला : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि** :

(क) लद्दाख तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से पीकींग रेडियो द्वारा किये जाने वाले मिथ्या प्रचार का प्रतिकार करन के लिये आकाशवाणी के लद्दाख केन्द्र से जिन कार्यक्रमों का नियमित रूप से प्रसारण किया जाता है उनका ब्यौरा क्या **है ;**

(ख) क्या उपरोक्त केन्द्र के लिये दिल्ली में रिकार्ड तैयार करने की बजाये इसे काश्मीर राज्य में ही अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या सरकार का विचार उक्त कन्द्र का विस्तार करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) लद्दाख तथा इसके आस-पास के क्षेत्र के श्रोताओं के लिए रेडियो काश्मीर श्रीनगर "बोधों" में रोजाना । घण्टे 25 मिनट को अवधि का कार्यक्रम प्रसारित करता है । इस कार्यक्रम में समाचार कमेन्ट्रियां, वार्ताएं, संगीत, डाकुमेन्ट्रियां तथा न्यूजरील होती है । कार्यक्रम दिल्ली में एक एकक द्वारा तैयार किया जाता है तथा इसको रोज़ाना हवाई जहाज के द्वारा श्रीनगर भेजा जाता है । लेह में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का काम पहले ही चल रहा है । इस स्टेशन के चालू हो जाने पर लद्दाख तथा इसके आस-पास के क्षेत्र के श्रोताओं के लिये कार्यक्रमों में पर्याप्त रूप से वृद्धि की जायेगी ।

सामूहिक सौदेबाजी पर प्रतिबन्ध

9688: श्री एन० शिवप्पा :

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी क्षेत्रों में सामूहिक सौदेवाजी के अधिकार पर पूरी तरह रोक लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में प्रसारण केन्द्रो की संख्या तथा उनके स्थान

(1-5-1970 को)

1. अगरतला
2. अहमदाबाद/बडौदा
3. एजल
4. अजमेर
5. इलाहबाद
6. बंगलौर
7. भाद्रावती
8. भागलपुर
9. भुज
10. बम्बई
11. भोपाल
12. बीकानेर
13. कलकत्ता
14. कालिकट
15. चण्डीगढ़
16. कोयम्बटूर
17. कुडप्पा
18. कटक
19 दिल्ली
20. धारवाड़
21. डिब्रूगढ़
22. गोहाटी
23. गुलबरगा
24. ग्वालियर
25. हैदराबाद
26. इम्फल
27. इन्दौर
28. जवलपुर
29. जयपुर
30. जम्मू
31. जेपोर
32. जोधपुर
33. जालंधर
34 कानपुर
35. कोहिमा
36. कुरसिओंग

37. लखनऊ
38. मद्रास
39. मथुरा
40. नागपुर
41. पाष्णाजी (गोआ)
42. पारभनी
43. पासीघाट
44. पटना
45. पाडेंचिरी
46. पूना
47. पोर्ट-ब्लेयर
48. रायपुर
49. राजकोट
50. रामपुर
51. रांची
52. समबलपुर
53. साँघली
54. शिलांग
55. सिलिगुरी
56. शिमला
57. श्रीनगर
58. तेजा
59. तिरुचिरापल्लि
60. तिरूनेलवेल्लि
61. त्रिचुर
62. त्रिवेन्द्रम
63. उदयपुर
64. वाराणसी
65. विजयवाड़ा
66. विशाखापट्टनम्

भारत मे आकाशवाणी के प्रसारण केन्द्रों की संख्या

9689. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में आकाशवाणी के कुल कितने प्रसारण केन्द्र हैं और कहां कहां स्थित हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : एक विवरण संलग्न है ।

प्रेस बटन (प्रेस रिलीज) हिन्दी में जारी करना

9690. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1969-70 में प्रेस सूंचना ब्यूरो को कितने प्रेस बटन जारी करने के लिये दिये गये ;

(ख) उनमें से अंग्रेजी तथा हिन्दी में पृथक-पथक कितने-कितने थे ; और

(ग) सभी प्रेस बटन कब तक हिन्दी में तैयार होने लगेंगे और इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) 53,369:

(ख) अंग्रेजी : 11,274:

हिन्दी : 5,565.

(ग) मूल रूप से हिन्दी में अधिकाधिक रिलीज़ तैयार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं परन्तु उनको हिन्दी तथा अंग्रेजी में साथ साथ जारी करना तभी सम्भव हो सकेगा जब भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग मूल सामग्री को हिन्दी और अंग्रेजी में साथ साथ देना शुरू कर देंगे ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में और अधिक केन्द्रीय फार्मों की स्थापना

9692. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान और अधिक केन्द्रीय फार्मों की स्थापना करने के विरूद्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) :(क) और (ख) 1966 में रूस सरकार के साथ पांच राजकीय फार्मों की स्थापना के उद्देश्य से, जिनके लिये वे बिना किसी मूल्य के उपकरण दे रहे हैं, एक करार किया गया था। इन फार्मों में से तीन फार्म झरसुगुडा (उड़ीसा), हिसार (हरियाणा) और रायचूर (मैसूर) में पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं । शेष दो फार्म पंजाब के जलन्धर जिले तथा केरल के केन्नाचूर जिले में स्थापित किये जायेंगे । इन फार्मों के लिये भूमि छांट ली गयी है, किन्तु राज्य सरकारों ने इन भूमियों का कब्जा नहीं दिया है ।

मिज़ो पर्वतीय ज़िले के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र में पूर्णत: विकास प्रयत्न के रूप में एक छोटे फार्म की स्थापना का निर्णय भी किया गया है ।

इन फार्मों के अतिरिक्त, चतुर्थ योजना की अवधि में और किसी फार्म की स्थापना करने का प्रस्ताव नहीं है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया वित्तीय प्रावधान इन फार्मों के लिये अभी काफी है और इससे चतुर्थ योजना की अवधि में केन्द्रीय सरकार की लागत से न और अधिक फार्मों की स्थापना की जा सकती है और न रूस से 5 से अधिक फार्मों के लिये बिना किसी मूल्य के उपकरण ही प्राप्त किये जा सकते हैं ।

लाइसेंस शुदा रेलवे कुलियों तथा खोमचेवालों को कानूनी संरक्षण

9693. श्री चद्रिका प्रशाद : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाइसेंस-शुदा रेलवे मज़दूरों तथा खोमचे वालों को श्रम-विधान के अन्तर्गत कानूनी संरक्षण दिया जा रहा है यदि हां, तो किसी सीमा तक ; और

(ख) कितने उत्पीड़ित रेलवे कुलियों और खोमचे वालों को अब तक यह संरक्षण दिया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) लाइसेंस शुदा रेलवे कुलियों तथा खोमचे वालों के काम की दशाओं को नियमित करने के सम्बन्ध में कोई विशेष श्रम अधिनियम नहीं है। फिर भी, जहां कहीं कोई कुली अथवा खोमचे वाला रेलवे का कर्मचारी हो तो वह श्रम कानूनों के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त करने का अधिकारी है।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

रेलवे कुली तथा विक्रेताओं सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशों को लागू करना

9694. **श्री चन्द्रिका प्रशाद** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लाइसेंस प्राप्त रेलवे कुलियों तथा विक्रेताओं सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशों पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनी सिफारिशों को स्वीकार तथा क्रियान्वित किया गया है ;

(ग) क्या अध्ययन दल ने रेलवे के लाइसेंस प्राप्त कुली तथा विक्रेता संघ को मान्यता देने की सिफारिश की थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस सिफारिश को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) अध्ययन दल की सिफारिशें कुछ समय से सरकार के विचाराधीन हैं। अध्ययन दल द्वारा की गई 89 सिफारिशों में से 43 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और उनको लागू करने के लिए आदेश भी दे दिये गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। हर सिफारिश पर विचार किया जा रहा है।

Machinery to remove Differences between Agricultural Labourers and Landlords

9695. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(*a*) whether any tribunal or machinery has been constituted at State or District level by Central Government or any State Government to remove any differences between the agricultural labourers and the landlords and to protect their interest ;

(*b*) if so, the details thereof ; and

(*c*) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (*a*) to (*c*) The required information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Issue of Telephone Directory in Hindi

9696. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the reasons for not bringing out the Telephone Directory in Hindi this year in each Division under his Ministry ?

The Minister of State in the Ministery of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : The Telephone Directories are printed on Circle or District basis and not on the basis of a Division which is a unit smaller than a Circle or a District. There are instructions to bring out Hindi Directories for Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Punjab Circles and Delhi, Bombay and Hyderabad Telephone Districts. The decision to print Hindi Directories for the Punjab Circle and Bombay and Hyderabad Telephone District was taken at a much later stage. The position in regard to printing of Directories in Hindi during this year in these Circles and Districts is given below—

(*i*) *Bihar Circle* : The Circle has brought out three issues so far. It is expected that the next issue will be brought out within next four to five months.

(*ii*) *Madhya Pradesh Circle* : Two issues have so far been brought out. The next issue is expected to be printed by June, 1970.

(*iii*) *Rajasthan Circle* : The Circle has brought out three issues so far and the next issue is likely to be brought out within next four months. There was some delay in appointment of the advertising agent.

(*iv*) *Uttar Pradesh Circle* : The Circle has brought out four issues so far including the March, 1970 issue.

(*v*) *Punjab Circle*: At present the translation work is being undertaken by the Circle. It will, therefore, take some time before the first issue is published. There are no prospects of the issue being brought out in 1970.

(*vi*) *Delhi District* : The District has brought out only one issue so far. The printing of the second issue was delayed as there was some delay in appointment of the printers. This difficulty has since been overcome and the next issue is likely to be brought out within next four months.

(*vii*) *Bombay District* : The translation work has been entrusted to a private agency. It will take some time before the first issue is brought out. There are no prospects of the issue being brought out in 1970.

(*viii*) *Hyderabad District* : The translation work of the Directory is almost complete. It will take a few months before the first issue is brought out.

International Convention No. 88

9697. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(*a*) whether a copy of parts (c), (d) and (e) of Article 6 of the International Convention No. 88 will be laid on the Table ;

(*b*) if so, when; and

(*c*) if not, the reasons therefor?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (*a*) and (*b*) The text of the operative Articles of I.L.O. Convention No. 88 including Article 6 thereof had already been laid on the Table of the Lok Sabha on the 25th November, 1958, as Appendix to the Statement concerning the proposed ratification of the said Convention.

(*c*) Does not arise.

कोयला खानों से कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान की वसूली

9698. **श्री जी वाई० कृष्णन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खान कर्मचारियों से कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान वसूल करने के बारे में कुछ गड़बड़ी पायी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उन कोयला खानों के क्या नाम हैं जिनके विरुद्ध वर्ष 1968, 1969 में सर्टिफिकेट के मामले चलाये गये हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि अन्तर्हित है और सर्टिफिकेट मामलों का क्या परिणाम निकला है ?

श्रम, रोजकार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग) कोयला खान भविष्य निधि का प्रशासन कोयला खान भविष्य निधि और बोनस योजना अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है और केन्द्रीय सरकार का इससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। सूचना कोयला खान भविष्य निधि संगठन से एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना

†9699. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 में प्रत्येक राज्य में सहाकरी क्षेत्र में कितनी चीनी मिलें स्थापित की जायेंगी ; और

(ख) इसके परिणाम-स्वरूप राज्यवार कितनी उत्पादन क्षमता स्थापित की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) लाइसेन्स प्राप्त कारखानों में से नये सहकारी चीनी कारखानों जिनमें

वर्ष 1970-71 में उत्पादन शुरू होने की आशा है कि संख्या उनकी वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता के साथ राज्यवार नीचे दी जाती है ।

राज्य	नये सहकारी चीनी कारखानों की संख्या जिनमें वर्ष 1970-71 में उत्पादन शुरू होने की आशा है	वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता (लाख टनों में)
1. महाराष्ट्र	3	0.46
2. गुजरात	1	0.20
3. मैसूर	2	0.35
4. मध्य प्रदेश	1	0.09
5. तामिलनाडु	1	0.18
	8	1.28

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में भारतीय श्रम विधान सोसायटी के द्वारा की गई गोष्ठी

9700. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में भारतीय श्रम विधान सोसायटी ने हाल ही में एक गोष्ठी का आयोजन किया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रतिवेदन के क्रियान्वयन के बारे में गोष्ठी में दिये गये सुझावों और विचारों का विशिष्ट ब्यौरा क्या है जिसकी जानकारी सरकार को दी गई है ; और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग के विचारों पर आधारित एक गोष्ठी का आयोजन श्रम कानून एसोसियेशन दिल्ली द्वारा 18 अप्रैल, 1970 को किया गया ।

(ख) सरकार को गोष्ठी में दिए गए सुझावों और विचारों के सूक्ष्म स्वरूप की जानकारी नहीं है ।

खाद्यान्नों की अधिक उपज वाली किस्मों के प्रचलन के परिणामस्वरूप पौधों पर अनुसंधान

9701. श्री चेंगलराया नायडू : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों की अधिक उपज वाली किस्मों के प्रचलन के परिणाम-स्वरूप पन्त नगर स्थित उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय म वैज्ञानिकों नें इस बात की आवश्यकता अनुभव की है कि अनुसन्धान के प्रति प्रगतिशील रवैया अपनाया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का पता लगा है कि किसी भी किस्म की फसल स्थायी रूप से सर्वोतम नहीं रह सकती ;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके परिणाम-स्वरूप अनुसन्धान वैज्ञानिक केवल फसल के जनन पक्ष की ओर ही ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि पौधों की संरचना और स्वरूप की ओर भी ध्यान दे रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो खाद्यान्नों की अधिक उपज वाली किस्मों के प्रचलन के परिणाम-स्वरूप पैदा हुई विभिन्न समस्याओं का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) :

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) विशेष रूप से अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार परियोजना के अधीन पकने खाद्यान्नों के गुणों, रोग सहन करने, कीटों, सूखे और लवणता आदि की उपस्थित समस्याओं क बारे में कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में गहन अनुसंधान किये जा रहे हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं का विस्तार करने संबंधी प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल का प्रतिवेदन

9702. श्री चेंगलराया नायडू : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के एक अध्ययन दल ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संबंधी सुविधाओं के विस्तार पर प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, यह सारी धन-राशि घाटे में ही जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये गये अथवा किये जाने वाले डाकघरों के संबंध में प्रतिवेदन में और क्या बातें कहीं गई हैं ;

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कम डाकघर खोलने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा डाक-तार विभाग के लिए गठित कार्यकारी दल ने संकेत किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं के विस्तार में 1 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के खर्च का अनुमान है। इस बारे में उन्होंने आगे यह भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं के विस्तार में न केवल प्रारंभिक वरणों में भारी सहायता देनी पड़ती है, बल्कि डाकघरों के स्थायी घोषित किये जाने के बाद भी आवर्ती घाटा उठाना पड़ता है। हालांकि ऐसे घाटे की रकम ज्यादा नहीं होती, लेकिन आवर्ती किस्म के इस घाटे की कुल राशि मिला कर काफी बड़ी रकम हो जाती है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने वाले अथवा जिनके खोले जाने की संभावना है, ऐसे डाकघरों के बारे में इस रिपोर्ट में दी गई कुछ अन्य बातें इस प्रकार हैं–

(i) यदि अलाभकर डाकघरों को खोलने की वर्तमान नीति (जिसके अंतर्गत 500 रुपये से 2500 रुपये तक के घाटे की अनुमति है) चलती रही, तो कुल घाटे में इसका भाग भविष्य म और भी ज्यादा हो जाएगा।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायोगिक तथा स्थायी डाकघरों के स्वीकार्य घाटे की वर्तमान सीमाओं में वास्तविकता के आधार पर संशोधन आवश्यक होगा।

(iii) डाक-तार विभाग को चाहिए कि वह घाटे की रक़म (अर्थात डाकघरों के खोलने तथा चलाने में होने वाले घाटे) के विश्वस्त जायजे के लिए किसी उपयुक्त कार्यविधि की व्यवस्था करें।

(iv) निकट भविष्य में डाक शाखा को होने वाले घाटे की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि डाक-तार शुल्क-दर जांच समिति (1968) की सिफारिशों समग्र रूप से लागू की जाएं जिससे कि मौजूदा घाटे को बहुत हद तक समाप्त किया जा सके। तथापि यदि इतना करने पर भी डाक शाखा की आय में आशातीत सीमा तक वृद्धि न हो, तो डाक-तार विभाग के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि या तो घाटे को बर्दाशत करें या फिर डाक-तार शुल्क-दर जांच समिति की सिफारिशों से भी आगे बढ़ा जाय।

(v) डाकघरों को खोलने तथा चलाने में हुए घाटे की 75 प्रतिशत रक़म सामान्य राजस्व से सहायता के रूप में दी जाए तथा बाकी के 25 प्रतिशत घाटे की पूर्ति तमाम डाक-कार्यों से होने वाली बचत से की जाए।

फिर भी कार्यकारी दल ने यह स्वीकार किया है कि वे समझते हैं कि इन सेवाओं (अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में सेवाओं के विस्तार) की व्यवस्था करने में केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण ही नहीं अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें से कुछ की जनसाधारण के लिए अनिवार्य सेवा होने के कारण घाटा उठाकर भी व्यवस्था करनी आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घाटे पर चलने वाले डाकघरों समेत घाटे की जिन सेवाओं को जीवनक्षम नहीं बनाया जा सकता, उनकी सुविधा वापस लेने की बात सोची भी नहीं जा सकती, क्योंकि इससे जनसाधारण को बहुत असुविधा होगी।

(ग) और (घ) सरकार ऐसे क्षेत्रों में डाकघर खोलने की उदार नीति को समाप्त करना उचित नहीं समझती, क्योंकि अब ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया जा रहा है।

निलम्बित कर्मचारियों को निर्वाह भत्ता दिया जाना

9703. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के संबंध में नियुक्ति अधिकारी से कम दर्जे वाले एक अधिकारी के आदेश पर बिहार सर्किल के डाक तथा तार विभाग के कुछ कर्मचारी अब भी निलम्बित हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गृह कार्य मंत्रालय ने 3 मार्च, 1970 के अपने आदेश में डाक तथा तार विभाग के सभी कर्मचारियों के निलम्बन आदेश रद्द करने का आदेश दिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि निलम्बन की अवधि 12 महीने से अधिक हो जाती है, जिसके लिये सरकारी कर्मचारी सीधे रूप से जिमेदार नहीं हैं, तो केन्द्रीय सरकार के निलम्बित कर्मचारी के निर्वाह भत्ते में मूल भूत नियम 53 के अधीन अपने आप 50 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है ; और

(घ) यदि हां तो तार निदेशक, बिहार नें इस संबंध में क्या कार्यवाही की है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं । बिहार सर्कल के उन सभी कर्मचारियों को, जिन्हें हड़ताल के दौरान मुअत्तल किया गया था, बहाल कर दिया गया है । तत्पश्चात इनमें से दो कर्मचारियों को अनिवार्य सेवाएं अध्यादेश की धारा 4 के अधीन अदालत द्वारा दण्ड दिये जाने पर, उन्हें मुअत्तल समझा गया। इन दो कर्मचारियों के मामलों का फिर से पुनरीक्षण किया गया है और उन्हें बहाल करने के आदेश दे दिए गए हैं ।

(ख) जी हां । ये आदेश केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं ।

(ग) जी नहीं । इसके लिए यह जरूरी है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया जाए। यदि मुअत्तली का समय 12 महीने से बढ़ जाए और ऐसा प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी की वजह से न हुआ हो, तो निर्वाह भत्ता अधिक से अधिक मूल नियम 53 में निर्धारित प्रतिशतता तक ही बढ़ाया जा सकता है । यदि मुअत्तली का समय अधिक होने के लिए ऐसे कारण हों जिनके लिए सरकारी कर्मचारी सीधे जिमेंदार ठहरता हो तो जीवन निर्वाह भत्ता कम भी किया जा सकता है ।

(घ) ऊपर भाग (क) में दिये गए उत्तर के अनुसार दो कर्मचारियों के मामले में, मुअत्तली के 12 महीनों के बाद, सक्षम प्राधिकारी ने जीवन निर्वाह भत्ता 50 प्रतिशत बढ़ा दिया था ।

डाक तार बोर्ड के विचाराधीन 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के कारण मुअत्तिल किये गये कर्मचारियों की याचिकायें

9704. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1968 की हड़ताल के कारण मुअत्तिल किये गये कर्मचारियों के पुनर्विलोकनार्थ याचिकायें डाक व तार बोर्ड के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सेवा (नियंत्रण श्रेणीकरण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 29 के अनुसार डाक व तार बोर्ड कितने समय में अपने निर्णयों की सूचना दे देगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं । सभी निलम्बित कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस ले लिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत खाद्य निगम द्वारा उर्वरक के उपयोग के बारे में अध्ययन

9705. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या भारत खाद्य निगम के उर्वरक के उपयोग के बारे में एक टिप्पणी तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नही । भारत खाद्य निगम नें उर्वरक के उपयोग के बारे में कोई नोट तैयार नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

1970 में अनाज का आयात

9706. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 1969 की अपेक्षा 1970 में अनाज का अधिक आयात करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) वर्ष 1970 के लिए लगभग 40 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आयात करने का हिसाब लगाया गया है जोकि न्युनाधिक 1969 में किये गये 39 लाख मीटरी टन आयात के आस-पास ही है । 1970 में 40 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आयात करने का फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार 1970 में बफर स्टाक में 10 लाख मीटरी टन और खाद्यान्न शामिल करना चाहती है ।

पंजाब के लिये टेलीफोन निदेशिका

7907. श्री राम किशन गुप्त : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1969 की पंजाब सर्किल की टेलीफोन निदेशिका अनेक टेलीफोन केन्द्रों के उपभोक्ताओं को नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह निदेशिका कब प्रकाशित तथा बांटी गई थी ;

(ग) उन केन्द्रों के नाम क्या हैं जिनको यह अब तक नहीं दी गई ; और

(घ) इस निदेशिका को शीघ्र सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। पंजाब सर्कल की टेलीफोन डायरेक्टरी के दिसम्बर, 1969 संस्करण की प्रतियां बड़े एक्सचेंजों के उपभोक्ताओं को सप्लाई की गई थीं, किंतु छोटे एक्सचेंजों में अभी वे सप्लाई की जानी हैं।

(ख) इस डायरेक्टरी की प्रतियां पहले पहल जनवरी, 1970 के मध्य में बांटी गई थी।

(ग) जिन एक्सचेंजों को अभी तक डाइरेक्टरी की प्रतियां नहीं दी जा सकीं हैं, उनके नाम पत्र में दिये गये हैं। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3514/70)।

(घ) डाइरेक्टरी की कुल 62,000 प्रतियां प्रकाशकों द्वारा सप्लाई की जानी थीं। उन्होंने अभी तक 49,730 प्रतियां सप्लाई की हैं तथा बकाया प्रतियां जल्दी सप्लाई करने का वायदा किया है।

Steps Taken to improve Telephone Service in Saharsa, Banmankhi, Forbesganj and Khagaiya

9708. Shri Gunanand Thakur : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** : be pleased to state :

(*a*) the telephone of Saharsa, Banmankhi, Forbesganj and Khagaiya in Bihar often remain out of order ;

(*b*) if so, the reasons therefor; and

(*c*) the steps which Government have taken to remove the difficulty being experienced by public there ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications : (Shri Sher Singh) (*a*) Telephones of Saharsa, Banmankhi, Forbesganj and Khagaiya do not often remain out of order although these lines are interrupted sometimes on account of copper wire thefts. Communication is restored expeditiously after the incidence of thefts.

(*b*) Copper wire thefts are responsible for interruptions on these telephones and with a view to improving the situation copper wire circuits to these places have been planned to be replaced by aluminium wire.

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों की सेवा निवृत्ति आयु को बढ़ाना

9709. श्री देवेन सेन : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले उन विस्थापित व्यक्तियों की सेवा निवृति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की वांछनीयता पर विचार करेगी, जिन्होंने अधिक आयु हो जाने पर सरकारी सेवा में प्रवेश किया अथवा अभी जिनका पुनर्वास किया जाना है अथवा अभी जिन्हें उनकी नौकरी के अन्तिम चरण में आवास या अन्य प्रकार की पुनर्वास सहायता दी गई है और उन्होंने इस बारे में वित्तीय वायदों को पूरा करने के लिये सरकार से समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करना चाहती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) से (ग) पूर्वी पाकिस्तान से आये उन प्रवासियों के लिये, जिन्होंने भारत सरकार के अधीन रोजगार प्राप्त कर लिया है, सेवा-निवृत्ति की, कार्य नीति के रूप में, कोई अलग आयु निश्चित करना संभव नहीं होगा ।

कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली के समीप औद्योगिक वस्ती

9710. श्री देवेन सेन : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कालकाजी, नई दिल्ली के समीप पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी के समीप में औद्योगिक बस्ती बनाने की वांछनीयता पर नये वातावरण में पुनर्वास के उपाय तथा वहां के निवासियों के बच्चों को नौकरी दिलाने की सुविधा के आश्वासन को दृष्टि म रखते हुये विचार करेगी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार इस योजना का निष्पादन करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) से (ग) : जी नहीं । नई दिल्ली में कालकाजी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती की योजना पूर्वी पाकिस्तन के उन विस्थापित व्यक्तियों को आवास देने के लिये तैयार की गई है जो कि पहले ही दिल्ली में लाभकारी रोजगार पर लगे हुए हैं और कालकाजी के निकट इस बस्ती में बसाये गये लोगों के आश्रितों को उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था आवश्यक नहीं समझी जाती । अन्य नागरिकों की भान्ति, इस बस्ती में वसने वालों के आश्रित भी सामान्य रीति से रोजगार प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

पुर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की नौकरी में प्रवेश के लिये आयु की सीमा बढ़ाना

9711. **श्री देवेन सेन :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये, कि पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में विस्थापित लोगों का आना अब भी जारी है तथा भारत में एक बड़ी संख्या में ऐसे विस्थापित व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक रोजगार तथा आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के सरकारी सेवाओं में प्रवेष पाने हेतु 1980 तक आगामी समय के लिये सीमा आयु 45 वर्ष तक बढ़ाने की वांच्छनीयता पर विचार करेगी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार इस स्थिति का सामना करने का विचार करती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) पूर्वी पाकिस्तान से आये नए प्रवासियों को केन्द्रीय सरकार की सेवा में रोजगार के मामले में आयु की निम्न लिखित रियायतें 31-12-1971 तक की अवधि के लिये पहले ही उपलब्ध हैं --

(i) **संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली नियुक्तियां**

सामान्य ऊपरि आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट इस शर्त पर दी जाती है कि प्रार्थी को किसी सेवा या सेवाओं के समूह में भर्ती के बारे में सामान्य आयु सीमा में स्वीकार्य अवसरों से अधिक अवसर नहीं दिये जायेंगे ।

(ii) **उपरोक्त (i) के अन्तर्गत न आने वाली नियुक्तियां**

सरकारी सेवा में प्रवेश तथा उसमें स्थायी खपत के लिये अधिकतम आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट दी जाती है ।

(iii) **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विस्थापित व्यक्ति**

उपरोक्त (i) तथा (ii) में उल्लिखत आयु सीमाओं में केन्द्रीय सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं में राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों पदों के लिए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लोगों को और पांच वर्ष की छूट दी जाती है ।

कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों की भूमि-किश्तों के प्रीमियम पर ब्याज में छूट देना

9712. **श्री देवेन सेन :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार, पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों जिन्हें कालकाजी, नई दिल्ली के निकट कालोनी में रिहायशी प्लाट आवंटित किये गये थे, द्वारा किश्तों

में भूमि के प्रीमियम की अदायगी पर ब्याज में छूट देने की वांछनीयता पर उनकी निर्धनता को ध्यान में रखते हुए विचार करेंगी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को कालकाजी की पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में प्लाटों का आवंटन जनवरी, 1966 और अगस्त, 1967 में जारी की गई प्रेस विज्ञप्तियों में दी गई शर्तों के आधार पर किया गया था । किस्तों में अदायगी की रियायत में ब्याज के भुगतान का शामिल किया जाना अनिवार्य है । भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत ब्याज के भुगतान की छूट दी जा सके ।

सचिवालय तथा अन्य सरकारी विभागों में स्थित दिल्ली दुग्ध योजना के स्टालों में कार्य-रत प्रबन्धकों, सहायक प्रबन्धकों तथा बिक्री सहायकों की सेवा शर्तें

9713. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सचिवालय क्षेत्र तथा अन्य सरकारी विभागों में स्थित दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध स्टालों, में कार्य करने वाले प्रबन्धकों, सहायक प्रबन्धकों तथा बिक्री सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय की सेवा शर्तों के अन्तर्गत माना जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि यदि ये कर्मचारी कभी एकाध घंटा देरी से आते हैं अथवा वे किसी अपरिहार्य कारणवश अपने स्थान पर अनुपस्थित पाए जाते हैं तो दुग्ध डिपो अधिकारी और सहायक दुग्ध डिपो अधिकारी उन्हें अपने कार्य से अनुपस्थित मान लेते हैं जबकि वे कर्मचारी दिन भर अपने कार्य में लगे रहते हैं और उनके वेतन में से उस दिन का वेतन काट लिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में नियमों के विरुद्ध ऐसा करने का क्या औचित्य है और इसके क्या कारण है; और

(घ) इन अनियमितताओं को समाप्त करने के लिये सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे) : (क) दिन भर खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों पर नियुक्त किए हुये प्रबन्धक तथा बिक्री सहायक कार्यालय के कर्मचारी नहीं माने जाते और केन्द्रीय सचिवालय स्टाफ के सम्बन्ध में भारत सरकार के आदेश पूर्णरूप से उन पर लागू नहीं होते । उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उनकी सामान्य सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उन पर भारत सरकार के वे नियम तथा आदेश लागू होते हैं जो समय समय पर दिल्ली दुग्ध योजना में अलग अलग श्रेणी क कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं ।

(ख) प्रबन्धकों, बिक्री सहायकों आदि की उपस्थिति में समय की पाबन्दी को सुनिश्चित करने के लिए मार्च, 1969 में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्रशासनिक निदेश जारी किए गए थे। विलम्बित उपस्थिति इन निदेशों के अनुसार नियमित की जाती है जिसकी एक प्रति संलग्न है (अनुबन्ध)

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

ANNAXURE

No. 1-3/69-Estt. I
GOVERNMENT OF INDIA
DELHI MILK SCHEME
WEST PATEL NAGAR
DELHI-8.

Dated 28-3-1969.

ADMINISTRATIVE ORDER No. 9/69

It has been brought to notice that the staff in the Docket Section and All Day Milk Stall go on leave without prior intimation and permission. This results in serious dislocation of work. In most of the cases substitutes are required to be arranged to carry on the work. This cannot be done if timely intimation is not received about persons proceeding on leave etc.

The following procedure is, therefore, laid down for the guidance of the staff concerned—

(*i*) Ordinarily, three days prior notice should be given by the staff desiring to go on leave. The application should be submitted to the respective M. D. O./P. R. O. and leave should not be availed of till it is sanctioned by them. In the case of staff in the Docket Section, the leave will be sanctioned by M. D. O. (G).

(*ii*) In cases of emergent nature where prior intimation cannot be given, the officers as detailed below should be informed atleast two hours in advance of the time when the staff concerned is scheduled to commence the duty, so that, arrangements for substitutes where necessary may be made—

(*a*) Staff in the Docket Section—M. D. O. (G)

(*b*) Staff in the A. D. M. Stalls—M. D. O./P. R. O. concerned.

Non-compliance of the above instructions will result in the person concerned being treated as absent without any authority on the day(s) for which extraordinary leave without pay will be granted. In case of habitual offenders a more serious view will be taken against the defaulting staff.

No extension of leave will ordinarily be permitted, except in cases where it may be absolutely essential. Requests for extension will be considered only if such requests are *received* by the officers concerned. (M. D. O./ P. R. O.) atleast a day before the scheduled date of resumption of duty, failing which the absence beyond the period of leave sanctioned will be taken to be extraordinary leave without pay.

In case of persons absent without prior permission, it will be incumbent on the person concerned that they obtain written permission from the concerned M. D. O./P. R. O. before they are allowed to join the duty.

The above order will come into force with immediate effect.

Sd. (MAN SINGH)
Deputy General Manager (Admn.)

Distribution.

1. All A. D. M. Stalls Managers and Sales Assistants.
2. Staff working in the Docket Section.
3. All Sections.
4. All Officers.
5. 15 Extra copies.

Copy forwarded to :—

Manager (Distribution) for information. He is requested to ensure that orders are strictly complied with. Serious action should be taken against the staff who absent from duty without prior intimation or leave and such cases should be sent to Administration within 3 days.

For substitutes for Docket Section at night and in the case of Sales Assistants of the A. D. M. Stalls, a register in the enclosed proforma should be sent to the Time Office who would provide the substitute immediately.

In the case of un-authorised absence or overstaying leave, the person concerned should not be allowed to resume duty unless leave is sanctioned by Manager (D) and the substitute already provided has been withdrawn.

Copy of the roster of the Docket Section staff should be sent to Supdt. Time Office for the checking of arrival and departure of the staff concerned. The Supdt., Time Office will report all irregularities within 24 hours to Manager (D) direct. The attendance sheet will be prepared by Supdt., Time Office as at present and will henceforth be sent to A. M. D. O., (Docket 'A' shift for his countersignature and then to M. D. O. (G) and M(D) before that is passed on to Accounts (Estt.) Section for effecting payment.

Sd. (MAN SINGH)
Deputy General Manager (Admn.)

DELHI MILK SCHEME

Name of the staff absent without notice/ leave	Name of the substitute posted :
1.	1.
2.	2.
3.	3.

They are required for————————————————

The staff absent will be treated to be on un-authorised absence and will not be allowed to join duty without permission, nor his pay for the day disbursed until further intimation.

A.M.D.O.
M.D.O./P.R.O.

Supdt., Time Office

Copy to :

A. C. (G) for information and necessary action.

A.M.D.O.
M.D.O./P.R.O.

राजकोट और कलकत्ता में ट्रांसमीटरों के लगाने में विलम्ब

9714. **श्री लोबो प्रभु :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री गार्डिलिंगन गौड :

श्री मुहम्मद शरीफ :

श्री रा० बरुआ :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट तथा कलकत्ता में ट्रांस्मीटरो के लगाने के बारे में युगोस्लाविया और रूस के साथ जो करार हुआ था क्या उसमें उपकरण की सप्लाई में विलम्ब होने की दशा में दण्ड सम्बन्धी कोई व्यवस्था है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में विलम्ब के कारण होने वाली हानि को रोकने के लिए करार में दण्ड सम्बन्धी व्यवस्था करने के लिए आग्रह करेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा युगोस्लाविया के साथ किए गए करार में दण्ड देने की एक धारा विद्यमान है। तथापि, कलकत्ता के ट्रांसमिटर के लिए सरकारी स्तर पर रूस के साथ किए गए करार में इस प्रकार की कोई धारा शामिल नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रोजगार का स्थायी प्रस्ताव

9715. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय का (1) 20 कर्मचारियों से अधिक की संख्या वाले कारखानों अथवा अन्य संस्थापनों में श्रमिकों (2) भूमिहीन श्रमिकों (3) घरेलू नौकरों और (4) स्वनियोजित कर्मचारियों पर कितना व्यय होता है ;

(ख) क्या मंत्रालय नें कर्मचारियों के इन विभिन्न वर्गों की औसत मजूरी में सम्बन्ध स्थापित किया है और क्या मंत्रालय ने इन अपेक्षाकृत अधिक निर्धन वर्गों को कोई सहायता दी है ;

(ग) अब तक प्रयोगात्मक रूप में एक ही क्षेत्र तक सीमित रोजगार के स्थायी प्रस्तावों को सामान्यीकृत करने के बारे में मंत्रालय ने योजना क्यों नहीं बनाई है, जिससे कि संविधान मे निर्दिष्ट रोजगार के अधिकार सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त की पूर्ति हो सके ; और

(घ) मंत्रालय उन कर्मचारियों पर, जिन्हें भूमिहीन श्रमिकों की अपेक्षा औसतन 100 प्रतिशत अधिक मजूरी मिलती है, और आगे व्यय को बन्द क्यों नहीं करता, जिससे कि न्यूनतम मंजूरी पर रोजगार के स्थायी प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए धन उपलब्ध हो सकें ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) श्रम और रोजगार विभाग के व्यय का विभाजन कारखानों के श्रमिकों, भूमिहीन श्रमिकों, घरेलू नौकरों और स्वनियोजित श्रमिकों के आधार पर नहीं किया जाता ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राज्य में पांच समेकित क्षेत्र विकास खण्डों में से प्रत्येक खण्ड के एक चुने हुए गांव में लागू करने के लिये महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक मार्गदर्शी रोज़गार गारंटीकृत योजना मंजूर की गई है। विस्तृत क्षेत्र पर इस प्रकार के मार्गदर्शी प्रयोग के परिणामों के आधार पर अनुभव प्राप्त करने के बाद ही इस प्रकार की योजना के विस्तार पर विचार किया जा सकता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Land Allotted to all India Blind Relief Society, Lajpat Nagar, New Delhi

9716. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5283 on the 5th April, 1970 and State :

(*a*) whether it is a fact that land had been leased out to the All India Blind Relief Society, 2-F, Lajpat Nagar, New Delhi on the condition that it would not be sublet, transferred and assigned without the prior sanction of the lessor ;

(*b*) whether it is also a fact that the said society transferred the plot of the land, the building constructed thereon and the godown to Dr. Bhagwan

Dass Memorial Trust and the Trust started realising rent to the tune of Rs. 35,000 to 40,000 annually from the Society and all other tenants ;

(*c*) whether it is also a fact the no prior sanction was obtained for transferring the aforesaid property; and

(*d*) if so, whether Government propose to take severe action against the aforesaid society and allot the land and the building in question to the tenants?

The Minister of State in the Ministery of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Ajad) : a to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

कारखानों का निरीक्षण

9717. श्री रा० बरुआ : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या के कारण देश में कारखानों के निरीक्षण का कार्य अप्रभावी होता जा रहा है ;

(ख) इस समय एक इन्स्पैक्टर को कुल कितने कारखानों का निरीक्षण करना होता है और निर्धारित कोटा क्या है ; और

(ग) क्या औद्योगिक कारखानों में दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जिनकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, निरीक्षणालय के वर्तमान ढांचे का पुनर्गठन करने का सरकार का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी नहीं।

(ख) श्रम मंत्रियों के सम्मेलन (जुलाई 1960) ने प्रतिनिरीक्षक 150 कारखानों के मानक की सिफारिश की थी लेकिन इस संबंध में कोई निश्चित संख्या तय नहीं की गई है।

(ग) यह विषय मुख्य रूप से राज्य सरकारों के विचार करने का है क्योंकि कारखाना अधिनियम 1948 का प्रशासन राज्य के कारखाना निरीक्षणालयों के माध्यम से राज्य सरकारें ही करती हैं । फिर भी राष्ट्रीय श्रम आयोग ने यह सिफारिश की है कि निरीक्षणालय के कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करने के लिए प्रति निरीक्षक 150 कारखानों के मानक पर पुनः विचार किया जाना चाहिए । राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधितों के परामर्श से इस सिफारिश पर विचार किया जा रहा है ।

आकाशवाणी के तकनीकी कर्मचारियों के संघ की मांगें

9718. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के तकनीकी कर्मचारियों के संघों की मांगें क्या हैं ;

(ख) सरकार ने कौन-कौन सी मांगों को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) सरकार ने किन मांगों को स्वीकार नहीं किया है और स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि उन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण है ; और निर्णय कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक विवरण जिसमें जानकारी दी हुई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3516/70]

(ख) से (घ) अभ्यावेदन हाल ही में प्राप्त हुआ था और उसमें उठाये गये विभिन्न मामले विचाराधीन हैं। इन पर निर्णय लिए जाने में कुछ समय और लगेगा ।

वर्ष 1968 और 1969 के दौरान अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्रों में दिये गये सरकारी विज्ञापनों पर हुआ खर्च

9719. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या सचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी खर्चे पर भारतीय समाचार पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापनों के बारे में अपनाए गए माप दण्ड का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1968 और 1969 में देश के प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापनों पर सरकार ने कुल कितना धन व्यय किया ; और

(ग) (एक) दि टाइम्स आफ इंडिया, (दो) दि स्टेट्समैन, (तीन) दि हिन्दू, (चार) दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (पांच) दि पैट्रियट, (छः) दि नेशनल हैराल्ड ; और (सात) दि ब्लिट्ज, में दिए गए विज्ञापनों पर कितना धन खर्च हुआ ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सरकारी विज्ञापनों के लिए पत्र-पत्रिकाओं का चयन करते समय निम्न बातें ध्यान में रखी जाती हैं :

(1) प्रभावी खपत (सामान्यतः 1000 से कम बिक्री वाले समाचारपत्रों का उपयोग नहीं किया जाता),

(2) प्रकाशन में नियमितता (लगातार 6 महीने का प्रकाशन आवश्यक है),

(3) पाठकों की श्रेणी,

(4) पत्रकारिता संबंधी नैतिकता के स्वीकृत स्तरों का पालन,

(5) अन्य बातें जैसे छपाई स्तर, उपलब्ध धन के अन्दर-अन्दर किन किन भाषाओं और क्षेत्रों में विज्ञापन देते हैं ।

(6) विज्ञापन की दरें जो सरकार की प्रचार आवश्यकताओं के लिये उचित और स्वीकृत समझी जाएं ।

ऐसे समाचार-पत्रों को विज्ञापन नहीं दिए जाते जो साम्प्रदायिकता का विषैला प्रचार करते हों या हिंसा को उकसाते हों या सार्वजनिक शीलता और नैतिकता के सामाजिक तौर पर स्वीकृत सिद्धांतों का उल्लंघन करते हों और इस प्रकार राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुचाते हों ।

(ख) बड़े अंग्रेजी दैनिकों अर्थात् जिनकी खपत संख्या 50,000 से ऊपर है, को 1968–69 तथा 1969–70 में जारी किए गए विज्ञापनों पर हुआ व्यय इस प्रकार है :

1968–69	27,95,885.00
1969–70 (31-12-1969 तक)	22,48,649.00

(ग) समाचारपत्रों को दिए गए विज्ञापनों तथा उन्हें दी गई राशि के बारे में सूचना विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय तथा समाचारपत्रों के बीच गोपनीय समझी जाती है ।

अहमदाबाद में पांच पैसे वाले टिकटों की कमी के बारे में जांच

9720. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री अहमदाबाद में पांच पैसे वाले टिकटों की कमी से संबंधित 4 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 2673 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले की इस बीच जाँच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 3 पैसे के डाक-टिकटों का आमतौर पर समाचार पत्रों को रजिस्ट्री डाक से भेजने के लिए प्रयोग होता था । किन्तु 15 मई, 1968 से समाचार पत्रों को रजिस्ट्री डाक से भेजने की दरों में संशोधन अर्थात् 3 पैसे के स्थान पर 5 पैसे हो जाने पर 3 पैसे के मूल्य वर्ग की टिकटों की अन्य किसी भी डाक-दर में जरूरत नहीं रही । इस मूल्य वर्ग के डाक टिकटों की छपाई बन्द कर दी गई थी किन्तु जो टिकट पहले ही छप चुके थे उनका उपयोग अन्य मूल्यवर्ग के डाक-टिकटों के साथ किया गया । इसी कारण 5 पैसे के डाक-टिकटों के स्थान पर जनता को 2 पैसे और 3 पैसे के डाक-टिकट बेचे गए ।

प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो के वाल न्यूज पेपर का जनता पर प्रभाव

9721. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने प्रैस इन्फोर्मेशन ब्यूरो की 'वाल न्यूज पेपर' परियोजना का जनता पर प्रभाव के बारे में अध्ययन करने का कार्य पहले से ही सम्भाल लिया है; और

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) दीवारी समाचारपत्रों का प्रकाशन हाल ही में शुरु हुआ है अतः भारतीय जन-सम्पर्क संस्थान का यह विचार है कि इसके प्रभाव की जांच इसके कम से कम 6 महीने के प्रचार के उपरान्त की जाए। तथापि, इसके बारे में युवकों (16-30 वर्ष) के बीच उनकी राय जानने के लिए एक फील्ड सर्वे किया गया था। इनके पाठकों में से 40 प्रतिशत युवकों ने दिये गये समाचारों को तथ्यपूर्ण समझा, 13.3 प्रतिशत का यह विचार था कि समाचार तोड़ मरोड़ कर दिए गए हैं। शेष 46.7 प्रतिशत ने अपनी कोई राय नहीं दी। इसके अतिरिक्त देश के सभी भागों से प्रदर्शन के लिए दीवारी समाचारपत्रों की प्रतियों की मांगें आई हैं।

महानगरों के डाक-तार सर्किल से संबंधित सूचना

9722. **श्री देवराव पाटिल** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास के महानगरों और महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली तथा तमिल नाडु के डाक-तार विभाग के शेष सर्किलों के विषय में जानकारी एकत्र कर ली है ; और

(ख) क्या सरकार ने महानगरों के अलग सर्किल बनाने के प्रस्तावों की डाक-भार तथा कर्मचारी संख्या के आधार पर जांच की है जिसके अनुसार ये सर्किल उचित तथा न्यायसंगत होंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Setting of Public Telephone Exchanges in villages of Maharashtra during Fourth Plan

9723. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(*a*) whether there is a proposal to set up Public Telephone Exchanges in the villages of Maharashtra during the Fourth Five Year Plan; and

(*b*) if so, the number and the places where the Public Telephone Exchanges are proposed to be set up?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (*a*) and (b) Yes, Sir. The proposals to open Public (Telephone) Call Offices, at 52 places in the villages of Maharashtra during the Fourth Five Year Plan have been approved. The names of these 52 places are attached.

STATEMENT

Long distance Public Call Offices approved for opening during Fourth Five Year Plan in Maharashtra

Sl. No.	Name of long distance P. C. O.	Sl. No.	Name of long distance P. C. O.
1	Ambegaon	27	Masura
2	Atpadi	28	Malharpeth
3	Bagani	29	Mahuli
4	Borgaon	30	Nhavra
5	Bambawada	31	Mahagoan
6	Bidkin	32	Nagri
7	Chamorshi	33	Nerla
8	Dawani Wada	34	Nandgaon Kazi
9	Dhadgaon	35	Pimpoda BK
10	Ghatnandur	36	Pennur
11	Hadolti	37	Purnagar
12	Ite	38	Rajoli
13	Jawla	39	Rainapur
14	Janephal	40	Sirur Anantapal
15	Konda Kasra	41	Soit
16	Kharangana	42	Sawana
17	Kavte Mahankal	43	Selsure
18	Kapashi	44	Sonpeth
19	Kadegaon	45	Tarkarli
20	Khandbara	46	Umri
21	Karla	47	Valsang
22	Mulaj	48	Walwa
23	Mangrul	49	Wadner Bhulji
24	Mandrup	50	Wadner Gangai
25	Mangrur Dastgir	51	Amdapur
26	Malida	52	Awas

मध्य प्रदेश के कृषि कालेजों को केन्द्रीय सहायता

9724. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कृषि कालेजों को गत 3 वर्षों में कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ख) इस समय मध्य प्रदेश में कितने कृषि कालेज हैं ; और

(ग) इन कालेजों में अल्प संख्यकों के लिये प्रवेश का प्रतिशत क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) अक्टूबर, 1964 में मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थापित होने पर राज्य के सब कृषि महाविद्यालय विश्वविद्यालय के संविधायी एकक बन गये हैं। अतः अनुदान विश्व-विद्यालय के लिये दिये जाते हैं न कि अलग-अलग महा विद्यालयों के लिये गत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय को निम्नलिखित अनुदान दिये गये—

1967–68	..	...	20,00,000	रुपये
1968–69	..	..	20,21,494	रुपये
1969–70	..	..	25,95,464	रुपये

(ख) छः।

(ग) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

दालों तथा अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कार्यवाही

9725. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार दालों तथा अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : जी नहीं। दालों के उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्न उपायों के माध्यम से कई कदम उठाये गये हैं :

(1) खरीफ तथा रबी की फसलों के उपरान्त दालों की अल्पावधि मध्यवर्ती फसलों का प्रारम्भ।

(2) दालों के अन्तर-शस्य कार्यक्रम।

(3) राइज़ोबियम कल्चर के उपयोग का प्रारम्भ।

(4) दालों की कुछ नव विकसित अल्पावधि किस्मों के बीजों के गुणन का कार्यक्रम।

(5) उर्वरकों और विशेषकर फौस्फेट पूरक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि।

(6) दालों की अधिक उत्पादनशील और रोग निरोधी किस्मों का विकास।

(7) दालों को हानि पहुंचाने वाले कीटों और रोगों के लिए प्रभावी और आर्थिक नियंत्रण।

वाणिज्यिक फसलों की निर्यात वृद्धि। आयात प्रतिस्थापकों के लिये प्रायः समस्त संभाव्य क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। चतुर्थ योजना की अवधि में इन योजनाओं के लिये 14.50 करोड़ रुपये के अस्थायी परिव्यय की व्यवस्था की गई है। 1969–70 की अवधि में 2.32 करोड़ रुपये की राशि व्यय होने की सम्भावना है। 1970–71 के लिये 2.75 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

बारानी खेती के लिये धन

9726. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बारानी खेती के लिए केवल दो करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है जबकि भारत में जोते हुए क्षेत्र की लगभग 60 प्रतिशत भूमि पर बारानी खेती होती है ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार को पता है कि किसी भी खेती के अन्तर्गत क्षेत्र की तुलना में यह राशि अपर्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार बारानी खेती के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। 2.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था 1970–71 में बारानी खेती की आदर्श परियोजना की क्रियान्विति के लिये की गई है।

(ख) और (ग) 1970–71 के दौरान शुरु होने वाली आदर्श परियोजना के लिये यह राशि पर्याप्त होगी। फिर भी बारानी क्षेत्रों में कृषि के साधारण विकास के लिए लघु सिंचाई भूमि संरक्षण, भूमि विकास आदि के कार्यों के लिये धन पहले ही उपलब्ध है।

पश्चिम बंगाल में घेरावों सम्बन्धी केन्द्रीय अध्ययन दल

9727. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में श्रमिकों द्वारा किये जा रहे घेरावों के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे करने के लिए एक केन्द्रीय अध्ययन दल को कलकत्ता भेजा गया है ;

(ख) क्या हाल ही के दो महीनों में इस राज्य में घेरावों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है ;

(ग) घेरावों के कारण उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव और उनके पीछे मुख्य उद्देश्यों के सम्बन्ध में दल के क्या निष्कर्ष हैं ; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) सरकार ने पश्चिमी बंगाल में कोई अध्ययन दल नहीं भेजा है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों के कृषि उद्योग निगमों को आयातित ट्रैक्टर देने के मापदंड तथा किसानों को इन ट्रैक्टरों का वितरण

9728. **श्री गुरचरण सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के कृषि उद्योग निगमों को आयातित ट्रैक्टर देने की कसौटी क्या है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में इन ट्रैक्टरों को किसानों के मध्य बांटने के मापदंड क्या हैं ; और

(ग) क्या राज्य के मुख्य मंत्रियों के लिये प्राथमिकता के आधार पर कोई सरकारी कोटा निश्चित है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आयातित ट्रैक्टरों का आबंटन करते समय विभिन्न राज्यों द्वारा सूचित की गई मांगों के अतिरिक्त निम्न बातों पर विचार किया गया था :

(i) राजकीय कृषि उद्योग निगमों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों आदि द्वारा पंजीकृत आपेक्षित मांग ।

(ii) सम्बन्धित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक उत्पादनशील किस्मों की बुवाई का क्षेत्रफल ।

(iii) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा ट्रैक्टरों की संख्या ।

(iv) सम्बन्धित राज्यों को पहले ही आबंटित हुये ट्रैक्टर ।

(ख) विभिन्न निगमों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किसानों में आयातित ट्रैक्टर बांटने के लिये अलग-अलग मापदण्ड अपनाए हैं ।

(ग) कुछ विशिष्ट श्रेणियों को प्राथमिकता के आधार पर आयातित ट्रैक्टरों का 5 प्रतिशत कोटा राज्य सरकारों/कृषि उद्योग निगमों को सौंप दिया गया है ।

डाक और तार सर्किल बनाने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

9729. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश की है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे महानगरों के लिए पृथक डाक तथा तार सर्किल और नगरों के शेष भाग के पृथक डाक तथा तार सर्किल होना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सिफारिश को मान लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) प्रशासन सुधार आयोग ने अभी तक ऐसी कोई सिफारिश नहीं भेजी है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Harassment of Harijan Employees of U. P. Regional Office of E. P. F. Organisations

9730. Shri Hukam Chand Kachwai :

Shri Molahu Prashad :

Shri Arjun Singh Bhadoria .

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(*a*) the reasons for not taking any action so far against the Assistant Commissioner and other employees of the U. P. Regional Office of the employees Provident Fund Organisation for hatching a conspiracy to harass Harijan employees, make adverse entries in their annual confidential reports deliberately, show discriminatory behaviour in administrative matters and tamper with the office records despite the fact that Members of Parliament had already drawn the attention of the Ministry on this matter;

(*b*) whether Government are aware that undue protection is being accorded to the said Assistant Commissioner and the employees concerned; and

(*c*) the reasons for not instituting an enquiry against them ?

The Minister of Labour, Empolyment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : The Administration of the Employees Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees. The Provident Fund Authorities have reported as under :

(*a*) There is no case of harassment, making adverse entries in the Confidential Reports of Scheduled Caste employees and of discriminatory behaviour with them by the Assistant Commissioner and other employees of the Office of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh.

(*b*) and (*c*) Do not arise.

All India Seniority List of E. P. F. Organisation Employees

9731. Shri Hukam Chand Kachwai :

Shri Shri Gopal Saboo :

Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(*a*) the full details of the seniority list of class II inspectors in the Employe es Provident Fund Organisation at All India level together with their names and their respective serial numbers on the said list ;

(*b*) the names of the officers responsible for not preparing a separate seniority list of the aforesaid inspectors belonging to the Scheduled Castes

and Scheduled Tribes as required under orders of the Ministry of Home Affairs; and

(c) whether a separate seniority list of the employees referred to in part (b) above has been prepared in the head office of the said Organisation, the full details thereof together with the names of the employees concerned ?

Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : The administration of the Employees Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees. The Provident Fund authorities have reported as under :

(a) An all-India seniority list of Provident Fund Inspectors (Grade-II) is under preparation.

(b) and (c) It is not necessary to prepare a separate seniority list of Inspectors belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Orders of the Ministry of Home Affairs regarding promotion of these officers are, howeve being complied with.

Separate Roster and Select List for S. C. and S. T. Employees of U. P. Regional Office of E. P. F. Organisation

9732. Shri Hukam Chand Kachwai :

Shri Shri Gopal, Saboo :

Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Labour and Rehabiliation** be pleased to State :

(a) the reasons for not carrying out the orders of Ministry of Home Affirs in regard to preparing a separate roster and select list of class III employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, working in the Uttar Pradesh Regional Office of Employees Provident Fund Organisation;' and

(b) in case a separate roster and select list of the said employees has all-ready been prepared keeping in view the assurances given previously, the details thereof ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b) The administration of the Employees Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees. The Provident Fund Authorities have reported that they are looking into the matter.

नेशनलहेराल्ड में "समाचार भारती" पर 20 मार्च, 1970 को प्रकाशित सम्पादकीय लेख

9733. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 20 मार्च 1970 के 'नेशनल हैराल्ड' दैनिक समाचार पत्र में 'ए न्यूज एजेंसी प्लाइट' (एक समाचार एजेंसी की सोचनीय दशा) शीर्षक

के अन्तर्गत छपे सम्पादकीय लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें विशेष रूप से समाचार भारती का उल्लेख किया गया है ; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) समाचार भारती एक स्वतंत्र समाचार एजेन्सी है । यह मुख्य रूप से राज्य सरकारों, जो, समाचार भारती के प्रमुख शेयरहोल्डर हैं के ऊपर निर्भर करता है कि वे क्या कार्यवाही करें । जहां तक समवाय कार्य विभाग द्वारा कार्यवाही किए जाने का प्रश्न है लोक सभा के 23 अप्रैल 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7314 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

इत्तहाद मोटर ट्रांसपोर्ट (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली में हड़ताल

9734. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इत्तहाद मोटर ट्रांसपोर्ट (प्रा०) कम्पनी लिमिटेड (बी० ग्रुप) दिल्ली के कर्मचारी पिछले कुछ महीने से हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में बाल-चलचित्रों का दिखाया जाना

9735. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, दिल्ली में बाल चल-चित्रों का नियंत्रित रूप से प्रदर्शन करती है ;

(ख) इन चलचित्रों को औसतन कितने ऐसे बच्चे देखने जाते हैं जिनके साथ उनके माता पिता नहीं होते हैं ; और

(ग) इन चलचित्रों को देखने के लिये अपने माता पिता के साथ न आने वाले बच्चों की देख भाल के लिये नर्सें तथा महिला परिचारिकाएं न रखने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां । बाल चित्र समिति द्वारा निर्मित फिल्में प्रत्येक रविवार और छुट्टियों के दिन नियमित रूप से सप्रू हाउस, नई दिल्ली में दिखाई जाती हैं ।

(ख) ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इस प्रकार का रिकार्ड नहीं रखा जाता ।

(ग) यह नहीं किया गया है क्योंकि यह जरूरी नहीं समझा जाता है । समिति को ऐसा कोई सुझाव भी नहीं दिया गया है । औडिटोरियम में असर्ज बच्चों को उनकी सीटों पर बैठाने म सहायता करत हैं ।

सरकारी संगठनों द्वारा विदेश से सम्बद्ध विज्ञापन अभिकरणों का उपयोग

9736. **श्री स० चं० सामन्त :**

डा० प० मंडल :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) ऐसे सरकारी उपक्रम, सांविधिक निकाय तथा अन्य सरकारी संगठन कौन-कौन से हैं जो पिछले वर्ष के दृष्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय के निदेश का उल्लंघन करके अभी तक विदेशों से सम्बद्ध विज्ञापन अभिकरणों को विज्ञापन दे रहे हैं और उनसे लाभान्वित होने वाले अभिकरणों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार को इण्डियन एयर लाइन्स के अध्यक्ष से कोई ऐसा पत्र मिला है जिसमें उसने इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का एक अमरीकन विज्ञापन अभिकरण का ग्राहक बने रहने की वकालत की है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन, दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय और सरकारी प्रक्रम ब्यूरो के बीच हुए पत्र व्यवहार को सभा पटल पर रखा जाएगा ; और

(घ) क्या अमरीका से सम्बद्ध इस विज्ञापन अभिकरण का मैनेजिंग डायरेक्टर पिछले दिनों तक दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय में था ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित सरकारी उपक्रम, सांविधिक निकाय इत्यादि आंशिक रूप से विदेशी स्वामित्व वाली विज्ञापन एजेंन्सियों जिनके नाम उनके सम्मुख दिए गए हैं, की सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं :—

1. एयर इंडिया	मैसर्स हिन्दुस्तान थाम्पसन एसोसियेट्स, लिमिटेड
2. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	तथैव
3. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	तथैव
4. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	तथैव
5. नेशनल मिनरल डैवलपमैंट कारपोरेशन	तथैव
6. इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल	तथैव
7. टैक्सटाइल कमेटी	तथैव

8. कापर बोर्ड	मैसर्स हिन्दुस्तान थाम्पसन एसोसियेट्स, लिमिटेड
9. टी बोर्ड	तथैव
10. हैण्डलूम हाउस, दिल्ली	तथैव
11. इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन	मैसर्स क्लेरिअन मैक्कन एडवरटाइजिंग सर्विसेज लिमिटेड

(ख) मैसर्स क्लेरिअन-मैक्कन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज लिमिटेड ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्रार्थना की थी कि उनको 6 महीने का समय और दे दिया जाए ताकि वे अपने विदेशी सहयोगियों के साथ दिये गए करार का पुनर्विलोकन कर सकें और उनको दिए गए निर्देश की भावना के अनुरूप सरकार के सम्मुख प्रस्ताव रख सकें। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अध्यक्ष ने यह सुझाव दिया था कि एजेंसी की प्रार्थना पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जहां तक इंडियन एयरलाइन्स का सम्बन्ध है, वे विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पत्र के अनुसार मैसर्स क्लेरिअन मैक्कन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज लिमिटेड से संबन्ध विच्छेद करने के लिए नोटिस देने के बारे म कदम उठा रहे ह।

(ग) पत्र व्यवहार को सदन की मेज पर रखना वांछनीय नहीं होगा।

(घ) मैसर्स क्लेरिअन मैक्कन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज लिमिटेड के वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर जब इंण्डियन आक्सीजन लिमिटेड, कलकत्ता में काम कर रहे थे, तो उनकी सेवाएं विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय में 1-12-65 से 30-11-66 तक सलाहकार के रूप में नियुक्ति के लिए ऋण पर प्राप्त की गई थीं।

खोसला समिति की सिफारिशें

9737. **श्री न० रा० देवधरे :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने फिल्म सेंसर कार्य सम्बन्धी खोसला समिति की विभिन्न सिफारिशों पर विचार पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)

(क) और (ख) सेंसर सम्बन्धी खोसला समिति की रिपोर्ट सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

हाल में हुए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह से आय

9738. **श्री न० रा० देवधरे :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को हाल में हुए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह से कितनी आय हुई; और

(ख) इस समारोह का आयोजन करने में सरकार को कुल कितनी हानि/लाभ हुआ ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) राजस्व 6 लाख 81 हजार रुपए से कुछ अधिक है ।

(ख) इस अवस्था पर सही स्थिति देना सम्भव नहीं है, क्योंकि कुछ बिल अभी आने बाकी हैं। तथापि, 1969-70 के बजट अनुदान में स्वीकृत 7.33 लाख रुपए के संशोधित अनुदान की तुलना में समारोह के आयोजन पर 31 मार्च, 1970 तक हुआ वास्तविक व्यय 6.64 लाख रुपए था ।

Activity of Pak Agents in Betul District, M. P.

9739. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(*a*) whether the attention of Government has been drawn to the news report published in the *Daily Swadesh* of the 20th April, 1970 to the effect that Pakistani agents are very active in Betul District of Madhya Pradesh;

(*b*) whether it is also a fact that in March 1970 Radio Pakistan broad cast the news of Betul Bandh before it was broadcast by All India Radio ;

(*c*) whether the attention of Government was also drawn to the fact that Radio Pakistan also broadcast the news of the Betul Tour of the Chief of; Air Staff before it was broadcast by All India Radio; and

(*d*) if so, the reaction of Government thereto and to action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) *and* (*c*) According to information available in the Ministry, Pakistan Radio does not appear to have broadcast any such news. These items were not broadcast from A. I. R. either.

(*d*) Does not arise.

समाचार भारती के निदेशकों के नाम

9740. **श्री बि० प्र० मंडल : श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'समाचार भारती' नामक समाचार अभिकरण के कुछ निदेशकों नें त्यागपत्र दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1970 तक कितने निदेशकों ने पद त्याग किया है ; उनके नाम क्या हैं और उन्होंने पद त्याग करने के क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) इस समय 'समाचार भारती' समाचार अभिकरण में कितने निदेशक हैं और उनके नाम क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी, हां । कुछ निदेशकों ने पद से त्याग पत्र दे दिया है ।

(ख) आठ । 27–11–69 तक जिन निदेशकों ने त्यागपत्र दे दिए थे, उनके नाम नीचे दिए हुए हैं ; 31–3–70 तक की भी यही स्थिति है :—

नाम	त्याग पत्र की तारीख	
1. श्री जी० डी० सोमानी	10–5–65	
2. श्री आर० आर०मोरारका	7–1–67	
3. श्री गंगा शरण सिंह	21–8–68	20–3–69 को फिर नियुक्त किए गए
4. श्री प्रकाश वीर शास्त्री	28–8–68	
5. श्री फीरोज चन्द	19–3–69	
6. श्री वेद व्यास	27–11–69	
7. श्री ए० के० जैन	27–11–69	
8. श्री श्री प्रकाश	27–11–69	

त्याग पत्रों के कारणों का पता नहीं है क्योंकि कम्पनी को कम्पनी अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अन्तर्गत इन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) सात । वर्तमान निदेशकों के नाम इस प्रकार है :—

1. श्री मौली चन्द्र शर्मा
2. श्री जय प्रकाश नारायण
3. श्री मोहन लाल भट्ट
4. श्री प्रकाश वीर शास्त्री
5. श्री जी० बी० नेवलकर
6. श्री लक्ष्मी मल सिंधवी
7. श्री डी० वी० गांधी

जस्कर, लद्दाख में डाक, तार एवं टेलीफोन सुविधाएं

9741. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख की तीसरी तहसील जस्कर में डाक तार एवं टैलीफोन की सुविधायें नहीं दी गई हैं और इस स्थान का सम्पर्क सामान्यता एक वर्ष में लगभग 6 महीने टूटा रहता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां की असैनिक आबादी को फिलहाल वहां पर विद्यमान पुलिस को वायरलैस सेवा का उपयोग करने की अनुमति तथा वहां पर उपरोक्त सुविधाएं देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सुविधाएं वहां पर कब तक उपलब्ध कर दी जायेंगी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और इसे लोक सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Permission by Forest Department for digging Wells in the foothills in the Hilly Area of Rajasthan

9742. **Shri Meetha Lal Meena :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Forest Department files suits against farmers who dig wells for irrigation purposes on the foothills in the forests in the hilly areas of Rajasthan and prevent them from digging wells ;

(*b*) if so, the reasons therefor ;

(*c*) whether Government propose to accord permission for digging wells for irrigation purposes ;

(*d*) if so, from when ; and

(*e*) if not, the reasons therefor ?

Ministry of State in the Minister of Food, Agriculture, Community Dev. and Cooperation (Shri Anna Saheb Shinde) : (*a*) and (*b*) The Forest Department of Rajasthan takes Legal action against tresspassers on any forest land (whether it be for digging of wells or any other purpose) under the provisionsof Rajasthan Forest Act of 1953.

(*c*) and (*d*) Digging wells in the forest area can be done by obtaining permission of the State Forest Department under the specific provisions ofthe Forest Act.

(*e*) Does not arise.

पी० एल०-480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात

9743 **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत अमरीका से आयातित खाद्यान्नों की काफी मात्रा को अमरीकी जहाजों तथा शेष को भारतीय तथा अन्य जहाजों से लाना अपेक्षित है जिन के मामले में भारत का उत्तरदायित्व गैर-अमरीकी जहाजों के देय वस्तु भाड़े तक ही सीमित है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त करार के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में कुल कितने खाद्यान्नों का आयात किया गया तथा इस लिये कुल कितना वस्तु भाड़ा अदा किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) 1967, 1968 तथा 1969 के पंचांग वर्षों में पी० एल०-480 के अन्तर्गत लगभग 125 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आयात किया गया था । अनुमान है कि भाड़े की चार्टर पार्टी की दर के हिसाब से कुल लगभग 189.2 करोड़ रुपये भाड़े के रूप में देने पड़ेंगे ।

जहाज द्वारा अनाज की ढुलाई में होने वाली बर्बादी

9744 **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि 1969 में लगभग 12,013 टन खराब अनाज बेचा गया था जो मुख्यत : जहाज द्वारा ढुलाई के कारण खराब हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) भविष्य में ऐसी पुनरावृति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

खाद्य, कृषी, सामुदायिक विकास तथा सहकाकार मन्त्रालय में राज्य मण्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) खराब मौसम के कारण जहाज़ के खावों में पानी का रिसना ।

(ग) केवल समुद्र योग्य जहाज़ों को खाद्यान्न ढोने के लिए किराये पर लिया जाता है । जहाज़ के मालिकों के लिए यह ज़रूरी होता है कि वे समुद्रयात्रा के दौरान किसी क्षति को रोकने के लिए उपयुक्त सावधानी बरतें । तथापि जब जहाज़ों को समुद्री जोखिम अथवा प्राकृतिक कारणों से खराब मौसम का सामना करना पड़ता है जोकि मनुष्य के नियन्त्रण के बाहर होते हैं, तब यह क्षति अपरिहार्य होती है ।

आकाशवाणी के कार्य को ठप्प करने का प्रस्ताव

9746. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कार्मिक संघ के दो नेताओं को मुअत्तिल करने का विरोध करने के लिये कर्मचारियों ने आकाशवाणी के कार्य को ठप्प करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बारानी खेती बोर्डों की स्थापना

9747. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस ने सरकार से एक खेती बोर्ड स्थापित करने का आग्रह किया है जिसकी एक विशेष जिम्मेदारी भूमिगत जल संसाधनों का लाभ उठाने की होगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कांग्रेस (संगठन) से मन्त्रालय को कोई ऐसी प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है जिसमें सरकार से बारानी खेती मण्डल की स्थापना करने का अनुरोध किया गया हो जिसकी एक विशेष जिम्मेदारी भूमिगत जल संसाधनों का लाभ उठाने की होगी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

बड़े शहरों में सार्वजनिक टेलीफोन

9748. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में कितने सार्वजनिक टेलीफोन हैं तथा उनके अनुरक्षण पर प्रतिवर्ष कितना खर्च होता है ;

(ख) 1966-67 तथा 1967-68 में उनसे कितनी आय हुई ;

(ग) यांत्रिक खराबी और चोरी आदि के कारण ये टेलीफोन कक्ष कुल कितना समय बंद रहे तथा उससे सरकारी राजस्व की कितनी हानि हुई ; और

(घ) उक्त अवधि में प्रत्येक नगर में चोरी के कितने मामले दायर किए गए तथा इस दिशा में क्या कदम उठाए गये ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

आन्ध्र प्रदेश में निजामाबाद में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र के निर्माण में प्रगति

9749. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिला मुख्यालय में स्वचालित टेलीफोन केंद्र की स्थापना संबंधी नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) इस टेलीफोन केंद्र के लिये नई इमारत का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है और कार्य आरंभ होने के समय से उसके निर्माण को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) निजामाबाद में प्रस्थापित स्वचालित टेलीफोन केंद्र की अनुमानित लागत तथा अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) विभाग की यह नीति रही है कि बड़े करचल एक्सचेंज को बदल कर उसकी जगह मुख्य स्वचल एक्सचेंज लगाया जाए। इस नीति के अनुसार निजामाबाद में एक मुख्य स्वचल एक्सचेंज लगाने के लिए सिद्धान्ततः स्वीकृति दी जा चुकी है।

विभाग सामान्यतया किसी स्टेशन की कुल टेलीफोनों की मांग को ध्यान में रख कर ही इन योजनाओं पर कार्य करता रहा है। निजामाबाद में 31-3-69 को कुल 576 टेलीफोनों की मांगें थीं। 74 और दूसरे ऐसे स्टेशन थे जहां मुख्य स्वचल एक्सचेंज स्थापित किये जाने थे और जहां टेलीफोनों की मांग निजामाबाद की टेलीफोनों की मांग से अधिक थी।

मौजूदा उपलब्ध सामान के साधनों के अनुसार निजामाबाद में लगभग 1976-77 तक ही स्वचल एक्सचेंज चालू किये जाने की संभावना है।

मुख्य स्वचल एक्सचेंज की नई इमारत की योजना इस प्रकार बनाई जा रही है ताकि एक्सचेंज की स्थापना के लिए यह इमारत समय पर तैयार हो जाए।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इमारत की अनुमानित लागत 24.14 लाख होगी। इसमें 5,000 लाइनों की क्षमता वाले मुख्य एकसचेंज और साथ ही ट्रंक और पारेषण उपस्कर लगाए जा सकते हैं। इस इमारत में और भी विस्तार किये जाने की क्षमता है जिसमें कि 5,000 लाइनों का एक दूसरा स्वचल एक्सचेंज का उपस्कर लगाया जा सकेगा।

पूर्व परीक्षण के बिना पूर्वी जर्मनी से आर० एस०-09 ट्रैक्टरों का आयात करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किये जाने का प्रस्ताव

9750. श्री एम० नारायण रेड्डी: क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में आयात किये गये पूर्वी जर्मनी के आर० एस०-09 ट्रेक्टरों का बड़ी संख्या में आयात करने का निर्णय करने से पूर्व उनका बुदनी ट्रेक्टर प्रमिक्षण संस्था में परीक्षण नहीं किया गया था ; यदि हां, तो ऐसा असामान्य और असाधारण प्रक्रिया को अपनाने का क्या कारण था ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन परिस्थितियों और पृष्ठभूमि की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाने का है जिन में ट्रैक्टरों का हाल ही में इस देश में आयात किया गया था; और

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के पूरा होने तक ट्रेक्टरों का आयात बन्द करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) 1965 में ट्रैक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण केन्द्र, बुदनी (मध्य प्रदेश) में 18.04 अश्व शक्ति और दो सिलिन्डर वाले ट्रेक्टर का परीक्षण किया गया था। ढेले तोड़ने के कार्य निस्पादन में सुधार करने के लिये 25 अश्व शक्ति और 4 सिलिन्डर वाले आर०एस०-09 ट्रैक्टरों की आपूर्ती की गई थी। आपूर्ती से पूर्व बुदनी में इस माडल का परीक्षण नहीं किया गया था क्योंकि पूर्व परीक्षण के आधार पर प्रकाश में आने वाली अधिक क्षमता सम्बन्धी तकनीकी आवश्यकता पूर्ण हो चुकी थी।

(ख) और (ग) इन ट्रैक्टरों के कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें हैं। भारत सरकार और पूर्वी जर्मनी के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मामले पर विचार किया जा रहा है और इस स्थिति में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। निष्कर्षों पर पहुँचने तथा जांच पूरी होने तक इस प्रकार के ट्रैक्टरों के और आयात को रोक दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में टेलीफोन केन्द्रों का बार बार खराब होना

9751. श्री एम० नारायण रेड्डी : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात का पता है कि आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले के आरमूर बोधान और बानसवादा तालुक मुख्यालयों में टेलीफोन केन्द्र बार बार खराब होते हैं : यदि हां, तो काफी समय से बार-बार उनके खराब होने के क्या कारण हैं ;

(ख) लोक हित को ध्यान में रखते हुए इन टेलीफोन केन्द्र के कार्य संचालन में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) आरमूर, बोधान और बांसवाडा के एक्सचेंज संतोषजनक काम कर रहे हैं, केवल आरमूर में कुछ दिकत है जहां स्विच बोर्ड पुराना है। इन एक्सचेंजों और निजामाबाद ट्रंक एक्सचेंज के बीच ट्रंक सेवा भी संतोषजनक है सिवाय उन हालतों में जब अवरोध पैदा हो जाते हैं। इन अवरोधों में से अधिकांश तांबे के तारों की चोरी के कारण होते हैं।

(ख) आरमूर के पुराने स्विच बोर्ड को बदलने का प्रस्ताव है।

A. I. R. New Bulletins Dated 25-4-70 26-4-70

9752 Shri Mritpunjay Prasad : Will The Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the course of Prof. N.G. Ranga's speech in a meeting at Patna on the 25th April, 1970 several bombs were hurled on the meeting place in order to kill him and other political leaders present there as a result of which several persons were injured but no news to this effect was broadcast from A.I.R. in the evening news bulletin of the 25th April, 1970 or in the morning or the afternoon news bulletins of the 26th April, 1970 and the reasons for ignoring such an important news; and

(*b*) in case the said news was broadcast from A.I.R., the details of the broadcast in Hindi or English bulletin and the timings of their broadcast ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I.K. Gujral) : (*a*) The news item was not ignored by A. I. R.

(b) The extracts of broadcasts in Hindi and English are placed on the table of the House.

[Placed in Library, See. No. LT. 3517/70]

विदेशी नस्ल की गायों का प्रजनन

9753. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश ने विदेशी नस्ल की गायों के प्रजनन के सम्बन्ध में मांग की है ; और

(ख) यह मांग कब तक पूरी की जायेगी ताकि सघन पशु विकास परियोजना के अंतर्गत दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये विदेशी नस्लों से संकरण करने की नीति कार्यान्वित हो सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार को अब तक 13 जर्सी सांड और 5 जर्सी ओसर सप्लाई किये गये हैं । जब भी विदेशी जर्सी नस्ल के पशु उपलब्ध होंगे अन्य राज्यों की आवश्यकताओं के लिए नियतन करते समय इस राज्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

गुजरात में डाक तथा तार विभाग के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

9754. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अहमदाबाद महा-डाकपाल के अधीन डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी काम करते हैं ; और

(ख) क्या सेवा की सभी श्रेणियों में अपेक्षित प्रतिशत को बताने बनाये रखा जाता है ; क्या कारण है यदि हाँ, तो कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ; क्या आरक्षित पदों के अनुसार अपेक्षित पदोन्नति की जाती है और यदि नहीं, तो आरक्षित पद को न बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) 1 जनवरी, 1970 को 1080 ।

(ख) (i) जी हां, ।

(ii) श्रेणी III–740
श्रेणी IV–340

(iii) जी हां, बशर्ते कि उम्मीदवार उपलब्ध हों ।

(iv) पदोन्नति से भरे जाने वाले कुछ पदत्रमों के लिए कभी-कभी कोटा बनाये रखना संभव नहीं होता, क्योंकि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार पदोन्नति परीक्षा भी पास नहीं कर सकते ।

सुपर बाजार द्वारा विभिन्न विभागों के हस्तांतरण की शर्तें

9755. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के सुपर बाजार ने कई विभागों को ठेके पर या किराये पर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्हें विभिन्न विभागों को ठेके या किराये पर दिया गया है तथा तेत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डा० एरिंग) : (क) सुपर बाजार में कुछ अनुभाग तथा सेवाएं पूर्तिकर्त्ताओं तथा अन्य पार्टियों के साथ एजेंसी अथवा कमीशन के आधार पर किए गये विशिष्ट प्रबन्धों के अन्तर्गत चलाई जा रही हैं, परन्तु किस्म, मूल्यों, बिक्री तथा सेवा-प्रभार पर सुपर बाजार का नियंत्रण है ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विभागों/अनुभागों तथा पार्टियों के नाम नीचे दिये गये हैं

विभागों/अनुभागों के नाम	पार्टियों के नाम
1. फल तथा सब्जी अनुभाग	मैसर्स अग्रवाल एण्ड० कं ।
2. केफेटीरिया	मैसर्स कैपिटल रेस्टोरेंट । मैसर्स निरूला । मैसर्स सरदारी लाल ।
3. बनारसी साड़ियाँ	मैसर्स कन्हैया लाल श्याम जी एण्ड सन्स । मैसर्स नगर सेल्स कारपोरेशन ।
4. आप्टीकल विभाग	मैसर्स के० के० सेल्स । मैसर्स लक्ष्मी आपटीकल्स ।
5. टेलरिंग यूनिट	मैसर्स सिंहसन्स । मैसर्स अपोलो टेलर्स ।
6. डेंटल क्लिनिक	डा० (श्रीमती) सीतू जुनेजा ।
7. फोटो गुड्स यूनिट	मैसर्स फोटो गुड्स कं० ।
8. वाच काउन्टर	मैसर्स गुप्ता एण्ड गोयल ।
9. कन्फेक्शनरी	मैसर्स मैक्सिम्स ।
10. हेयर ड्रेसिंग यूनिट	मैसर्स राय एण्ड जेम्स । मैसर्स एसने ।
11. इलेक्ट्रोनिक्स रिपेयर यूनिट	मैसर्स महिमा इलेक्ट्रोनिक्स ।

विभागों/अनुभागों के नाम	पार्टियों के नाम
12. ड्राई क्लीनिंग यूनिट	मैसर्स नोवेक्स प्राइवेट लि० ।
13. वाच रिपेयर यूनिट	मैसर्स मास्टर वाच कं० ।
14. स्कूटर पार्टस	मैसर्स कल्सी आटो स्टोर्स ।
15. मोटर पार्टस	मैसर्स यादव ब्रादर्स एजेन्सीज़ ।
16. गोश्त तथा मछली विभाग	मैसर्स एसेक्स फार्मस मैसर्स मन्जूर फार्म प्रोडक्टस ।
17. साड़ी प्रिंटिंग यूनिट	मैसर्स सुशीला प्रिंट्रस ।
18. सौफटी आइस क्रीम	मैसर्स सिंघल (लेफ्टिनेंट कर्नल) ।
19. पापकार्न	मैसर्स पापकार्न ।

शर्तें निम्न प्रकार हैं.

(1) एजेंसी अनुभाग सुपर बाजार की ओर से चलाये जाते हैं और उनकी बिक्री सुपर बाजार की कैश रसीदों पर की जाती है ।

(2) वस्तुएं/सेबायें पार्टियों द्वारा उपलब्ध की जाती हैं परन्तु उनकी किस्मों, दरों आदि पर सुपर बाजार का कड़ा नियंत्रण रहता है ।

(3) पार्टियों से कोई किराया नहीं लिया जाता है और इस प्रकार स्थान किराए पर नहीं दिया जाता है ।

(4) सुपर बाजार बिक्री पर प्रतिशतता के आधार पर कमीशन लेता है ।

(5) सुपर बाजार इन पार्टियों को होने वाली हानियों अथवा नुकसानों के लिये क्षतिपूर्ति करता है ।

(6) पार्टियों को ग्राहकों के साथ किसी भी लेनदेन में अपना नाम अथवा स्टाइल का प्रयोग करने पर रोक है ।

Criteria adopted for nominating M. Ps. to Telephone Advisery Committee

9756. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the criteria adopted by Government while nominating Members of Parliament to the Telephone Advisory Committees in various States and Territories ;

(*b*) whether it is a fact that only Congress Members of Parliament have so far been appointed to the Telephone Advisory Committees in most of the States;

(c) whether it is also a fact that only Congress Members have been appointed for the last 20 years to the said Committees in Rajasthan; and

(d) if so, the reasons thereof and the criteria which is going to be adopted in future in this regard ?

The Minister of State in the Ministery of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Telephone Advisory Committees are set up to function at particular stations and an M.P. is nominated by the Department of Parliamentary Affairs on advice of the Minister of Communications from amongst the Members residing at or elected from such stations.

(b) and (c) The nominations are not made on party basis.

(d) Does not arise.

Setting up of Public Telephone Booths in Jaipur Division.

9757 Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of new public telephone booths Government propose to set up in Jaipur Division of Rajasthan and the location thereof;

(b) whether it is a fact that Government have taken a final decision to set up some public telephone offices and if so, the location thereof;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the time by which the proposed public telephones would be installed?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b) The proposals to open new Public Call Offices at 25 places in Jaipur Telegraph Division have been approved. The names of these places are given in the list attached.

(c) Question does not arise.

(d) The Public Call Offices at the above mentioned 25 places are likely to be installed within a period of 2 years, depending upon the availability of stores.

Laying of S. A. X. Telephone Cables in Lalsot in Jaipur Division.

9758. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any final decision in respect of laying S.A.X. telephone cables in Lalsot town in Jaipur Division ; and

(b) if so, the time by which the work is likely to be started and the time by which it will be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (*a*) The project for opening of small Automatic Exchange and laying of associated telephone cables etc., has been sanctioned.

(*b*) Demand Notes to the intending subscribers have already been issued. The Exchange will be opened within three to six months after payment of the 12 Demands Notes issued.

Direct Telephone Connection between Bonli-Swai Madhopur.

9759. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(*a*) whether Government have taken any final decision to connect public telephone at Bonli with Swai Madhopur; and

(*b*) if so, the time by which the work is likely to be started and the time by which it will be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

Shortage of Drilling Machines for Installation of Tube-Wells in Madhya Pradesh.

9760. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(*a*) whether Government are aware that it is very difficult to install tube-wells in such areas of Madhya Pradesh, where there are rocks under the surface and there is absolute shortage of drilling machines used for installation of tube-wells ; and

(*b*) if so, the steps Government propose to take to meet this shortage ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Coop. (Shri Annasaheb Shinde) : (*a*) and (*b*) The equipment required for boring and drilling in hard rock areas includes (*i*) Calyx rigs (*ii*) Diamond drilling rigs; (*iii*) Percussion rigs and (*iv*) Jack hammers and rock drills (with extension equipment). All this equipment is manufactured by various firms in the country and is freely available.

Foreign exchange amounting to about Rs. 41 lakhs for the import of 15 sophisticated rigs for drilling in hard rock areas was released during the period 1966—69 to various States (having predominantly hard rock areas) including Madhya Pradesh.

A new development is the use of the down-the-hole hammer which enables fast drilling in hard rock areas. These hammers have also started to be manufactured in the country by an indigenous firm. These hammers can be operated

by Diamond drilling rigs and the direct rotary rigs (being manufactured in the country) with slight modifications in the rigs. Several States like Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, have started using down-the-hole hammers with these rigs.

In addition, two firms have undertaken manufacture of down-the hole rigs, specially suited for operating down-the-hole hammers. One of these firms has already supplied six rigs of this type in the medium to heavy range (R.M.T Rotary-cum-hammer Drill) in Tamil Nadu and Andhra Pradesh. These rigs are under Trial and are likely to prove satisfactory with some modifications. The other firm has also started manufacturing down-the-hole rigs in the light range (Halco Minor) and is expected to produce rigs of this type in the medium range (Halco Tiger) in about a year's time.

अमरीकी सूचना सेवा द्वारा भारतीय आर्थिक तथा कारोबार सेवा का आयोजन

9761. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सूचना सेवा ने हाल ही में एक श्रीलंकावासी यहूदी लेखक तथा लन्दन इकानामिस्ट इंटेलिजेन्स यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी की मार्फत भारतीय आर्थिक तथा कारोबार सेवा की व्यवहार्यता के बारे में अध्ययन कराया है और इस के लिये धन जुटाया है ;

(ख) क्या अमरीकी दूतावास के अमरीकी सूचना सेवा तथा अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी विंग ने तथा यू० एन० आई० तथा हिन्दुस्तान समाचार जैसी भारतीय एजेंसियों से इस आर्थिक समाचार सेवा को उनकी हामीदारी तथा सहायता के आधार पर चालू करने के लिये बातचीत की है ; और

(ग) क्या वैदेशिक कार्यालय ने समाचार भारती और विदेशी सरकारों द्वारा चलाई जा रही एजेंसियों के जिनके समाचार भारती (एक सरकारी कम्पनी) द्वारा वितरित किये जाते हैं, बीच हुए करारों की जांच कर ली है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

Clerks and porters accompanying Mail from Kota to Bayana

9762. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(*a*) whether it is a fact that two clerks from R.M.S. Division, Kota are sent from Kota to Bayana alongwith the mail ;

(*b*) if so, the number of porters that were being sent previously ;

(*c*) the number of porters being sent after the deployment of two clerks;

(*d*) if the number of porters has not been increased the reasons therefor;

(*e*) whether it is proposed to recruit new porters; and

(*f*) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (*a*) Four sorters and two sub-sorters work in JP-5 Section between Kota JN and Bayana, one Sub-Sorter having been sanctioned with effect from 22-2-70.

(*b*) Two porters worked in JP-5 Section before 22-2-70.

(*c*) There is no change in the position.

(*d*) No additional porter is justified.

(*e*) & (*f*) Does not arise in view of the reply to (*d*) above.

Strength of porters in R. M. S. Kota

9873. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Lower Selection Grade posts were created in Kota R.M.S.-II about six years ago;

(*b*) whether it is also a fact that the employees have been demanding for the last six years to augment the strength of porters;

(*c*) whether it is further a fact that the strength of class III staff has doubled ; and

(*d*) if so, the reasons for not augmenting the strength of porters ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (*a*) There are two LSG posts in Kota JN. RMS/II, one was created in the year 1963 and other in the year 1966.

(*b*) No, Sir. The additional posts, however, have been sanctioned on a review of the staff strength.

(*c*) Prior to 1-3-1963, the strength of sorters was nine, and since then eight posts of sorters have been created in Kota JN. RMS/1 and 2.

(*d*) The strength of porters has been increased by four since 1963.

Overtime Allowance given to Porters and Sorters of R. M. S. Kota (Rajasthan)

9764. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state

(*a*) the over-time allowance given to the sorters and porters during the last three months in R.M.S. Division, Kota ;

(*b*) the reason for requisitioning their service in overtime;

(*c*) the average shortage of porters and sorters calculated on the basis of this over-time; and

(*d*) the reasons for not increasing the strength of porters and sorters ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (*a*) Sorters Rs. 5,090·95; Porters Rs. 1,092·65.

(*b*) Due to three posts of Sorters remaining unfilled and the number going on leave both in the case of Sorters and Porters being more than the available leave reserve strength.

(*c*) About 3 Porters and 5 Sorters.

(*d*) The pressure in the work-load was caused by shortage of staff due to the posts remaining vacant temporarily or the officials proceeding on sick/regular leave. These did not give justification for increasing the strength of Sorters and Porters which is sanctioned on the basis of standards. The existing three vacancies in Sorters Cadre are now being filled up by the P.M.G. Rajasthan Circle, Jaipur.

Criteria for Promotion of Supervisors to Assistant Engineers in Rajasthan

9765. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(*a*) the basis on which the Supervisors have been promoted without examination to the post of Assistant Engineers in Rajasthan;

(*b*) whether the same criteria will generally be applied in all the Divisions; and

(*c*) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Brodcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (*a*) According to the general policy laid down by Government a select list remains normally operative only for one year. In any case, it ceases to be in force on the expiry of a period of one year and 6 months or when a fresh list is prepared, whichever is earlier. On expiry of the select list, local vacancies, if any, in the grade of A.Es. are filled on 'seniority-cum-fitness basis' irrespective of whether the supervisors have passed the Departmental examination or not.

As far as the Rajasthan Circle is concerned, it is not a fact that Supervisors who have not passed the departmental test have been promoted as A.Es. although such promotions, as indicated in the previous paragraph, would be quite in order if made on the basis of seniority-cum-fitness.

(*b*) Yes.

(*c*) Does not arise.

बम्बई के लिये महा-डाकपाल का पृथक सर्किल

9766. श्री देवराव पाटिल : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री बम्बई तथा महाराष्ट्र के शेष भाग के लिये एक अलग महा डाकपाल के बारे में 16 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 6458 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई तथा महाराष्ट्र के शेष भाग के लिये अलग महा डाकपाल को नियुक्त करने के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तुत किये गये सुझाव का विवरण एवं इन सिफारिशों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) विभाग को मुख्य प्रशासन सुधार आयोग से ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अमरीकी तथा ब्रिटेन के प्रेस की तुलना में भारतीय प्रेस की विशेषताएं

9769. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रेस अमरीकी तथा ब्रिटेन के प्रेस की तरह का एक कठ-पुतली प्रेस है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अमरीकी और ब्रिटेन के प्रेस की तुलना में भारतीय प्रेस की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) अमरीका तथा ब्रिटेन के प्रेस की तरह भारतीय प्रेस ने सालों में अपना ढांचा विकसित किया है । विदेशों के प्रेस के ढांचे का हवाला देना उपयुक्त नहीं होगा ।

Agricultural Ventures run by American Embassy

1970. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(*a*) whether it is a fact that a separate office has been set up by the U.S. Embassy in India to provide the facility of tractors, tubewells and seeds to Indian farmers for the purpose of agriculture;

(*b*) if so, the number of agricultural farmers together with the names of States in which they are located, which are being run by U.S . Embassy; and

(*c*) whether it is also a fact that U.S. Embassy is carrying on modernised agriculture on uneven sandy and barren land after taking it on lease from the farmers and Government and if so, the basis on which the land is allotted to the Embassy ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasheb Shinde) : (*a*) The Government of India are not aware of any such office having been set up by U.S. Embassy.

(*b*) and (*c*) Do not arise.

Pahari Dhiraj Co-oprative House Building Society Ltd., Delhi

9771. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8057 on the 30th April, 1970 and state :

(*a*) whether the President of the Pahari Dhiraj Co-operative House Building Society has sent a letter for not showing the inquiry report to him and for not holding a meeting of the Managing Committee; if so, the reasons therefor ;

(*b*) whether the meeting was held in consultation with the President of the Committee, if so, the date, place and number of members present, details of discussions held and reasons for not sending the necessary papers concerning the meeting within the period specified by the Registrar;

(*c*) the reasons for appointing near relatives of the property dealers who are not residents of Delhi, as Members of the Society in contravention of rules and the action taken to remove them ;

(*d*) the contents of the Registrar's letter and final decision taken in this regard, the action taken to refund the money to the affected members and whether the guilty persons would be prosecuted; and

(*e*) when a copy of the inquiry report will be laid on the Table ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D. Ering) : (*a*) and (*b*) The President of the society had on 22nd April, 1970 sent such a letter to the Secretary; the Secretary who is himself authorised to call for a meeting under the bye-laws of the society had called for a meeting of the Managing Committee on 2-5-1970. This meeting was held on 2-5-1970 at No. H-100, Sarojini Nagar' New Delhi. Four members were present. The discussions that took place are a matter of internal administration of the society and are of a confidential nature.

(*c*) Information has already been furnished in reply to part (*c*) and part (*b*) of Lok Sabha Unstarred Questions No. 2744 and No. 4321 answered on the 12th and 26th March 1970 respectively.

(*a*) and (*e*) A copy each of the Registrar's letter No. F. 282/AR(H)/70-6247 dated the 26th March 1970 to the President, Pahari Dhiraj Cooperative House Building Society and the note containing the findings of the inquiry is given in Annexure I and II respectively. [Placed in Library *See.* No. LT-3518/70]. The reply of the society has been received on 8-5-1970 and is under the consideration of the Registrar. The Registrar of Cooperative Societies as the competent statutory authority would take further necessary action on the reply received from the society. The question of laying a copy of inquiry report on the Table of the House does not arise, as it is a confidential document.

टेलीफोन के लिये करौलबाग टेलीफोन केन्द्र, दिल्ली में अनिर्णीत आवेदन-पत्र

9772. श्रीमती गिरिजा कुमारी : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1970 तक, करौल बाग टेलीफोन केन्द्र में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन पत्रों की श्रेणीवार संख्या कितनी थी; और

(ख) प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को, श्रेणीवार कब तक टेलीफोन मिल जाने की संभावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) अपनी टेलीफोन योजना–कोई नहीं

साधारण–13,992 ।

विशेष–997 ।

(ख) एक्सचेंज उपस्कर और भूमिगत केबलों की सामान्य तौर पर कमी है । इसलिये यह बताना संभव नहीं है कि कौन सी तारीख तक मौजूदा प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी आवेदकों को टेलीफोन दे दिये जाएगें ।

ईदगाह टेलीफोन केन्द्र, दिल्ली के निर्माण की प्रगति

9773. श्रीमती गिरिजा कुमारी : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईदगाह टेलीफोन केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कार्य करने लगेगा; और

(ग) ईदगाह टेलीफोन केन्द्र जब चालू हो जायेगा, तो क्या करौल बाग टेलीफोन केन्द्र में बाकी बढ़े आवेदन-पत्रों को ईदगाह केन्द्र में अन्तरित कर दिया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं यह केवल इमारत है जो कि पूरी होने वाली है । भवन निर्माण कार्य के सितम्बर, 1970 तक पूरा हो जाने की संभावना है । उसके बाद 5000 लाइनों के एक्सचेंज उपस्कर की स्थापना का कार्य हाथ में लिया जाएगा तथा ऐसी आशा है कि 1972 तक एक्सचेंज को चालू करना संभव हो सकेगा ।

(ग) ईदगाह एक्सचेंज के चालू होने पर करौलबाग एक्सचेंज क्षेत्र का कुछ भाग ईदगाह एक्सचेंज में अन्तरित कर दिया जाएगा । इससे करौलबाग एक्सचेंज को लगभग 900 टेलीफोन कनेक्शनों से राहत मिलेगी ।

दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों की मांगें और कार्यकरण पर उनका प्रभाव

9774. श्री रा० बरुआ : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारियों द्वारा बार-बार आन्दोलनों के कारण दिल्ली दुग्ध योजना के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या इन आन्दोलनों का उपभोक्ताओं को दूध की नियमित सप्लाई पर भी प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) भविष्य में जनता को परेशानी से बचाने और दक्षतापूर्ण कार्य संचालन सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) गत चार माह से दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारी संघ द्वारा आन्दोलन की धमकिया दी जाती रही हैं। किन्तु इनसे योजना के कार्य में 25 अप्रैल, 1970 के सिवाय (जबकि प्रदर्शन की धमकी तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली बातचीत के फलस्वरूप दूध की आपूर्ति व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी) कभी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

(ग) प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों की मांग पर सदा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। आशा है कि भविष्य में दुग्ध सप्लाई में ऐसी बाधा नहीं पड़ने दी जायेगी जैसी 25 अप्रैल, 1970 को पड़ी थी।

आकाशवाणी के मन्द गति से पढ़े जाने वाले समाचार बुलेटिन से लाभ उठाने वाले समाचार पत्रों आदि की संख्या

9775. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी द्वारा मंद गति से पढ़े जाने वाले समाचार बुलेटिन से देश में लाभ उठाने वाले समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सेवा की उपयोगिता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार देश की प्रमुख भाषाओं में इस सेवा को आरम्भ करने पर विचार करेगी; यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) इस सेवा को इस्तेमाल करने के बारे में एक सर्वे किया जा रहा है। सरकार के पास इस समय यह सूचना नहीं है कि उन समाचारपत्रों आदि की संख्या कितनी है जो सेवा का लाभ उठा रहे हैं।

(घ) ट्रांसमिटर सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण फिलहाल नहीं।

चंडीगढ़ में श्रमिक कालोनियां बनाना

9775-क. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने चण्डीगढ़ में श्रमिक कालोनियों के स्थान तथा आकार के बारे में निर्णय किर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये कितनी राशि नियत की गई है ;

(ग) उपर्युक्त कालोनियां कब तक बना जायेंगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) इसके लिये अभी कोई धन राशि नियत नहीं की गई है ।

(ग) कोई तिथि निश्चित करना सम्भव नहीं है, परन्तु निणय को यथाशीघ्र लागू करने के लिये प्रयत्न किये जायेंगे ।

भारत के राष्ट्रीय पक्षी की सुरक्षा

9775-ख. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पक्षी, मोर का, जो राजस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर जिले में बड़ी संख्या में पाया जाता था, अब बड़ी शीघ्रता से लोप होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार ने इस राष्ट्रीय पक्षी की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दें) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनाम प्रकाशनों के लिये छापाखानों, प्रकाशकों तथा लेखकों के विरूद्ध विधान

9775-ग. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक ऐसा विधेयक पुन: स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत इसे यह अधिकार प्राप्त हो जायेगा कि वह उन छापाखानों, प्रकाशकों और लेखकों के विरुद्ध कार्यवाही कर सके, जो देश, सरकार या व्यक्ति विशेष के खिलाफ छपी पुस्तकों, पुस्तिकाओं या इश्तहारों पर अपने नाम जान बूझकर नही देते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 3 में पहले ही यह व्यवस्था है कि देश के अन्दर मुद्रित प्रत्येक पुस्तक या पत्र, उसमें मुद्रक का नाम तथा मुद्रण का स्थान साफ साफ छापेगा तथा यदि पुस्तक या पत्र प्रकाशित होना है तो प्रकाशक का नाम तथा प्रकाशन स्थान भी देगा। इन बातों का पालन न करने पर राज्य सरकारें अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत मुद्रक/प्रकाशक के विरुद्ध कार्यवाई कर सकती है और मजिस्ट्रेट के सामने दोष सिद्ध होने पर उसे 2,000 रुपए तक जुर्माना या 6 महीने तक की सादा कैद या दोनों हो सकते हैं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

राज-भाषा के प्रति नीति

9775-घ. **श्री हेम राज :**

श्री प्रेम चन्द वर्मा :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अप्रैल 1970 के दैनिक "नवभारत टाइम्स" में "राष्ट्र भाषा और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रति सरकारी नीति का कच्चा चिट्ठा—बड़े साहबों के राज में पिसती कराहती हिन्दी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) दिनकर समिति ने जिन पदों की सिफारिश की थी उन्हें स्वीकृति दे दी गई है तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है ।

उप-मुख्य सूचना अधिकारी (हिन्दी) ने कार्य करना शुरू कर दिया है । लेख में बताए गये अन्य मामलों पर कार्यवाही की जा रही है ।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : 21 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4315 के भाग (ग) के उत्तर में यह कहा गया था कि 1968 और 1969 के दौरान आकाशवाणी के विभिन्न स्थानीय कार्यालयों में प्रोडक्शन सहायक के पद के लिए 79 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 41 उम्मीदवारों को इन्टरव्यू के लिए बुलाया गया था,वास्तव में जिन उम्मीदवारों को इन्टरव्यु के लिए बुलाया गया था उनकी संख्या 28 थी । उत्तर के इस अंश को संशोधित रूप में पढ़ा जाए अनवधानता से हुई अशुद्धि के लिए खेद है ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) : 23 अप्रैल, 1970 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 7206 के भाग (क) के उत्तर में और बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय सार्वजनिक उपक्रमों का प्रचार काय नहीं करता । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, सही स्थिति यह है कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय उन सार्वजनिक उपक्रमों का प्रचार कार्य नहीं करता, जिन्होंने 1969 की अखिल भारतीय कान्ग्रेस कमेटी की स्मारिका में विज्ञापन दिए थे । इस भाग के उत्तर के अन्तिम वाक्य में संशोधन किया जाए जो इस प्रकार पढ़ा जाए :—

> "सूचना और प्रसारण मंत्रालय उन सार्वजनिक उपक्रमों का प्रचार कार्य नहीं करता, जिनके विज्ञापन 1969 की अखिल भारतीय कान्ग्रेस कमेटी की स्मारिका में छपे थे ।

अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance

भारतीय वायुसेना के एक वायुयान का लापता होना

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : श्रीमान्, मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"भारतीय वायु सेना के एक वायुयान के, जो 12 मई, 1970 को बंगलौर से गोवा के लिए रवाना हुआ था, लापता हो जाने के समाचार।"

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मुझे खेदपूर्वक सदन को यह सूचना देनी पड़ रही है कि एच-एफ 24 मार्क का एक परीक्षण विमान लापता है। इस विमान पर 12–5–70 को 08.33 बजे स्कवेड्रन लीडर के० एल० नारायन ने बंगलौर से उड़ान भरी थी। उसी दिन उनके 7000 फीट की उचांई पर 09.06 बजे गोआ में विद्यमानता की सूचना मिली थी। चालक साफ मौसम में विमान चला रहा था और हिन्दुस्तान ऐयरोनाटिक लिमिटेड द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार उस समय वह गोआ से 5 नाटिकल मील की दूरी पर लगभग 130° दिशाकोण पर था। उसके बाद गोआ नियंत्रण केन्द्र से उसका सम्बन्ध विच्छेद हो गया। चालक के पास सुरक्षा का सामान था। लापता चालक और विमान की खोज के लिये नौसेना के हैलीकाप्टर और नौकाओं को भेजा गया। पूना जा रहे हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक लिमिटेड के एक डकोटा को भी सहायतार्थ उस ओर भेज दिया गया। समुंदर से एक डिंगी (Dinghy) मिली है और खोज करने वाले विमान ने समुंदर में एक पैराशूट के देखे जाने की भी सूचना दी है। वासो से लगभग 11 मील की दूरी पर उतोरदा और मजोरदा के मध्य समुंद्र में विमान के कुछ टुकड़े तैरते हुए देखे गए हैं। खोज 13 मई 1970 तक जारी रखी गई। लगता है स्कैवड्रन लीडर श्री के० एल० नारायण की मृत्यु हो गई है और इसके लिये एक जांच आयोग के आदेश जारी किये जा रहे हैं। उनके सम्बन्धियों को सूचना दे दी गई है।

यह एच० एफ० 24 मार्क I का पहला परीक्षण विमान था और पहली बार 17-6-1961 में स्वर्गीय ग्रुप कैप्टन श्री एस० सी० दास ने इसमें उड़ान भरी थी। 31-1-70 तक यह परीक्षण विमान 379 उड़ानों में 223.40 घंटे उड़ चुका था। स्वर्गीय 'टेस्ट' चालक स्कवैड्रन लीडर श्री के० एल० नारायण (5053) की मई 1966 में हिन्दुस्तान ऐयरौनाटिक लिमिटेड में 'टेस्ट' चालक के रूप में प्रतिनियुक्ति हुई थी।

एक बार फिर मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। हम विषय की गंभीरता के प्रति पूर्ण सचेत है और मैं सदन को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस दुर्घटना की पूरी तरह से जांच कराई जाऐगी।

श्री हेम बरुआ : हमें परीक्षण उड़ान भरने वाले विमान चालक की मृत्यु एवं वायुयान के नष्ट हो जाने का अत्यन्त दुःख है। सुनने में आया है कि जहाज के टूटे फूटे टुकड़े समुद्र में तैरते देखे गए हैं। परन्तु न तो अभी तक विमान चालक का शव प्राप्त हो सका है और न ही विमान का

पता लगाया जा सका है । इस दुर्घटना के दो कारण हो सकते ह । पहला तो यह कि इसके पीछे तोड़फोड़ की पूर्वयोजना थी और दूसरा यह कि विमानों के कुप्रबन्ध और रख-रखाव के अभाव के कारण ही यह दुर्घटना हुई हो । सरकार ने कहा है कि दुर्घटना की जांच के आदेश दिये जा चुके हैं परन्तु इससे दोषी व्यक्ति का ठीक ठीक पता नहीं लगाया जा सकता । प्राप्त जानकारी में बताया गया है कि वायुयान एच० एफ० 24 का सुधरा रूप एम० के० II है परन्तु हमें बताया है कि जिस विमान में उड़ान भरी गई थी वह एच० एफ०–24 का सुधरा रूप नहीं था बल्कि कोई अन्य विमान था । इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस दुर्घटना की जांच करवाने का विचार किया है ताकि त्रुटिपूर्ण रख-रखाव तथा तोड़-फोड़ आदि का पता लगाया जा सके ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : प्राप्त जानकारी के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि यह कहना ठीक नहीं है कि इस दुर्घटना के पीछे कोई तोड़फोड़ की कार्रवाही काम कर रही थी । फिर भी जांच आयोग मामले की जांच करेगा और सारे तथ्य हमारे समाने आ जाऐंगे ।

यह कहना ठीक नहीं कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का रख-रखाव ठीक नहीं था । इसका रख-रखाव बहुत ही अच्छा है । लम्बी उड़ान भरने या परीक्षण उड़ान भरने से पूर्व कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है । उड़ान कार्यक्रम में विमान के कुल भार, चालन सीमा, गुरुत्वाकर्षण केन्द्र के आंकड़े और पूर्व उड़ानों में हुई रुकावट की घटनाओं का पूरा ब्यौरा रहता है । यदि रुकावट किसी बड़े किस्म की होती है तो फेक्टरी निरीक्षकों के अतिरिक्त सरकार भी निरीक्षण करती है और उड़ान सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है । विमान का रोज परीक्षण होता है और उड़ान भरने से पूर्व भी नरीक्षण किया जाता है । उड़ान भरने के बाद विमान चालक विमान रुकावट की रिपोर्ट तैयार करता है । फेक्टरी निरीक्षक अगली उड़ान के लिये उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले कथित रुकावट की जांच करता है । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विमानों के रख-रखाव की व्यवस्था अपर्याप्त है । **(व्यवधान)**

विमान ने बंगलौर से सुबह 8 बजकर 33 मिन्ट पर उड़ान भरी और 9 बजकर 6 मिन्ट पर यह लगभग गोआ पहुंच गया था । वह गोआ हवाई अड्डे से पांच समुद्री मील दूर था । एक ही मिन्ट में यह धरती पर आ लगता परन्तु न जाने कोई पक्षी विमान से टकरा गया या किसी कारणवश चालक विमान से बाहर निकलना चाहता था जिसके परिणाम स्वरूप यह दुर्घटना हुई । जांच के उपरान्त सभी तथ्य सामने आ जायेंगे । यह जो जांच करवाई जा रही है इसे विभागीय जांच नहीं कहा जा सकता । इस जांच समिति में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, प्रतिरक्षा मंत्रालय या असैनिक उडायन के प्रतिनिधि वहां होंगे और आज किसी भी समय बोर्ड के गठन की घोषणा कर दी जाएगी ।

श्री हेम बरुआ : कहा गया है कि विमान गोआ से पांच समुद्री मील दूर था परन्तु मुझे ही नहीं सारे सदन को इस बात पर संदेह है कि बंगलौर से उड़ान भरने से पूर्व विमान की जांच भली भांति नहीं की गई ।

श्री ल० ना० मिश्र : यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि उड़ान से पूर्व विमान का परीक्षण नहीं किया गया । परीक्षण किया गया था लेकिन जांचोपरान्त सभी तथ्य सामने आ जाऐंगे ।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : It is another accident which took place with HF-24 and in which one pilot has died. Before this a well known pilot Group Captain Das died in an accident that took place earlier. It is known that HF-24 was manufactured in 1956 and there was plan to fit orphens 12 engine in this plane. In order to please the Russians an agreement was made for the replacement of new engine. The engine of the plane of which Group Captain Das was pilot was not former but the another one. In this plane also, it is being said that new engine was used. Only departmental enquiry was held into the plane accident in which Group Captain Das had died and no technician of other department was included. It was suspected that new Russian engine was not fit for air frame for which it is used. So I would like to know if the Enquiry Committee will consider whether the engine was fit for air frame or not ?

I want that there should be a proper enquiry and in the Committee not only persons responsible for accident should be included but technicians from other departments should also be included. I would like to know whether technicians of Hindustan Aeronautic Limited would be included in the Enquiry Committee or not ?

Shri L.N. Misra : As far as the question of engine is concerned, the information received by the hon. Member is absolutely wrong. No matter from whichever sources he has got the information, the engine used for this plane was not Russian but F.E.S. 703 manufactured in collaboration with British from named Bristol Sidley (*Interruption*)

It is not correct to say that engine was not fit for air frame. About HF-24 MKI, the prototype of which is already in squadron service, we have not got any complaint in which it has been told that there is no coordination between Air frame and engine which may cause an accident. The constitution of the Enquiry Committee will be declared very soon.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : बहुत ही चिन्ता की बात है कि पाकिस्तानी आक्रमण से पूर्व हेलीकाप्टर दुर्घटना में हमारे पांच जनरल मारे गये । कुछ समय पूर्व ग्रुप केप्टन दास की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी और अब स्कवैड्रन लीडर श्री के० एल० नारायण विमान दुर्घटना में चल बसे हैं । लोक लेखा समति और सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों से पता चला है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में काफी घपला हो रहा है । लोक लेखा समति ने इस लिमिटेड की कटु आलोचना की है । 1960 में यह निश्चय किया गया था कि हम आरफीयूस इंजिन नहीं बनाएगें परन्तु अभी तक हम इस परियोजना के अनुरूप कार्य करते आ रहे हैं और परिणामस्वरूप हम कई परीक्षण विमान-चालकों से हाथ धो बैठे हैं । अभी तक अनुचित कार्यक्रमों को अपनाया जा रहा है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जो समिति गठित की जानी है उसमें प्रतिरक्षा मंत्रालय के "पिट्ठुओं" को नियुक्त न किया जाए बल्कि उन लोगों को नियुक्त किया जाए जो हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की गतिविधियों से सम्बन्ध नहीं रखते हैं और इस समति की अध्यक्षता उच्चतर न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिये । इस समति में संसद सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिये ताकि वास्तविक बातों का पता लग सके । अन्यथा दुर्घटना का दोष विमान चालकों के सिर मढ़ दिया जाएगा ।

श्री ल० ना० मिश्र : जहां तक संसदीय समितियों की सिफारिशों का सम्बन्ध है, हम उन्हें क्रियान्वित करने के लिये प्रयत्नशील है । जहां तक आरफीयूस इंजिन का सम्बन्ध है इसको त्यागने का निर्णय हमने नहीं किया है । वास्तविक बात तो यह है कि इस इंजिन के साथ हम स्कवैड्रन सेवाओं में सफल उड़ाने भर रहे हैं । अतः इस इंजिन को त्यागने का कोई प्रश्न ही नहीं । जहां तक जांच समिति का गठन का प्रश्न है इसमें वायु सेना के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त हिन्दुस्तान ऐयरोनाटिक्स लिमिटेड के प्रतिनिधि और असैनिक उड्डयन के महानिदेशक भी शामिल होंगे । विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार जांच समिति की अध्यक्षता के लिये उच्चतर न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करना उचित नहीं होगा ।

श्री मती शारदा मुकर्जी (रतनागिरी) : मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार स्थिति से बिल्कुल निष्चेष्ट और अक्षुब्ध दिखाई देती है । सदन में यह मांग रही है कि वायु-सेना द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले विमान असन्तोषजनक सिद्ध हो चुके हैं और उनका पुनरीक्षण किया जाना चाहिये । इसी प्रकार हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के बंगलौर प्रभाग की प्रबन्ध-कार्य में जांच किये जाने की मांग की गई है । परन्तु सरकार इन मांगों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है ।

मैं तीन प्रश्न पूछना चाहती हूं । जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती क्या एच० एफ०–24 विमानों की उड़ाने बन्द कर दी जाएगी ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस दौरान हिन्दुस्तान एयरो-नाटिक्स के प्रबन्ध कार्य की जांच की जाएगी ? तीसरे, जांच करने के बाद क्या निष्कर्षों को सदन के सभा-पटल पर रखा जाएगा ?

वायुसेनाध्यक्ष पी० सी० लाल हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के महाप्रबन्धक हैं । वे दो पदों का उत्तरदायित्व एक साथ कैसे निभा सकते है ? क्या सरकार मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : वायुसेनाध्यक्ष हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के महाप्रबन्धक नहीं हैं बल्कि अंशकालिक अध्यक्ष हैं । हम अध्यक्ष पद के लिये व्यक्ति की खोज कर रहे हैं और जब भी ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा उसे लिमिटेड का पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया जाएगा ।

यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार निष्चेष्ठ है । उड़ान-कार्य में ऐसे जोखिम आते ही रहते हैं । माननीय सदस्या ने कहा है कि एच० एफ०–24 के सारे विमानों की उड़ानों के लिये न भेजा जाए । यह निर्णय करना वायुसेना का काम है । मुझे जानकारी मिली है कि वायुसेना का विचार इन विमानों को धरती ग्राउंड पर रखने का नहीं है । कुछ माननीय सदस्य हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के विरूद्ध किये जा रहे प्रचार के शिकार बनते जा रहे हैं । मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे प्रचार के शिकार न बने ।

(व्यवधान)

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मैंने यह नही कहा था कि इन बिमानों को स्थायी रूप से ग्रांउड पर रखा जाए बल्कि मैंने तो यह कहा था कि जब तक जांच नहीं हो जाती इन विमानों को उड़ान न भरने दिया जाए ताकि हमारे नौजवान विमान चालकों को भविष्य में जान से हाथ न धोना पड़े ।

श्री ल० ना० मिश्र : यह निर्णय करना वायु सेना का काम है कि विमानों को ग्रांउड पर रखा जाय या नहीं । हम यह निर्णय नही कर सकते ।

दक्षिण रेलवे में हड़ताल

Re : STRIKE IN SOUTHERN RAILWAY

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैंने दक्षिण रेलवे में हो रही हड़ताल के बारे में ध्यानाकर्षण सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री सोमवार को वक्तव्य देंगे ।

श्री नम्बियार : आज वक्तव्य देना चाहिये । हड़ताल फैलती जा रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री वक्तव्य देने को तैयार हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानाल) : प्रतिदिन विमान दुर्घटना में हमारे विमान चालक मर रहे हैं । प्रतिरक्षा मंत्री रहस्य पर पर्दा डाल रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति। आप को ऐसे बीच में उठकर नहीं बोलना चाहिये ।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : Mr. Speaker Sir, I have submitted a Calling Attention Notice and Short Notice question on the reported increase in the price of wheat. You should ask the hon. Minister to make a Statement.

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति । बैठ जाइए ।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : 24 अप्रैल, 1970 को श्री भोगेन्द्र झा ने दिनांक 19 अप्रैल, 1970 को "आर्यावर्त", पटना में प्रकाशित एक सम्पादकीय लेख के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था जिसमें कुछ संसद सदस्यों पर आक्षेप लगाने का आरोप लगाया गया था । उपाध्यक्ष महोदय ने सूचना दी थी कि "आर्यावर्त" के सम्पादक को पत्र द्वारा पूछा गया था कि उसे इस मामले में क्या कहना है । मुझे "आर्यावर्त" के सम्पादक से पत्र प्राप्त हो गया है । इसमें उन्होंने कहा है कि लेख में किसी संसद सदस्य के विरूद्ध कोई आक्षेप नहीं लगाया गया है और इस प्रकार किसी भी विशेषाधिकार को भंग नहीं किया गया है । पत्र में आगे कहा गया है कि लेख में तो केवल यही कहा गया है कि भारत की अमूल्य वस्तुएं नष्ट की जा रहीं है । सम्पादक ने कहा है कि लोक सभा और विधान सभा का वे सम्मान करते हैं क्योंकि ये प्रजातंत्र के प्रतीक हैं ।

सम्पादक द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण और बिना शर्त खेदव्यक्त करने के देखते हुए, यदि सदन सहमत हो, तो यह मामला यहीं समाप्त किया जा सकता है ।

कई माननीय सदस्य : जी, हां । ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं श्री भागवत झा आजाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा (1) के अन्तर्गत की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 13 की एक प्रति, जो दिनांक 3 जनवरी, 1970 (अंग्रेजी संसकरण) और 21 मार्च, 1970 (हिन्दी संस्करण) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम को कतिपय उन प्रतिष्ठानों पर लागू किया गया था, जो सामान्य बीमा कार्य करते हैं।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 3496/70)

(2) (क) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) योजना, 1969, जो दिनांक 3 जनवरी, 1970 अंग्रेजी संस्करण और 21 मार्च, 1970 (हिन्दी संस्करण) के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० आर० 14 में प्रकाशित हुई थी।

(ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० डी० 3497/70)

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1970 जो दिनांक 7 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर०, 296 में प्रकाशित हुई थी।

(ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 3498/70)

(ख) उपर्युक्त मद (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 2499/70)

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : मैं मुद्रण यंत्र तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 20 क की उपधारा (2) के अन्तर्गत समाचारपत्रों का रजिस्ट्रीकरण (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 3 जनवरी, 1970 (हिन्दी संस्करण) तथा 28 मार्च, 1970 (अंग्रेजी संस्करण) के भारत के राजपत्र में में अधिसूचना संख्या 4-9/68 को आई/जी० एस० आर० में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० ,टी० 3500/70)

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेट, नई दिल्ली, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० (3501) 70]

(ख) (एक) आसाम कृषि-उद्योग विकास निगम, लिमिटेड, का वर्ष 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 3502/70]

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 3503/70]

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं ।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, बंगलौर, के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 3504/70]

(2) (एक) भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तारयंत्र (15वां संशोधन) नियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 3 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 6 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 3505/70]

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 3506/70]

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं 1969 में जनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 53वें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[सभा-पटल पर रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 3507/70)

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन्, मुझे राज्यसभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना देनी है कि राज्यसभा ने 7 मई, 1970 को हुई अपनी बैठक में वास्तविक विधेयक पारित कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित किया गया विधेयक सभा पटल पर रखा गया ।

Bill as passed by Rajya Sabha laid on the table of the House

सचिव : श्रीमन्, मैं वास्तविक विधेयक, 1970 की, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में , एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

समिति के लिए निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

MOTION FOR ELECTION TO COMMITTEE

राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय मन्त्रणालय समिति प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव रखता हूं :—

"कि राष्ट्रीय सेनाछात्र दल (संशोधन) अधिनियम, 1952 द्वारा यथा संशोधित राष्ट्रीय सेनाछात्र दल अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, 17 जून, 1970 से आरम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के लिए केन्द्रीय मंत्रणा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि राष्ट्रीय सेनाछात्र दल (संशोधन) अधिनियम, 1952 द्वारा यथा संशोधित राष्ट्रीय सेनाछात्र दल अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, 17 जून, 1970 से आरम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के लिए केन्द्रीय मंत्रणा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य चुनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

श्री मनुभाई पटेल (डमोई) : भारतीय गणतंत्र के इतिहास में पहली बार संसद को दोनों सदनों में विरोधी पक्ष के नेता को अधिकृत रूप से मान्यता दी गई है । माननीय प्रधानमंत्री ने डा० रामसुभग सिंह को 17 दिसम्बर, 1969 को विरोधी पक्ष का नेता चुने जाने पर बधाई दी थी । विरोधी पक्ष के नेता को सदन में समान महत्व दिए जाना सभा के संचालन को सुचारु और प्रभावशाली ढंग से करने के हित में होगा । आशा की गई थी कि सरकार विरोधी दल के नेता के प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने सम्बन्धी वचन को निभाने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी । अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव लाने की घोषणा की थी और सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया था । अतः यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा जाना चाहिये । उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार तथा गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र ने इस पद को मान्यता दे दी है और हरियाणा ने इस सम्बन्ध में अध्यादेश भी जारी कर दिया है । अतः मैं चाहता हूं कि सरकार इस सत्र के अन्त तक अपने निर्णय की घोषणा कर दे । माननीय प्रधानमंत्री इस मामले पर स्पष्टीकरण दें ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sector) : I support the proposal of Shri Manu Bhai Patel. When the Leader of the Opposition had been recognised we had hoped that Government would come forward with a Bill giving him the necessary amenities as they are being given to other leaders of the House. It is not a good thing that the Prime Minister should take step only when hon. Members ask for it. The Leader of the House and the Leader of the opposition are the important parts of the Parliamentary Democracy. So I want that the hon. Prime Minister should declare whether she is coming forward with the bill or not ?

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकता–उत्तर-पूर्व) : इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये । मैं चाहता हूं कि जल्दी में कोई भी निर्णय न लिया जाए । हमें विदेशों की परिपाटी का अनुकरण नहीं करना चाहिये । जहां तक विरोधी दल के नेता को वे सभी सुविधांए प्रदान करने का प्रश्न है जो सदन के अन्य नेताओं को प्राप्त हैं, मैं कहना चाहता हूं कि पद की घोषणा करने से पूर्व चर्चा होनी चाहिये, विभिन्न बैठकें बुलाई जानी चाहिये और सभी दलों से सलाह लेनी चाहिये । मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने से पूर्व पहल करें और विभन्न दलों को शामिल करके कोई उपाय निकालें । जब भी कोई सुझाव दिया जाता है, उस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन ने इस मामले पर दो बार विचार किया और सर्वसम्मति से यह सिफारिश की है कि विरोधी दल के नेता को कुछ विशेषाधिकार और कुछ अच्छे अवसर प्रदान किये जाने चाहिये । इस सम्बन्ध में मेरे मित्र श्री मुकर्जी ने कहा कि हमें ब्रिटेन के उदाहरण का अनुसरण प्रत्येक बात में नहीं करना चाहिये । परन्तु मैं उन्हें स्पष्ट कर दूं कि हम कई बातों में ब्रिटेन का अनुसरण करते है और इस एक अच्छी बात को अपनाने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिये । हमारे ही देश में कई राज्यों में विरोधी दल के नेता को मान्यता दे गयी है और उसे कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि वह विपक्ष की ओर से अपना कर्तव्य पालन अच्छी तरह कर सकें । सरकार को चाहिये कि वह विरोधी दल के नेता को उसका पद बनाते समय ही कुछ सुविधायें प्रदान करें । अब इस मामले पर अलग से कोई बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है । यह कहना भी ठीक नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को कोई निर्णय लेने के लिये बाध्य कर रहें हैं । हमने ऐसा नहीं किया है । दो महीने पूर्व ही हमने इस की सूचना दी थी और यदि सदस्यों को इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देने थे तो यह इन दो महोनों के दौरान ही देने चाहिये थे । यदि इसके अतिरिक्त हमारे कोई और सुझाव होते तो हम उन सदस्यों को इसकी सूचना दे देते । किन्तु हमने यह समझा कि चूंकि ऐसे विशेषाधिकार विरोधी दल के नेताओं को सभी स्थानों पर दिये गये है इसलिये इसके लिये किसी विशेष सम्मेलन की आवश्यकता नहीं । अत: हम प्रधान मंत्री से अनुरोध करते हैं कि वह हमारे बीच के कुछ मतभेदों की आड़ न लें ओर विरोधी दल के नेता की मान्यता की घोषणा कर, सभा के नेता के साथ विरोधी दल के नेता के योगदान का स्वागत करें ।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur) : Mr. Speaker I never thought that there could be any dispute on this issue because it neither related to a party nor any individual. Because any party can take the place of oppositions Congress in future. We should, therefore, decide the issue after examining its pros and cons. The issue relates to Parliamentary conventions and if we do not abide by these conventions, how can we expect the States to do so ? Maharashtra Government has recently passed a legislation vide which the Leader of the Opposition has been given the status of cabinet rank Minister

श्री मनोहरन (मद्रास उत्तर) : मैं यह स्वीकार करता हूं कि विरोधी पक्ष के नेता को मान्यता प्रदान की जानी चाहिये । यह भी स्वीकार किया गया है कि विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के नेता का दर्जा प्रधान मंत्री महोदय के समान होना चाहिये । परन्तु मेरा प्रमुख प्रश्न

यह है कि क्या कांग्रेस के अलग हुए ग्रुप के नेता श्री रामसुभग सिंह को विरोधी पक्ष का नेता स्वीकार किया जा सकता है ?

कांग्रेस दल के विभाजन के फलस्वरूप इस सभा में हमारे समक्ष एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है । कांग्रेस दल एक है । उसमें से एक के पास सभा के नेता के रूप में एकाधिकार है और दूसरे कांग्रेस दल की विरोधी पक्ष के रूप एकाधिकार देने की बात हो रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन दोनों के पुनर्मिलन की संभावना नहीं है ? मुझे तो यह विश्वास है कि इन दोनों वर्गों के मध्य झगड़े का समाधान हो सकता है और अगर यह हो जाता है तो हमें विरोधी पक्ष के नेता को खोना भी सहन करना पड़ेगा ।

मेरे विचार से यह कहना व्यर्थ है कि विरोधी कांग्रेस को आवश्यक समर्थन प्राप्त है । ऐसा मानदण्ड तो एक स्पष्ट विचारधारा और कार्यक्रम वाले राजनीतिक दल पर लागू किया जाना चाहिये परन्तु जहां तक विरोधी कांग्रेस का सम्बन्ध है उसकी न तो कोई स्पष्ट दर्शन अथवा विचार धारा है और न ही कोई कार्यक्रम । उसके स्थान पर कोई दूसरा दल विरोधी दल पक्ष का नेता बन सके तो हम इस सुझाव से सहमत हो सकते हैं । विरोधी कांग्रेस जैसे भिन्न भिन्न दल को जिसकी कोई विचार-धारा नहीं और न ही कोई आधार है हम कभी एक राजनीतिक दल के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते ।

श्री पीलुभोडी (गोधरा) : मेरा यह सुझाव है कि हमें इस विषय पर और अधिक चर्चा अभी नहीं करनी चाहिये । आप सभा को स्थगित कर शेष व्यवस्था के प्रश्नों का निर्णय अपने ही चैम्बर में कर लीजियेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से सहमत हूं । सभा को मध्याह्न भोजन के लिये 2.45 मिन्ट तक के लिये स्थगित करता हूं । 2 बज कर 45 मिन्ट पर हम साम्प्रदायिक दंगों के बारे में चर्चा आरम्भ करेंगे ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान् भोजन के लिये दो बजकर ४५ मिन्ट म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till forty-five minutes past fourteen of the clock

मध्यान भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर ४५ मिनट म० प० पर पुनः सनवेत हुई ।

(The Lok Sabha re-assembled after lunch at forty-five minutes past fourteen of the clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

Mr. Deputy-Speaker in the chair

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब साम्प्रदायिक दंगों के बारे में चर्चा करेंगे ।

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : मेरा एक प्रश्न है जब सभा मध्याह्न् भोजन के लिये स्थगित की गई तो मेरे मित्र श्री मनोहरण ने मेरे दल के बारे में कुछ अवाँछनीय बातें कहीं । म उन्हें चुनौती देना चाहता हूं । मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप अध्यक्ष महोदय को यह बता दें कि कल जब प्रश्न काल समाप्त हो तो तुरन्त ही मुझे इसी विषय पर बोलने की अनुमति दी जाय ।

देश में हाल के साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा ।

Discussion : Situation arising out of recent Communal riots in the Country

Shri Atal Bihari Vajpayee (BALRAMPUR) ; Mr. Deputy Speaker, Sir, with your permission I rise to initiate a discussion on the situation arising out of the communal disturbances in the various parts of the country. I propose to do some plain speaking today. The situation is serious and there is no time for goody goody plantitudinous talks. The unity of the country is at stake. The ship of the nation is being rocked by the high tide of communalism. It is time we ponder seriously over the situation and speak our minds with candour.

Sir, it is only a coincidence that Bhiwandi is in Maharashtra. This too is a coinicidence that Maharashtra is presently being ruled by Indicate. These facts do not have a direct bearing on the communal riots that have taken place. Bhiwandi could have been in any part of India. The volcano of Communalism can erupt under any Government. Recently there was a communal riot at Chaibasa in Bihar where we have an Indicate Government. Earlier, when Bihar was under President's Rule there were some 70 outbreaks of a communal nature. In West Bengal when United Front Government was in Office, about 25 such disturbances took place. There were communal flare-ups in Calcutta, Howrah, Telinipara and Jagatdal, resulting in destruction of life and property. I wish only to point out that communal riots can take place anywhere, any time and under any Government. Therefore to make the Gujarat Government scapegoat for riots in Ahmedabad, or to pin all responsibility for the riots in Maharashtra on the State Government—this may be necessary to some extent—is surely not going to solve the problem.

I want to stress here that communal riots pose an issue entirely above party. The situation in the country today is such that communal disturbances can take place anywhere; the mood of the people is such that violence, murder, arsen and such lawlessness can break out anywhere. Let us all look at happenings uninhabitated by party prejudices. Let Comrade Dange take off his party glasses and view these riots without bias. The matter is to be considered with utter disregard of partisan interest. Our consideration of the issue has to be influenced by a concern for the nation's security and welfare, and not by any petty concern for votes.

After the Ahmedabad riots some sections had demanded the resignation of Gujarat Government. I am not referring to my S.S.P. friends. The object of my reference should be very clear. These sections are not today asking for Maharashtra Government's resignation. What is one to make of this ? Was the blood that flowed at Ahmedabad bleed while the blood that flowed at Bhiwandi water ? Are we to have different standards for judging communalism from different places ? Were not all those who were killed at Ahmedabad, Bhiwandi and Jalgaon Indians? Can we not rise above party self-interest even on issues of such vital national importance ? Can we not think about this matter

entirely and exclusively from the point of view of country's unity ? This debate today is going to be an index of the attitude which this House and the parties represented in this House are going to take in respect of this important problem. We shall have to face the truth. However, harsh be the truth, however frightening, it has to be laid here. I would not do any more to shirk round the reality, or to try to clock any one's sins. The first question is who starts the riots; the second question is what is the object of those who start riots; the third question is what short-term and long-term remedies should be resorted to check these riots ?

As to who starts the riots, I need not say anything of my own. I have with me a report prepared by Home Ministry which with your permission I am prepared to lay on the table of the House. The National Integration Council had constituted a sub-committee to consider the problem of communalism. The report gives details of all major riots that took place in the country, over the course of one and a half years and also the Ministry's own findings regarding the causes of these riots. During this period 23 riots took place and according to this Home Ministry's report, 22 out of these 23 riots were started by people belonging to the so called minority communities. This report has not been published as yet. It does need to be brought to light.

When I say that riots are started by some of our Muslim friends, I do not wish to keep out the other Muslims. Not all Muslims want communal riots. There are patriots among them, there are peace-loving elements among them who have little time to spare from their livelihood and to upkeep their families and who would like to keep far away from these orgies of violence, murders and arson. But there is a section of Muslims—and this fact need to be affirmed from housetops—who want to spread communalism in the country. Let us not try to veil this fact. This is the section that lights the spark which later becomes a conflagration. I am not saying this of my own; my basis is report. Even after this report, there was a riot at Indore on June 2 when a procession in honour of Master Chandgi Ram was sought to be postponed in a Muslim Mohalla by 300 people. This too, I state on the basis of Home Ministry's report. Later there was a riot in Jagatdal where a procession of Sri Durga and Sri Mahavir was stoned from a mosque. Later still there was a riot at Chhaibasa where a Ram Navami procession was attacked with bombs. In Ahmedabad also it was the attack on Sri Jagannath Mandir that ignited the trouble.

Let me now come to Bhiwandi. Muslims are a majority community here. Since years the Chairman of the Bhiwandi Municipality has been a Muslim. No one can have objection to this. The Ganesh Utsava and the Shivaji Jayanti Utsava are usually occasions of some tensions. But since the last two or three years, ever since our Congress friends from Maharashtra resolved to participate enthusiastically in the Shivaji Jayanti celebrations, our Muslim friends of Bhiwandi had also changed their attitude. May be, they have come to appreciate that Shivaji was a national hero of ours and everyone should participate

in his Jayanti. The people of Bhiwandi welcomed this attitude. This year, however, a few days preceding the Jayanti celebrations some 30 odd prominent Muslims of Bhiwandi sought to impose conditions on the Shivaji Jayanti procession. Why did they do this? Are they to be the arbitens of the route along which the procession is to go? Are they to be given the authority to decide what slogans should be raised or what not?

I feel surprised, and pained too, that Home Minister Shri Chavan who is not in the House at the moment—being confined to the sick bed—should have in Rajya Sabha tried to justify these conditions. He should have not done so. No self-respecting society can agree to such conditions. And what were these? One of the conditions was that in this Shivaji Jayanti procession there should be no display of Bhagwa flags. Wasn't the Bhagwa the flag of Shivaji Maharaj? Did this country have no flags prior to tri-colour? Can we think of Gandhiji without the tri-colour? In the Central Hall of Parliament we have a portrait of Pandit Jawahar Lal Nehru with the tri-colour flag providing the back drop. Just as Gandhiji cannot be thought about, divorced from the tri-colour, so also Shivaji Maharaj cannot be thought of, without the Bhagwa.

I fail to understand what objection Muslims can have to Bhagwa Flag. Surely Islam does not taboo the use of this colour. I do not know there is anything against it in the Quoran. If after the independence, the Constituent Assembly of the Country had adopted the Bhagwa as the State Flag, would Indian Muslims have rebelled against it? But in Bhiwandi one of the terms was that the Bhagwa was not to be flown in the Shivaji Jayanti procession. Shri Y.B. Chavan who claims to inherit the legacy of Chhatrapati Shri Shivaji Maharaj tells us that the condition was all right! What a fall of 'Sahyadri' who had come to defend the Himalayas in 1962? No one can ever agree to removing the Bhagwa Flag from Shivaji Jayanti procession. And I am glad that the valorous Maharashtrians of Bhiwandi refused to accept the condition.

The second condition was that there should be no sprinkling of *Gulal.* Why should anyone object to Gulal, a token of affection and warmth? When we are in an ecstatic mood, we shower Gulal all around us. If participants in the Shivaji Jayanti procession wished to demonstrate joy by throwing a little Gulal why should anyone object to it?

Yet another condition was that the route of the procession would be chalked out by those who had raised these objections. A meeting was then convened where both sections were invited. The prominent Muslims who had made all these demands also did not turn up. Later, however it was said that they had withdrawn their conditions. It now appears to me that this withdrawal of conditions was a farce, a calculated ruse intended to deceive. The object was to put the Hindus and the Maharashtra Government off the guard. As it turned out, they succeeded in this objective.

It is now being said that the trouble started because some persons in the procession raised unauthorised slogans. What were these slogans? And what was the number of people who raised them? Press reports indicate that they were barely a handful. In a procession of 10 to 15 thousand, it is always possible for individuals to raise unscheduled slogans. I can also understand displeasure over these slogans. If the slogans were objectionable, Muslims could have demonstrated their indignation by observing a peaceful hartal next day. They could have approached Maharashtra Government. But they only made these slogans an excuse for opening an attack on the procession itself. If any one raised wrong slogans that does not give anyone the right to launch a physical attack on the procession. I may recall that even at Ahmedabad objectionable slogans were raised such as "Jo Islam se takraega Choor Choor ho Jaega". But no one on that account attacked the procession. No one could be allowed to take the law into his own hands.

Simultaneously with this attack on the procession, fires broke out in different parts of Bhiwandi. All these fires broke in Hindu localities. It is obvious that the attack on the procession was pre-planned and necessary material had already been collected for the purpose.

There is other evidence also that the attack on the procession had been planned in advance. The rioters disrupted the water supply and electricity so that Bhiwandi was plunged into darkness. Telephone wires were snapped. Could all this have been done without preparation? The arms recovered can be seen at Bhiwandi Police Station. These include freshly made spears and 'Molotor Cocktail'—a bottle is filled with petrol, wrapped with cloth, tied up and then after the cloth is ignited, it is hurled at the object sought to be burnt. When the bottle falls, it breaks and the petrol is splashed all around and the target is reduced to ashes. That is how entire Bhiwandi has been destroyed.

We would like to know what the Maharashtra Government did in this regard. Bhiwandi is just 35 miles from Bombay. Did the Maharashtra Government know that there was tension in the city, that because of the conditions sought to the imposed by some Muslims on the Shivaji Jayanti procession the masses were feeling restive? Could not the Maharashtra Government arrest those 30 citizens? Could not the Government take adequate precautionary measures in respect of the procession? Even the Police reinforcements sent later from Bombay were without fire arms. Maharashtra Government will certainly have to explain why this happened?

It took Chief Minister Shri Vasant Rao Naik full 24 hours to reach Bhiwandi from Bombay. On the 7th, leaders of opposition parties tried to contact the Chief Minister on phone but failed. They were told that while Bhiwandi was burning, the Hon'ble Ministers of Maharashtra were literally slumbering. Is this the way of fighting Communalism? I would also like to know why the army was not called to Bhiwandi? It was summoned to Jalgaon. Why not to Bhiwandi too? If immediately after the attack on the procession, the

Military had been called out, armed police posted in the city and raids conducted on houses suspected to hoard arms and ammunition, the holocast that took place in Bhiwandi could have been avoided.

After Bhiwandi, a riot broke out in Jalgaon also. In Mahad, the riot began when some goondas pulled down the Bhagwa flag from the top of a temple. The police was present there and the episode took place right in front of them. Then on 5th, a truck arrived in Goregaon laden with people who threatened the residents there that there would be a riot on the occasion of Shivaji Jayanti. In this case too, the police failed to take any action.

In Bhiwandi the riots, as I have said, were pre-planned. I may cite a news-item from Lok Satta also to substantiate this. In its issue of May 11, it carried a news-item from its special correspondent sent to Bhiwandi. A Shopkeeper told him—so runs the report, which I am translating from original Marathi—that on the 6th of May, *i.e.*, one day prior to the outbreak of the trouble, members of a certain community had in large numbers drawn 8 days ration from his ration shop. The shopkeeper said that this had made him suspect that something was likely to happen on the 7th.

Shri Y.R. Chavan went to Bhiwandi. It was but proper that he did so. I appreciate his prompt trip, though I am not quite able to relish the fact that while a riot in Maharashtra made him break into tears there was no such intensity of reaction over the happenings in Ahmedabad. But I do not wish that the Home Minister of India could spontaneously react to happenings in the country as a national leader and not as a leader only of Maharashtra. Besides the Home Minister while giving a statement in Rajya Sabha said that in Bhiwandi it is the Muslims on whom greater losses were inflicted. Shri Chavan's statement is contrary to facts. But even if it were accepted to be true, do we propose hereafter to give out figures in terms of communities? We have forbidden press from giving casuality figures community-wise. But the Home Minister himself seems to have lost balance and has made a statement which has provoked strong reaction in Maharashtra.

Now coming back to the question as to why these riots are engineered. I would like this House to think about this matter seriously. I, myself, have not arrived at any definite conclusion yet. The riots are started by a section of Muslims knowing full well that, generally speaking that it would be their co-religionists who would suffer more. Why then they do this? three possible reaons can be advanced to explain their behaviour. Firstly it can be said that our Muslim brotherns have arrived at a conclusion that there is no place for them in this country. But no sensible Muslim can subscribe to this view.

The other two reasons that occur to me, I think one more relevant. There are elements in the Muslim population who have links with Pakistan and who instigate riots at the behest of Pakistan.

The third and the most important explanation for this behaviour appears to be that some leaders of the Muslim community do not want Muslims to indentify themselves with the mainstream of national life. They do not want

Muslims to opt between parties on the basis of political convictions and views. They would like the Muslim community to remain in the lands of Mullas and Maulvies. The Home Ministry's report bears no scope for -contradictions. Figures speak their own story very eloquently. We shall, therefore, have to think about all these reasons, that I have mentioned.

One more question arises. It is said that if Muslims start a riot, why should Hindus retaliate? Even if Muslims did attack the Jagannath Temple at Ahmedabad, Hindus should not have acted in a spirit of vengeance. Even, if Ram Navami Procession at Chaibasa was attacked with bombs, stones, etc. the Hindus should have acted with restraint. I entirely agree with it that no person should be allowed to take law in his hands. But is this to apply only to Hindus and not to Muslims?

Now let us understand two things. Whatever the reason our Muslim brothers are becoming more and more communal and as a reaction thereto Hindus have been becoming more militant. No one has made Hindus militant. But Mr. Deputy Speaker, Sir, Hindus in this country have started thinking that they are not going to be beaten any more. I had at the very outset said that those who want to fight communalism cannot do so if they deliberately turn a blind eye to Muslim Communalism. If you hamper Muslim Communalism it is bound to probe reactions from the other side. Communalism is a double-edged sword which cuts both ways. (*Interruptions*).

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar)—Mr. Deputy Speaker, Sir, it would be well if you silence, all of them. Otherwise even the Prime Minister will not be able to speak. We shall see to it that she does not.

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं कोई विघ्न नहीं डालना चाहती वर्ण मैं दोनों ओर के सदस्यों से भी यह अनुरोध करती रहती हूं कि वह वक्ता को शान्तिपूर्वक सुनें । परन्तु मैं माननीय श्री बाजपेयी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि वह जो बात कर रहें हैं उससे अल्पवर्ग के हितों को बहुत हानि हो सकती है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह केवल दृष्टिकोण का प्रश्न है ....

Shree Atal Bihari Vajpayee : Jansangh has never said that there should be communal discrimination of any nature. We have accepted the equal citizenship of the Constitution and Jan Sangh welcomes all citizens of India for its membership. If we are serious about solving the problems of Communalism we will have to come above politics. We will have to find its solution at national level. The Prime Minister started National Integration Council but it is simply being used as a weapon against my party. I wish that National Integration Council should be expanded. It should include the members of all political parties alongwith national leaders like Shree M. C. Chagla and Shree Hameed Dulwac. The discretion for selection of members should not rest only with Prime Minister.

Whenever there are communal riots there should be a judicial enquiry. The recommendations of Integration Council are not being implemented by Maharashtra Government. Nobody will pay any heed to the recommendations of Ahmedabad and Bhiwani Commissions. Are we going to decide every issue on the basis of politics? Ever since the division of Congress the alliance between the Communal and Communists has increased. They have got the blessings of the Prime Minister and it is the only reason for increase of Communal forces.

I will not say anything to my Communist friends but I must request my friends in Congress benches that it is a national issue and it should not be settled in view of politics of votes. We should start a movement at national level to eliminate the evil of Communal disturbances. Until we do it, our dream of democracy and socialism will not come true.

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : The speech made by Shri Vajpayee about the recent communal riots is very emotional and sentimental. We do not expect such remarks from Shri Vajpayee. In such matters, it is useful to adopt peaceful attitude otherwise there is danger of riots spreading in the country.

The policy of the Jan Sangh regarding communal matters does not appear to be peaceful. They have always tried to spread communal hatred. We should try to live in peace and make India a good democratic country. Therefore, this attitude which spreads the communal riots must be left. The Father of the Nation, Mahatma Gandhi was assassinated as a result of such provocative speeches. If we want to live in peace, then we will have to leave this attitude. In my opinion, such speeches will have a bad effect to our common masses.

What happened in Bhiwandi, a specific group is held guilty for it. But there is another aspect of this that the workers of Jan Sangh made provocative speeches there. If you come into power, then the Marathas will be crushed.

The viewpoint of Jan Sangh is completely communal. They took out the processions and for a long time they stopped near the mosques and raised insicing slogans there. This is a wrong policy because it induces communal hatred.

It is said that majority of the people who died in riots are Hindus. This is not correct. Muslims also died in large number. It would be better if we believe in the figures provided by Maharashtra Government.

If a leader is not in a position to control the group or society, then he is not a true leader. In a procession if the disturbance or violence spreads it is the duty of the leader to control it and stop it.

Muslims and Hindus should work together in everyday life as brothers and neighbours. The religious sentiments of Hindus and Muslims should be respected and nobody should do such things which are against the other groups. Mahatma Gandhi sacrificed his life for Hindu-Muslim unity. An atmosphere should be created through written articles, speeches and acts by which Hindus and Muslims could live in peaceful way.

So far the riots in Jalgaon are concerned, the R.S.S. and the workers of Jan Sangh took initiative and hundreds of houses were burnt.

It is said that the ruling party is having alliance with the Muslim league. To keep an alliance between different parties is a common matter in politics. Therefore, if there is an alliance between ruling Congress and Muslim League, it is not a wrong thing. But it is not proper to say that the Government is showing partisan attitude due to this alliance and to repeat the same is a danger to the Hindu religion and to the whole country.

श्री स० क० पाटिल (बानसकंठा) : साम्प्रदायिक दंगों के विषय पर भावुकता में बह जाना बड़ी आसान बात है। अतः इस सदन में जो कुछ होता है उसका प्रभाव समस्त देश में दृष्टिगोचर होता है। भवंडी, जलगांव और माहद तथा अब थाना और कयाण तथा प्रत्येक स्थान पर जो में बड़ी संख्या साम्प्रादिमक कत्ल हो रहे हैं, वे वस्तुतः इतने शर्मनाक हैं कि उन्हें शब्दों में बताया नहीं जा सकता महाराष्ट्र सरकार कई बार कह चुकी है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वस्तुतः प्रत्येक प्रातः को समाचार–पत्र पढ़ने पर मालूम होता है कि स्थिति में नियंत्रणमें नहीं है और यह दंगे किसी अन्य स्थान पर फैले हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों को जान गवांनी पड़ी। सरकार को लोगों को इस तरह का विवरण नहीं देना चाहिए कि स्थिति नियंत्रण में है। यद्यपि सरकार स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है परन्तु वह इसमें सफल नहीं हुई है।

कानून और व्यवस्था को बनाये रखना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इस सिति मेंथा यह महाराष्ट्र राज्य की जिम्मेदारी है क्योंकि महाराष्ट्र केन्द्रीय प्रशासन के अधीन राज्य नहीं है।

अतः यदि भविष्य में जब कोई राज्य सरकार कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में असफल सिद्ध होती है चाहे वह महाराष्ट्र सरकार हो अथवा कोई भी सरकार हो तो उसे नैतिक कारणों से त्यागपत्र दे देना चाहिए। सरकार केवल यह कहकर नहीं बच सकती कि "हम भरसक कोशिश कर रहे हैं औ कुछ नहीं हो सकता" और इसके बाद समिति नियुक्त करने का आशावासन देती वह है अतः एक ऐसा समय आ सकता है जब इस सदन के सामने आयोग के कई प्रतिदिन प्रस्तुत किये जायेगें जो अच्छा समाधान नहीं है, और उनसे समस्या सुलझने की अपेक्षा और उलझेगी।

इन साम्प्रादियक दंगे का आतंक सभी दल अनुभव करते हैं। लेकिन ऐसे अवसर पर भावन - में बह जाने से काम नहींचलेगा अपितु सभी दलों को इस निष्कर्ष पर पहंचना चाहिए कि साम्प्रदायिक दंगों के मामलों में पूरा सदन एक मत होना चाहिए चाहे वह किसी भी दल से सम्बन्धित हो। सभी इस देश के नागरिक हैं। हिन्दु और मुसलमान में कोई भेद–भाव न माना जाये, यदि इस भावना को हम अपना लें तो सामान्य जीवन में सुरक्षा आ जायेगी और कुछ उचित समाधान भी मिल जायेगा।

बम्बई नगर में आज कोई भी तनाव की स्थिति देख सकता है। ब्रिटिश राज के दौरान भी बम्बई शहर में साम्प्रदियक दंगे होते थे जिनमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी। बम्बई जैसे महानगर में जहां लगभग 5 लाख मुसलमान अत्यन्त शान्ति और नेक नीयती से रह रहे हैं, यदि वहां दंगे प्रारम्भ हों तो कितने सौ लोगों की हत्या हो सकती है। मुसलमान भाई हमारे साथ हर संभव ढंग से सहयोग करते हैं और वे हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रमुख आधार है। अतः हमें मेल–जोल से रहना चाहिए तभी हम राष्ट्रीय एकता को स्थापित कर सकते हैं।

महात्मा गांधी जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रीय एकता अथवा साम्प्रादायिक एकता को बनाए रखने में समर्पित किया । हम लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और इन्हें अपनी नीती का मूल आधार स्वीकार करते हैं । यदि सभी जातियों को चाहे वे हिन्दू हों अथवा मुसलमान या कोई भी हों भाईयों की तरह मिलकर रहना चाहिये और धर्म को बीच में न लायें तो देश में प्रगति हो सकती है अन्यथा नहीं ।

इस देश में धर्मनिरपेक्षता के अर्थ की व्याख्या जवाहरलाल और अन्य अनेक लोगों द्वारा समय-समय पर की गई है । धर्म पूर्णतया एक व्यक्तिगत मामला है । किसी को भी बीच में आकर यह कहने का अधिकार नहीं है कि यह धर्म ऐसा होना चाहिए या इस धर्म की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए। इसी कारण के आधार पर हमने संविधान के मूल अधिकारों वाले अध्याय में उन कुछ अनुच्छेदों को शामिल किया है जिनके द्वारा हमें स्वतन्त्रता और स्वाधीनता प्राप्त हुई । हिन्दु, मुस्लमान, जैन, क्रिश्चयन और अन्य धर्मावलम्बयों को अपने अपने धर्म को मानने की खुली छूट होनी चाहिए। यह बात केवल कथनी के रूप में ही नहीं रहनी चाहिए अपितु हमें व्यवहारिक रुप दिया जाना चाहिए । इस बात को हमें अपने सामान्य जीवन में प्रयोग करना चाहिए तभी हमारे देश का भविष्य बनेगा । यदि किसी ने गलत कार्य भी किया है तो भी हमें बदले की भावना अपने मन में नहीं लानीचाहिए हमें ऐसी पारस्थितियों को उत्पन्न करना है । लेकिन हम देखते हैं कि वहां बदले की भावना है और वह प्रतिकार सैकड़ों मील दूर प्रतिशोध का रूप ग्रहण कर लेता है । जब कोई ऐसी घटना घटित होती है जिसमें विवाद के पूरे दल को बच्चों समेत जीवित जला दिया जाता है तो मुझे यह सोच कर हैरानी होती है कि क्या मनुष्य में मानवता नाम की कोई बात नहीं रही । प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर विराजमान है, अतः बदले की भावना का परित्याग करके ही हम सच्चे रूप से मानवता की सेवा कर सकते हैं ।

प्रतिशोध के सिद्धान्त को अपनाने से मानव अपना धर्म भूल जाता है और इससे आग जनी और कत्ल की घटनाएं व्यापक रूप में फैल जाती हैं । यह अत्यन्त घृणित खब्त है जिसके लिए हमें शर्म आनी चाहिए । हमें प्रत्येक धर्म का सम्मान करना चाहिए, यही धर्मनिरपेक्षता है ।

हम चाहते हैं कि यह देश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो । साम्प्रदायिक दंगे से प्रगति कई वर्ष पिछड़ जाती है । महाराष्ट्र एक अत्यन्त उन्नतिशील राज्य के लिये विख्यात है लेकिन इन साम्प्रदायिक दंगों के परिणामों को दूर करने में उसे कम से कम पांच बर्ष लग जायेंगे ।

वस्तुतः इन दंगों को शीघ्र रोकने के लिए समितियां तथा आयोग जरूरी हैं लेकिन महनों या वर्षों तक उनके प्रतिवेदनों को रोके रखने की यह आदत अच्छी नहीं है । श्री डी० पी० मदान एक योग्य व्यक्ति हैं और उनकी निष्पक्षता पर कोई भी सन्देह नहीं कर सकता है । जब तक इस बीमारी का उन्मूलन नहीं हो जाता है तब तक इस देश का कोई भविष्य नहीं है । हम लोग करोड़ों नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः यह हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि जनता के सामने हम अतने व्यवहार का ऐसा उदाहरण पेश करें जिसका वे अनुसरण कर सकें ।

वामपंथी तथा दक्षिणपंथी और कम्मयुनिसट आदि सभी दल राष्ट्रीय एकता के पक्ष में है, जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है । प्रत्येक समुदाय से लोगों को चुनने का अधिकार केवल प्रधान-मंत्री का उत्तरदायित्व ही नही होना चाहिए । साम्प्रदायिक या धार्मिक विचारों को सामने रख कर चुनाव में लोगों को वोट नहीं देने चाहिऐं अपितु प्रत्याशी के सिद्धांन्तों और नीतियों को महत्व

दिया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो। तभी हम देश में उचित वातावरण स्थापित सकते हैं जिससे पता चलेगा कि हम धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक सिद्धान्तों का अन्धाधुन्त अनुसरण नहीं करते हैं। राजनीति को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रश्न से दूर रखा जाना चाहिये। वास्तव में मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहना गलत है। 5 या 6 करोड़ लोगों को अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता। वे हिन्दुओं की तुलना में कम हो सकते हैं लेकिन वे इसाइयों या पारसियों अथवा अन्य लोगों की तरह अल्पसंख्यक नहीं हैं। उनके मत लेने के लिये यदि हम इन साधनों का प्रयोग करते हैं तो इससे कुछ समय के लिये कुछ लोगों को सहायता मिल सकती है लेकिन अन्ततः राष्ट्र को हानि होगी। यदि हमारे मुसलमान भाई असावधानी से इस तरह की बातों में फंस गये तो इससे केवल उन्हें ही नहीं बल्कि लोकतंत्र तथा राष्ट्र को भी नुकसान होगा।

एक आयोग या समिति को नियुक्ति से अथवा एक सम्मलन का आयोजन करने से ही ये समस्याऐं नहीं सुलझेगी। ऐसी चीजें तभी खत्म होंगी जब हम सब, मुसलमान तथा हिन्दु, भाईयों तथा बहिनों की तरह दैनिक जीवन में मिलजुल कर काम करते हैं और मेंह इसको सिद्ध करना चाहिये। सुरक्षा की ऐसी भावना पैदा करने के लिये हिन्दुओं पर अधिक जिम्मेदारी है जहां अल्पसंख्यक समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति यह अनुमव करे कि वह सुरक्षित है। यदि हम ऐसा करते हैं तो राष्ट्र की प्रगति आश्यम्भावी है। सर्वसम्मत राय से ऐसे कृत्यों को निन्दनीय ठहराना चाहिये और कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिससे देश के किसी हिस्से में ऐसे वीभत्स दुर्घटनाओं की पुनरावृति हो।

Shri Sita Ram Kesari (Katihar) : Mr. Deputy Speaker, why there are occurances of communal disturbances at a time when natural integration is badly needed for the solidarity of the country? Who is responsible for these disturbances and from what time such disturbances began to occur in the country ?

You are aware of, that such communal disturbances in the country started to occur after 1921. But now the recurrence or these outbursts, must be checked since it has casted a slur upon the name of the nation.

Communalism must be done away with at all costs with all our strength otherwise there will be no end to ghastly murders and communal massacres, there are certain organizations which are inciting communal tensions even the children are being influenced through a particular type of education and other activities. Such things should not be allowed to go at large.

Our country is inhabited by people having faith in different religions. The same is the case in some other countries like Indonesia and Malaysia. But these communal outbursts are peculiar to India only and that in its northern part, the reason is that in North India there are certain organizations and certain newspapers which are incessently propagating communal hatred in the name or Hinduism. The Government must deal with them with firm determination and strong action.

श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए

[Shri K. N. Tiwari in the chair]

A board, consisting of non-communalists and writers and thinkers to propagate secular feelings and curb communal hatred through their literatures should be set up at the centre. People in states should also assist in such activities.

The approach of Jan Sangh towards social matters had always been communal and it had always taken an attitude which created an hatred against Muslims. This is most unfortunate. The Government should set up a kind of machinery to look into such matters and to check the growing menace of communal outbursts in the country. A punitive tax should also be imposed in the riot effected areas with a view to crub the communal violence. Then there should be a ministry of communal harmony at the centre and all the issues relating to communal peace law and order should be dealt by it.

The people belonging to majority community should try by their acts to win over the minds of minority community. They should try to infuse a feeling of security and confidence.

There are 60 million Muslims in the country. Communists can neither annihiliate, nor convert and oust them from here, therefore, we should foster brotherly feelings and be concerned that their feelings are honoured and lives protected. It is only then we can live in peace and communal harmony.

All the communal organisations should be banned. I would like to suggest that the drills and physical training to the children should be the concern of schools and Naxalities, the R.S.S. and Shiva Sena should not be allowed to go ahead with such activities.

श्री जे० मुहम्मद ईमाम (चित्रदुर्ग) : भारत में 6 करोड़ मुसलमान भारत के विशिष्ट अंग हैं तथा उनके सहयोग और एकता की सतत आवश्यकता है । भारत देश तभी उन्नति कर सकता है, यदि हम उन के जीवन को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करें। सरकार, समाज और विभिन्न दलों को ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जिससे ये अल्पसंख्यक वर्ग भारत वर्ष में शान्तिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह सके ।

श्री वाजपेयी ने कई उदाहरण दिये हैं जिसमें उन्होंने दर्शाया है कि इन दंगों को भड़काने वाले मुसलमान लोग हैं । वैयक्तिक रूप से मुझे इस की कोई जानकारी नहीं है । वस्तुत: उनके द्वारा ऐसे भाषण जनता को भड़काने के लिये निरन्तर दिये जाते हैं । स्वतंत्र दल का किसी भी राजनीतिक दल से सांठ-गांठ नहीं है अपितु इसकी अपनी अलग नीतियां हैं । जनसंघ के नेता को उन मुसलमानों को साम्प्रदायिक दंगों को भड़काने के रूप में कलंकित करने और उन्हें भारत-विरोधी और राष्ट्रविरोधी के रूप में कहने की अपेक्षा अल्पसंख्यकों के प्रति नम्रता का व्यवहार करना चाहिये ।

गृह-कार्य मंत्री ने सभा में अनेक ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो दंगाग्रस्त क्षेत्रों में मारे गये थे, बतायी है। उन्होंने यह कहा है कि अधिकांश व्यक्ति जो मारे गये, वे मुसलमान हैं। गृह-मन्त्री की हैसियत से वह उस स्थल पर गये हैं और उन्हें मौके पर जो जानकारी मिली है उसे हमें सही मानना पड़ेगा।

मुसलमान दुखी और निराश हैं। वे अनुभव करते हैं कि इस देश की सरकार उनके जीवन और सम्मान की रक्षा करने में असमर्थ है। देश के किसी हिस्से में साम्प्रदायिक दंगों का विस्फोट हो सकता है जिसके कारण अनेक लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ सकता है। वे यह भी मानते हैं कि उनका भविष्य अन्धकारपूर्ण और अनिश्चित है। जो घटनाएं हुई हैं, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वास्तविक तथ्य यही हैं। सम्पूर्ण विश्व में हमारी प्रतिभा धूमिल पड़ चुकी है। साम्प्रदायिक पिशाच ने अपना सिर उठाया है और साम्प्रदायिक विष समूचे देश के लोगों में फैल रहा है। इस समय इसके लिए कोई हल प्रतीत नहीं होता है। गत एक या दो वर्ष से साम्प्रदायिक गड़बड़ फैल रही है, और कई स्थानों में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। लेकिन अहमदाबाद के दंगे, इतिहास में हमारी साम्प्रदायिकता के सबसे घृणित और भद्दे रूप में उल्लेख किये जाएगें हम समझते हैं कि चार हजार लोगों, अधिकांश रूप से मुसलमानों की मृत्यु, साम्प्रदायिक पिशाच की साम्प्रदायिक भूख को सन्तुष्ट करेगी और, कुछ विश्राम मिलेगा और हमें इस आघात से संभलने के लिए कुछ समय मिलेगा। लेकिन ऐसा नही हुआ क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति बिहार के चाईबासा, महाराष्ट्र के भिवंडी और अन्य विभिन्न स्थानों पर हो रही है। इन दंगों की सबसे अधिक दिल दुखाने वाली बात यह है कि ये सभी दंगे जिनमें कईयों को जीवन गंवाना पड़ा, महात्मा गांधी के शताब्दी वर्ष में घटित हुए। महात्मा गांधी ने हिन्दु-मुस्लिम एकता के लिए अपना जीवन बलिदान किया। वस्तुतः हमने उनके द्वारा सिखाये गये, अहिंसा और शान्ति के लिये सिद्धान्तों की हत्य कर दी है ;

इन दंगों के सूक्ष्म विश्लेषण से पता चलता है कि इनका स्वरूप एक ही तरह का है। सामान्यतः, हिन्दुओं और मुसलमनों के बीच दन्गे होते हैं और मुसलमानों को ही अधिकांशतया नुकसान उठाना पड़ता है। दंगों से अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को मजबूरी और लाचारी से अपने जीवन के दिन काटने पड़ते हैं। पुलिस सदा घटनास्थल पर देर से पहुंचती है। पुलिस सदा निष्क्रिय एवं उदासीन बनी रहती हैं। अन्ततः मंत्री उन इलाकों में पहुंचते हैं और आयोग की नियुक्ति का आदेश देकर वापिस आ जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार कह सकती है कि उसने राष्ट्रीय एकता परिषद स्थापित की है। राष्ट्रीय एकता परिषद् के द्वारा सरकार ने एक समिति की भी नियुक्ति की है। श्रीनगर में इसकी बैठक एक या दो बार हुई। सम्मेलन किये गये, प्रस्ताव पास किये गये, लेकिन इनका लाभ क्या है? ये सम्मेलन और प्रस्ताव साम्प्रदायिक पागलपन को नहीं रोक पाते हैं।

इस पर स्पष्ट चिन्तन और प्रभावी कार्यवाही करने की नितान्त आवश्यकता है। श्री चव्हाण द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसमें साम्प्रदायिक प्रचार करने पर, इसके भड़काने पर और साम्प्रदायिक दंगों में भाग लेने पर कठोर सजा की व्यवस्था की गई है। यदि कोई संगठन इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होता है तो उस पर भी कठोरता से कार्यवाही की जायेगी

ऐसा उस विधेयक में कहा गया है। क्या इस अधिनियम के बन जाने से साम्प्रदायक दंगे रुक गये हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां फिर भी जारी हैं, और ऐसा साहित्य प्रकाश में आ रहा है तथा ऐसी कई पत्रिकाएं छप रही हैं जिसमें मुसलमानों को राष्ट्र विरोधी कहकर उन्हें तिरस्कृत किया गया है। ऐसा साहित्य छापने पर, जिसमें एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध भड़काया जाता है, कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है।

भारतीयकरण का प्रश्न काफी अधिक विवादास्पद रहा है। यह कहा जाता है कि मुसलमानों का भारतीयकरण अनिवार्य रूप से किया जावे। भारत के मुसलमान निष्ठावान हैं। वे कभी भी विभाजित अथवा दोहरी निष्ठा के बारे में नहीं सोचते हैं। वे भी इसी धरती के सुपुत्र हैं और वे यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या स्वतंत्रता के पश्चात् अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले या एक देशद्रोही के रूप में कार्य करने वाले किसी मुसलमान का कोई उदाहरण है? 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में क्या सभी मुसलमानों ने आप का समर्थन नहीं किया? इसके बावजूद, जनसंघ के नेता उनको दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि उनका भारतीयकरण किये जाने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के भारतीयकरण की आवश्यकता है, ज दंगे के लिए भड़काते हैं, अपने देशवासियों की हत्या करते हैं और राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ट करते हैं। उन लोगों के भारतीयकरण की जरूरत है जो देश के हित में कार्य नहीं करते तथा जो एकता के विरोध में कार्य करते हैं।

मुसलमान पूर्णरूप से देश के साथ हैं और हम भारतीय हैं। हिन्दू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों में मतभेद नहीं है, क्योंकि दोनों धर्म ईश्वर में आस्था रखते हैं। पिछली कई शताब्दियों से हिन्दू और मुसलमान इकट्ठे रहते आ रहे हैं और कई ऐसे उदाहरण हैं जहां मुसलमानों ने मन्दिरों को स्थापित करने के लिए भूमि दान में दी है। और हिन्दुओं ने मुस्लिम संस्थाओं के लिए सहायता दी है। इनका परस्पर मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहा है। हमारे कुछ मित्र सोचते हैं कि मुस्लमान भारतीय नहीं हैं और वे भारत के विरुद्ध हैं। उनको अनिवार्य रूप से अपने मन से इन शंकाओं को निकाल देना चाहिए। हिन्दुओं को मुसलमानों पर विश्वास होना चाहिए तभी मेल जोल की और सुरक्षा की भावना पनपेगी और यही वज्र-कवच का कार्य करेगा।

अल्पसंख्यक होने के नाते हम असुरक्षित स्थिति में हैं। लेकिन फिर भी हम भारती हैं, राष्ट्र की सहायता करना चाहते हैं और राष्ट्र का एक अभिन्न अंग होना चाहते हैं।

भारत में एकता स्थापित करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है क्योंकि भारत विभिन्न धर्मों का विभिन्न जातियों और विभिन्न वर्गों का देश है। लेकिन फिर भी सभी समुदायों को इसके लिए प्रयास करना चाहिये। अब समय आ गया है जब हम सभी मिल कर रहें और अपने इस संकल्प को उद्घोषित करें कि हम परस्पर मिल कर कार्य करेंगे और एक दूसरे के प्रति शुभ कामनाएं व्यक्त करें तभी भारत में एकता स्थापित की जा सकेगी और तभी जीवन में गतिशीलता आ सकेगी यदि हम इस तथ्य को भुला देते हैं और जो यह सुनहरा अवसर खो बैठे तो भविष्य में हमारे साथ क्या होगा, इस समय यह बताना दुष्कर कार्य है। यह मैं नहीं जानता कि नियति ने हमारे लिए क्या नियोजित किया है और किन बड़ी मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (नेतूल) : साम्प्रदायिक हत्याकाण्ड की घिनौनी तथा घृणात्मक कहानी जो जबलपुर से आरम्भ हुई वह कलकत्ता, राऊरकेला, रांची, नागपुर, इलाहाबाद, मेरठ, अहमदाबाद और चाइबासा होती हुई भिवाँडी और जलगांव तक पहुंच गई है। यह कहानी धर्म निरपेक्षता के सम्पूर्ण सिद्धान्त, संविधान, एवं जनतंत्र के आदर्शों क प्रति हमारी दृढ़ निष्ठा का कुत्सित उपहास करती है। प्रत्येक साम्प्रदायिक झगड़ा मानव के कुकृत्यों एवं उनके घृणात्मक जंगलीपन का भयानक परिणाम है। इसलिये यह उचित ही कहा गया है कि ऐसा प्रत्येक झगड़ा समस्त देश के लिये अभिशाप है। यह भारत के नाम पर एक मात्र सबसे बड़ा कलंक है, इस पुरातन भूमि की समृद्धि संस्कृति का सबसे बड़ा अपमान है जो हमें सदैव ही उदारता और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाती है।

प्रत्येक दंगे के पश्चात दो प्रकार की बातें होती हैं। ये दोनों बातें इन झगड़ों से भी निष्कृष्ट हैं। प्रथम घटना यह घटती है कि जहां कहीं इस प्रकार का कोई दंगा होता है वहां राज्य सरकार का कोई प्रवक्ता जिलाधिकारियों की निष्क्रियता, कठोरता से कार्य न करने और इन साम्प्रदायिक दंगों को समय पर न रोक सकने के कारण बताते हुये एक वक्तव्य दे देता है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि जिलाधिकारी समय पर, और ईमानदारी तथा कठोरता से कार्य करने के इच्छुक हों, तो वे निश्चय दगों को घटने से रोक सकते हैं। दगों को रोकने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि इसे घटित ही न होने दिया जाय। यदि विषय में तनिक भी ढील दी गई तो फिर परिस्थिति पर नियंत्रण पाना दुष्कर हो जाता है।

दूसरी बात यह होती है कि प्रत्येक दंगे के पश्चात्, राष्ट्रीय वाद-विवाद किया जाता है। जब निरापराध पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है, सम्पत्ति का विनाश हो जाता है तब राष्ट्रीय वाद-विवाद आरम्भ हो जाता है। सार्वजनिक सभायें की जाती हैं समाचार पत्रों के लिये वक्तव्य जारी किये जाते हैं, विधान सभाओं और संसद में चर्चाएं होती हैं इस राष्ट्रीय वाद-विवाद में कुछ राजनैतिक दल साम्प्रदायिक दृष्टिकोण अपनाते हैं जो स्वयं दंगा करने वालों के दृष्टिकोण से भी खराब होता है : ये सभी राजनतिक दल शब्दाडम्बरों में व्यस्त रहते हैं। इनके अन्दर साम्प्रदायिकता सद्भाव एवं सौहार्द के बारे में कोई ईमानदारी नहीं होती है। इन राजनैतिक दलों द्वारा इस प्रकार के रुख को अपनाने से साम्प्रदायिक सद्भाव की सबसे बड़ी हानि होती है।

सिद्धांत रूप में ये राजनैतिक दल प्रकटत: साम्प्रदायिक हिंसा एवं झगड़ों की निन्दा करते हैं और अस्वीकार करते हैं। वे निरापराध पुरुषों, स्त्रियों, एवं बच्चों की मृत्यु एवं सम्पत्ति विनाश पर झूठे आंसू बहा सकते हैं। परन्तु ये दल साम्प्रदायिक हत्याकाण्ड में भाग लेने वाले के प्रति जाति, सम्प्रदाय एवं धर्म की चिन्ता किये बिना ही, कठोर पग उठाने एवं उनकी भर्त्सना करने को तैयार नहीं हैं। ये केवल एक जाति को दोषी ठहराते हैं और दूसरी जाति के हिंसात्मक, अराजकता-पूर्ण तथा प्रतिशोधी कार्यवाहियों को भी औचित्य प्रदान करते हैं। जहां एक जाति की साम्प्रदायिक रुख को निन्दनीय घोषित किया जाता है वहां दूसरी जाति को हिंसात्मक एवं प्रतिशोधी कार्यवाहियों में औचित्य ठहराने के लिये कौनसा तर्क रह जाता है। यह हिंसात्मक

वैमनस्य कहां तक उचित है ? यदि हम देश की साम्प्रदायिक सद्भावना में तनिक भी विश्वास रखते हैं तो हम जितनी भर्त्सना दूसरे दल की साम्प्रदायिकता की करते हैं उतनी ही भर्त्सना हमें साम्प्रदायिकता के नाम पर हिंसात्मक कार्यवाही करने वालों की भी करनी होगी ।

हमने यह बात बहुत देरी से समझी है कि ये दल राष्ट्रवाद के कपट पूर्ण नारों के माध्यम से कोरी साम्प्रदायिकता का प्रचार करते हैं और विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय वाद-विवादों से साम्प्रदायिक समस्या, जिससे समस्त देश बुरी तरह जकड़ा हुआ है, कोई हल नहीं निकल सकता और ना ही ये वाद-विवाद जातियों के मध्य-कटुता एवं घृणा का उन्मूलन करने में समर्थ सिद्ध हो सकते हैं। भावपूर्ण भाषणों से लोगों के हृदयों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यदि दृढ़ निश्चय से हमें इस समस्या से छुटकारा पाना है तो व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा ।

तार्किक एवं यथार्थवादी मूल्यांकन मे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि —

धार्मिक क्रूरता बढ़ रही है और यह कहना कि धार्मिक क्रूरता एवं कट्टरता केवल एक जाति में है रघुबर दयाल आयोग के प्रतिवेदन की गलत व्याख्या है। इस समिति ने तो यह बताया है कि सम्पूर्ण देश और समस्त जातियां इस घृणात्मक दृष्टिकोण के लिये दोषी हैं ।

साम्प्रदायिक समस्या एक कटुसत्य है, परन्तु कुछ स्वार्थी इतिहासकारों ने केवल अपने हितों को ही दृष्टि में रखकर देश का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है कि अंग्रेजों के भारत में आने से पूर्व की 4,5 शताब्दियों में इस्लाम एवं हिन्दुओं के बीच में निरंतर संघर्ष चलता रहा है। इन इतिहासकारों ने बताया है कि गज़नी और गौरी जैसे आक्रमणकारी क्रूर तानाशाह नहीं थे। वे शक्ति एवं सम्पदा प्राप्त करने वाले स्वार्थी व्यक्ति नहीं थे । उन्होंने तो हिन्दुत्व पर इस्लाम का आक्रमण किया था। एक सर्वीनतम इतिहासकार ने मुस्लिम शासकों, हुमायूं, जहांगीर और अकबर की साम्प्रदायिकता का उचित चित्र प्रस्तुत किया है।

यदि यह मान भी लिया जाय कि साम्प्रदायिक झगड़ों के पीछे ऐतिहासिक कारण हैं तो क्या उनके पूर्वजों के पापों के लिये इन दुर्बलों को दंड देंगे इनसे प्रतिशोध लेंगे। यह देश ऐसा कभी नहीं करेगा। दोनों धर्मों के आधार भूत तत्वों में कोई विरोध प्रतीत नहीं होता है। इन दोनों धर्मों को अपने अनुयायियों का जीवन सुखमय बनाने के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये क्योंकि दोनों ही धर्मों के अनुयायी एक ही मातृभूमि-भारत में जन्में हैं।

1960 से अब तक की साम्प्रदायिक घृणा की असाधारण वृद्धि की जिम्मेदारी कुछ राजनैतिक दलों के नेताओं, मिथ्या धर्म, साम्प्रदायिक संस्थाओं तथा निरर्थक सांस्कृतिक संगठनों पर है जो परा-सैनिक गति विधियों का आयोजन करते हैं। कुछ राजनैतिक विचार धाराओं के एजेन्ट कुछ संगठनों में काम कर रहे हैं और इस प्रकार ये साम्प्रदायिक एकता के बहुत बड़े शत्रु हैं।

यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि किसी राज्य सरकार द्वारा किसी संगठन को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से राजनैतिक उद्देश्य प्राप्ति के लिए परा-सैनिक गतिविधियों को संरक्षण देने में बहुत बड़ा खतरा है। जो राज्य सरकार ऐसा कर रही है वह अपने लिये सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न कर रही है।

1960 के बाद के साम्प्रदायिक दंगों पर रघुबर दयाल आयोग के तथ्यों की व्याख्या करने से वेदनात्मक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। साम्प्रदायिक झगड़ों की संख्या, उनका शीघ्रता से घटित होना तथा अधिक समय तक रहना, हजारों स्त्रियों, पुरुषों तथा बच्चों का मौत के घाट उतार देना सबका पंगु कर देना, सम्पत्ति का विनाश आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनसे यह धारणा स्पष्ट हो जाती है कि साम्प्रदायिक दंगों में भाग लेने वाले की संख्या में वृद्धि हो रही है और साथ ही इस भावना की पुष्टि होती है कि ऐसे झगड़ों में भाग लेने के कोई गम्भीर परिणाम नहीं हैं।

लखनऊ में समाज शास्त्र के एक प्रोफेसर ने अपनी खोज के आधार पर विभिन्न दलों को दोषी ठहराया है। इसका सबसे बड़ा महत्व है। प्रोफैसर ने कहा है कि "सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी ने देश के विभाजन के पश्चात् अपनी राजनैतिक दृढ़ता बनाने के उद्देश्य से मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को साथ मिलाने की गलती की। हिन्दुओं ने कांग्रेस पार्टी की इस विभाजन नीति का लाभ उठाया और हिन्दुओं के अहंम पर आघात करने के लिये सरलता से जनसंघ की स्थापना की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसे सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है, एक सुसंगठित परा-सैनिक निकाय है, जिसमें नौजवान कार्यकर्त्ताओं की एक बहुत बड़ी सैना है और गुरु गोलवाल्कर जी सैना के मुख्य सेनापति हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जनसंघ, जर्मनी की नाजी पार्टी की तरह भारत में मुसलमान विरोधी रुख अपनाकर पनप रही हैं। और हजारों हिन्दुओं को, 'अखण्ड-भारत' 'मुस्लिमों का भारतीयकरण', और 'हिन्दु संस्कृति अमर रहे' आदि के छलपूर्ण नारों में फंसा रखा है।

जामायते इस्लामी, मजलिसे मुखुरात और इस तरह के कुछ दूसरे "राजनैतिक संगठन वे हैं जिनके अन्दर निराशा सम्प्रदायिक राजनैतित्व सम्मलित हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी के अन्दर लाभ के ऊंचे पद प्राप्त नहीं हो सके ये कुछ स्वार्थी लोगों के छोटे छोटे राजनैतिक दल हैं जो क्रोधपूर्वक मुसलमानों के शोषण की बात करते हैं।"

सांम्प्रदायिकता की धमकी ने हमारे हराष्ट्रीय जीवन को खतरनाक ढंग से हानि पहुंचानी आरम्भ कर दी है। अतः मामले की यथाशीघ्र जांच की जानी चाहिए। कुछ अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उपाय प्रयोग में लिये जाने हैं। दीर्घकालिक उपायों द्वारा उचित और अच्छी शिक्षा देकर ही समुदायों को सामाजिक तथा धर्मिक सम्बन्धों को अच्छा बनाया जाना चाहिये। इस उद्देश्य से रघुवरदयाल आयोग का प्रतिवेदन बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे आशा है कि भारत सरकार इस पर पूरा ध्यान देगी। मेरा विचार है गृह मंत्री मेरे सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेंगे। सर्वप्रथम यह समझ लेना चाहिये कि अपराध सम्बन्धी वर्तमान कानून साम्प्रदायिक दंगों को नहीं रोक सकते अतः इसके लिये एक नये कानून की आवश्यकता है।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, और राजनैतिक निकायों जिनके विरुद्ध प्रथम दृष्टि में साम्प्रदायिक कार्यकर्त्ताओं का साक्ष्य है, के ढांचे, वितीय कार्य चालने, और विभिन्न कार्यकर्त्ताओं की जांच और पूरी तरह छानबीन करने के लिये न्यायिक शक्तियों और अधिकारों के साथ एक स्थायी आयोग की स्थापना की जानी चाहिये। यह तो आवश्यक है कि साम्प्रदायिकता को उकसाने और साम्प्रदायिक दंगों में भाग लेने के लिये बड़ा दण्ड दिया जाना

चाहिये । साम्प्रदायिक दंगों में छोटी से छोटी चोट पहुंचाने के लिये कम से कम 10 वर्ष के कारावास का दण्ड दिया जाना चाहिये । भाषणों और लेखों द्वारा साम्प्रदायिकता को भड़काने वालों को कम से कम पाँच वर्ष का कठोर कारावास दिया जाना चाहिये ।

हम दीर्घकाल से एक ज्वालामुखी पर बैठे हुये हैं जिसमें भयानक विस्फोट के विनाशकारी चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं । यदि हमारी यही धारणा बनी रहेगी तो इसमें सन्देह नहीं कि समस्त देश में फूट पड़ जायेगी और भारतीय राष्ट्रवाद का विनाश हो जायगा ।

श्री एस० ए० डांगे (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : श्री बाजपेयी का भाषण सुनने के बाद किसी को यह प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि दंगे किसने शुरू किये । इससे भी यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो दंगे शुरु नहीं करते हैं तो वे मुसलमान हैं । श्री बाजपेयी एक प्रभावशाली वक्ता हैं और उन्होंने अपने भाषण से भावनाओं को उत्तेजित किया है । उनका भाषण एक घोषणा पत्र है जिसमें मुसलमानों क विरुद्ध हिन्दुओं के सिविल युद्ध के बारे में कहा गया है हिन्दुओं का सभी गैर हिन्दुओं के विरुद्ध सिविल युद्ध और यही कारण है जब लोगों ने उन्हें ईसाईयों आदि के बारे में स्मरण कराया तो उन्होंने अपने आप को संभालना शुरु किया ।

उनके भाषण की मुख्य बात क्या है ? उनका विचार है कि मुसलमानों के सम्प्रदायिक होने के कारण हिन्दु उग्र स्वरूप धारण कर रहे हैं । उग्र रूप का तात्पर्य क्या है ? इसका तात्पर्य यही है कि हम युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं और अपने इन साथियों से युद्ध करेंगे और उनका कत्ले-आम करेंगे । हिन्दुओं को उग्ररूप धारण करने के लिए पुकारा जा रहा है । इस उद्देश्य से श्री बाजपेयी के भाषण को घोषणा-पत्र मानकर वितरित किया जा रहा है । इसका उत्तर क्या है ? हमारे कुछ मित्रों का उत्तर कि हमें भ्रातृत्व का उपदेश करना चाहिये, कोई उत्तर नहीं है । महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन साम्प्रदायिकता एकता लाने में बिता दिया और अन्त में उन्हें एक हिन्दु ने गोली मार दी ।

श्री बाजपेयी ने जो शिवाजी के नाम में उदाहरण दिये हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शिवाजी ने कभी मुसलिम या हिन्दु महिलाओं की हत्या की ? वास्तव में यह बात रिकार्ड में है कि जब शिवाजी का मुख्य कमांडर कल्यान से एक सुन्दर मुसलमान लड़की को लाया और उसे शिवाजी के सामने प्रस्तुत किया तो शिवाजी ने यह बात कही थी कि हे ईश्वर यदि मेरी माता इतनी सुन्दर रही होती तो मैं कितना सुन्दर पुत्र होता । शिवाजी को इस बात पर क्रोध नहीं आया कि वह एक मुसलमान मां का पुत्र होता । आज भिवान्डी में ठीक इसके विपरीत घटनायें हो रही हैं । अतः शिवाजी के नाम में नारे नहीं लगाये जाने चाहिये, क्योंकि शिवाजी के नारों का तथा उनके उदाहरणों का दुरुपयोग किया जा रहा है ।

इस देश में सर्वोत्म हिन्दुधर्म हमारा है । यह धर्म प्यार एवं शान्ति का पाठ पढ़ाता है वर्तमान परिस्थितियों को भुलाकर, धर्म, उसके उपदेश और सिद्धांत हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते ।

शिव सेना शिवाजी के प्रति अपनी वफ़ादारी दिखाती है। इस सेना के नेता का एक ही गुण है, वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस अशुर सभा को भंग कर दो और व्यक्ति विशेष की हत्या कर दो। उनकी मुख्य शत्रुता साम्यवादी पार्टी से है। जब इस मामले को उठाया गया तो मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया कि हम यहां आपके आन्तरिक झगड़ों को नहीं सुलझा सकते। आप जो चाहें करें।

शिव सेना के विरुद्ध कार्यवाही न करने से महाराष्ट्र में दंगे हुए। गत दो महीनों से निरन्तर यह प्रचार किया जा रहा है, और मस्जिदों पर खुले आम आक्रमण किये जा रहे हैं। कौसा में एक मस्जिद पर पुलिस की उपस्थिति में छुरे, लाठियों और पत्थरों से हमला किया गया। इसकी शिकायत की गई परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। भिवान्डी, माहड, और कल्यान के लिये यह एक तैयारी थी। ये दंगे अहमदाबाद तथा अन्य दूसरे स्थानों के दंगों से कुछ भिन्न हैं। इस विशेष मामले में पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार उत्तरदायी है। अहमदाबाद तथा महाराष्ट्र दोनों ही स्थानों के दंगों के लिये वहां के मुख्य मंत्री उत्तरदायी हैं। जब तक सत्तारूढ़ दल पुलिस को इस सम्बन्ध में आदेश नहीं देगा, पुलिस कर्मचारी कोई भी कार्यवाही नहीं करने के।

इस समस्या का हल क्या है? जनसंघ ने इसके हल का सुझाव दिया है कि हमें पुलिस में मुसलमानों की अधिक भरती नहीं करनी चाहिये, जिससे कि शतप्रतिशत हिन्दु पुलिस हो। लेकिन यह कोई हल नहीं है।

सिविल युद्ध का वातावरण हमारे देश में ही नहीं बल्कि समस्त संसार में छाया हुआ है। अमरीका में नीग्रो जाति के लोगों की हत्यायें की जा रही हैं। इस प्रकार राज्य की हिंसात्मक शक्ति से जनतंत्र के नाम में किसी विरोध को दबाने की निति का विस्तार होता जा रहा है। यही कारण है कि नक्सलवादी जैसी राज्य विरोधी शक्तियाँ भी पनप रही हैं। उदाहरण के लिये यदि मज़दूर लोग हड़ताल पर हैं तो उन्हें शान्तिपूर्वक हड़ताल नहीं करने दी जाती है क्योंकि पुलिस आदि द्वारा उन्हें पीटा जाता है। इन मज़दूरों के पास पत्थर और बन्दूक उठाने के अतिरिक्त और क्या उत्तर शेष रह जाता है। पूंजीवादी और साम्राज्यवादी संसार में ऐसी ही घटनायें हो रही हैं। वियतनाम में अमरीका वाले अपने देश से लगभग 10,000 मील दूर युवक एवं युवतियों को मौत के घाट उतार रहे हैं।

जहां तक महाराष्ट्र के लोगों का मनोबल बढ़ाने का प्रश्न है, मेरे विचार से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जनसंघ अथवा किसी अन्य दल पर रोक लगाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि रोक लगाने से वे छिप जायेंगे। वास्तव में आवश्यक तो यह है है कि ऐसे एकाधिकारी समाचार पत्रों पर जिनमें सिविल युद्ध के बारे में मुख्य शीर्षक दिये जाते हैं और जिनमें सिविल युद्ध का प्रचार किया जाता है, रोक लगाई जाय जिनका वे मालिक लोग समर्थन करते हैं जिन्होंने रामलीला मैदान में हिन्दु परिषद की बैठक बुलायी थी।

हमें यह जान लेना चाहिये कि हमें प्रत्येक आदशवादी, राज नैतिक सामाजिक एवं नैतिक प्राचार से अलग रहना है। केवल इसी प्रकार सिविल युद्ध के प्रचार पर विजय पाई जा सकती है।

ऐसे अनेक लोग हैं जो हिटलर का स्वप्न देखते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वे उस लक्ष्य को भूल जाते हैं जो हिटलर का अन्त क्या हुआ था। उन्हें इस तरह की चीजों की और इस तरह के विचारों की नकल नहीं करनी चाहिये। हमें अपने देश में कानून का राज्य स्थापित करना चाहिये जिसमें लोकतंत्रीय ढंग से मामलों पर निर्णय लिया जाय। शक्तियों का लोकतंत्रीय पुनर्संगठन किया जाना चाहिये। लोकतंत्रीय विचारधारा और मनोविज्ञान को भी विशेष रूप से पुनः संगठित किया जाय।

हमें इस बात पर भी विचार करना है कि केवल हिन्दु मुसलिम के कारण ही नहीं, अपितु इस देश में जातिवाद से भी सिविल युद्ध बढ़ रहा है। उच्चवर्ग, निम्नवर्ग को सता रहा है। जो वर्ग-युद्ध चल रहा है उसमें निःशस्त्र लोगों को राज्य शक्तियों द्वारा दबाया जा रहा है। अतः किसी भी शांति समिति बनाने अथवा कुछ संस्थाओं पर रोक लगाने से कोई लाभ नहीं होगा जो लोग लोकतंत्रीय मूल्यों में विश्वास रखते हैं उन्हें शोषित वर्ग की रक्षा करनी चाहिये। ऐसे लोग एक साथ आगे बढ़ें और देश में लोकतंत्रीय एकता का आन्दोलन प्रारम्भ करें।

मेरा विचार है कि एक आदर्श उदाहरण तैयार किया जाय और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को हटाया जाय। सरकार इतनी सशक्त हो कि वह अपने ही दल के बुरे आदमियों को दंड दे सके। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता यदि सरकार किसी लोकतंत्रीय मामले पर अपना बहुमत खो देती है और संसद भंग हो जाती है और वह जनता का फैसला लेती है।

***श्री सुब्रो बेल (मयूरम)** : मुझे यह कहने में गर्व अनुभव होता है कि द्राविड़ मुन्नेतर कड़गम दल एक धर्म निरपेक्ष दल है और इसमें सम्प्रदाय वादियों का कोई स्थान नहीं।

साम्प्रदायिक दंगों की जितनी घटनाएं हमारे सांमने आई हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि धार्मिक मतान्धता ही इसका मुख्या कारण है। इतिहास को देखने पर पता चलता है कि जातिवाद और सम्प्रदायवाद की भावना को दूर करने के लिए राजा अशोक, और मुगलकालीन राजा अकबर ने महत्वपूर्ण कदम उठाए अकबर ने इस्लाम और हिन्दबाद के बीच फैली भ्रान्ति को दूर करने के लिए दीने–इलाही नामक धर्म को चलाया। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने हिन्दू मुस्लिमों के बीच उदारता कायम करने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। परन्तु उसी महात्मा की हत्या जो साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए लड़ता रहा, एक हिन्दू ने की।

गृह कार्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि अहमदाबाद में जो दंगे हुए, उसका कारण गुजरात सरकार द्वारा अपनाई गई लापरवाही है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदाय इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करें कि महाराष्ट्र सरकार ही दंगों के लिए उत्तरदायि थी। राज्य समाचार पत्रों से इस बात का संकेत मिल चुका था कि राज्य में अनर्थकारी स्थिति छाई हुई है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को पहले ही चेतावनी दी जानी चाहिए थी ताकि वह साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए पहले से ही उपाय कर लेते।

दंगों के परिणामस्वरुप जो दारुण एवं दुर्भाग्यपूर्ण दृष्य देखने को मिला उसका कारण महाराष्ट्र सरकार की अकर्मणता थी। जब वर्षा और भुकम्प आने की पूर्व सूचना दी जा सकती है तो क्या

*मूल कन्नड के अंग्रेजी अनुवाद से अनूवादित

सरकार समाज विरोधी तत्वों को फैलने से नहीं रोक सकती ? आमतौर पर यह देखने में आया है कि जब भी किसी एक विशेष स्थान पर दंगे होते हैं, उसी समय वैसी ही घटनाएं अन्य इलाकों में भी होती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये दंगे किसी सुयोजित कार्य का परिणाम होते हैं और किसी न किसी वर्ग का इसके पीछे हाथ होता है। यदि माननीय मंत्री दंगों के फैलने के इस प्रतिभास से सहमत नहीं तो मैं नहीं कह सकता कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा ?

हम गांधी जी के विचारों के अनुयायी हैं। गांधी जी अस्पृष्यता के विरोधी थे। आज पुरी के शंकराचार्य भाषणों में कह रहे हैं कि भारत में अस्पृष्यता बनी रहेगी। हमने कानून बनाया है कि ऐसे व्यक्तियों को सजा दी जाएगी। परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा। यदि सरकार कानून के होते हुए भी अस्पृष्यता को रोकने के लिए उपाय नहीं करेगी तो उससे यह आशा कैसे की जा सकती है कि वह देश में प्रजातंत्र को कायम रखने में समर्थ हो सकती है।

दक्षिणी राज्य साम्प्रदायिक एकता का नमूना है। मद्रास के स्वर्गीय मुख्य मंत्री आरिंगर अन्ना ने समप्रदायिकता एवं जातिवाद की भावना को दूर करने के लिए अथक परिश्रम किया इसी प्रकार श्री करूणानिधि भी इस ओर प्रयत्नशील हैं। वे साम्प्रदायिक एकता को बनाए रखने में सफल भी हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने जातिवाद को दूर करने के लिए सम्मेलन भी बुलाए हैं। यही ही नहीं नाटकों एवं चलचित्रों द्वारा भी हम समाज में फैले साम्प्रदायिक विष को दूर करने में समर्थ हुए हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि समाजसुधार के कार्यक्रमों के फलस्वरुप हमारे राज्य में कभी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए।

सरकार चाहे सैंकड़ों कानून बनाए परन्तु जब तक उनको व्यवाहर में नहीं लाया जाता तब तक कुछ लाभ नहीं हो सकता। राजनीतिक दलों को न केवल सामाजिक सुधार में योगदान देना चाहिए बल्कि सिनेमाओं को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित करे कि वे विभिन्न सम्प्रदायों के बीच मैत्री भाव स्थापित करने के लिए समाज-सुधार की भावना का प्रचार करे।

दंगे केवल धार्मिक वैर भाव के कारण नहीं होते बल्कि राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। जब शिव सेना बनी तो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह दल वैध अधिकारों को प्राप्त करने के लिए गठित किया गया है। परन्तु आज ठीक इसके विपरीत हो रहा है। कानून होने पर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। मेरा मत है कि इन दंगों की जांच कराने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया जाना चाहिए और जो भी गुण्डागर्दी आदि के कार्य करे उसे सजा दी जाए। जब तक यह नहीं होता, हम साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में समर्थ नहीं हो सकते।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्री मती इन्दिरा गांधी) : श्री वाजपेयी ने इस अवसर का उपयोग विशेषकर मुसलमानों तथा सामान्य रुप से अन्य अल्पसंख्यकों पर आक्षेप लगाने के लिए किया है। उन्होंने अपने हाथ उठाकर हिटलर की तरह घोषणा की है। श्री बाजपेयी द्वारा प्रयोग किये गये शब्द मुझे याद नहीं हैं परन्तु उन्होंने मुझे किसी सम्बन्ध में चुनौती दी है मैं उन्हें बता देना चाहती हूं कि मैं किसी प्रकार की चुनौती से पीछे हटने वाली नहीं हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर): मैं भी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

श्रीमति इन्दिरा गांधी : मैंने समाचार पत्रों में देखा है कि श्री वाजपेयी तथा उनके दल के लोग मुझे गालियां देते हैं और मुझ पर निराधार आरोप लगाते रहते हैं। परन्तु इस अवसर पर उन्होंने गृह मंत्री पर आरोप लगाया है। भिवन्डी तथा अन्य स्थानों पर हुए दंगों से सबको दुःख हुआ है और वे निन्दनीय हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पूछा था कि दंगें कैसे आरम्भ होते हैं। क्या किसी लड़के द्वारा पत्थर फैंकने से दंगे आरम्भ हो जाते हैं। क्या उस व्यक्ति ने दंगा आरम्भ किया था जिसने पहली हत्या की थी ? अथवा इन दंगों के लिए ऐसे भाषणों द्वारा तैयार किया गया वातावरण जिम्मेदार है जैसा भाषण हमने आज यहां पर सुना है ? इन दंगों के लिए इस प्रकार का वातावरण ही जिम्मेदार है। यह घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। यह कोई संयोग की बात है कि राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ या जनसंघ के लोग जहां कहीं जाते हैं उसके बाद शीघ्र ही वहां पर अथवा उस स्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों में दंगे हो जाते हैं ? क्या यह बहुत ही अजीब संयोग है। माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए।

किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना एक सरल बात है। यह भी सम्भव है कि इस स्थिति में और अच्छे तरीके से कार्यवाही की जा सकती थी। मैंने स्थिति का अध्ययन नहीं किया है और मैं इसी लिये वहां पर जा रही हूं। विश्व में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती जब हम यह न कह सकें कि इस स्थिति में और अधिक सावधानी नहीं बरती जा सकती थी या कुछ और कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण के दौरान कुछ माननीय सदस्य जोर जोर से कह रहे थे कि उनके टिप्पण कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिय जायें। मुझे प्रसन्नता है कि उपाध्यक्ष ने ऐसा नहीं किया मैं चाहती हूं कि वे टिप्पण कार्यवाही वृतान्त में रहें और उन्हें भावी पीढ़ियां तथा जनता पढ़े जिससे उन्हें पता चले कि जनसंघ के मन में वास्तव में क्या है आज हमने उनके शब्दों के पीछे तानाशाही देखी है।

माननीय सदस्य ने शिवाजी के सम्बन्ध में काफी कुछ कहा है। इस सभा में अथवा हमारे समस्त देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो शिवाजी का सम्मान नहीं करता होगा। परन्तु साम्प्रदायिकता भड़काने के लिए उनके नाम का उपयोग करके हम शिवाजी की स्मृति के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि जब कोई मुस्लिम संगठन अथवा मुसलमान कोई ऐसी भड़काने वाली बात करता है तो हम उसकी कठोर शब्दों में निन्दा नहीं करते हैं। परन्तु क्या इसका अर्थ यह है कि यदि बहुसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है तो हम इसे क्षमा करदेंगे ? बहुसंख्यक लोगों की जिम्मेदारी अधिक होती है उनका विशेष उत्तरदायित्व है। जहां शक्तिशाली लोग रहते हों उनकी जिम्मेदारी वहां पर रहने वाले कमजोर वर्ग के प्रति है। कहीं हिन्दू और कहीं मुस्लमान तथा कहीं सिख बहुसंख्या में हैं तो वहां पर अल्प संख्यक वर्ग के प्रति उनकी जिम्मदारी अधिक है। हमारी जनता में भी कुछ लोगों के मन में ऐसे ही विचार रहते हैं जैसे माननीय सदस्य ने व्यक्त किए हैं परन्तु सभी जिम्मेदार और सही सोचने वाले व्यक्तियों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस प्रवृति को कैसे रोका जा सकता है। यदि कोई एसी घटना होती है तो हमें पूरी शक्ति से उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जिन पर उसका प्रभाव पड़ता है, फिर हमें ऐसे उपायों पर सोचना चाहिए जिनसे भविष्य म ऐसी घटनाएं न हों।

हम सब जानते हैं कि आरम्भ में ये घटनाएं बहुत साधारण होती हैं। परन्तु जब कुछ लोग कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं तब स्थिति बिगड़ जाती है। श्री वाजपेयी के भाषण में मैंने यहां तक सुना कि वह एक प्रकार की सूचना दे रहे थे कि वह और उनके दल के सदस्य ऐसी कार्यवाही करेंगे चाहे उसका मतलब अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा जीवन को कुचलना हो।

जैसे मैंने कहा था कि श्री वाजपेयी ने शिवाजी के स्मृति के साथ न्याय नहीं किया है परन्तु उन्होंने हमारे प्राचीन दर्शन, हमारी परम्पराओं और इस देश की बहुत बड़ी विरासत के साथ भी न्याय नहीं किया है क्योंकि हमारी विरासत निश्चय ही ऐसी नहीं है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचल दे। इसके विरीत प्राचीन काल से हमने उन लोगों के लिये अपने देश के द्वार खुले रखे थे जो अपने देशों में दुखी थे, चाहे वे विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं विभिन्न रीतिरिवाजों से सम्बन्ध रखते थे। और आज भी हम ऐसा ही करने का प्रयत्न करते हैं।

अतः माननीय सदस्य समस्त विश्व के सामने भारत का एकदम ग़लत दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे विचार व्यक्त किये हैं जो हमारे दर्शन, हमारी परम्पराओं और विचारधारा के विरूद्ध हैं।

मैं जन संघ की आलोचना एक दल के रुप मेंनहीं कर रही हूं। परन्तु इस दल की दो बातें खतरनाक हैं। इसका एक साम्प्रदायिक पहलू है और दूसरा ये इतिहास को तोड़-मरोड़ कर लिख रहे हैं। यह सब से खतरनाक बात है। श्री वाजपेयी ने घोषणा की है कि मुस्लमान इन दंगों को आरम्भ करते हैं। फिर वह इसका कारण पूछ कर स्वंय उत्तर देते हैं कि वे महसूस करते हैं कि वे भारत में नहीं रह सकते और इसलिए लड़ कर मरना अच्छा है। उनके दल के सदस्यों के भाषणों में भी कहा गया है कि जब तक भारत के मुस्लमानों का भारतीयकरण नहीं किया जाता तब तक वे भारत में नहीं रह सकते।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस बात पर मैं प्रधान मंत्री को चुनौती देता हूं कि वह कोई एक ऐसा भाषण बता दें तो मैं उस जनसंघ के नेता के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए तैयार हूं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : गोलवालकर जी ने कहा है (**व्यवधान**) यह कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ और जन संघ भिन्न हैं मुझे पता चला है कि जनसंघ की ओर से जो लोग कुछ सरकारों में सम्मिलित हुए हैं वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं। मेरे विचार में ऐसे कई भाषण प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

Shri Atal Bihari Bajpayee : Please show us one only.

Shrimati Indra Gandhi : We can show you all. We had received them in National Integration Council.

Shri Atal Bihari Vajpayee : You should mention Jan Sangh. Dont' talk of other parties. Have you seen the speeches made by the leaders of Jamait-Ulema?

Shrimati Indra Gandhi : We do not hesitate in condemining such speeches made by Jamait or any one else. .....

मैंने पहले भी कहा है कि इस प्रकार की जानकारी मुझे जब भी दी जाती है तो मैं सदा सार्वजनिक सभाओं तथा अन्य स्थानों पर उसका उल्लेख करती हूं। यदि किसी अवसर पर अन्य दल भी इसी प्रकार की कार्यवाही करते हों तो मैंने कभी भी किसी एक दल पर आक्षेप नहीं किया है।

मैं उस स्थिति की बात कर रही हूं जो केवल भिवंडी, जलगांव अथवा अहमदाबाद तक ही सीमित नहीं हैं। ये सब घटनाएं उस वातावरण का अंग है जो पैदा किया गया है। माननीय सदस्यों के समस्त सभी तथ्य प्रस्तुत किये जायेंगे। परन्तु हमें किसी घटना विशेष पर विचार नहीं करना चाहिए। हम यह महसूस करते हैं कि इस प्रकार के साम्प्रदायिक विचार, भाषण तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं। इस प्रकार खड़े हो कर यह कहने का कोई लाभ नहीं है "आप सिद्ध कीजिए कि हमने ऐसा किया है"।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : प्रधान मंत्री ठीक कह रही हैं परन्तु साम्प्रदायिकता को कुचलने के लिए वह क्या कार्यवाही करने जा रही है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम साम्प्रदायिकता का पूरी शक्ति के साथ मुकाबला करेंगे। हम चाहते हैं कि भारत की जनता भी इसका पूरी शक्ति के साथ मुकाबला करे। इस समस्या का समाधान केवल भाषण दे कर नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि जिन लोगों को हानि हुई है उन्हें कितनी राहत तत्काल दी जा सकती है। और हम दीर्घावधि के आधार पर क्या कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में पहले ही जांच की जा रही है। और निष्कर्ष निकाला जा रहा है। राहत के अतिरिक्त हम सब को मिलकर इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम इस प्रकार के वातावरण को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। हमें गांव-गांव में और मुहल्ले-मुहल्ले में जा कर पड़ोसियों की तरह रहने की भावना पैदा करनी चाहिए। पुलिस भी स्थिति विशेष में सहायक सिद्ध हो सकती है परन्तु अन्ततो गत्वा पड़ोसियों की तरह रहने की भावना अधिक सहायक सिद्ध होगी। देश का वातावरण ही इस प्रकारके दंगों और जनता पर बेहुदा हमलों को रोक सकता है।

यदि कोई व्यक्ति ग़लती करता है तो उस को अवश्य पकड़ना चाहिए। परन्तु वास्तव में दोषी व्यक्ति तो भाग जाते हैं, अनजान लोग लूटे और मारे जाते हैं।

श्री बदरूद्दुजा (मुर्शिदाबाद) : मुझे यह देखकर बहुत प्रोत्साहन मिला है कि प्रधान मंत्री ने भारत में मुस्लमान सम्प्रदाय के हित के लिये बहुत निर्भिक और साहसपूर्ण कदम उठाया है। वे अपने विश्वास पर दृढ़ हैं और उन्होंने उन संकटों का और उनके खोखलेपन का भंडा फोड़ने का जो मुस्लमानों के भारतीयकरण की बात करते हैं, वीरतापूर्वक ढंग से मुकाबला करने का निश्चय किया हुआ है।

कांग्रेस प्रशासन काल में गत 22 वर्ष में असफल रहा है। क्या प्रधान मंत्री और उनके प्रशासन ने एकता परिषद् द्वारा दी गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने का निश्चय किया? एकता परिषद् के सभी कथन, सभी सम्मेलन और इस सभा में दिये गये सभी वीरतापूर्वक भाषण निरर्थक हैं जब तक इनके पूरी तरह से और पूरी सार्थकता से क्रियान्वित नहीं किया जाता। मैं भारतीयकरण की बात सुनने को तैयार नहीं हूं। हम पहले से भारतीय हैं और अन्त तक भारतीय रहेंगे और हमेशा भारतीय रहेंगे। हम भारतीय इस लिए है कि हम ऐसे गौरवशाली देश के नागरिक हैं। हम मुस्लिम इस लिए हैं कि हम मुस्लिम धर्म और संस्कृति

का अनुकरण करते हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि भारतीयकरण कहां आरम्भ होता है और इस्लाम कहां समाप्त होता है या इस्लाम कहां आरम्भ होता है और भारतीयकरण कहां समाप्त होता है। दंगों के बाद दंगे, जाति संहार के बाद जाति संहार ने भारतीय मुस्लमानों में भय और असुरक्षता की भावना उतपन्न करदी है और उनका यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि समूचे भारत मे मुस्लमानों को दंगों का शिकार बनाया जा रहा है।

धर्मनिरपेक्षता जनतंत्रीय परम्परा के नाम पर मुस्लमानों की हत्याएं की जा रही हैं और हम इस प्रकार की क्रूरता और बर्बरता के शिकार बनते चले जा रहे हैं। क्या सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जन संघ के उन नेताओं को गिरफतार करने का साहस रखती है जो साम्प्रदायिकता का वातावरण फैला रहे हैं ?

महान अतीत और महान इतिहास वाले देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में वास्तविक सहयोग देने वाले 8 करोड़ मुस्लमानों को निश्चय ही मान्यता दी जानी चाहिए। हम हिन्दू सम्प्रदाय के विचारशील और जिम्मेवार वर्गों के कृतज्ञ हैं। हम आशा करते हैं कि हिन्दू सम्प्रदाय के महान नेताओं और इस सभा के सभी वर्गों के सज्जन व्यक्तियों, विशेषकर प्रशासन के व्यक्तियों की सहानुभूति और सहयोग पाते रहेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डाइमंड हर्बर) : इस देश में साम्प्रदायिक दंगे अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों के लिए करवाये। ऐसा स्वतन्त्रता संघर्ष और जन-अन्दोलनों को दबाने के लिए किया गया आज भी देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदयिक दंगे हो रहे हैं। वर्तमान गृह मंत्री श्री चव्हाण के कार्यकाल में सबसे अधिक दंगे हुए हैं। वे इन दंगों को दबाने में असफल रहे हैं और उन्हें गृहमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। गुजरात और महाराष्ट्र के मंत्रियों की भी यही स्थिति है। इन दंगों में हजारों अल्प संख्यक वर्गों के व्यक्तियों की हत्या की गई और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। बच्चों को उनकी माताओं के सामने जिन्दा जलाया गया। इस साम्प्रदायिक दंगों से किसको लाभ होता है ? प्रतिक्रियावादी और शोषक वर्ग, जो धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध हैं, को लाभ होता है।

साम्प्रदायिक दंगों का कर्मचारी वर्ग में गलतफहमी उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है साम्प्रदयिकता के समय कर्मचारियों में एकता पैदा करने का कार्य बहुत कठिन होता है।

गत 22 वर्षों के दौरान मुस्लमानों का, जो सरकार के परम्परागत मतदाता रहे हैं प्रयोग अपना अभिप्राय की पूर्ति के लिए किया गया है।

रांची में संयुक्त मोर्चा सरकार को बदनाम करने के लिये दंगे करवाये गये।

यदि सरकार वास्तव में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जनसंघ, शिव सेना और आनन्द मार्ग जैसी साम्प्रदायिक शक्तियों को समाप्त करना चाहती है, जो कि आज हमारे प्रशासन के हर क्षेत्र में प्रविष्ठ हो रही है तो उसे एक स्थायी संसदीय व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए।

अभी हाल ही के एक वकतव्य में दिल्ली के मेयर श्री हंसराज गुप्त ने उल्लेख किया था कि साम्यवादियों को रूस चला जाना चाहिए और मुस्लमानों को मक्का, राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ की पत्रिका 'पंच जन्य' को पश्चिम जर्मनी से वित्तिय सहायता मिलती है। यह सर्व विदित है कि आनन्द मार्ग और शिव सेना को सी० आई० ए० से वित्तीय सहायता मिलती है।

जहां तक महाराष्ट्र के हाल के दंगों का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ अल्पसंख्यकों पर आक्रमण करता है और शिव सेना उन दक्षिण भारतीयों पर आक्रमण करती है जो बम्बई में अपने जीवन निर्वाह के लिए रह रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। यदि इसे शीघ्र ही नहीं रोका गया तो इससे देश की अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जायेगा। इन दंगों के बारे में महाराष्ट्र सरकार को पहले ही सूचना मिल गई थी। समाचार-पत्र लगातार इस बात का उल्लेख करते रहे हैं कि शिव सेना लोगों को भड़का रही है। कांग्रेस के दो विधान सभाई नेताओं ने सरकार को इस बात की पूर्व चेतावनी दे दी थी। समस्त महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस दल पिछले कई वर्षों से शिव सेना को पूरा समर्थन देता रहा है। यह बात समझ में नहीं आती कि दगों के समय सेना को क्यों नहीं बुलाया जाता। जब भी दंगे होते हैं सरकार क्या करती है ? रिपोर्ट के बारे में सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती दंगा भड़काने वाले तत्व पर नियंत्रण नहीं किया जाता। दोषी अधिकारियों को सजा नहीं दी जाती। राष्ट्रीय एकता परिषद् के इस निर्णय को कार्यन्वित नहीं किया गया कि स्थानीय कार्यकारी लोगों को ऐसी स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए जिम्मेदार बनाया जाये।

हमें लोगों को शिक्षा देकर और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सांम्प्रदायिकता की इस बुराई को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

साम्प्रदायिक दंगों से ग्रस्त होने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त मुआवजा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक जनता स्वंय इस नृशंसता का विरोध नहीं करती तब तक कोई भी उपाय सफल नहीं होंगे।

Shri M. A. Khan (Kasgan) : These communal riots are not broken all of a sudden, but they spread due to the pre-plan of the Communal cases. These riots are occurred on those places only where the Muslims had a comfortable life. It is said that these riots are started by the Muslims everywhere. It is not understood how such a community can start the riot which suffer a heavy loss during the course of every riot. A delegation of the Muslims met the Chief Minister, the Home Minister and Collector of Maharashtra before the starting of the riots there and it gave full information regarding the serious condition prevailing in the state. In spite of this it has been stated that the Muslims are responsible for creating riots. The National Integration Councils decision that 'the local executive, should be made responsible' has not been implemented. Leading operations have not been checked. The prosecutions have not been launched against the guilty Officers.

After every riot it is said that a solution of this problem will be found out but nothing had been done in this regard so far.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is wrong. I feel that wrong impression has been created in this regard. I had stated that they feel that they have no future here. That is why they do not come in the mainstream of life in this country. Then there is one section in them which looks towards Pakistan for inspiration and help. My statement should not be given a wrong twist

Shri M. A. Khan : The Hon. Memeber Shri Vajpayee has spoken about Bhiwandi. We should know that about one week before the incidents a delegation of Muslims of that place had met the Chief Minister of Maharashtra and had warned about the explosive situation in the town. The Muslims had written to the Collector as well, but no body took any steps.

In Chaibasa similar things have happened. They say that Muslims threw bombs on the procession. When a certain route has been decided by police, the procession should be taken out through that. I know at a large number of places the procession of Muharram is not allowed to be taken out. It is so because there is danger of riots taking place. In the case of Bhiwandi the route of procession was changed without the permission of police. It was, when it was stopped, the trouble started. It is wrong to blame one community for this.

A resolution was passed in Integration Council that the officials of the place of communal riots should be held responsible and transferred. I am sorry to say that these resolutions are not implemented. The Government that is responsible for this should be taken to task.

I can say with certainly that police is also to blame. Mosques are put on fire in its presence. We listen to demands being made against it, but no action is taken. Justice should not only be done but it should appear like that.

It was in the year 1948 that Government had signed an agreement in U.N.O for appointing a tribunal to look after the interests of minorities. That agreement has not been implemented and no tribunal has been appointed till this day. I should appreciate Shri Vajpayee for his outspokenness. We are sorry for those who show sympathy but do nothing practical. If this Government is serious about stopping these riots it should take stern actions against the officials and police which is responsible for maintaining law and order. Shri Vajpayee has asked for meeting of representatives of all religions and has demanded that Shri Dalwi and Shri Jeelani should be called from Muslim Community. We cannot accept this proposal. These persons cannot represent the Muslims. If some decisions in regard to Muslims are taken on the instance of these people, it will not be acceptable to Muslims. Shri Vajpayee wants to include those Muslims who are so by name only.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : हम एक ऐसे रोग पर चर्चा कर रहे हैं कि यदि इसका समय रहते उपचार न किया गया तो यह हमारे देश की जड़ों को खोखला कर देगा। यह साम्प्रदायिकता का रोग है। इस समस्या पर हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए।

मेरे विचार में यह साम्प्रदायिक दंगे देश में हिंसा के वातावरण का एक भाग है। केन्द्र सरकार के कमजोर हो जाने के कारण हिंसा फैलती जा रही है।

कोई समय था कि राज्यों के मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री के पीछे पीछे घूमा करते थे और दिल्ली में आकर प्रधान मंत्री से मिला करते थे अब वे लोग आना ही नहीं चाहते। कलकत्ते में, बिहार में,

महाराष्ट्र में तथा काश्मीर में हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं। इन में से कुछ स्थानों पर साम्प्रदायिक हिंसा और स्थानों पर हिंसा के आर्थिक अथवा राजनीतिक कारण हैं। सत्तारुढ़ व्यक्तियों को सभी प्रकार की हिंसा सामाप्त करनी होगी। इसके सभी कारणों को हटाना होगा। यह उचित नहीं कि सरकार नक्सलवादियों को हिंसक गतिविधियों पर तो हाथ पर हाथ रखे बैठी रहे और अन्य प्रकार की हिंसा पर हाय तौवा शुरू कर दे। सरकार के इस प्रकार के रवैये से स्थिति और खराब होती है।

देश की एक पार्टी जो 20 वर्ष से सतारूढ़ है। इस शोचनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार है। इस अवधि में हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रश्न हल नहीं हो पाया है।

हमारे देश के विभाजन के समय यह समझा गया था कि साम्प्रदायिक समस्या समाप्त हो गई है। यह एक बड़ी भ्रामक बात थी। हमें हिन्दुओं तथा मुस्लमानों में एक दूसरे के प्रति घृणा को समाप्त करना चाहिए था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी दलों को मिलकर कार्य करना चाहिए।

यह कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य था कि जिस जहर के कारण देश का विभाजन करना पड़ा था उसे समाप्त करती। कांग्रेस ने तो अंग्रेजों की भान्ति कार्य किया और विभिन्न समुदायों को दूर दूर रखा। मुस्लमानों को बताया जाता रहा कि यदि तुमने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो तुम्हारे लिये खतरे उत्पन्न हो जायेंगे। कांग्रेस वालों ने अपनी अपनी गद्दियों को बनाये रखने के लिए उन्हें अलग रखा। आज भी कांग्रेस वही नीति अपनाये हुए है। आज भी यही कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस हार गई तो मुस्लिमों के लिये कोई स्थान नहीं। ऐसी नीति से किसी को लाभ नहीं होगा।

मेरे विचार में हमारे देश को इतना खतरा पाकिस्तान से नहीं जितना चीन से है। हम में उसका मुकावला करने की भी क्षमता है और जैसा कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने भी आश्वासन दिया है। वास्तव में हमें अपने देश के कुछ आन्तरिक तत्वों से बहुत बड़ा खतरा है। हमें देश में ऐसे तत्वों को समाप्त करके देश में एकता और राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करना है। हमें हिन्दु, मुस्लमान, सिख समुदाय के रूप में अपने आप को विभाजित न करके भारतीय समझना चाहिए।

हमें केवल मुस्लमानों का ही भारतीयकरण नहीं करना अपितु अन्य भारतीयों का भी भारतीय करण करना है। उनमें बहत से हिन्दु भी हो सकते हैं।

साम्प्रदायिकता की अग्नि में बेचारे निर्धन हिन्दू तथा मुस्लमान ही मारे जाते हैं। फिर हमारे राष्ट्रीय सम्मान को भी तो धक्का लगता है।

मुझे आश्चर्य है कि प्रधान मंत्री इस चर्चा के बाद स्वयं उत्तर न देकर श्री शुक्ल से उत्तर दिलाना चाहती है। प्रधान मंत्री ने कहा कि देश में हिंसा का एक प्रकार का वातावरण पैदा किया जा रहा है और अन्य दल उसके लिये जिम्मेदार है। हमें ऐसी प्रवृतियों को समाप्त करना होगा।

मैं मराठी भाषा के एक दैनिक 'नवकाल' के समाचार को यहां पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इस में भिवंटी की घटना के बारे में बताया गया है।

Mr. Speaker : This news was published in Marathi Paper "Narakal". This is a report given by one of the victims to the Revenue Minister of Maharashtra. He says that the miscreants murdered his old mother and two sons by consigning them in the fire.

यह भिवंडी में हुआ। मुझे आशचर्य होता है कि इस प्रकार से मरने वालों के आंकड़े दिये जाते हैं। विचार का विषय यह नहीं होना चाहिये कि कितने हिन्दु मरे हैं और कितने मुसलमान मरे हैं अपितु मुख्य बात यह होनी चाहिये कि स्वतत्रंता के 23 वर्ष के पश्चात् भी ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। विपक्षी दलों द्वारा 1 मई को महाराष्ट्र सरकार को यह आगाह किया गया था कि अगले सप्ताह के अन्दर कुछ घटना घट सकती है और उन्होंने पुलिस की समुचित व्यवस्था करने को कहा गया था। परन्तु इस अपील पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया वहां के हिन्दु और मुसलमानों के एक शिष्टमंडल ने भी सरकार को सावधान किया परन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई अब सरकार कहती है कि वहां 700 पुलिस के आदमी नियुक्त किये गये थे, या तो यह पुलिस ही बेकार थी या सरकार झूठ बोल रही है।

अध्यक्ष महोदय, हमें आशा है कि मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे, कभी ऐसी घटना चाईबासा में होती है तो कभी रांची, जमशेदपुर, इन्दौर में होती है। जब कोई घटना हो चुकी होती है तो प्रधान मंत्री जी राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक कराती हैं, मैं भी उस परिषद का सदस्य हूं। प्रधान मंत्री महोदया ने उस बैठक में कहा था कि हमें कुछ ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन ठोस प्रस्तावों का क्या हुआ है। जब देश में आवाज उठती है तो सरकार न्यायाधीश की नियुक्ति कर देती है और उसके बाद अगले उपद्रव होने तक सब कुछ भूल जाती है। अहमदाबाद, रांची, जमशेदपुर में हुए उपद्रवों के पश्चात् क्या सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार किया है और कोई उपाय निकाले हैं ? जब हिन्दु और मुसलमानों के मन में भय, शंका, घृणा विद्यमान है तो इसको मिटाने के लिए कुछ किया गया है। आयोग जनसंघ को दोषी बता सकता है परन्तु मल रूप से यह सरकार दोषी है। न भिवंडी और न देश के किसी भाग में सरकार अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर पायी है।

मैं जानता हूं कि सरकार का इस बारे में क्या उत्तर होगा। सरकार कहेगी कि हम राष्ट्रीय एकता परिषद को पुनः बुलाएंगे। परिषद क्या करेगी ? वह यह उपदेश देगी कि हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरें से स्नेह का संबंध रखना चाहिए। यदि राज्य सरकार उपने दायित्व को नहीं निभाती है तो ऐसा उपद्रव और कहीं भी हो सकता है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार अपने दायित्व को निभाने में असफल रही है। वह राज्य में काफी समय से सुलग रही असंतोष की भावना को समझ न पाई थी। यदि सरकार इसमें राजनीति नही लाती और न संकुचित दृष्टिकोण से सोचती तो भिवंडी में होने वाला यह उपद्रव न होता, यदि हम तुच्छ दलगत विचारों से ऊपर न उठें और न दूरदर्शिता दिखाऐं तो ऐसे उपद्रवों को रोकना और भी कठिन हो जायेगा। मूलरूप से यह दोष सत्तारूढ़ दल पर लगाना चाहिए। यदि हम इन पर नए तरीके से विचार न करें तो इस वाद विवाद का कोई लाभ नहीं है, भिवंडी, जलगांव की गम्भीर चुनोतियां किसी राज्य अथवा समुदाय के लिए नहीं हैं अपितु ये हमारे स्वतंत्र देश और स्वतंत्र लोकतंत्री व्यवस्था के अस्तित्व के लिए हैं। हमारे निरपराध हिन्दुओं और मुसलमान भाइयों ने अपनी जो जान दे दी है उससे सबके सीखा जा सकता है बशर्ते कि हम एक दूसरे को गालियां निकालना बंद कर दें और इस चुनोती का समाधान निकालें जो कि बहुत गहरी है।

श्री एस० मुहम्मद इसहाइल (मंजरी) : मैं नही जानता कि श्री बाजपेयी इस तथ्य को जानते हैं कि देश में लगभग 6,00,000 गांव, कस्बे , शहर है, लगभग सभी गांवों में कम से कम 1 मुसलमान अवश्य होगा कुछ गांवों में 5 भी हैं तो कुछ गांवों ने इनकी संस्था 500 तक है। मैं श्री वाजपेयी और उनकी विचार-धारा वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन गांव के लोगों में आपस में इतनी ग़लतफहमी और दुर्भावना है । वे तो आपस में निकट संबंधियों की भांती रहते हैं । आज भी वे देश में हो रहे नरसंहारों आदि के बावजूद इसी तरह रह रहे हैं। कुछ राजनीतिज्ञ नहीं जानते हैं कि मुसलमान किस भांति सोचता है । इस देश में अल्पसंख्यक वर्ग की अपनी कोई विशिष्टता नहीं है । विश्व के प्रत्येक देश में ये वर्ग किसी न किसी रुप में मिल जायेंगे । वे उस देश के मात्र होते हैं जहां वे रहते हैं । हमारे देश में अल्पसंख्यक अभी हाल ही में नहीं आये हैं मैं यह कह सकता हूं वे आर्यों से पहले आए थे, मैं उस पीढ़ी का हूं जो कि आर्यों से पूर्व आए थे । अतएव मेरा इस देश के साथ लगाव है । आर्यों के आगमन से पूर्व भी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्ग था । मैं इतिहास का तथ्य बता रहा हूं अल्पसंख्यक वर्ग का विचार कोई नया नहीं है । देश के प्रति प्यार मुसलमानों के ईश्वर में विश्वास का भाग है । मुसलमान अपने पड़ोसियों के साथ विश्वास, मित्रता और भाइचारे की भावना लेकर आते हैं ।

श्री बाजपेयी के तर्क मनघड़ंत हैं । उदाहरण के तौर पर उनका कहना है कि भारतीय मुसलमान इस देश में उद्देश्य की भावना के कारण मरना-मारना चाहता है, कोई भी मुसलमान संकट आने पर अपने देश को नहीं छोड़ेगा वह यहीं रहना चाहता है क्योंकि यह उसकी मातृभूमि है । यही लगाव उसका देश के प्रति है । कठिनाई यह है कि मुसलमानों की विचारधारा को नहीं समझा जाता है ।

श्री बाजपेयी ने जो तर्क दिया है, उन पर यदि सावधानी से विचार दिया जाये तो वे निरर्थक ही सिद्ध होंगे । क्या वे कह सकते हैं कि उन्हें नरसंहार से घृणा है और क्या उन्होंने अपने अनुयायियों से ऐसा न करने की सलाह दी है ? यदि उन्होंने ऐसा किया है तो यह अच्छी बात है । देश के गांवों और शहरों में लोग भाई-भाई के समान रह रहे हैं जब वे ऐसे नरसंहार के बारे में सुनते हैं तो भी वे अपना संबंध नहीं बदलते हैं । तब फिर ऐसी बातें क्यों होती हैं । कुछ राजनीतिज्ञ यह सोचत हैं कि वे देश के लोगों में एक ही विचार धारा फैला सकते हैं परन्तु ऐसा नहीं हो सकता है । जब तक अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता है तब तक ये मतभेद कायम रहेंगे और हमें एक दूसरे के विचारों को सहन करना पड़ेगा । ये मतभेद अपने-अपने विश्वास से संबन्धित हैं क्या आप विभिन्न विश्वासों को एक ही ढांचे में ला सकते हैं, यदि ऐसा करने का प्रयत्न किया गया तो यह समूचे लोगों और देश के लिए हानिकारक होगा मुझे आशा है कि देश में इस तरह का विचार नहीं आयेगा । यह राष्ट्रीय प्रश्न है । वास्तव में अल्पसंख्यकों की समस्या राष्ट्रीय समस्या है । मेरे अनुमान में यहां 8 करोड़ मुसलमान हैं, इतनी जनसंख्या वाले कई देश संयुक्त राष्ट्रसंघ के देश हैं और श्री बाजपेयी के मित्र कहते हैं कि वे इस देश से अल्पसंख्यकों का सफाया कर देंगे । फिर भी मुसलमान कहते हैं कि यदि उन्हें मरना पडगा तो वे यहीं मरेंगे, देश के लिए इस तरह का सोचना हित में नहीं होगा ।

समाचारपत्रों और लोगों से मिली जानकारी से महाराष्ट्र में हुए उपद्रवों के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है । यह सब कैसे हुआ ? इस वातावरण को बनाने में कई सप्ताह लगे

और इसके लिए एक निश्चित अवसर निर्धारित कर दिया गया था । इस बार भिवंडी को चुना गया जिसमें मुसलमान बहुसंख्यक वर्ग के हैं । यह समृद्धि शाली शहर है वहां लोग कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों में लगे हुए हैं और उनके पास विद्युत चलित करघे हैं । वे अन्य लोगों को भी रोजगार देते हैं । कुछ लोगों को वहां की उन्नति और खुशहाली पसन्द नहीं आई वे इसको भंग करना चाहते थे । इसके लिए अवसर चाहिए था । शिवाजी जयन्ती के उपलक्ष में वहां जलूस निकाला जाना था । मुसलमानों ने भी इसमें भाग लेने की सहमति प्रकट की परन्तु कतिपय धार्मिक सिद्धांतों के कारण वे कुछ बातों को नहीं चाहते थे । आयोजकों ने इसे स्वीकार कर लिया था । इसी भांती कुछ विशेष नगरों के बारे में भी सहमति हो गई थी । यह सब तैयारियां पहले से ही हो रही थी । तब एक भिन्न नारा लगाया गया जो कि आने वाली घटनाओं का इशारा था । एक पत्थर फेंका गया और नरसंहार आरम्भ हो गया, यह स्पष्ट है कि उन्होंने एक निर्धारित स्थान चुन लिया था । इसके बाद नरसंहार और लूट मार आरम्भ हो गई, तत्काल ही विभिन्न मोहल्लों में उपद्रव भड़क उठे । क्या यदि कोई पत्थर या बम फेंकता है तो अपराधी को दंड देने के लिए देश में कानून नहीं है ? इस प्रकार के अपराध वाले कार्य देश के अन्य भागों में भी होते हैं परन्तु वहां ऐसा उत्पात नहीं होता है, इसके लिए तो निर्धारित स्थान चुना गया था । शीघ्र ही एसिड युक्त बल्ब, आग के गोले फेंके जाने लगे जो कि झोंपड़ियों पर पड़ रहे थे, वास्तव में इस घटना के दो दिन पूर्व ही मुसलमानों का एक शिष्ट मंडल गृह मंत्री के पास गया था और उन्हें खतरे से आगाह कर दिया गया था । परन्तु इसके बावजूद भी कुछ नहीं किया गया था । उन्होंने बम्बई से राज्य आरक्षित पुलिस वहां भेजी जिसने वहां जाकर पहले से ही डरे लोगों पर आतंक जमाया । इस आशय के तार भेजे गए थे कि वहा पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रही है और इसके लिए केन्द्र की आवश्यकता है । जब भिवंडी जलगांव शान्त हो चुके थे तो यह दंगा थाना में भड़क उठा । अतएव इसके लिए सहायता केन्द्र से भेजी जानी चाहिए ।

कुछ दिन पूर्व श्री वाजपेयी ने कहा था कि यह केवल कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मेरा कहना है कि जब ऐसी घटना होती है तो यह कानून और व्यवस्था भंग हो जाती है । बिना इसके आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं । किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य यह है कि वह देखें कि क्या कानून और व्यवस्था का पालन किया जा रहा है, यहां ऐसा नहीं किया गया ।

केन्द्र को सुदृढ होना चाहिए और ऐसे अवसर पर शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए, उनको पहले से ही सावधान कर दिया गया था । परन्तु उन्होने ध्यान नहीं दिया । अब इन गरीब पीड़ित व्यक्तियों के लिए क्या करना चाहिए । अहमदाबाद के मामले में कहा गया कि पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत कार्य किये जायेंगे और उनको क्षति पूर्ति दी जायेगी परन्तु वहां के पीड़ित व्यक्ति समूचे देश म भिखारियों की भांति घूम रहे हैं । इससे देश की आत्मप्रष्ठिा जाती रहती है । अतएव उसके लिए पुलिस को तत्परता से कार्य करना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए । बेघरबार लोगों को तत्काल राहत दी जानी चाहिए । जो इसमें मारे गये हैं, उनकी बात छोड़िए, जीवित और निस्सहाय व्यक्तियों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, न केवल राज्य सरकार अपितु कन्द्र को भी यह देखना चाहिए कि ऐसी बातों की पुनरावृति न हो । कानून और व्यवस्था का निष्पक्ष रूप से पालन किया जाना चाहिए ।

Shri Randhir Singh (ROHTAK) : Mr. Speaker, In India all the Citizens, of the Country, irrespective of their Community, caste and creed are equal and they are like brothers. In Arab countries also, there are Citizens belonging to all the religions, but they all live very peacefully. It is misfortune of the country that from time to time there are communal riots in which property worth crores of rupees is destroyed and Hindus as well as Muslims are killed without any rhyme or reason. If we do not check this growing tendency, the country will certainly go to the walls. The members of all the community have equal right to contribute their share for the development of the nation and its culture.

Mr. Speaker, it is our misfortune that during the Indo-Pak conflict we had to kill our own brothers who had gone to Pakistan Territory as a result of division of the country. Alongwith Babar only 1200 Muslims had come to this country. Now they all have died. Now all the Citizens irrespective of their comnunity, caste and creed are Indians. It is great injustice to call them outsider or Non-Indian. The capitalist is inciting the feeling of communalism in the country merely to distrack the attention of the people from socialism and progressive programme brought forward by Indira Government. The recent communal riots at Indore, Chaibasa and Ahmedabad are clear indication of the fact that they are taking place only to distract the attention of the people from the socialist programme of Government of India.

The C.I.A. agents, Chinese agents and other outside elements, are inciting such feeling of communal hatred. We will have to curb the activities of these elements who have infiltrated in various institutions, parties, Government service and in various communities. Now merely talks and discussions would not serve any purpose, we will have to take some concrete measures to curb communalism in the Country.

Shri Nath Pai has rightly said that there is much more strong feeling about the sub-caste in a community such as that of Brahman, Ahir, and Jat etc. Now we will have to ban the communal parties who disintegrate the people and thus weaken the country. The newspapers which spread the feeling of communalism among the people should now be banned.

I have myself seen at Chaibasa, Ahmedabad and Meerut that Hindu and Muslim live in a peaceful atmosphere, but outside elements incite communal hatred among the communities. We have submitted several reports to the Ministry of Home Affairs, but no action has so far been taken on those reports. We had recommended that Muslims should be recruited in the Police and be appointed in the areas having Muslim majority.

Secondly, our Intelligence Department should be strengthened. Outside elements, who encourage and incite communal hatred should be identified and detected and for that purpose there should be close coordination between the Intelligence Departments of the Central Government and State Governments. If Police does not behave well the I. G. should either be suspended or be dismissed from service.

Thirdly, if there is destinction of property, it is moral, legal and constitutional responsibility of the Government to rehabilitate them and to provide employment to the persons affected by the riots.

Lastly, I would like to say that a Ministry for the Minority Communities be created at the Centre and the Minister incharge of the Ministry should be held responsible, if ever there is any Communal riots. A special cell of the Intelligence should also be created.

I would like to add that the demand for Indianisation is also a sort of casteism. The persons, who raise the demand of Indianisation, condsider other people as second class citizens. These persons are more dangerous than China and Pakistan.

It is my submission that action should be taken on my suggestions so that a feeling of confidence might be created among the minorities. They should feel that we do not merely talk and discuss, but what ever we say. we put it into practice. The recommendations of Justice Raghubar Dayal Commission should also be implemented.

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Deputy Speaker, there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : इन परिस्थितियों में सदन की बैठक को स्थगित करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं है ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 15 मई, 1970/25 वैशाख, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED TILL ELEVEN OF THE CLOCK ON FRIDAY, MAY 15, 1970/VAISAKHA 25, 1892 (SAKA).

M/J(D)8LSS—340—28-11-70—GIPS

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

14 मई, 1970 । 24 वैशाख, 1892 (शक) का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
XVIII	'सय्यद नूरुल हुदा' के स्थान पर 'श्री नूरुल हुदा' पढ़िये ।
29	ऊपर से पंक्ति 15 में श्री के.के.दासचौधरी' के स्थान पर 'श्री के.कृ.दास चौधरी' पढ़िये ।
32	ऊपर से पंक्ति 2 में श्री देवकी नन्दन पादोदिया' के स्थान पर 'श्री देवकी नन्दन पाटोदिया पढ़िये ।
37	ऊपर से पंक्ति 8 में प्रश्न संख्या 1941 के स्थान पर प्रश्न संख्या 1641 पढ़िये ।
75	नीचे से पंक्ति 19 में 'श्री राम चरण' को श्री अर्जुन सिंह भदौरिया' से पहले पढ़िये ।
82	नीचे से पंक्ति 5 में श्री दे.रपात' के स्थान पर 'श्री दे.स्मात' पढ़िये ।
136	नीचे से पंक्ति 15 में प्रश्न संख्या '1970' के स्थान पर '9770' पढ़िये ।